Index

इकाई	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	बदलता राजस्थान : आर्थिक वृद्धि और सार्वजनिक वित्त	1-10
2.	बुनियादी संरचना से मूलभूत सुविधाओं का उन्नयन	11-29
3.	जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि : शहरी, ग्रामीण एवं क्षेत्रीय विकास	30-51
4.	सशक्त और समृद्ध कृषि	52-73
5.	निवेश में वृद्धि : खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र का त्वरित विकास	74-95
6.	पर्यटन, कला, संस्कृति एवं सेवा क्षेत्र के विकास में गति	96-103
7.	सतत् एवं हरित विकास	104-112
8.	मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य	113-140
9.	सामाजिक सुरक्षा-सभी नागरिकों का कल्याण	141-160
10	सुशासन से समृद्धि	161-170
	राजस्थान ग्रीन बजट 2025-26	171-174

[Syllabus]

(Pre)

- ❖ अर्थव्यवस्था का वृहत् परिदृश्य
- ❖ कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे
- ❖ संवृद्धि, विकास एवं आयोजना
- ❖ आधारभूत संरचना एवं संसाधन
- ❖ प्रमुख विकास परियोजनायें
- ❖ राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों, निःशक्तजनों, निराश्रितों, महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों, कृषकों एवं श्रमिकों

(Mains)

पेपर-I, खण्ड स- राजस्थान की अर्थव्यवस्था

- ❖ कृषि परिदृश्य- उत्पादन एवं उत्पादकता। जल संसाधन और सिंचाई। कृषि विपणन। डेयरी एवं पशुपालन।
- ❖ ग्रामीण विकास और ग्रामीण अवसंरचना। पंचायती राज और राज्य वित्त आयोग।
- ❖ औद्योगिक विकास का संस्थागत ढाँचा। औद्योगिक वृद्धि और नव प्रवृतियाँ। खादी और ग्रामोद्योग ।
- ❖ अवसंरचना विकास विद्युत और परिवहन। अवसंरचना में निजी विनियोग और सार्वजनिक-निजी सहभागिता परियोजनाएं- दृष्टिकोण और सम्भावनाएं।
- ❖ राजस्थान की प्रमुख विकास परियोजनाएं। राज्य बजट और राजकोषीय प्रबंधन मुद्दे और चुनौतियाँ।
- ❖ राजस्थान की आर्थिक कल्याण योजनाएं। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण।
- ❖ बुनियादी सामाजिक सेवाएं- शिक्षा व स्वास्थ्य। गरीबी, बेरोजगारी और सतत् विकास लक्ष्य

UNIT - 1 बदलता राजस्थान : आर्थिक वृद्धि और सार्वजनिक वित्त

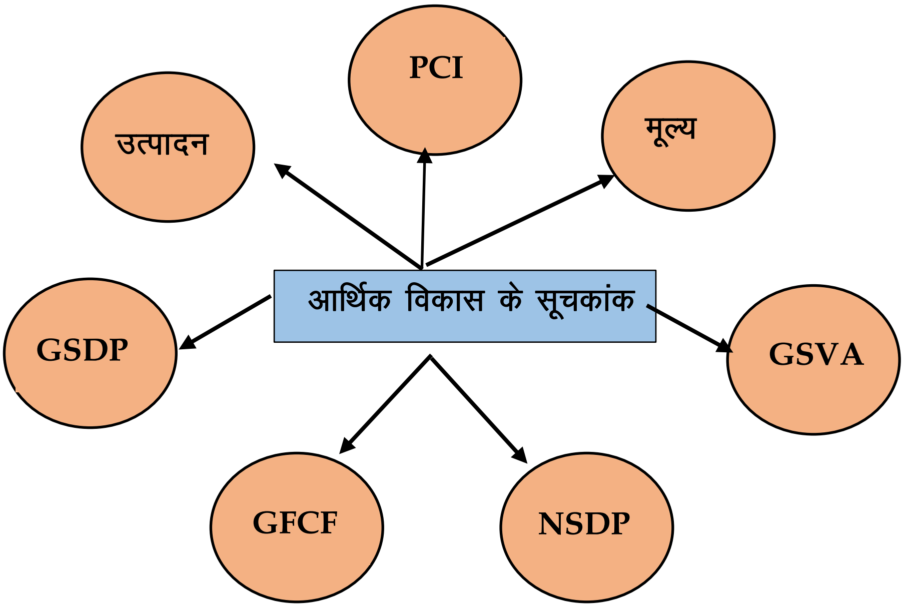

उत्पादन

किसी भी देश में GDP की गणना 2 प्रकार से की जाती है।

प्रचलित / चालू मूल्य

- जब वर्तमान उत्पादन की गणना वर्तमान कीमतों के आधार पर की जाए।

आधार / स्थिर मूल्य

- वह निश्चित वर्ष जिसकी कीमतों को आधार मानकर वर्तमान उत्पादन की गणना की जाती है।
- आधार वर्ष 2011-12

1. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) :-

- यह एक विशिष्ट समयावधि के भीतर किसी राज्य के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है।

(GSDP)	स्थिर / बुनियादी मूल्यों पर (वर्ष 2011-12) Constant	प्रचलित Current Price
2024-25	9.06 लाख करोड़ (Lakh Cr)	17.04 लाख करोड़ (Lakh Cr.)
वृद्धि (Growth)	7.82%	12.02%
5 वर्षों में वृद्धि (Growth in 5 years)	पिछले 5 वर्षों में लगातार वृद्धि (constant growth in last 5 years)	5 वर्षों में लगातार वृद्धि (Constant growth in 5 years)

भारत में तुलना –

कुल GDP (Total GDP)	स्थिर (Constant)	प्रचलित (Current)
2024-25	184.88 लाख करोड़ (Lakh Cr)	324.11 लाख करोड़ (Lakh Cr.)
वृद्धि (Growth)	6.4%	9.7%
राजस्थान का योगदान (Contribution of Rajasthan)	4.90%	5.26%

शीर्ष पांच जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद प्रचलित और स्थिर (2011-12) कीमतों पर –

(₹ करोड़ में)

जिला	प्रचलित कीमतों पर सकल जिला घरेलू उत्पाद		जिला	स्थिर (2011-12) कीमतों पर सकल जिला घरेलू उत्पाद	
	2023-24	वृद्धि दर (%)		2023-24	वृद्धि दर (%)
जयपुर	212335	13.63	जयपुर	123421	10.77
अलवर	119820	15.16	अलवर	74782	13.47
जोधपुर	83191	11.46	जोधपुर	44974	7.55
भीलवाड़ा	76716	13.69	अजमेर	37792	8.95
अजमेर	70283	14.03	भीलवाड़ा	37016	10.29

2. शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) -

NSDP= GSDP – मूल्यह्रास (Depreciation)

मूल्यह्रास से तात्पर्य टूट–फूट के कारण अचल संपत्तियों के मूल्य में होने वाली हानि से है।

	स्थिर (Constant)	प्रचलित (Current)
कीमत (Price)	7.96 लाख करोड़ (Lakh Cr)	15.25 लाख करोड़ (Lakh Cr.)
वृद्धि (Growth)	8.03%	12.23%

3. सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) -

GSVA = GSDP – Taxes + Subsidies

- **मुख्य उपयोग :** क्षेत्रवार योगदान को दर्शाने के लिए।

	स्थिर (Constant)	प्रचलित (Current)
कीमत (Price)	8.22 लाख करोड़ (Lakh Cr)	15.70 लाख करोड़ (Lakh Cr.)
वृद्धि (Growth)	6.29%	10.83%

क्षेत्रवार हिस्सा :

स्थिर कीमतों पर	योगदान	वृद्धि
कृषि	26.54%	5.05%
उद्योग	28.39%	5.77%
सेवा	45.07%	7.38%

प्रचलित कीमतों पर	राजस्थान	वृद्धि
कृषि	26.92%	11.44%
उद्योग	27.16%	7.88%
सेवा	45.92%	12.29%

★ **प्रचलित कीमतों पर GSVA का उप–वर्गीकरण –**

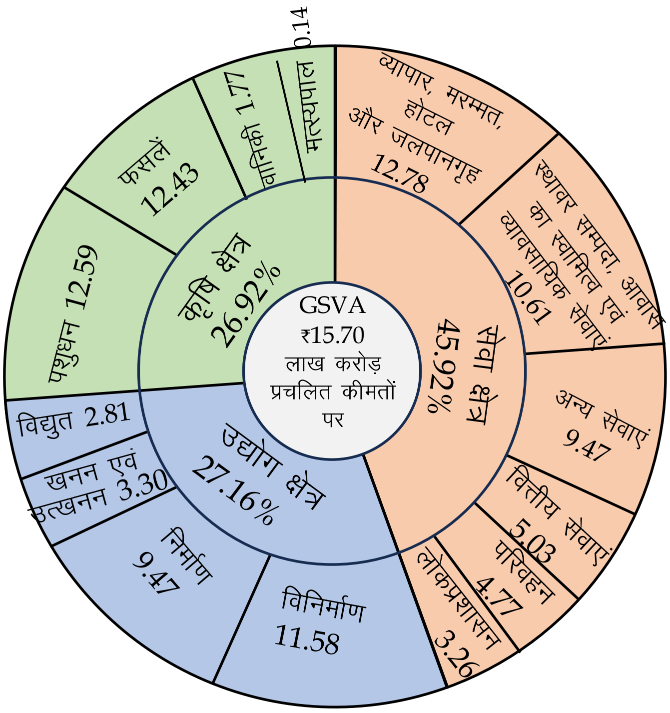

4. प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) -

$$\text{प्रति व्यक्ति आय } \mathbf{(PCI)} = \frac{\text{NSDP (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद)}}{\text{Mid-years total Population of the state (राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या)}}$$

प्रति व्यक्ति आय (PCI)		स्थिर	वृद्धि	प्रचलित	वृद्धि
	राजस्थान	Rs.96638	6.88%	Rs.1,85,053	11.04%
	भारत	Rs.1,12,358	5.3%	Rs.2,00,162	8.7%

शीर्ष पांच जिलों की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित और स्थिर (2011-12) कीमतों पर –

(₹ करोड़ में)

जिला	प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय			जिला	स्थिर (2011-12) कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय		
	2022-23	2023-24	वृद्धि दर (%)		2022-23	2023-24	वृद्धि दर (%)
अलवर	211302	240808	13.96	अलवर	131635	147849	12.32
भीलवाड़ा	210787	237076	12.47	जयपुर	122297	134241	9.77
जयपुर	210174	236666	12.61	राजसमंद	107035	113514	6.05
अजमेर	181802	205326	12.94	भीलवाड़ा	103334	112743	9.11
जैसलमेर	177828	201054	13.06	जैसलमेर	106193	109364	2.99

5. पूंजी निर्माण : बुनियादी ढांचे का निर्माण –

उद्देश्य :

(i) विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण। (ii) औद्योगिक विकास को बढ़ाना। (iii) जीवन स्तर में सुधार
(iv) निवेशों को आकर्षित करना। (v) रोजगार के अवसर

★ **सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF):-**

- प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2023-24 में GFCF → ₹4,48,061 करोड़
- कुल GSDP का 29.45%
- वर्ष 2022-23 की तुलना में वृद्धि → 11.65%
- **GFCF** में हिस्सा **(Share in GFCF)**

↓

निजी क्षेत्र (Private Sector)	सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector)
78.27%	21.73%

[पिछले 5 वर्षों में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में Zig-Zag वृद्धि]

- **GFCF में सर्वाधिक योगदान वाले क्षेत्र –**
  1. निर्माण (Construction) (205780 करोड़)
  2. आवासीय भवन (Residential Building)
  3. लोक प्रशासन (Public Administration)
  4. विनिर्माण (पंजीकृत)
  5. विनिर्माण (अपंजीकृत) → Trade, Hotel & Restaurant, Transport and other services

- **GFCF में 3 न्यूनतम योगदान वाले क्षेत्र –**
  1. मत्स्य (₹11 करोड़)
  2. वानिकी (₹704 करोड़)
  3. वित्तीय सेवाएं
  4. रेलवे

मूल्य स्थिरीकरण : आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा

★ **मूल्य सांख्यिकी :–** किसी निश्चित समयावधि में किसी क्षेत्र में वस्तु व सेवाओं के मूल्य स्तर में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन को मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है।

दो प्रमुख संकेतक

CPI
1. खुदरा स्तर पर मापन
2. उपभोक्ता के जीवन यापन की लागत को मापता है।
3. क्रय शक्ति प्रभावित होती है।

WPI
1. थोक स्तर पर मापन
2. थोक स्तर पर मूल्य परिवर्तन को दर्शाते है।
3. उत्पादन लागत को प्रभावित करते है।

थोक मूल्य सूचकांक (W.P.I.) -

- थोक मूल्यों पर उतार–चढ़ावा को दर्शाता है।
- केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। (सेवाएं नहीं)
- थोक मूल्य सूचकांक को आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी किया जाता है।

राजस्थान में WPI:-

- मासिक आधार पर जारी
- 154 वस्तुएं सम्मिलित
- आधार वर्ष → 1999-2000

<table>
<tr><th></th><th>संख्या (Number)</th><th>भारांश (Weightage)</th><th colspan="2">इस वर्ष वृद्धि (Annual Growth)</th></tr>
<tr><td>प्राथमिक वस्तु
▪ कृषि वस्तुएं
▪ खनिज</td><td>75</td><td>33.894%</td><td colspan="2">4.16 (सर्वाधिक)</td></tr>
<tr><td>विनिर्मित उत्पाद समूह</td><td>69</td><td>49.853%</td><td>1.46</td><td rowspan="2">Numbers are not much important</td></tr>
<tr><td>ईधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक</td><td>10</td><td>16.253%</td><td>(-1.45)</td></tr>
</table>

- राज्य का सामान्य wholesale price index (WPI) वर्ष 2023 में 387.90 से बढ़कर 2024 में 394.68 रहा जो 1.75% की वृद्धि को दर्शाता है।
- अखिल भारतीय WPI वर्ष 2024 में 153.9 (1.72% की वृद्धि)
  [**नोट :** भारत सरकार WPI का आधार वर्ष "2011-12" रखती है।]

★ **खाद्य मुद्रास्फीति – थोक मूल्य खाद्य सूचकांक (भार 30.163)**
राज्य स्तरीय थोक मूल्य खाद्य सूचकांक जिसमे प्राथमिक वस्तु समूह से ''खाद्य सामग्री'' और विनिर्मित उत्पाद समूह से ''खाद्य उत्पादन'' शामिल है, जो वर्ष 2023 में 403.92 से वर्ष 2024 में बढ़कर 421.67 हो गया, जिसमें 4.39% वृद्धि दर्ज की गई।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – (C.P.I.)

- उपभोक्ताओं के क्रय मूल्य पर आधारित।
- उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार इस सूंचकाक का प्रयोग करती है।
- CPI में वस्तुएँ एवं सेवाएं दोनों शामिल है।
- प्रतिमाह चार विभिन्न प्रकार के C.P.I. तैयार किए जा रहे है।

A. C.P.I. औद्योगिक श्रमिकों हेतु (CPI-IW) → आधार वर्ष – 2016]
B. C.P.I. कृषि श्रमिकों हेतु (CPI-AL) → आधार वर्ष – 1986-87] श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़
C. C.P.I. ग्रामीण श्रमिकों हेतु (CPI-RL)
D. C.P.I ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त हेतु (CPI-R, U & C) → आधार वर्ष – 2012 | N.S.O., नई दिल्ली द्वारा |
[NSO : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय]

CPI-IW

- देशभर में 88 केंद्रों से आंकड़े लिये जाते है।
- राजस्थान में 3 केंद्र : 1. जयपुर
  2. भीलवाड़ा
  3. अलवर (अजमेर के स्थान पर)

राजकोषीय प्रबंधन : वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना

राजकोषीय प्रबंधन

- प्राप्ति
  - पूंजीगत
  - राजस्व
- व्यय
  - राजस्व
  - पूंजीगत
- घाटा
  - राजस्व
  - राजकोषीय

प्राप्तियां →

पूंजीगत प्राप्तियां –लोकऋण (Public Finance)

राजस्व प्राप्तियां
- कर
- गैर–कर

प्राप्तियां (कुल प्राप्तियां -2,03,695 करोड़)
- राजस्व प्राप्तियां – 203276 करोड़
- पूंजीगत प्राप्तियां – 419 करोड़

❖ **प्राप्तियों की प्रवृत्ति** : (वर्ष 2023-24 में) -

1. राजस्व प्राप्तियों में 4.25% वृद्धि
2. राज्य के स्वयं के कर में 7.72% वृद्धि
3. विभिन्न कर प्राप्तियों में वृद्धि
   (i) SGST – 12.50%
   (ii) मुद्रांक व पंजीकरण – 12.12%
   (iii) विद्युत कर – 11.16%
   (iv) वाहन कर – 9.39%
   (v) बिक्री कर (Sales Tax) – 3.28%

★ व्यय –

व्यय (कुल व्यय 2,69,275 करोड़)

- राजस्व (2,42,231 करोड़)
- पूंजीगत (26,646 करोड़)
- उधार एवं अग्रिम (398 करोड़)

❖ राजस्व व्यय का सेवावार विवरण –

राजस्व व्यय

- **समाजिक सेवाएँ** (42.06%)
- **सामान्य सेवाएँ** (32.07%)
- **आर्थिक सेवाएँ** (25.87%)

❖ स्कीमवार व्यय –

समाजिक एवं सामुदायिक सेवाएँ	54.79%
ऊर्जा	14.13%
ग्रामीण विकास	9.65%
परिवहन	6.38%
कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएँ	5.84%

❖ व्यय की प्रवृति :– (वर्ष 2023-24 में)

- 75.49% व्यय राजस्व प्राप्तियों से किया।
- 24.51% व्यय पूंजीगत प्राप्तियां व ऋण से किया गया।
- सर्वाधिक व्यय → वेतन व मजदूरी (सामाजिक सेवा) पर किया गया।
- विकासात्मक व्यय (सामाजिक + आर्थिक सेवाएं) 71.00% (कुल व्यय का)

★ घाटा (Deficit) -

❖ राजस्व घाटा (Revenue Deficit)

= 38,955 करोड़ (वर्ष 2023-24) (2.56%)

Note - FRBM Act, 2023 के अनुसार 0% होना चाहिए।

❖ राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)

= ₹65,580 करोड़ (वर्ष 2023-24)

यह GSDP का 4.31% रहा जो RAJ. FRBM ACT, 2005 के 4.37% से कम है।

❖ राजकोषीय देनदारिया (Fiscal Liabilities) - $\left(\frac{\text{Debt}}{\text{GDP}}\right)$

31 मार्च, 2024 तक = 5,71,639 करोड़ (13.07 की वृद्धि)

→ यह GSDP का 37.57% है।

→ अतिरिक्त ऋण प्रभाव (GST क्षतिपूर्ति व पूंजीगत व्यय हेतु) को कम करने के बाद = 35.75%

FRBM Act, 2003 के अनुसार यह GDP का 34% होना चाहिए।

राजकोषीय देनदारियों के घटक

- आन्तरिक ऋण 3,99,858 Cr.
- GOI से ऋण 46,794 Cr.
- PF & राज्य बीमा निधि 70,219 Cr.
- आरक्षित निधि व जमा 54,768 Cr.

वित्तीय सेवाएँ : पूंजी तक पहुँच के माध्यम से विकास को सक्षम बनाना

★ **बैंकिग –**

❖ लाभ –

1. 350 बिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका।
2. जमा राशि जुटाने व प्रमुख क्षेत्रों में ऋण वितरण।
3. आधारभूत संरचना विकास में सहायक।
4. जीवन स्तर में सुधार–डिजिटल भुगतान, DBT etc.

❖ **राज्य में बैंक शाखाएं (Sept 2024 तक)**

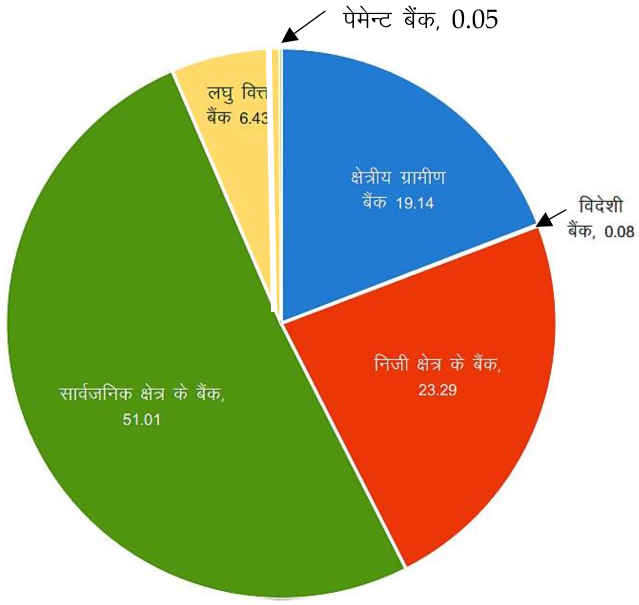

1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक – 51.01%
2. निजी क्षेत्र के बैंक - 23.29%
3. क्षेत्रीय ग्रामीण – 19.14%
4. लघु वित्त – 6.43%
5. विदेशी बैंक – 0.08%
6. पेमेन्ट बैंक – 0.05%

बैंकिग	भारत	राजस्थान
जमाराशि वृद्धि	11.38% वृद्धि	11.36% वृद्धि
ऋण जमा अनुपात	79.32%	86.92%
कुल ऋण	12.40% वृद्धि	13.76% वृद्धि

राजस्थान में औसतन 9,660 व्यक्तियों पर }
40.51 वर्ग km } **एक बैंक**

राजस्थान अनुमानित जनसंख्या = 824.06 लाख (1 Oct 2024)

★ **वित्तीय समावेशन :–**

➢ **सम्बन्धित योजनाएँ –**

1. **स्टैण्डअप इंडिया योजना–**
   - लाभार्थी : SC/ST, महिला उद्यमी
   - **उद्देश्य – संस्थागत** ऋण उपलब्ध करवाना।
   - 10 लाख ₹ से 1 करोड़ की ऋण सुविधा
   - 7 वर्षों हेतु
   - गैर कृषि क्षेत्रों में हरित क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना हेतु।
   - 'पूछताछ हेतु पोर्टल' – "भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा विकसित" (http://www.standupmitra.in)

2. **अटल पेंशन योजना –** असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना

   आयु -
   - न्यूनतम 18 वर्ष
   - अधिकतम 40 वर्ष
   - 60 वर्ष पूर्ण होने पर प्रतिमाह ₹1000 (न्यूनतम), ₹5000 (अधिकतम) गारंटीशुदा पेंशन

3. **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना**
   - राज्य DBT सलाहकार बोर्ड – अध्यक्ष – मुख्य सचिव
     5 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी
   - DBT भारत पोर्टल– 99 राज्य योजनाएं व 51 केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाएँ इस पोर्टल पर है।

समावेशी विकास :– एक समतामूल अर्थव्यवस्था का निर्माण

❖ **उद्देश्य/आवश्यकता –**

1. समाज के सभी वर्गों तक विकास की पहुँच सुनिश्चित करना।
2. असमानता दूर करने हेतु (आय, बुनियादी सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा कर)
3. भेदभाव क्षेत्रीय, समाजिक व लैंगिक समाप्त करने हेतु।
4. जीवन स्तर में सुधार करने हेतु – शहरी व ग्रामीण

❖ **समावेशी विकास का मापदण्ड –**

➢ **बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multi Dimensional Poverty Index) -**

→ निर्धनता के आकलन के मापक – 3 आयाम (शिक्षा, स्वास्थ्य,जीवन स्तर) और 10 सूचक

- राज्य की MPI में स्थिति –
  वर्ष 2023 में MPI = 15.31% (NFHS-5, 2019-21 के अनुसार)
  राज्य में
- NFHS-5 में NFHS-4 (2015-16) की तुलना में 28.86% का सुधार हुआ है।
- राष्ट्रीय औसत 2015-16 में 24.85% से 2019-21 में 14.96% हो गया है।

नोट :– चूंकि राज्य वर्ष 2028-29 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए ग्रामीण विकास, वित्तीय सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं एवं सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रित

समावेशी विकास रणनीतियाँ, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि आर्थिक विकास व्यापक हो, सभी नागरिकों को इसका लाभ प्राप्त हो एवं दीर्घकालिक सामाजिक स्थिरता में योगदान प्राप्त हो सके। समावेशिता को प्राथमिकता प्रदान करके, राजस्थान एक सुदृढ़, समावेशी और सतत् अर्थव्यवस्था की नींव रख रहा है।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

★ **लक्ष्य :–** 2028-29 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था।

★ **राज्य की अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ :**

1. जलवायु अनिश्चितता
2. जल संकट
3. वैश्विक आर्थिक दबाव
4. विकास में क्षेत्रीय विषमता

समाधान

- रणनीतिक स्तंभ
- विभिन्न क्षेत्रीय विकास की पहले

1. रणनीतिक स्तंभ –

- **आर्थिक विकास:** $350 बिलियन अर्थव्यवस्था की नींव
- **क्षेत्रीय परिवर्तन:** आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में तेजी लाना
- **पूंजी निर्माण:** $350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण
- **मूल्य स्थिरीकरण:** विकास और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना
- **राजकोषीय प्रबंधन:** वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना
- **वित्तीय सेवाएँ :** पूंजी तक पहुंच के माध्यम से विकास को सक्षम बनाना
- **समावेशी विकास:** एक समतामूलक अर्थव्यवस्था का निर्माण

2. विभिन्न क्षेत्रीय विकास की पहले –

- $350 बिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख क्षेत्रों का विकास

कृषि

1. जल प्रबंधन में सुधार
2. सिंचाई विस्तार
3. फसल विविधीकरण
4. कृषि प्रसंस्करण उद्योग

उद्योग

1. बुनियादी ढांचे का विकास
2. निवेश बढ़ाना
3. औद्योगिक कलस्टरों का विकास
4. अक्षय ऊर्जा विस्तार

सेवा

1. पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी व वित्तीय सेवाओं का विस्तार (IT, Fintech)
2. स्मार्ट शहरों का विकास
3. e-Governance, नवाचार केन्द्रों जैसी पहल।

UNIT - 2 बुनियादी संरचना से मूलभूत सुविधाओं का उन्नयन

★ **आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्र– निम्नलिखित सात स्तम्भ राजस्थान में आधारभूत ढाँचे के विकास को परिभाषित करते है।**

★ **आधारभूत अवसंरचना :–**

"किसी समाज या उद्योग के सुचारू रूप से काम करने के लिए जरूरी मूलभूत भौतिक व संगठनात्मक संरचना।"

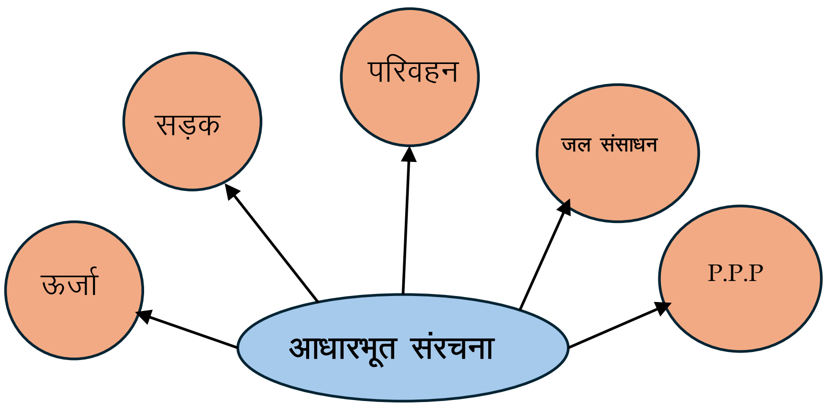

ऊर्जा –

★ **ऊर्जा क्षमता – (दिसम्बर 2024 तक)**

- अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता – 26,325.19 मेगावाट,
- सर्वाधिक क्षमता – तापीय ऊर्जा (7830 MW – राज्य सरकार की परियोजनाओं से)

- सौर ऊर्जा– 5482.66MW, पवन ऊर्जा– 4414.12 MW

राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा को मिलकर कुल स्थापित क्षमता का 59% भाग है।

★ **ऊर्जा प्रसारण– (दिसम्बर 2024 तक)**

राज्य में कुल ई.एच.वी. प्रसारण नेटवर्क– 44,638 सर्किट km

मार्च 2017	Dec., 2024	वृद्धि
36,079सर्किटkm	44,638 सर्किट km	23.72%

★ **ऊर्जा उत्पादन–**

- उत्पादन में सतत् वृद्धि हुई है।
- 2020-21 से 2023-24 तक कुल ऊर्जा उत्पादन की संकलित वार्षिक वृद्धि कर (CAGR) → 4.08%
  - **सौर ऊर्जा–** 20.57%
  - **पवन ऊर्जा–** 5.30%

★ **ऊर्जा की उपलब्धता–**

2020-21	2023-24	वृद्धि
8561 करोड़ यूनिट	10,948.74करोड़ यूनिट	27.87%

वितरण प्रणाली

- **उपभोक्ताओं की संख्या–** 196.22 लाख (Dec. 2024 तक)
- **ग्रामीण विद्युतीकरण–** 43965 गाँवों (Dec. 2024 तक)
- **कृषि कनेक्शन–** 72,373 (वर्ष 2024-25)

ऊर्जा से संबंधित योजनाएँ

1. पी.एम. कुसुम योजना:– "किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (कुसुम)"

- उद्देश्य– ऑफ ग्रिड सौलर पम्प और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करना।
- मंत्रालय– नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, GOI

i. कुसुम घटक ए–

- स्थापना– 0.5MW से 2MW क्षमता तक के विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना।
- स्थान – 33/11 किलोवाट सबस्टेशनों के 5 किमी. की परिधि में स्थित किसानों की बंजर भूमि पर
- क्रियान्वयन :– प्रथम चरण – राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम
  - ✓ द्वितीय चरण– 23 जुलाई 2024 से RRECL के स्थान पर, राजस्थान डिस्कॉम, (ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार) द्वारा संचालित

ii. कुसुम घटक बी–

- 7.5 H.P. तक की क्षमता वाले कृषि पम्प सेटों को सौर ऊर्जाकृत हेतु 12,500 पम्प सेटो का लक्ष्य रखा गया है।

iii. कुसुम घटक सी– (फीडर लेवल सोलराइजेशन)

- लक्ष्य– 4,00,000 पम्प सेटो को सॉलराइजेशन

2. सौर कृषि आजीविका योजना –

- किसान/भूमि मालिकों और डवलपर्स के सहयोग और आवश्यक भूमि की व्यवस्था करने के लिए सौर कृषि आजीविका योजना (Skay) पोर्टल (www.skayrajasthan.org.in)

3. PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना : घरों तक सौर ऊर्जा का विस्तार –

- शुरूआत– 13 फरवरी 2024
- बजट – 75000 करोड़
- उद्देश्य– हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए एक करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित करना।
- विशेषताएँ–1. अधिकतम अनुदान – 78000 रु. (3 KW या उससे अधिक पर)
  2. लक्ष्य–राजस्थान सरकार ने 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा है।
  3. सरलीकरण प्रक्रिया– पंजीकरण, स्वीकृति तथा अनुदान की ऑनलाइन व्यवस्था व रियायती दरों पर बैंक ब्याज ।
  4. प्रचार–प्रसार, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डोर–टू–डोर अभियान (दूरस्थ स्थानों के लिए)।

4. मुख्यमंत्री निःशुक्ल बिजली योजना (कृषि अनुदान) –

- बजट 2023-24 में
- लाभ प्रारम्भ– June 2023
- मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना (कृषि उपभोक्ता को 1000 रु./माह, 1 वर्ष में अधिकतम 12000 रु.) को इस योजना के साथ मिला दिया गया है।
- वर्तमान–
  - ✓ 2000 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली (कृषि उपभोक्ताओं को)
  - ✓ 2000 यूनिट प्रतिमाह से अधिक आने पर मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत 1000 रु. अतिरिक्त सब्सिडी

5. मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (घरेलू अनुदान) –

लाभ प्रारम्भ– June, 2023

विद्युत उपभोग	रियायत
• 100 यूनिट तक	मुफ्त बिजली (शून्य बिल)
• 200 यूनिट तक	पहले 100 यूनिट के विद्युत शुल्क, फिक्स चार्ज और नगरीय उपकर की बिल में छूट
• 200 यूनिट से अधिक	पहली 100 यूनिट मुफ्त लेकिन अन्य शुल्क उपभोक्ता द्वारा व्यय।

Note: पावर ट्रांसमिशन दक्षता में सुधार के लिए–

- RVPN द्वारा स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एवं परिसम्पत्ति प्रबंधन प्रणाली लागू

 # राज्य में निजी सहभागिता–

(a) प्रसारण तंत्र – PPP मॉडल – अलवर व डीडवाना (400 KV. के 2 GSS)

(b) विद्युत उत्पादन में 2786 मेगावाट क्षमता विकसित

अक्षय ऊर्जा

अक्षय ऊर्जा

- सौर
  - उत्पादन
  - पार्क
- पवन
  - उत्पादन
  - पार्क
- बायोमास
- ग्रीन हाइड्रोजन

संस्थाएँ

- भारत सरकार (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय)
- राज्य सरकार (राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड) (RRECL)

\# ऊर्जा संक्षरण हेतु नामित एजेंसी– ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिऐंसी

★ सौर ऊर्जा –

❖ राजस्थान में सौर ऊर्जा के अवसर–

- 6-7 किलोवाट घण्टे/वर्गमीटर/प्रतिदिन सौर विकिरण ।
- अधिकतम सौर दिवस (1 वर्ष में 325 दिन से अधिक) ।
- बंजर भूमि की उपलब्धता ।

राज्य में सौर ऊर्जा

- कुल क्षमता 142 गीगावाट (GW)
- स्थापित क्षमता 22,676 MW (रूफटॉफ संयंत्रों के अतिरिक्त) (दिसम्बर, 2024

❖ एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 –

उद्देश्य :–

1. राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा के 2030 तक 500 GW के लक्ष्य में राज्य का योगदान।
2. सौर, पवन, बायोमास और ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना।
3. 24 घण्टे लगातार ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
4. राज्य का लक्ष्य– 125 GW (2029-30 तक) नवीकरणीय क्षमता स्थापित करना।

- 115 GW – उत्पादन और 10 GW – भण्डारण क्षमता स्थापित करना।
- 125 GW लक्ष्य में
  - सोलर – 90,000 MW
  - पवन – 25,000 MW
  - हाइड्रो, पम्प स्टोरेज प्लांट, बेट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम – 10,000 MW

❖ **नवीकरणीय ऊर्जा पार्क नीति–**

- RSDCL को RRECL की सहायक कम्पनी के रूप में स्थापित किया गया है जो नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों का विकास सुनिश्चित करेगी।

सोलर पार्क

- भड़ला (जोधपुर) -2245 MW
  - 4 चरणों में
  - Ist – 65MW (RSDCL)
IInd – 680MW (RSDCL)
IIIrd- 1000 MW
(IL & FSEDCL + SURAJ)
IVth – 500 MW (Adani)
  - प्रथम फेज – RRECL द्वारा स्वयं के स्तर पर
  - IInd, IIIrd, IVth फेज– नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत विकसित
- फलौदी पोकरण
  - 750 MW
  - मैसर्स एसेल सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड
- फतेहगढ़ फेज IB
  - 1500 MW (Adani Company)
- नोख (जैसलमेर) 925 MW
- पूगल 2450 MW
  - 2 चरणों में 1000-1000MW
  - तीसरे चरण में 450MW (RSDCL)
- बोडाना (जैसलमेर) RSDCL 2000 MW

- RSDCL – राजस्थान सोलर पार्क डेवलमेंट कम्पनी लिमिटेड
- SURAJ – सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड
- मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड
- IL & FS एनर्जी डेवलमेंट कम्पनी लिमिटेड

अन्य योजनाएं –

1. रिन्यूबल एनर्जी सर्विस कम्पनी (रेस्को) : मोड–सोलर रूफटॉप योजना -

- इसके तहत राजकीय भवनों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- मार्च, 2024 तक– 1.2 मेगावाट क्षमता स्थापित
- क्रियान्वयन – RREC

2. हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (HAM) {वर्ष 2024-25 बजट} –

- राजकीय भवनों पर HAM आधार पर रूफटॉफ सौर ऊर्जा संयंत्र की जिम्मेदारी RRECL को दी गई।

★ पवन ऊर्जा –

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ विंड एनर्जी (NIWE) के अध्ययन के अनुसार राज्य में पवन ऊर्जा की 150 मीटर की ऊँचाई पर अनुमानित–
  - ✓ क्षमता– 284 GW
  - ✓ स्थापित क्षमता 5209 MW (Dec. 2024)
  - ✓ हाइब्रिड क्षमता– 1690MW (पवन क्षमता – 867 MW शामिल)
- राजस्थान पवन एवं हाईब्रिड ऊर्जा नीति 2019 = 18 Dec. 2019
- **Wind Power Plant**
  - * अमरसागर – जैसलमेर (Ist)
  - * देवगढ़ – प्रतापगढ़
  - * फलौदी – जोधपुर
  - * बड़ाबाग – जैसलमेर (पहला निजी)
  - * सोढ़ा बांधन – जैसलमेर
  - * आकल – जैसलमेर

★ बायोमास/जैविक द्रव्य ऊर्जा –

- नीति (29 सितम्बर 2023) बायोमास वेस्ट टू एनर्जी नीति, 2023
- प्रमुख स्त्रोत – सरसों की तूडी व विलायती बबूल
- स्थापित – 128.45 MW (Dec. 2024) = 14 बायोमास संयंत्र (2 संयंत्र वर्ष 2012 से बंद)

★ ग्रीन हाइड्रोजन –

राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक 2000 किलो टन प्रतिवर्ष (केटीपीए) हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्राप्त करना है। पहले 500 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क पर 50% की छूट से लाभ होगा।

★ ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम–

- ऊर्जा संरक्षण दिवस – 14 दिसम्बर (2009 से)
- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (RREC) ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी

सड़के

''देश के विकास का आंकलन करने के लिए पक्की सड़क एक महत्वपूर्ण मापदण्ड माना जाता है।''

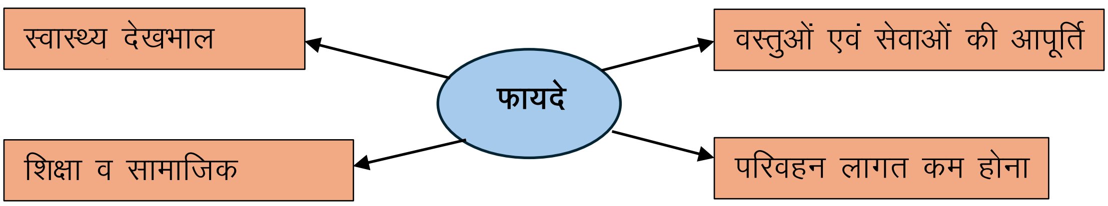

राज्य में सड़क नेटवर्क

- 1949 में = 13553 km था
- मार्च 2024 = 3,17,121 km
- सड़क घनत्व = 92.66 km/100 Km^2 (राष्ट्रीय 165.24 km/100 Km^2)

- विभिन्न सड़कों की लम्बाई

IIIrd { राष्ट्रीय राजमार्ग – 10790 km.
राज्य राजमार्ग – 17376 km (3rd) }

IInd { मुख्य जिला सड़क – 14372 km
अन्य जिला सड़क – 68265 km. (2nd) }

Ist { ग्रामीण सड़क – 2,06,318 km. (1st) }

क्रम महत्वपूर्ण, ना कि Km.

- सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 99% सड़क कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 1% शहरी क्षेत्रों में किए जा रहे हैं।
  ✓ लगभग 90% (39408) गाँव सड़क से जुड़ चुके है। (मार्च 2024 तक)

★ **राजस्थान में विश्वस्तरीय सड़क नेटवर्क की आवश्यकता–**

1. राज्य को आर्थिक केन्द्र बनाने के लिए।
2. राज्य के पास समुद्र तटीय सीमाओं के अभाव के कारण।
3. पड़ोसी राज्य बंदरगाह कनेक्टिविटी के लिए राजस्थान पर निर्भर।
4. कुशल परिवहन हेतु।
5. रेलवे क्रॉसिंग्स सुरक्षा हेतु।
6. पुल निर्माण से बाढ़ जोखिम कम करना।
7. राजमार्गों के विस्तार हेतु।

★ **प्रयास**

- केन्द्रीय आधारभूत सड़क निधि के सेतु बंधन योजनांतर्गत रेलवे पुलों का निर्माण ।
- NHAI द्वारा जोधपुर रिंग रोड़ का निर्माण ।
- PM गति शक्ति योजना से संरचना निर्माण ।
- राज्य सड़क निधि व NABARD के तहत विभिन्न सड़कों के मरम्मत कार्य ।

★ **NHAI के कार्य**

- NHDP व भारतमाला परियोजना के तहत सड़क निर्माण के कुल 16 कार्य जिनमें 5 पूर्ण व 11 प्रगति पर है।
- दिल्ली – वडोदरा– मुम्बई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस–वे राजस्थान में निर्माणाधीन (374 कि.मी.) (कुल 13 में से 11 पैकेज पूरे तथा शेष 2 पर कार्य जारी)
- अमृतसर–जामनगर गलियारा, राजस्थान – 637km (23 में से 21 पैकेज पूरे, 2 निर्माणाधीन)
- राजस्थान को एक्सप्रेस–वे राजधानी बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन (5 फरवरी, 2024)।

सड़क से संबंधित योजनाएं–

1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना –

- 25 दिसम्बर, 2000 को इस योजना की शुरूआत की गई ।
- 500 से अधिक जनसंख्या – मैदानी क्षेत्र में
- 250 से अधिक जनसंख्या – पहाड़ी या रेगिस्तानी
- Phase III – 2019-20 से 2024-25 तक
- इसके तीसरे चरण के तहत 8662.50 कि.मी. ग्रामीण सड़कों का उन्नयन किया जाएगा ।

2. प्रधानमंत्री जन–मन योजना –

- 98 कि.मी. नई सड़कों का निर्माण।
- बारां जिले की सभी 38 बिना जुड़ी कच्ची बस्ती को सड़क सुविधा से जोड़ना

परिवहन

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (RSRTC):-

- 1 अक्टूबर 1964 को सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के तहत स्थापित
  Rajasthan State Highway Authority- 2 June 2015

अन्य योजनाएँ/कार्यक्रम –

1. **सड़क सुरक्षा रणनीति और कार्य योजना –**
   - 26 July 2024
   - दस वर्ष के लिये
   - सड़क दुर्घटनाओं को कम करना।
2. **सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल–**
   - राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ + RKCL
3. **समाधान Portal:-** 24 जुलाई 2024 को शुरू (Online Portal)
   - RSRTC की सेवाओं से जुड़ी यात्रियों की शिकायतों के समाधान हेतु।

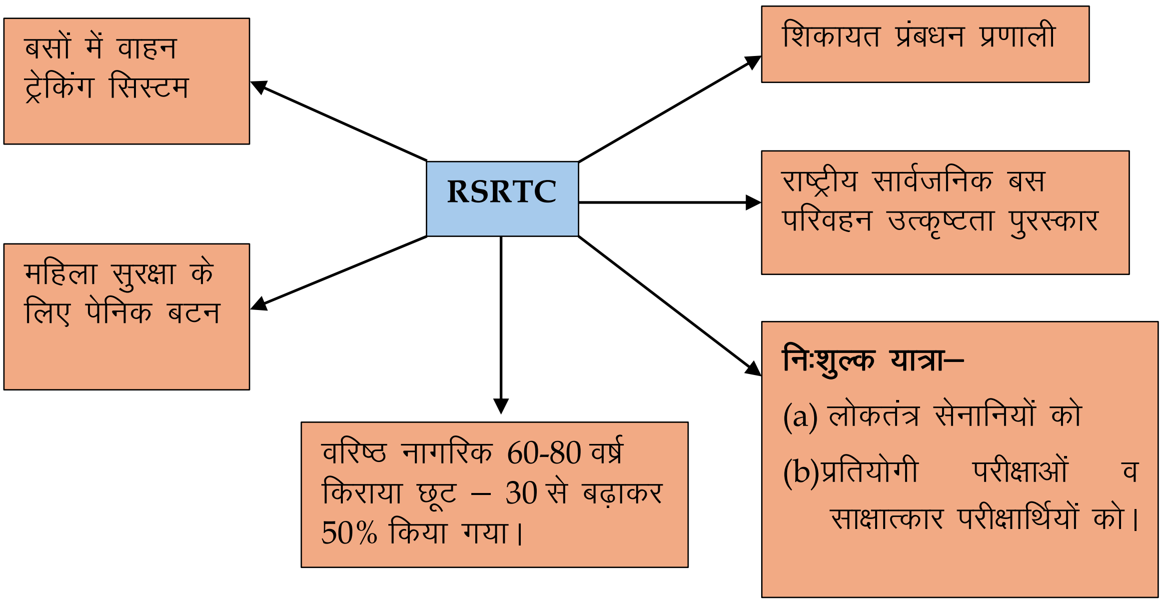

★ **मोटर वाहन पंजीयन –**

वर्ष अप्रैल से दिसम्बर 2024 तक पंजीकृत वाहन– 1276657

1 अप्रैल 2019 से पूर्व के पंजीकृत वाहनों पर अतिसुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट की सुविधा।

ई–लाइसेंस एवं ई–रेजीस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वाहन फिटनेस जाँच, सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल सुविधा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, जिओ टैगिंग और वीडियोग्राफी इत्यादि की सुविधा।

रेलवे

- मार्च 2022 तक 6046 km
- भारत के कुल रेलमार्ग (68,043 km) का 8.89%
- **रेलवे लाइन का विद्युतीकरण–**
  - ✓ राजस्थान में कुल 5703 रेल किलोमीटर (आरकेएम) रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है।
- **रेलवे आधारभूत विकास–**
  - ✓ अमृत स्टेशन योजना के तहत 85 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य प्रगति पर है।
  - ✓ भारतीय रेलवे में पहली बार गांधीनगर जयपुर स्टेशन पर एयर कॉनकोर्स का कार्य।
  - ✓ राजस्थान में 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही है जिनमें अजमेर–चंड़ीगढ़, जोधपुर–साबरमती, उदयपुर सिटी–जयपुर और उदयपुर सिटी–आगरा कंट शामिल है।
  - ✓ यात्रियों के लिये निःशुल्क वाई–फाई सुविधा उपलब्ध।
  - ✓ ''एक स्टेशन–एक उत्पाद योजना''
    - ▪ राजस्थान में स्थानीय उत्पादों और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु।

डाक एवं दूरसंचार सेवाएँ

- नवम्बर 2024 तक 11,044 डाकघर
- टेलीकॉम उपभोक्ता– 6.59Cr. (Sept. 2024)

राजस्थान का भविष्य सुरक्षित करना : एकीकृत जल अवसंरचना

★ शहरी जल आपूर्ति हेतु योजनाएं –

1. अमृत (AMRUT) मिशन : (अटल मिशन रिजुवेनेशन एड अर्बन ट्रांसफोर्मेशन) –

- जून 2015 से शुरूआत (केन्द्र सरकार की योजना)
- इसके तहत स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए 500 शहरों में जलापूर्ति सुविधाएँ, सीवरेज नेटवर्क, स्टॉर्मवाटर, नालियाँ, शहरी परिवहन तथा खुले तथा हरे भरे स्थानों का विकास शामिल है।
- राजस्थान से इसमें कुल 29 शहरों का चयन किया गया है।

अमृत 2.0 -

- 1 अक्टूबर, 2021
- सीवरेज, जल निकायों के जीर्णोद्वार एवं जलापूर्ति के कार्य हेतु कार्यक्रम।
- लक्ष्य– 2025-26 तक 'हर घर नल' द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाना।

आबादी	केन्द्र सरकार का हिस्सा
1 लाख से कम	50%
1 से 10 लाख	33.33%
10 लाख से अधिक	25%

\+ तथा शेष हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

- राज्य सरकार के हिस्से का 10% हिस्सा संबंधित नगर निकाय द्वारा वहन किया जाएगा।
- राजस्थान के 183 नगरीय निकायों हेतु स्वीकृत।

★ **ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु योजनाएं –**

1. जल जीवन मिशन –

- 15 अगस्त 2019 से शुरूआत
- लक्ष्य– वर्ष 2026 तक कार्यात्मक घरेलू नल कलेक्शन (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना है।
- केन्द्र : राज्य = 50 : 50
- जलशक्ति मंत्रालय द्वारा
- राज्य में क्रियान्वयन एवं मोनिटरिंग एजेंसी–

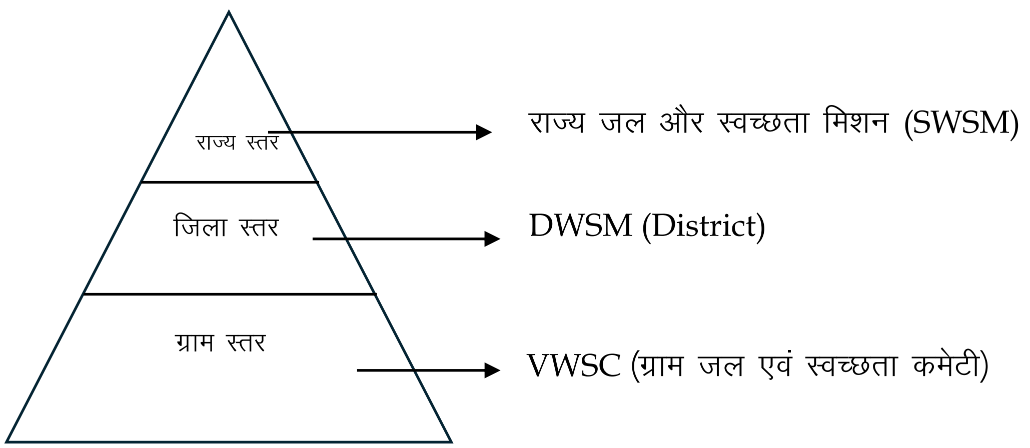

- भारत के संविधान में 73वें संशोधन में पेयजल विषय में 11वीं अनुसूची में रखा गया है इसलिए JJM के तहत ग्राम पंचायतें और स्थानीय समुदायों की अहम भूमिका है।

★ **वृहद पेयजल परियोजनाएँ:–**

- इन जल संसाधनों का प्रयोग राज्य में प्रमुख जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए किया गया है।

राजस्थान में अनेक सतत् जल संसाधन है जैसे –

1. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (5719 ग्राम, 39 कस्बे)
2. चम्बल नदी (4899 ग्राम, 29 कस्बे)
3. नर्मदा नदी (902 ग्राम, 3 कस्बे)
4. बीसलपुर बांध (3109 ग्राम, 22 कस्बे)
5. जवाई बांध (811 ग्राम, 10 कस्बे)

बाह्य सहायतित परियोजनाएं

1. राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (RUIDP):–

- वित्तपोषण = एशियन विकास बैंक ADB
- राज्य के शहरी केन्द्रों में जनसंख्या में वृद्धि के कारण शहरी प्रबंधन में उभरती चुनौतियों का सामना करने हेतु, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1998 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के सहयोग से शुरू की गई परियोजना।
- अभी तक इस योजना के कुल 4 चरण संचालित हुए हैः–

चरण–I = इसका उद्देश्य जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर सहित राज्य के 6 प्रमुख शहरों में बुनियादी ढाँचा सुविधाओं में सुधार करना है।

चरण– II = वर्ष 2008 में 15 शहरों में जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जल प्रबंधन आदि से संबंधित बुनियादी सुविधाओं को उन्नत करने हेतु ।

चरण– III = वर्ष 2015 में 13 शहरों में जल–आपूर्ति व सीवरेज कार्यों हेतु शुरू की गई। जिसमें 12 शहरों में कार्य किए जा रहे है। (मार्च 2025 तक)

2. राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना (चतुर्थ चरण) :–

- यह योजना राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (RUIDP) का विस्तृत रूप है। RUIDP के चतुर्थ चरण के रूप में इस योजना को शुरु किया गया है।
- इस परियोजना को 2 ट्रेंच के तहत ADB की सहायता से संचालित किया जा रहा हैः–

ट्रेंच– I:- इसके तहत 27 शहरों में विकासात्मक कार्य किए जा रहे है जिनमें 14 शहरों जैसेः– सरदारशहर, बांसवाडा आदि में जल आपूर्ति व सीवरेज कार्य शामिल है तथा बाकी 13 शहरों जैसे बांदीकुई, नीम का थाना इत्यादि में मल, कीचड़ एवं सेप्टेज प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है।

समयावधि = जनवरी 2021 से नवम्बर 2028

ट्रेंच– II:- इसके अंतर्गत 16 शहरों में बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता के अनुसार सीवरेज, जल आपूर्ति, शहरी सौंदर्यीकरण, जल निकासी आदि कार्य किए जाएंगे।

समयावधि = अप्रेल 2023 से मई 2028

3. राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम – I

वित्त पोषण:– ADB

उद्देश्य :– राज्य राजमार्गो पर परिवहन दक्षता में सुधार, यातायात में सुधार तथा राजमार्गों की सुरक्षा।

घटकः– इस परियोजना में 2 घटक शामिल हैः–

(i) प्रदेश राजमार्ग सुधारः– राजस्थान में सड़क सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य राजमार्गों और प्रमुख जनपद सड़कों का 2 लेन या मध्यवती–लेन मानक में सुधार किया जाएगा।

(ii) राजस्थान लोक निर्माण विभाग का क्षमता निर्माणः– सडक परिसंपत्ति प्रबंधन, सड़क सुरक्षा तथा परियोजना प्रबंधन से जुड़ी व्यापार–प्रक्रिया पर सरकारी–निजी भागीदारी प्रभाग का क्षमता निर्माण किया जाएगा। सरकारी–निजी भागीदारी परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए एक परियोजना कार्यनिष्पादन मॉनीटरिंग प्रणाली भी विकसित की जाएगी।

अभी तक 3 ट्रेन्च में परियोजना का कार्यान्वयन हुआ हैः–

(i) **ट्रेंच– I** = नवम्बर 2017 – सितम्बर 2022

(ii) **ट्रेंच– II** = दिसम्बर 2019 मार्च 2025 तक (754km. लम्बाई के 11 राजमार्गो के विकास हेतु)

(iii) **ट्रेंच–III** = दिसम्बर 2022 – सितम्बर 2026 तक (290 km. राज्य राजमार्गों और जिला सड़कों के विकास हेतु)

4. राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम –II -

वित्तपोषण – विश्व बैंक

उद्देश्य = राज्य राजमार्गों के प्रबंधन को सुदृढ़ करना एवं राजस्थान के चयनित राजमार्गों पर यातायात प्रवाह को सुचारु बनाना।

प्रमुख घटक :–

(i) 891 km- राज्य राजमार्गों को दो लेन या मध्यवर्ती लेन मानकों में अपग्रेड करना ।

(ii) राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन।

(iii) संस्थागत सुदृढ़ीकरण, सड़क सुरक्षा उपाय और परियोजना प्रबंधन सहायता ।

समयावधि = अक्टूबर 2019 दिसम्बर 2024

नोटः– इस परियोजना के तहत 891 कि.मी. लंबाई के 13 राजमार्गों वाले 10 पैकेज विकसित किए जा रहे हैं।

5. राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढीकरण की परियोजना :–

वित्त पोषण = विश्व बैंक द्वारा

उद्देश्यः– (i) राजस्थान सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करना और बेहतर बजट निष्पादन ।

(ii) सार्वजनिक और व्यय में जवाबदेहीता और दक्षता बढाने में योगदान देना ।

(iii) राजस्थान सरकार में राजस्व प्रणाली और क्षमता को मजबूत करना ।

समयावधि = जुलाई, 2018 से मार्च 2025

योजना के तहत किए गए कुछ प्रमुख सुधारः–

1. GST कार्यान्वयन के लिए सहयोग करना।
2. ऑनलाइन ऑडिट प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ऑडिट प्रक्रियाओं को मजबूत करना।
3. एकीकृत नकदी और ऋण प्रबंधन प्रणाली को बढ़ाना।
4. प्रतिबद्धता नियंत्रण प्रणाली विकसित करना
5. सार्वजनिक निवेश प्रबंधन ढांचे की स्थापना
6. इन्वेंटरी प्रबंधन प्रणाली का विकास आदि।

6. राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना:–

- **वित्तपोषण =** जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ऐजेसी (जायका द्वारा)
- **उद्देश्य =** कुल 4.70 लाख हेक्टेयर योग्य कमांड क्षेत्र (CCA) को पुर्नस्थापित करना।
- **लक्ष्य =** किसानों की जीवनशैली में सुधार और कृषि एवं सिंचाई में लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देना।

Note:- यह परियोजना राजस्थान के सभी जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास और नवीनीकरण को बढ़ावा दे रही है।

- **परियोजना के वित्त–पोषण को 2 ट्रेंच में बांटा गया है:–**

ट्रेंच –I = 31 मार्च 2017 को हस्ताक्षरित । (827.20 करोड़ रु.)
ट्रेंच – II = 29 मार्च 2023 को हस्ताक्षरित (1055.50 करोड़ रु.)

- **इस परियोजना को** 3 **प्रमुख चरणों में बांटा गया है–**

I – चरण = 65 सिंचाई उप परियोजनाएँ
II– चरण = 36 सिंचाई उप परियोजनाएँ
III– चरण = 36 सिंचाई उप परियोजनाएँ

- समयावधि = 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2028 तक (11 वर्ष)

किए जाने वाले कार्य:–

(i) जल संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाने हेतु 20 से 30 साल पुराने बांधो और नहरों का जीर्णोद्धार।
(ii) 150 जल उपयोगकर्ता संघों की महिलाओं को 2.5 लाख पौधे वितरित किए जाएंगे।
(iii) ऊर्जा और जल संरक्षण हेतु, परियोजना क्षेत्र के 5-10% हिस्से में सौर ऊर्जा से चलने वाली सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ स्थापित की जाएगी।

7. राजस्थान ग्रामीण जलप्रदाय एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना :–

- **वित्तपोषित =** जापान इंटरनेशनल को–ऑपरेशन एजेन्सी (JICA) द्वारा।

यह परियोजना 2 चरणों में चलायी गयी है:–

(i) प्रथम चरण :– यह चरण नागौर जिले हेतु चलाया गया।
उद्देश्य:– सतही जल सुविधाओं का निर्माण करके नागौर जिले में पीने योग्य पानी की कमी।
फ्लोराइड से दूषित भूजल से पीड़ित लोगों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति प्रदान करना है जिससे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो।

(ii) द्वितीय चरण :– झुंझुनू और बाड़मेर जिले हेतु ।
उद्देश्य:– झुंझुनू और बाड़मेर जिले में जल उपचार प्लांट और जल आपूर्ति संबंधित सुविधाओं को स्थापित कर, ग्राम जल स्वच्छता समितियों के क्षमता विकास के साथ–साथ सामुदायिक विकास गतिविधियों को लागू करके स्थायी और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति करना है, जिससे –

1. क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर, स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हो सके।
2. जल उपचार संयंत्रों और संबंधित सुविधाओं का निर्माण।
3. ग्राम जल स्वच्छता समितियों की क्षमता को मजबूत करना।

- परियोजना का निर्माण 4 पैकेज में किया गया। (1 पैकेज = झुंझुनूं के लिये 3 पैकेज = बाड़मेर के लिये)

8. राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन :–

वित्तपोषण = जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जायका)

उद्देश्य :– राजस्थान में स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना।

समयावधि :– अक्टूबर 2024 – मार्च 2035

✍ इस परियोजना के तहत राजस्थान के 19 जिलों में विकास गतिविधियाँ क्रियान्वित की जाएगी।

प्रमुख गतिविधियाँ :–

i. **कृषि वानिकी कार्यः–** ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और वनस्पति के मिश्रण से जीवन यापन को बढ़ावा देना और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना ।

ii. **राज्यपक्षी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण :–** इस हेतु जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में विशेष योजनाएं लागू करना ।

iii. **जैव विविधता प्रबंधन समितियों को सशक्त करना :–** 160 जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिए प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध करवाकर जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना ।

iv. **ओरण (पवित्र वन) संरक्षणः–** पश्चिमी जिलों में 10,000 हेक्टेयर पवित्र उपवनों के पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व को संरक्षित करने के लिए संरक्षण उपाय करना ।

v. **पौधों के सूक्ष्म रिजर्व का निर्माणः–** 3000 हेक्टेयर में दुर्लभ और संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए सूक्ष्म रिजर्व की स्थापना करना ।

9. राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना :–

वित्तपोषित = A.F.D. (एजेंसी फ्रांसेइस डी डवलपमेंट)

✍ उद्देश्य :– राज्य के पूर्वी क्षेत्र में जैव विविधता का संरक्षण और पर्णपाती वन संसाधनों में वृद्धि करना ।

✍ यह परियोजना राजस्थान के 13 जिलों (पूर्वी राजस्थान) (800 गांवों) में क्रियान्वित की जा रही है।

✍ समयावधि = 2023-24 से 2030-31 (8 वर्षों तक)

प्रमुख विशेषताएंः–

(i) संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को मजबूत करना :– वन्यजीवों के लिए आवास सुरक्षित करना और जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को बढ़ाना।

(ii) सामुदायिक सशक्तिकरण और आजीविका विकास :–
- सामाजिक–आर्थिक और लिंग–विभेदित पारम्परिक ज्ञान को शामिल करना।
- संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों सहित विविध समूहों के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करना ।
- आवश्यकता के आधार पर प्रति ग्राम वन संरक्षण और प्रबंधन समिति या पारिस्थितिकी विकास समिति के तहत दो स्वयं सहायता समूह का गठन था समर्थन करना ।

(iii) जैव विविधता हानि और मानव–वन्यजीव संघर्षों का शमन– पारिस्थितिकी जोखिमों को कम करने और वन संसाधनों के स्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना ।

(iv) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखण– राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण समझौतों के तहत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में राजस्थान वन विभाग को सहयोग प्रदान करना ।

(v) मुख्य गतिविधियाँ :–
- पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करने के लिए हरित आवरण को बढ़ाना।
- मृदा उर्वरता और जल उपलब्धता को बढ़ाना।

- वन्यजीवों के आवासों में सुधार और वन्यजीव विकास कार्यों को बढ़ावा देना।
- प्रभावी वन प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनुसंधान गतिविधियाँ आयोजित करना तथा भागीदारी प्रबंधन के माध्यम से वन–आश्रित समुदायों का समर्थन करना ।

10. मरु क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना :–

- **वित्तपोषण** = न्यू डवलपमेंट बैंक (NDB) (70%)
- **समयावधि** = मई, 2018 से फरवरी 2025
- **उद्देश्य** = रिसाव, जल संरक्षण और पानी की गुणवत्ता बढ़ाने के संबंध में इंदिरा गांधी नहर प्रणाली का जीर्णोदार करना।

Note:- परियोजना के ट्रैच–I और II को 7 वर्षों की अवधि में 2 चरणों में निष्पादित किया जाएगा।

- **लाभार्थी:**– इस परियोजना का लाभ उत्तर–पश्चिमी जिलों (श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बाड़मेर इत्यादि) को मिलेगा।
- **परियोजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य:–**

i. **रीलाइनिंग कार्य** :– इंदिरा गांधी नहर प्रणाली की फीडर नहर और मुख्य नहर का ।

ii. **जलभराव उन्मूलन** :– 33,312 हैक्टेयर जल भराव वाले क्षेत्र में लवणता और जलभराव की समस्याओं का समाधान

iii. **संस्थागत विकास** :– जल उपयोगकर्ता संघ को मजबूत करना और IMTI / कृषि विज्ञान केन्द्र जैसे संस्थानों का संस्थागत विकास ।

परियोजना के लाभ:–

i. **बेहतर जल पहुंच** :– रीलाइनिंग से नहरों के अंतिम छोर पर पानी की उपलब्धता में सुधार होता है, जिससे किसानों को आनुपातिक सिंचाई का लाभ मिलता है।

ii. **सूक्ष्म सिंचाई और सौर पंप** :– जल संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा मिलता है।

iii. **भूमि सुधार** :– जलभराव और सेम की समस्याओं का समाधान करता है, भूमि की उपयोगिता और कृषि उत्पादन में सुधार करता है।

11. बाँध पुनर्वास और सुधार परियोजना :–

- 'भारत सरकार' की परियोजना
- **चरण– I =** अप्रेल 2012 से मार्च 2021 के दौरान कार्यान्वित तथा विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित।
  - 7 राज्यों के 223 बांधों का पुनर्वास किया गया ।
- **चरण- II & III** = 2021 से चालू (10 वर्षो तक)

{ चरण–II = अप्रेल 2021 से मार्च 2027 तक
चरण–III = अप्रेल 2025 से मार्च 2031 तक

- **वित्तपोषण** = विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक द्वारा ।
- **उद्देश्य** :– 19 राज्यों में स्थित 736 बांधों के पुनर्वास और सुरक्षा में सुधार की परिकल्पना ।
- **राजस्थान हेतु:**– राजस्थान में 212 बड़े बांध है, जिनमें से 189 बांध DRIP फेज–2 और फेज–3 में शामिल किए गए है ।
- **DRIP चरण** – II के तहत बड़े बांधो की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु निम्न क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा–

i. जोखिम आधारित बांध सुरक्षा प्रबंधन ताकि पुनर्वास और सुधार कार्यों को सबसे कमजोर संरचनाओं के लिए प्राथमिकता दी जा सके।

ii. सतत् वित्त पोषण तंत्र स्थापना।

iii. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन– जिससे बांधों की कार्यक्षमता और स्थिरता प्रभावित नहीं हो।
iv. संस्थागत ढांचे का सशक्तिकरण।

12. राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना :–

उद्देश्य :– अधिशेष ऊर्जा को भारत के राष्ट्रीय ग्रिड के साथ समन्वयित करना है, ताकि ऊर्जा की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में इसका निर्बाध परिवहन हो सके ।

इस योजना का क्रियान्वयन 2 चरणों में किया गया :–

चरण–I :- वित्तपोषण = 60 : 40

	K.F.W. (जर्मनी)	नेशनल क्लीन एनर्जी कोष

समयावधि = अक्टूबर 2015 – जून 2021

- पश्चिमी राजस्थान में पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा की क्षमता का दोहन करने के लिए जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर व जोधपुर क्षेत्र में यह योजना क्रियान्वित की गई।

चरण–II :- वित्तपोषण = 47 : 33 : 20

	K.F.W. (जर्मनी)	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार (इक्विटी)

समयावधि – नवम्बर 2022 से अक्टूबर 2026

- चरण– II के तहत हनुमानगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण शामिल है।

सार्वजनिक निजी सहभागिता

1. संस्थागत व्यवस्था :–

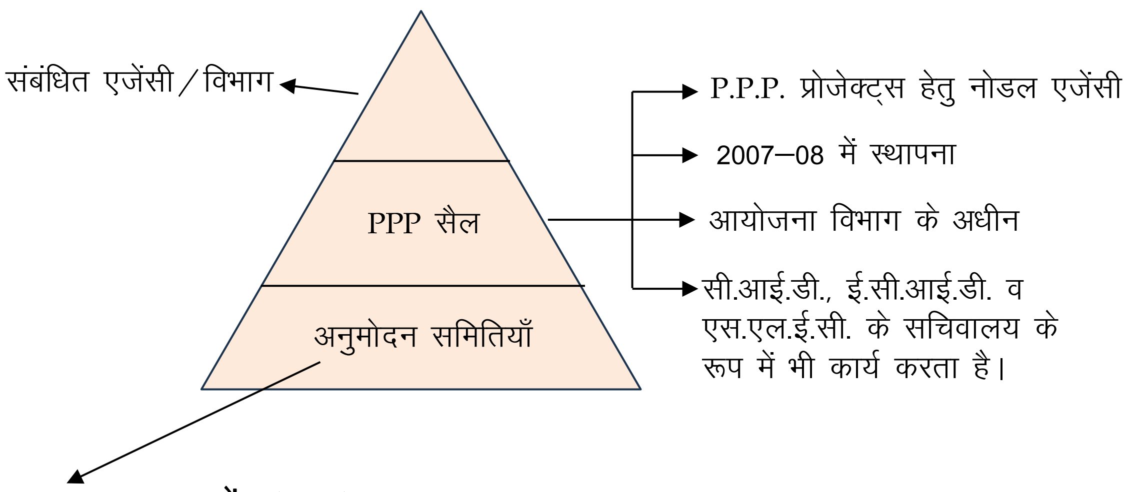

(i) काउसिंल फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट (CID) :-

- अध्यक्ष – मुख्यमंत्री
- PPP परियोजनाओं के नीतिगत मुद्दो संबंधी निर्णय करने हेतु
- विभाग की वित्तीय शक्तियों से बाहर है या 500 करोड़ से अधिक PPP प्रोजेक्ट्स को अनुमति प्रदान करना।

(ii) एम्पावर्ड कमेटी फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट (ECID) :-

- CID के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए
- अध्यक्ष – मुख्यसचिव

(iii) एम्पावर्ड कमेटी फॉर रोड़ सेक्टर प्रोजेक्ट्स :-

- अध्यक्ष – मुख्यसचिव
- राजस्थान स्टेट हाइवे डवलपमेन्ट प्रोग्राम (आ.एस.एच.डी.पी.) के अन्तर्गत सम्मिलित सड़क परियोजनाओं पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु।
- कमेटी का प्रशासनिक विभाग – सार्वजनिक निर्माण विभाग।

(iv) स्विस चैलेंज प्रस्तावों के लिए स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी (SLEC) :-

- अध्यक्ष – मुख्यसचिव
- प्रशासनिक विभाग – आयोजना विभाग
- स्विस चैलेंज पद्धति के अन्तर्गत प्राप्त परियोजना प्रस्तावों (PPP और गैर–PPP) दोनों की स्वीकृति हेतु।

2. संयुक्त उपक्रम :–

- प्रोजेक्ट्स डवलपमेंट कम्पनी ऑफ राजस्थान (PDCOR) → बैंकेबल इंफ्रांस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हेतु।
  - दिसम्बर, (1997 में गठित)
- रोड़ इन्फ्रास्ट्रकचर डवलपमेंट कम्पनी ऑफ राजस्थान (RIDCOR) → राज्य में मेगा हाइवे प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वन हेतु वर्ष 2004 में गठित।
- एस्सेल सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान (ESUCRL) - 2014 में गठित जैसलमेर/जोधपुर सौर ऊर्जा हेतु।
- सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड (SUCRL) - 2014 में गठित भड़ला (जोधपुर) सौर पार्क हेतु।
- अडानी रिन्यूबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड (AREPRL) - 2015 में गठन।

3. परियोजना विकास कोष (PDF) :-

- **2003 में → 5 वर्षों के लिए**

"भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (IIPDF)"

→ नवम्बर, 2022 में मौजूदा IIPDF को पुनर्गठित कर केन्द्रिय क्षेत्रक योजना में परिवर्तित किया गया।

→ परिव्यय– 150 करोड़

उपयोग – परियोजना विकास लागतों को पूरा करने हेतु।

→ अवधि – 2022-23 से 2024 – 25 (3 वर्षों तक)

→ वित्त पोषण – IIPDF योजना के तहत PSAs (परियोजना प्रयोजक प्राधिकारी) को PPP योजना के तहत वित्त पोषण–

↓ 5 करोड़ तक ↓ एकल प्रस्ताव

↓ 5 करोड़ से अधिक ↓ PSA द्वारा स्वयं वहन

वित्त पोषण PSAs द्वारा अर्जित किए गए माइलस्टोन के आधार पर किया जाता है।

4. वायबिलिटी गैप फंडिग (V.G.F.) :-

- सामाजिक क्षेत्र की PPP परियोजनाओं हेतु वर्ष 2007 में VGF योजना जारी की गई।
- यह योजना भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। यह पीपीपी के माध्यम से किए गए आर्थिक रूप से वांछनीय लेकिन व्यावसायिक रूप से अलाभकारी अवसंरचना परियोजनाओं को व्यावसायिक रूप से लाभकारी बनाने के उद्देश्य से अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो एक बार या स्थगित रूप में दी जा सकती है।
- भारत सरकार द्वारा नवम्बर, 2020 में इस योजना को सामाजिक आधारभूत संरचना हेतु निम्नलिखित उप योजनाओं अन्तर्गत अधिक वीजीएफ समर्थन देने के लिए पुनर्निर्मित किया गया हैः–

✓ **उप–योजना–1 :**

- भारत/राज्य सरकार द्वारा 100% परिचालन लागत की वसूली
- सामाजिक क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं (अपशिष्ट जल उपचार, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि) का कुल परियोजना लागत (TPC) का अधिकतम 60% (30% राज्य + 30% केन्द्र)

✓ **उप–योजना–2 :**

- केवल स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों की पायलट परियोजनाओं के समर्थन हेतु।
- कुल परियोजना लागत (TPC) का अधिकतम 40% तक केन्द्र द्वारा व अधिकतम 40% तक राज्य सरकार द्वारा VGF. (पात्र परियोजनाओं में कम से कम 50% परिचालन लागत वसूली होनी चाहिए)।

5. अन्य :-

(i) **राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि,** 2013 :
नीति 1994 → 2013 नीति
बिल्ड–ऑपरेट–ट्रांसफर (B.O.T.) में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने वाला प्रथम राज्य था।

(ii) राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 –
राज्य में सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 10 अगस्त, 2004 को पारित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत पेट्रोल/डीजल की बिक्री पर 1 रुपये का उपकर (सेस) लागू कर एक स्थायी सड़क कोष बनाया गया।

(iii) राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम 2014 –
राजमार्गों की उद्घोषणा, विकास, संचालन, सुरक्षा, राजमार्गों के नियमन, भूमि के उपयोग में सुविधा के साथ–साथ राजमार्गों एवं अन्य सड़कों के लिए भूमि के अधिग्रहण, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के गठन और इससे संबंधित आनुषंगिक मामलों के निस्तारण को सुविधाजनक बनाने के लिए 29 अप्रेल, 2015 में एक राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियिम, 2014 बनाया गया।
राजस्थान राज्य राज्यमार्ग प्राधिकरण का गठन 01–09–2023 को।

(iv) क्षमावर्धन हेतु 2010 में जर्मन विकास बैंक (K.F.W.) की सहायता से नेशनल पीपीपी कैपिसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम।

एक सतत् भविष्य का निर्माण: हरित बुनियादी ढांचे की क्षमता

सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के से हरित बुनियादी ढांचा अपनाना

हरित बुनियादी ढांचे का उद्देश्य

- प्राकृतिक और अर्ध–प्राकृतिक प्रणालियों के एक प्रभावी नेटवर्क के माध्यम से पर्यावरण,
- अर्थव्यवस्था और समाज को लाभ पहुँचाना ।

- शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार की समस्याओं का स्थायी समाधान
- मरुस्थलीकरण से बचाव
- जल प्रबंधन में सुधार
- जैव विविधता को बढ़ावा देना
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना

राजस्थान में हरित बुनियादी ढांचे की पहल

1. मिशन हरियालो राजस्थान

- शुरुआत – जुलाई, 2024
- उद्देश्य – अगले पांच वर्षों में ₹4,000 करोड़ का निवेश के साथ हरित क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि करना ।

2. इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) परिवहन प्रणाली की शुरुआत

- उद्देश्य – कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना और वन्यजीवों को होने वाली असुविधाओं को कम करना
- रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेशजी मंदिर और सरिस्का टाइगर रिजर्व के पांडुपोल मंदिर तक।

3. राजस्थान वन्यजीव और जैव विविधता परियोजनाः

- **उद्देश्य**
  - पारिस्थितिकी सुधार, जैव विविधता संरक्षण और सामुदायिक वन प्रबंधन।
  - पारिस्थितिकी पर्यटन और वन उत्पादों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सृजन को प्रोत्साहित करना ।

4. मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (एमजेएसए)

- **उद्देश्य** – वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण और पारंपरिक जलाशय पुर्नस्थापना के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा देना ।

5. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ

- **उद्देश्य** – वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है ।

UNIT - 3 जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि : शहरी, ग्रामीण एवं क्षेत्रीय विकास

★ **शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास के प्रमुख घटक –**

शहरीकरण

''**शहरीकरण का तात्पर्य–** जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर लोगों का प्रवासन।''

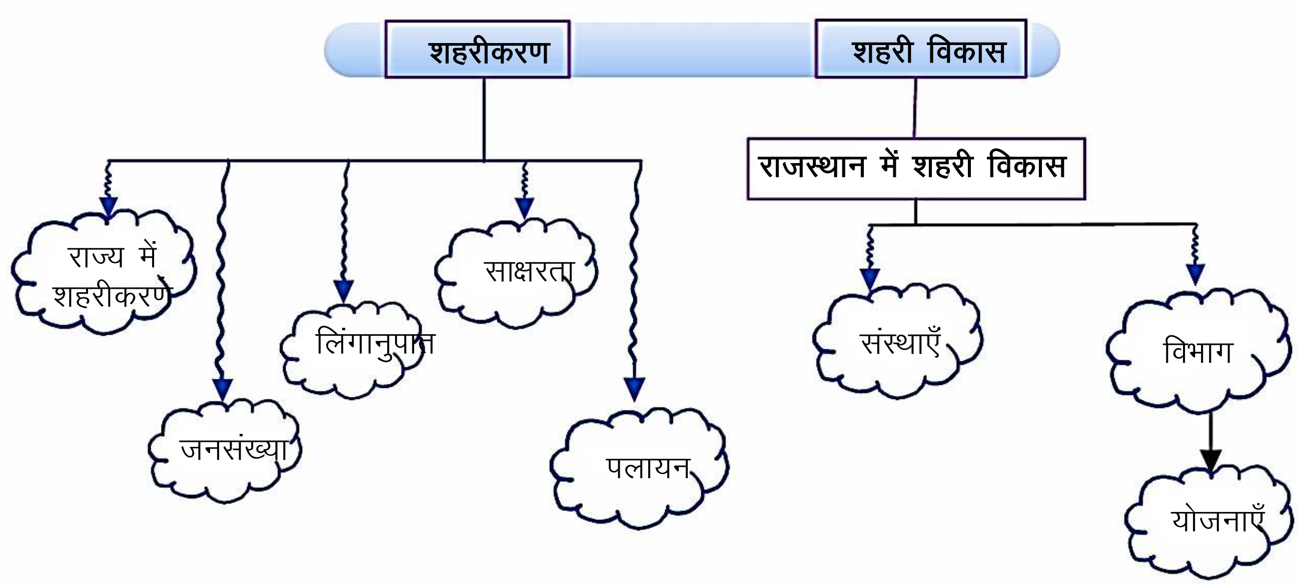

संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत् विकास रिपोर्ट, 2023 –

- विश्व की आधी से अधिक आबादी शहरों में निवास करती है।
- इसकी हिस्सेदारी वर्ष 2050 तक 66.66% तक होने का अनुमान है।
- शहरों और महानगरीय क्षेत्रों का वैश्विक GDP में 80% (लगभग) योगदान है।

★ राजस्थान में शहरीकरण –

❖ भारत और राजस्थान में शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी –

वर्ष	1961	2011	2021 (अनुमानित)	2031 (अनुमानित)
भारत	17.97%	31.14%	34.43%	37.55%
राजस्थान	16.28%	24.87%	26.33%	27.74%

➢ **राजस्थान की जनसंख्या (करोड़ में) -**

(2001 में 5.65 करोड़)

जनसंख्या	2011 (में करोड़)	2031 (अनुमानित)
कुल जनसंख्या	6.85	8.72
पुरुष जनसंख्या	3.55	4.44
महिला जनसंख्या	3.30	4.28

➢ **राजस्थान की शहरी जनसंख्या (लाख में)-**

(2001 में 132 लाख)

जनसंख्या	2011	2021	2031 (अनुमानित)
महिला	81	100	1.16
पुरुष	89	109	1.26
कुल	170	209	2.42

❖ लिंगानुपात –

(प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या)

वर्ष	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
2001	890	930
2011	914	933

सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले जिलें			न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिलें		
क्र.सं.	जिलें	लिंगानुपात	क्र.सं.	जिले	लिंगानुपात
1.	टोंक	985	**1.**	जैसलमेर	807
2.	बांसवाड़ा	964	**2.**	धौलपुर	864
3.	प्रतापगढ़	963	**3.**	अलवर	872
4.	डूंगरपुर	951	**4.**	गंगानगर	878
5.	राजसमंद	948	**5.**	भरतपुर	887

- **बच्चों की जनसंख्या (0-6 आयु वर्ग) -**

वर्ष 2001 तथा वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में 0 - 6 वर्ष की आयु के बच्चों की कुल जनसंख्या लगभग समान होकर 106 लाख रही है। वर्ष 2001 में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में 52.39 प्रतिशत लड़के तथा 47.61 प्रतिशत लड़कियां थी जो वर्ष 2011 में परिवर्तित होकर क्रमश 52.95 प्रतिशत 47.05 प्रतिशत रहे है।

- **बाल लिंगानुपात (0 - 6 आयु वर्ग) -**

वर्ष	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
2001	887	914
2011	874	892

सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिलें			न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिलें		
क्र.सं.	जिलें	लिंगानुपात	क्र.सं.	जिले	लिंगानुपात
1.	नागौर	907	**1.**	धौलपुर	841
2.	बीकानेर	906	**2.**	गंगानगर	842
3.	भीलवाड़ा	904	**3.**	दौसा	847
4.	बारां	901	**4.**	अलवर	851
5.	चुरू	899	**5.**	भरतपुर	852

❖ **साक्षरता दर –**

- वर्ष 2001 में राजस्थान में साक्षरता दर 60.40% थी, जो बढ़कर वर्ष 2011 में 66.11% हो गई।
- राजस्थान के शहरी क्षेत्र के लिए साक्षरता दर वर्ष 2011 में 79.70% थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 61.40% दर्ज की गई।

क्र.सं.	सर्वाधिक शहरी साक्षारता वाले जिले (% में)	क्र.सं.	न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले (% में)
1.	उदयपुर (87.5%)	**1.**	नागौर (70.6%)
2.	बांसवाड़ा (85.2%)	**2.**	जालौर (71.1%)
3.	प्रतापगढ़ (84.8%)	**3.**	चुरू (72.6%)
4.	डूंगरपुर (84.4%)	**4.**	धौलपुर (72.7%)
5.	अजमेर (83.9%)	**5.**	करौली (72.8%)

❖ **राजस्थान के शहरीकृत जिले–**

- **जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े शहर–**

1. जयपुर
2. जोधपुर
3. कोटा
4. बीकानेर

नोट :

- जयपुर 30.46 लाख की आबादी के साथ जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है।
- बांसवाड़ा 1.01 लाख की आबादी के साथ जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला शहर है।

- राजस्थान में सबसे अधिक शहरीकृत जिले (%के अनुसार सर्वाधिक शहरी क्षेत्र)

क्र.सं.	राजस्थान के सबसे कम शहरीकृत जिले (% के आधार पर)	क्र.सं.	राजस्थान के सबसे बड़े शहरीकृत जिले (% के आधार पर)
1.	डूंगरपुर (6.39%)	1.	कोटा (60.31%)
2.	बाड़मेर (6.98%)	2.	जयपुर (52.40%)
3.	बांसवाड़ा (7.10%)	3.	अजमेर (40.08%)
4.	प्रतापगढ़ (8.27%)	4.	जोधपुर (34.30%)
5.	जालौर (8.30%)	5.	बीकानेर (33.86%)

❖ **राजस्थान में ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन –**

(राष्ट्रीय स्तर पर 794 लाख व्यक्ति) व (राजस्थान में 32 लाख व्यक्ति)

कारण	पुरुष काम/रोजगार	महिला वैवाहिक कारण
भारत	45.06%	51.80%
राजस्थान	49.16%	59.11%

↳ भारत के कुल पलायन का 4% राजस्थान से होता है।

❖ **राजस्थान में शहरी आवासों की स्थिति –**

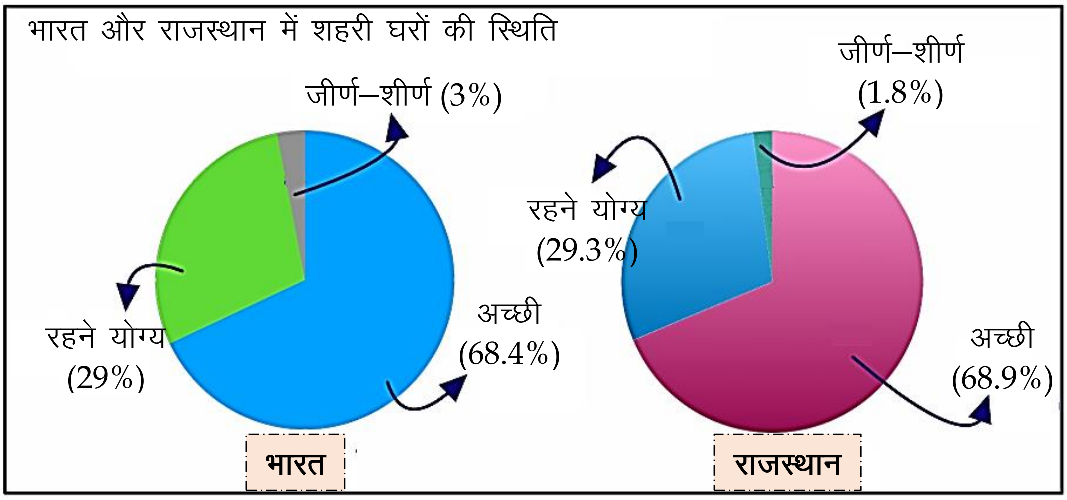

❖ **राजस्थान में झुग्गी/कच्ची बस्ती के निवासी –**

- **कारण** – शहरी प्रवास, उच्च बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक ठहराव, कमजोर नियोजन
- कुल आबादी – 20,68,000 (कुल शहरी आबादी का 12.13%) [वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार]

सर्वाधिक - जयपुर **[% के अनुसार] -** (i) पीलीबंगा (74.53%)]
- कोटा (ii) जहाजपुर
- जोधपुर (iii) केसरीसिंहपुर

राजस्थान में शहरी विकास

राज्य के शहरी विकास का लक्ष्य –

- ऐसे सुरक्षित, समावेशी और संधारणीय शहरों का निर्माण जहाँ कमजोर वर्गों को किफायती आवास, बुनियादी सेवाएँ, सार्वजनिक परिवहन व हरित सार्वजनिक स्थल उपलब्ध हो।
- **शहरों में स्वच्छता वृद्धि के लिए 5R :-**
  (a) REDUCE (कम करें) (b) REUSE (पुनः उपयोग करें) (c) RECYCLE (रीसाइकिल करें)
  (d) RECOVER (पुनर्प्राप्त करें) (e) REMOVE (निकालें)
- ''राज्य में नागरिकों की सुविधाओं के व्यवस्थित और समन्वित शहरी विकास हेतु निम्न संस्थान कार्यरत'' –
  (i) 7 विकास प्राधिकरण → जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर
  (ii) 10 शहरी न्यास
  (iii) जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
  (iv) रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी ऑथोरिटी, राजस्थान (RERA)
  (v) राजस्थान आवासन मण्डल
  (vi) नगर नियोजन कार्यालय

★ जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन –

फेज	विवरण	वित्तपोषण
चरण–1ए (मानसरोवर से चांदपोल तक)	संचालन 3 जून 2015 से	पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित।
चरण–1बी (चांदपोल से बड़ी चौपड़)	संचालन **23** सितम्बर 2020 से। लंबाई – **2.01** किलोमीटर	एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा।
चरण–1 सी (बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर)	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा डीपीआर तैयार कर दी गई है।	राजस्थान सरकार द्वारा ।
चरण–1 डी (मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड)	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोशन द्वारा डीपीआर तैयार कर दी गई है।	राजस्थान सरकार द्वारा ।
चरण–**2**	सीतापुरा से विद्याधर नगर तक प्रस्तावित मार्ग	भारत सरकार और राजस्थान सरकार (50:50)

Map -

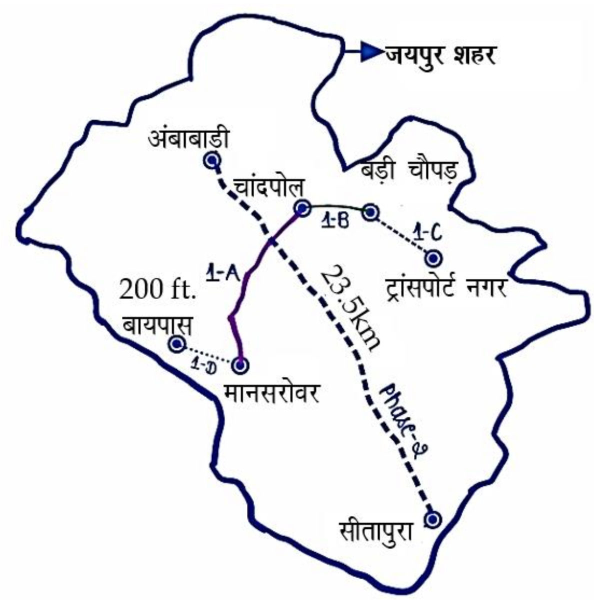

★ रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी ऑथोरिटी, राजस्थान (RERA) -

- रियल एस्टेट रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेंट एक्ट 2016, के सभी प्रावधान 1 मई 2017 से प्रभावी
- इसे राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेंट) नियम 2017 के नाम से अधिसूचित किया गया है।
- राज्य में स्वस्थ, पारदर्शी, कुशल और प्रतिस्पर्धी रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास और संवर्धन हेतु राजस्थान सरकार द्वारा 6 मार्च 2019 को RERA एवं रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल (REAT) का गठन किया गया।
- **RERA** का वेब पोर्टल **:** rera.rajasthan.gov.in : (1 जून, 2017 से शुरू)

★ राजस्थान आवासन मण्डल -

- स्थापना : 24 फरवरी 1970
- यह एक स्वायत्तशासी निकाय है और इसका उद्देश्य राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं का समाधान करना और उनकी पूर्ति के लिए प्रभावी उपाय सुझाना था।

❖ राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किए गए नवाचार –

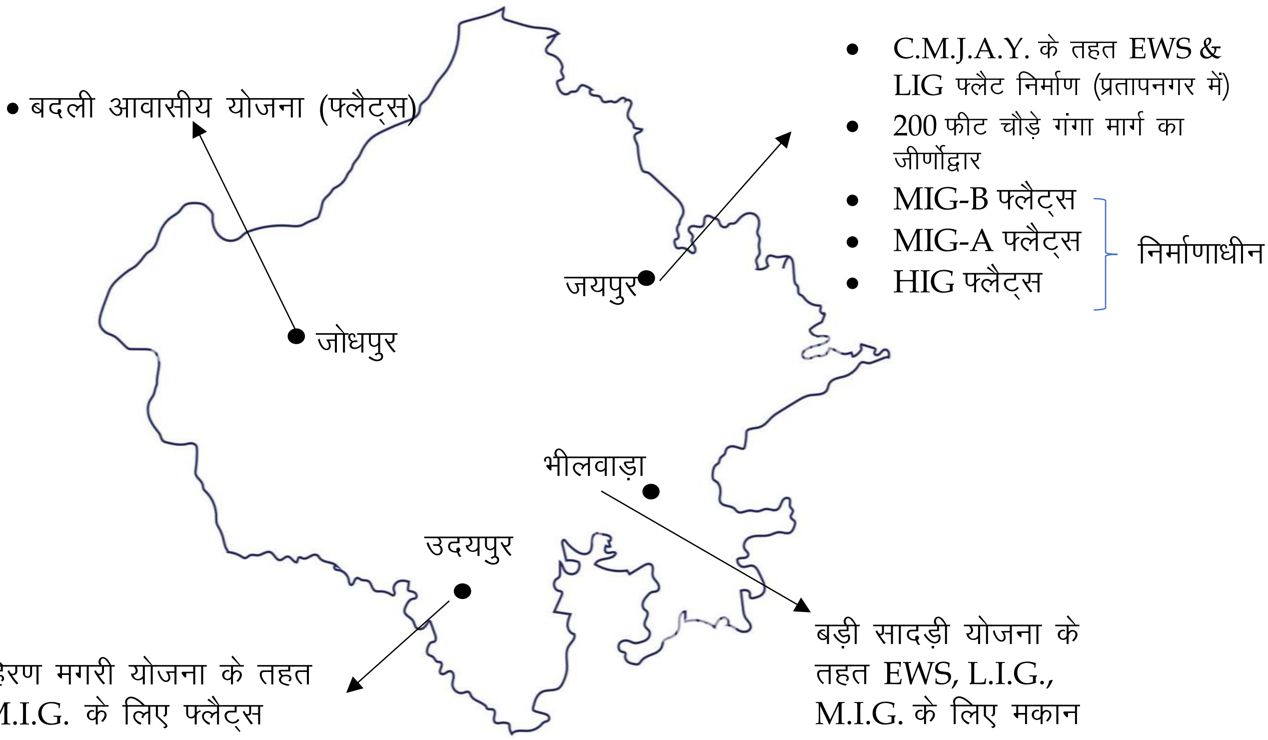

 # सजग मोबाइल App:-

आवासों के निर्माण की गुणवत्ता एवं प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु ।

★ नगर नियोजन विभाग –

1. मास्टर प्लान :

- किसी भी शहर के विकास के लिए मास्टर प्लान लगभग 20 वर्षों की अवधि में एक स्पष्ट दृष्टिकोण और कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- राजस्थान के 300 नगरपालिका शहरों में से 194 के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा चुके है और सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए है।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR):

- NCR में भरतपुर, अलवर, खैरथल–तिजारा, कोटपुतली–बहरोड़ और डीग उपक्षेत्र सम्मिलित है।
- कोटा व जयपुर - NCR के काउंटर मेगनेट शहर है।
- इन क्षेत्रों के लिए 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड' संचालित हैं।

प्रभावी शहरी शासन और नीति कार्यान्वयन

प्रभावी शहरी प्रशासन और नीति कार्यान्वयन संधारणीय शहरी विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ये संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करते हैं और सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे शहरी जीवन की गुणवत्ता में समग्र वृद्धि होती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य वर्तमान में निम्नलिखित पहल को लागू कर रहा है–

1. दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)-

- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को पुनर्गठित किया गया है।
- राजस्थान के 213 नगर निकायों में लागू किया जा रहा है।

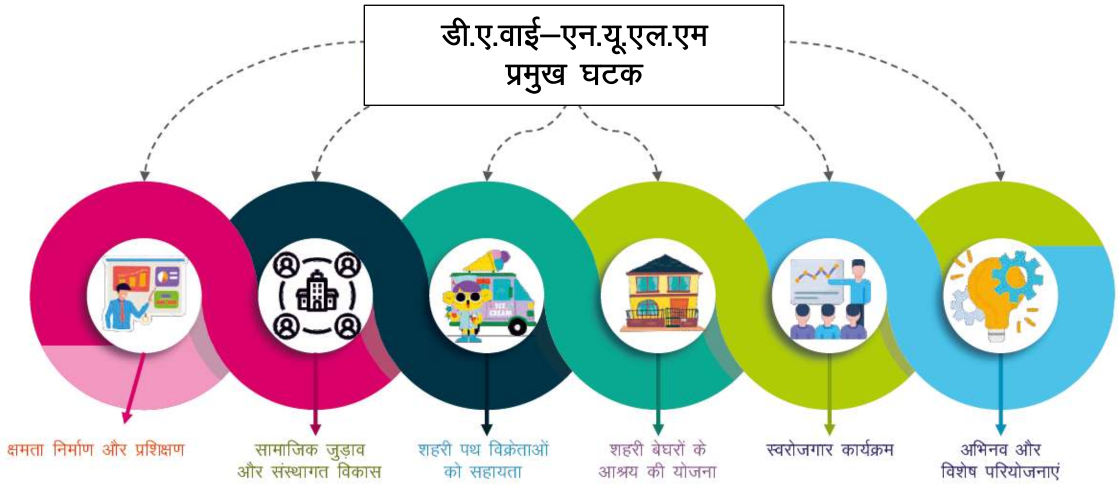

2. छोटे एवं मध्यम कस्बो में शहरी आधारभूत ढांचे की विकास योजना (UIDSSMT) -

- यह योजना जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन में चयनित शहरों / कस्बों को छोड़कर सभी शहरों/कस्बों में लागू की गई है।
- नोडल एजेंसी (RUDSICO) – राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत निगम
- शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अमृत योजना के अनुरूप इस योजना में प्रगति वाली 11 परियोजनाओं में हिस्सा राशि 60:20:20 (केन्द्र : राज्य : ULB) कर दी गई।

3. राजस्थान अर्बन डवलपमेंट फंड -II (RUDF-II) –

- गठन - 25 August 2021

4. स्मार्ट सिटी मिशन –

- शुरूआत – जून 2015
- **उद्देश्य –** ऐसे शहरों का विकास करना जो बुनियादी ढांचे की सुविधा, निवासियों को उच्च जीचन गुणवत्ता, स्वच्छ व टिकाऊ वातावरण और शहरी विकास के लिए स्मार्ट समाधान प्रस्तुत करें।
- इस मिशन का लक्ष्य, 5 वर्षों में 100 शहरों को विकसित करना था, जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष प्रति शहर रु. 100 करोड़ का अनुदान प्रदान किया जाता है जिसमें संबंधित राज्य/यूएलबी के द्वारा बराबर योगदान किया जाता है।
- जयपुर, उदयपुर, कोटा व अजमेर (KAJU) को इस मिशन में शामिल किया गया है।

5. अमृत (AMRUT) मिशन : (अटल मिशन रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफोर्मेशन) -

- जून 2015 से शुरूआत (केन्द्र सरकार की योजना)
- इसके तहत स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए 500 शहरो में जलापूर्ति सुविधाएँ, सीवरेज नेटवर्क, स्टॉर्मवाटर, नालियाँ, शहरी परिवहन तथा खुले तथा हरे भरे स्थानो का विकास शामिल है।
- राजस्थान से इसमे कुल 29 शहरों का चयन किया गया है।

अमृत 2.0 (AMRUT 2.0) -

- 1 अक्टूबर, 2021 को शुरू ।
- सीवरेज, जल निकायों के जीर्णोद्वार एवं जलापूर्ति के कार्य हेतु कार्यक्रम।
- **लक्ष्य–** 2025-26 तक 'हर घर नल' द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाना।

आबादी	केन्द्र सरकार का हिस्सा
1 लाख से कम	50%
1 से 10 लाख	33.33%
10 लाख से अधिक	25%

6. LED लाईट परियोजना -

- 191 स्थानीय निकायों में कार्य पूर्ण।
- **एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट –** राजस्थान में स्ट्रीट लाईट के क्षेत्र में में ऊर्जा बचत करने के लिए।
- दिसम्बर 2024 तक 12.02 लाख LED लाइटें लगाई जा चुकी है।

7. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 1.0 -

- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का उद्देश्य सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से पूरे भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देना है। इसमें व्यक्तिगत घरेलू शौचालय व सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, मूत्रालयों का निर्माण व प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 -

- इसके अंतर्गत समस्त शहरी स्थानीय निकायों को ODF घोषित किया जा चुका है।
- **शुभारंभ –** अक्टूबर 2021 से

↓

2 अक्टूबर 2026 तक (5 वर्ष)

- इसके प्रमुख घटकों में शौचालय निर्माण (व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल), सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय (सीटी/पीटी) और मूत्रालय), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, उपयोग किए गए जल प्रबंधन और सूचना, शिक्षा, संचार और क्षमता निर्माण (आईईसी और सीबी) शामिल हैं।

8. श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना -

- पूर्व नाम – इन्दिरा रसोई योजना
- शुरूआत : 20 August, 2020
- लक्ष्य – "लक्ष्य अंत्योदय – प्रण अंत्योदय – पथ अंत्योदय"
- प्रदेश के सभी 240 नगरीय निकायों में 1000 रसोईयां संचालित।
- इसके तहत 8 रुपये प्रति थाली की रियायती लागत पर दोपहर व रात्रि में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। तथा इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 22 रुपये प्रति थाली अनुदान दिया जाता है।

9. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) -

- **उद्देश्य -** बेघर व आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (वार्षिक आय 3 लाख रुपये) व निम्न आय वर्ग (वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख) के व्यक्तिओं को किफायती आवास उपलब्ध करवाना है।

10. राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि -

- उद्देश्य – 2011-12 में गठित राज्य में सुव्यवस्थित, सुरक्षित, प्रदूषण रहित, द्रुतगामी एवं सुगम शहरी यातायात प्रबन्धन हेतु।

11. मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारन्टी योजना –

- 9 सितम्बर, 2022 को शुरू ।
- **उद्देश्य -** 18 से 60 वर्ष आयु के शहरी परिवारों को अकुशल श्रम रोजगार प्रदान करके आर्थिक सहायता प्रदान करना।

  ↳ 2023-24 में रोजगार दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई।

→ इसमें परिवार जन आधार Id का उपयोग कर, निःशुल्क पंजीकरण कर जॉब कार्ड प्राप्त कर सकते है।

12. राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना (आर.यू.आई.डी.पी.) चरण-III -

पाली, झुंझुनूं, श्रीगंगानगर और टोंक (सीवरेज और जलापूर्ति) के साथ-साथ भीलवाड़ा, बीकानेर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, माउंट आबू, झालावाड़-पाटन, कोटा (सीवरेज) और बांसवाड़ा (ड्रेनेज) में कुल 12 शहरों में ₹3,930.45 करोड़ की परियोजनाएँ चल रही हैं। इनमें पाली और झुंझुनूं में सीवरेज और जलापूर्ति के कार्य, भीलवाड़ा, बीकानेर, सवाई माधोपुर, कोटा, उदयपुर और माउंट आबू में सीवरेज के कार्य और बांसवाड़ा में ड्रेनेज के कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो चुके।

समग्र ग्रामीण विकास और सामाजिक समावेशिता

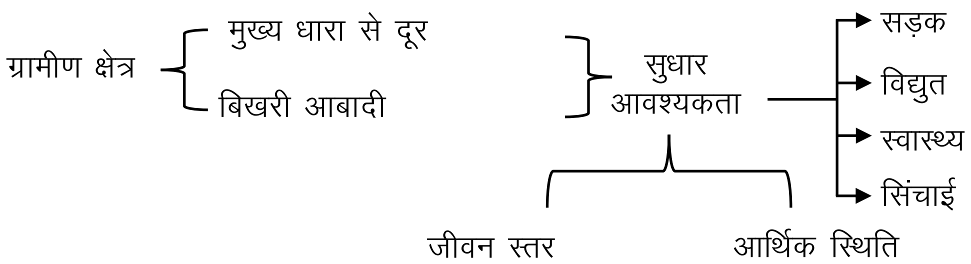

उद्देश्य
- गरीबी कम करना
- मजदूरी आधारित रोजगार / स्वरोजगार
- आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि
- क्षेत्रीय असंतुलन मिटाना

योजनाएँ

रोजगार
- राजीविका
  - ✓ NRLM
  - ✓ NRETP
- मनरेगा (MNREGA)
- CM-REGS

आवास
- PM जनमन
- PM आवास (ग्रामीण)

अवसंरचना विकास
- MPLAD, MLA-LAD
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- MG जनभागीदारी विकास योजना
- अमृत सरोवर
- CM जिला नवाचार निधि योजना
- बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम योजना

क्षेत्रीय विकास
- मगरा क्षेत्र
- मेवात क्षेत्र
- डांग क्षेत्र
- बृज क्षेत्र
- जनजातीय क्षेत्र

- राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रो के नियोजित विकास के लिए 1 अप्रैल 1999 को पृथक से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना की गई।

★ राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (RGAVP) (राजीविका) –

- **स्थापना** - अक्टूबर 2010 में स्वायत्त परिषद के रूप में।
- यह परिषद् सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत है।
- विभाग- ग्रामीण विकास विभाग (प्रशासनिक नियंत्रण)
- अध्यक्ष - मुख्यमंत्री
- उपाध्यक्ष - ग्रामीण विकास मंत्री

उद्देश्य
- स्वयं सहायता समूह आधारित् सांस्थानिक आधार पर ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों का कियान्वयन
- समता वृद्धि
- वित्तीय समावेरान
- आजीविका सुरक्षा

(भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राजीविका द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं चलाई जा रही है।)

1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM):-
- जून 2011 में शुरुआत
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा
- संपूर्ण राज्य में क्रियान्वित
- वित्तीय संसाधन– केन्द्र : राज्य- 60:40

2. राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपान्तरण योजना (NRETP):-
- World Bank की मदद से संचालित
- राज्य के 9 जिलों के 36 blocks में संचालित
- जून 2024 में समाप्त।

 # राजीविका के अन्य कार्य-

1. वन धन विकास योजना -
- 8 जिलों (बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ, कोटा, बारां, झालावाड़, सिरोही, उदयपुर) में 461 वन धन विकास केन्द्रों का गठन।

2. उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड :- (6 जिले)
दूध उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए कोटा, बूंदी, बारां, करौली, स. माधोपुर, और झालावाड़ जिलों में गठन किया गया।

3. उड़ान योजना के तहत सभी जिलों में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।

4. मिशन पंच रत्न –
उद्देश्य – राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए बेहतर पहुंच प्रदान करना और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए विभिन्न सेवा क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध कराना है।
पंच रत्न में शामिल हैं– भौतिक स्टोर बिक्री, सरकारी खरीद, ऑनलाइन बिक्री, निर्यात संवर्धन एवं सेवा क्षेत्र।

5. हाड़ौती महिला किसान उत्पादक कम्पनी लिमिटेड-
कोटा एवं बारां जिले में सोयाबीन, सरसों और धनिया पर आधारित मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए गठन किया गया।

6. स्वयं सहायता समूह
- बिक्री बढ़ाने हेतु राजस्थली (जयपुर) व 18 खुदरा स्टोर प्रारम्भ ।
- महिला सुरक्षा सखी योजना
- महिला आर्थिक सशक्तिकरण / राजस्थान महिला निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड द्वारा ऋण वितरण।

7. लखपति दीदी योजना के तहत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अब तक 528 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। इन लखपति मास्टर ट्रेनरों ने 15,683 लखपति सी.आर.पी. को प्रशिक्षित किया हैं। वर्तमान में लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत 14.04 लाख संभावित महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

8. विभिन्न सखी संवर्गों के लिए नियमित और समय पर मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज सखी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है।

★ महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS)–
- अधिनियम – 2005 ई.
- लागू - 02 फरवरी, 2006
- सम्पूर्ण देश - अप्रेल 2008

उद्देश्य:-
- ग्रामीणों को रोजगार
- आजीविका सुरक्षा

- 02 October, 2009 – को नाम परिवर्तित कर Mahatma Gandhi NREGA किया।
- काम करने के अधिकार की गारन्टी
- ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की रोजगार सुनिश्चितता प्रदान करना जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने हेतु स्वेच्छा से तैयार हो।

विशेषताएँ-

- पात्र – वयस्क (स्थानीय ग्राम पंचायत् निवासी)
- पंजीकरण → 15 दिवस में फोटोयुक्त जॉबकार्ड (निःशुल्क)
- आवेदन → 15 दिन में रोजगार (यदि नहीं तो राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी।)
- कार्य → 5 किमी. परिधि, (यदि 5 किमी. से अधिक हो तो 10% अतिरिक्त् मजदूरी)
- **कार्यस्थल पर सुविधाएँ**
  - पीने का पानी
  - छाया
  - शिशु पालना
  - प्राथमिक चिकित्सा

- महिला → 1/3rd (राजस्थान में 50%)
- भुगतान → बैंक, डाकघर
- केन्द्र : राज्य (वित्त) = 90 : 10

कार्य पर व्यय
- मजदूरी-60% : सामग्री – 40%

- **ग्राम सभा के कार्य :-**
  - कार्य चयन
  - वार्षिक कार्य योजना
  - योजना प्रगति
  - कार्य गुणवत्ता
  - सामाजिक अंकेक्षण

 # मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना -

(1) बजट भाषण 2022-23

(2) मनरेगा में रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया।

(3) 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार
- बारां - सहरिया जनजाति
- उदयपुर- कथौड़ी
- राज्य के विशेष योग्यजन

★ मिशन अमृत सरोवर –

- 24 अप्रैल 2022 राज्य का लक्ष्य - 2475 सरोवर (तालाब) तथा देश के प्रत्येक जिले में → 75 अमृत सरोवर का निर्माण करना है।

- एक तालाब →
  - क्षेत्र - एक एकड़
  - क्षमता- 10,000 क्यूबिक मीटर

★ PM-JANMAN (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान)-

- बजट 2023-24
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी.वी.टी.जी.)'' की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया गया है। मिशन का उद्देश्य 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास करना है।

- राजस्थान = बारां जिले की सभी 8 पंचायत समितियों में निवासरत आवासहीन सहरिया परिवारों को –

सहरिया
- → 2 लाख रुपये (आवास निर्माण हेतु)
- → ₹12,000 (शौचालय निर्माण)
- → 90 दिन मनरेगा देय की अनुमानित पारिश्रमिक राशि।

↓

अपात्र - जिनके पक्का मकान / सरकारी नौकरी है।

★ प्रधानमत्री आवास योजना (ग्रामीण) :-

- शुरू – 20 नवम्बर, 2016
- केन्द्र : राज्य = 60 : 40
- लाभार्थी
  - → 1 लाख 20 हजार रुपये (आवास हेतु)
  - → ₹12,000 (शौचालर (ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिए
  - → 90 दिन रोजगार (मनरेगा के तहत)

↓

SECC-2011 (सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना) के आधार पर लाभार्थियों का चयन।

अवसंरचना विकास योजनाएँ

(1) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD) -

- 1993 में शुरू
- मंत्रालय - ''सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय'' द्वारा।
- लोकसभा सांसद - अपने निर्वाचन क्षेत्र में
- राज्यसभा सांसद - पूरे राज्य में
- मनोनीत सांसद - पूरे भारत में

(उपर्युक्त तीनों) } 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष → अनुशंसा ↓ सांसद, जिला क्लेक्टर को

- गंभीर प्राकृतिक आपदा = 1 करोड़ रुपये
  - ↳ प्रत्येक आपदा के लिए अधिकतम 1 Cr. रूपये तक की स्थायी संपति का निर्माण देश के किसी भी हिस्से में करवा सकते है।

- खर्च →
  - → SC – 15%
  - → ST – 7.5%

- केन्द्रीय क्षेत्रक योजना

(2) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLA-LAD) -

- शुरू - 1999-2000
- MLA - विधानसभा क्षेत्र (₹5 करोड़ प्रतिवर्ष)
- खर्च -
  - 20% - SC/ST
  - 20% - सार्वजनिक उपयोग कार्य
    - मरम्मत
    - नवीनीकरण

(3) सांसद आदर्श ग्राम योजना -

- 11 अक्टूबर 2014 को प्रारम्भ
- **उद्देश्य** - समग्र विकास
  - जीवन स्तर व
  - जीवन गुणवत्ता में सुधार
- प्रत्येक सांसद - 1 ग्राम पंचायत का चयन प्रति वर्ष कर सकता/सकती है।

  चयन का आधार - जनसंख्या
  - मैदानी (3000-5000)
  - दुर्गम (1000-3000)
- ग्राम - स्वयं या पति पत्नी का नहीं होना चाहिए।

(4) महात्मा गाँधी जनभागीदारी विकास योजना (MGJVY) -

- **पुराना नाम** - गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना - 2014
- February, 2020 में नाम परिवर्तित किया।
- वित्त पोषित → राज्य सरकार
- **उद्देश्य** : जनभागीदारी से ग्रामीण विकास - सुनिश्चित करने हेतु
  - रोजगार सृजन
  - सामुदायिक सम्पतियों का निर्माण
- केवल ग्रामीण क्षेत्रो में लागू ।

	सरकार	जनता
– शमशान / कब्रिस्तान की चारदीवारी	90%	10%
– अन्य सामुदायिक परिसंपतियाँ	70%	30%
– TSP क्षेत्र में (40% से अधिक ST/SC आबादी वाले गांवों में)	80%	20%
– नाम अंकित वाली निर्माण योजना	49%	51%

क्षेत्रीय विकास

उद्देश्य
- अवसंरचना विकास
- आधारभूत सुविधा
- रोजगार सृजन– निवेश बढ़ाना
- जीवन स्तर में सुधार
- सामाजिक स्तर में सुधार

(1) मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम –

- 1986-87 से शुरू
- 3 जिले → अलवर, खैरथल-तिजारा और डीग
- 14 खण्ड – 807 गाँव
- मेव बाहुल्य क्षेत्र
- वित्त = राज्य – 100%

(2) मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम –

- 2005-06 से प्रारम्भ
- मगरा क्षेत्र - राजस्थान का दक्षिणी मध्य भाग जो पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है।
- 5 जिले ब्यावर, पाली, भीलवाडा, राजसमंद, चित्तौडगढ़
- वित्त- राज्य सरकार द्वारा

(3) डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम –

- 2005-06 से पुनः प्रारम्भ
- 8 जिलों में लागू (2192 गाँव) - कोटा, बूँदी, बारां, झालावाड, स. माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर

* **डांग क्षेत्र** – बीहड़ क्षेत्र तथा संकुचित घाटी युक्त दस्यु ग्रस्त क्षेत्र।

- वित्त- राज्य सरकार द्वारा

(4) बृज क्षेत्रीय विकास योजना –

- पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए।
- 5 जिलें - भरतपुर, धौलपुर, अलवर, डीग, खैरथल तिजारा।

(5) गोविन्द गुरू जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना –

- 75 करोड़
- अनुसूचित् क्षेत्र (TSP) के समग्र विकास के लिए।

बायो फ्यूल

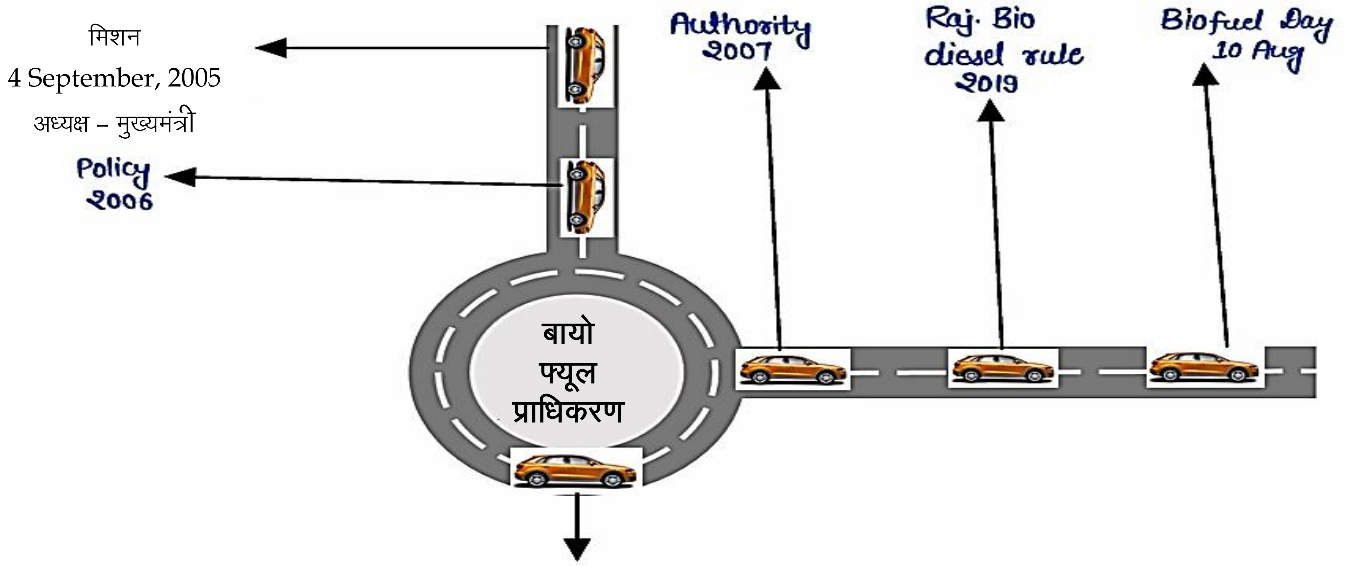

राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड - 22 December, 2016

पुनर्गठन – 11 February 2022

समितियों का स्तर → जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत

★ **NOTE- राजस्थान जैव ईंधन नियम तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य है।**

मुख्य गतिविधियां

राजस्थान जैव ईंधन नियम–2019 के अन्तर्गत राज्य में परिवहन प्रयोजन हेतु हाई स्पीड डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिये बायोडीजल (बी–100) की खुदरा बिक्री हेतु उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं एवं खुदरा विक्रेताओं के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया का क्रियान्वयन।

क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में आय के वैकल्पिक अवसर सृजित करने हेतु महात्मा गाँधी नरेगा एवं अन्य विभागों के साथ मिलकर गैर खाद्य तैलीय फसलों (रतनजोत, करंज, महुआ एवं नीम) के रोपण को बढ़ावा देना।

राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निष्पादन।

बायो–फ्यूल प्राधिकरण की उपलब्धियाँ

बायोडीजल (बी–100) उत्पादकों, वितरकों, और खुदरा विक्रेताओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया विकसित की गई है। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने बायोडीजल (बी–100) की खुदरा बिक्री को विनियमित करने के लिए नियम बनाए और लागू किए हैं।

राजस्थान जैव ईंधन नियम, 2019 के तहत 12 जैव ईंधन (बी–100) उत्पादक फर्मों को पंजीकृत किया गया है, जिससे राज्य में खुदरा बिक्री के लिए 4.20 लाख लीटर प्रतिदिन जैव ईंधन (बी–100) उत्पादन क्षमता सृजित की गई है।

राजस्थान जैव ईंधन नियम, 2019 के अंतर्गत 102 जैव ईंधन (बी–100) मोबाइल खुदरा दुकानों का पंजीकरण किया गया है।

सरल और समयबद्ध पंजीकरण प्रक्रिया की सुविधा के लिए जैव ईंधन निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं की ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को सुदृढ़ किया गया है।

पंचायतीराज

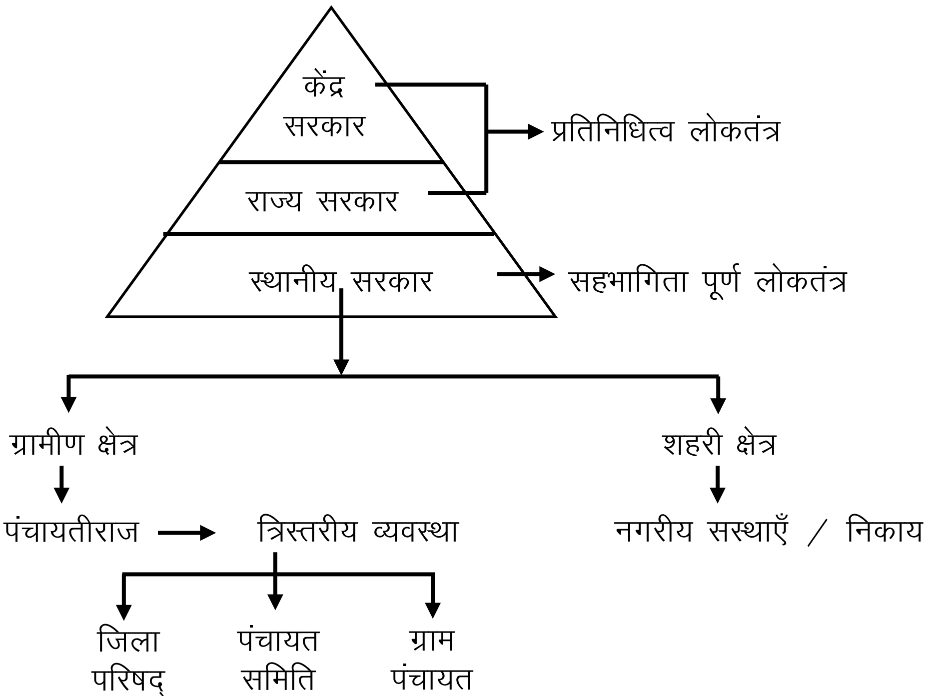

- **शुरुआत** - नागौर (बगदरी गाँव) – 2 October, 1959
- संवैधानिक दर्जा – 24 अप्रैल, 1993
- अनुच्छेद 248(G) में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन।

- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को 1994 में संशोधन किया गया तथा पंचायती राज नियम 1996 में लागू किए गए।
- **वर्तमान में** - 33 जिला परिषद्
  - 365 पंचायत समितियाँ
  - 11,194 ग्राम पंचायत

पंचायती राज विभाग/संस्थाओं के मूल कार्य निम्नानुसार हैं –

- 73वें संविधान संशोधन की मूल भावना के अनुसार विकेन्द्रीकरण को सुनिश्चित करना।
- पेसा (पी.ई.एस.ए.) अनुसूचित क्षेत्रों में नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन ।
- पंचायती राज संस्थानों में कार्मिकों की भर्ती सहित सभी प्रशासनिक/संस्थापन कार्य।
- पंचायती राज संस्थाओं में संगठनात्मक क्षमता का निर्माण, महिला जन–प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों पर विशेष ध्यान देने के साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों की पेशेवर क्षमता का संवर्द्धन करना ताकि वे अपनी भूमिकाओं का निर्वहन प्रभावी रूप से कर सकें।
- बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए अनेक योजनाओं के समन्वयन एवं उपलब्ध संसाधनों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और जिला आयोजना समितियों के माध्यम से एकीकृत विकेन्द्रीकृत भागीदारी योजना का निर्माण एवं उसके उपयोग की व्यवस्था करना।
- सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना ताकि पंचायती राज संस्थाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
- पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के जीवन से सीधी जुड़ी विभिन्न योजनाओं यथा–पन्द्रहवां वित्त आयोग, षष्टम राज्य वित्त आयोग, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) एवं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सहित राज्य एवं केन्द्र द्वारा संचालित विभिन्न फ्लेगशिप कार्यक्रमों की निगरानी एवं प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा समावेशी विकास सुनिश्चित करना।
- पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से क्षेत्रीय पिछड़ेपन को कम करना।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए समयबद्ध तरीके से क्रियात्मक व्यवस्था के साथ सभी को स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण सुविधा उपलब्ध कराना।
- सभी घरों में शौचालय का उपयोग करने की सुविधा उपलब्ध कराना तथा यह सुनिश्चित करना कि सभी राजकीय विद्यालयों एवं आंगनबाड़ियों में कार्यशील शौचालय एवं मूत्रालय हो।
- ई–सक्षमता के माध्यम से पंचायतों को अपने कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही हेतु सहयोग प्रदान करना।

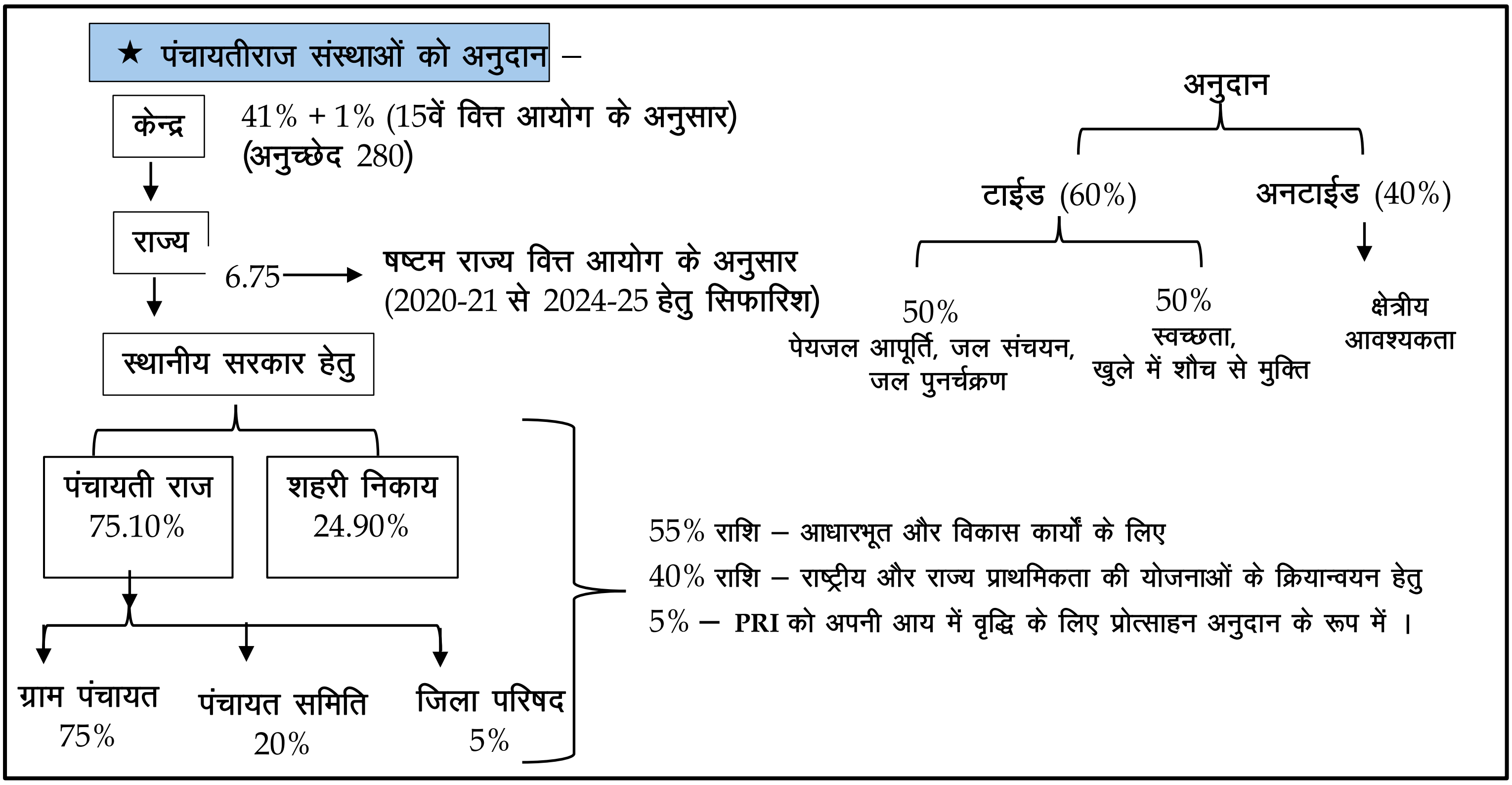

16वां वित्त आयोग–

- अध्यक्ष – अरविन्द पनगढिया
- सदस्य – अजय नारायण झा
  एनी जार्ज मैथ्यू
  मनोज पांडा
  डॉ. सौम्या कांति घोष

राज्य वित्त आयोग– इसका गठन अनुच्छेद 243-I (ग्रामीण) व अनुच्छेद 243 (V) (शहरी) के तहत् क्रिया जाता है।

6वां वित्त आयोग–

- गठन – 12 अप्रैल 2021
  (1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2025 तक)
- अध्यक्ष–प्रद्युमन सिंह
- सदस्य – अशोक लाहोटी, लक्ष्मण सिंह रावत

राजस्थान के 6 वित्त आयोग (FC)–

राजस्थान FC	CP	Formed	Tenure
I	कृष्ण कुमार गोयल	24 April 1994	1 Apr. 1993 – 31 Mar. 2000
II	हीरालाल देवपुरा	7 May 1999	1 Apr. 2000 – 31 Mar. 2005
III	माणिक चंद सुराणा	May 2004	1 Apr. 2005 – 31 Mar. 2010
IV	B.D. कल्ला	13 April 2011	1 Apr. 2010 – 31 Mar. 2015
V	ज्योति किरण	July 2014	1 Apr. 2015 – 31 Mar. 2020
IV	प्रद्युमन सिंह	12 April 2021	1 Apr. 2020 – 31 Mar. 2025

पंचायतीराज योजनाएँ

- बुनियादी सेवाएं
  - श्री अन्नपूर्णा योजना (ग्रामीण)
  - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
- पुरस्कार
- RUDA
- आयोजन
  - पंचायत विकास योजना (PDP)
  - स्वामित्व योजना
  - विलेज मास्टर प्लान
  - अम्बेडकर भवन
  - ग्राम पंचायत भवन निर्माण
  - पंचायत समिति भवन निर्माण
- अन्य
  - विकसित भारत संकल्प यात्रा
  - हर घर तिरंगा
- अवसंरचना
  - सड़क
  - विद्युत

★ श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण) –

- शुरुआत– 6 Jan 2024
- उद्देश्य – ग्रामीण कस्बों में किफायती दर पर पौष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध करवाना।
  [पूर्व में इंदिरा रसोई योजना (10 Sept 2023)]
- संचालन – राजीविका (राज. ग्रामीण आजीविका विकास परिषद) के माध्यम से महिला व सहायता समूहों द्वारा ।
- अन्य –

  i. 891 रसोईयों के माध्यम से दोपहर व रात्रि भोजन। (ग्रामीण कस्बों में प्रत्येक रसोई में अधिकतम 100 थाली दोपहर को व 100 थाली रात्रि को भोजन उपलब्ध करवाने का प्रावधान ।

  ii. 600 ग्राम भोज्य सामग्री– चपाती – 300gm
  दाल – 100 gm
  सब्जी – 100 gm
  चावल/मिलेट्स की खिचडी 100gm
  अचार

  iii. शुल्क 8 रू./थाली लाभार्थी द्वारा तथा 22 रू./थाली राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

★ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) –

- 2 Oct 2014 को प्रारम्भ
- जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित
- 31 मार्च 2018 राजस्थान ODF घोषित
- Phase 1st 2014 -19
- Phase IInd – 2020-21 से 5 वर्षों के लिए
- उद्देश्य–

  1. ODF की स्थिति को बनाये रखना
  2. ODF Plus बनाना

4 घटक

- व्यक्तिगत शौचालय → ₹ 12,000
- सामुदायिक स्वच्छता केन्द्र → ग्राम पंचायत – 3 लाख ₹ + दिव्यांग व्यवस्था
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्ध → ODF Plus
- गोबर–धन परियोजना:
  उद्देश्य :– पशुओं के गोबर और जैविक कचरे से गांवों को साफ करके तथा ऊर्जा और खाद का उत्पादन करके आय के स्त्रोत विकसित करना।
  → प्रत्येक जिले में आदर्श गोबर धन परियोजना स्थापित की जा रही है।

पात्र – BPL/SC/ST/दिव्यांग

- छोटे एवं सीमान्त किसान
- भूमिहीन मजदूर
- महिला मुखिया वाले परिवार

पंचायत पुरस्कार

→ 2010-11 से

24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर ←

1. दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार
   - 3 ग्राम पंचायतों को
   - 3 ब्लॉक पंचायत और
   - 3 जिला पंचायत

विशेष श्रेणी पुरुस्कार

- ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार → 3 ग्राम पंचायत् (देश की) → ऊर्जा नवीनीकरण स्रोत
- कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार → 3 ग्राम पंचायत (देश की) → पूर्ण शून्य कार्बन उत्सर्जन

★ आयोजन –

1. ग्राम पंचायत विकास योजना –

- भारत सरकार द्वारा
- 2015 से प्रारम्भ
- प्रक्रिया – ग्राम पंचायत वित्तीय संसाधन व आवश्यकता अनुरुप योजना निर्माण कर ग्राम सभा के अनुमोदन पश्चात् ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलॉड की जायेगी।
- इसी के तहत ''सबकी योजना सबका विकास'' (जन योजना अभियान – 2023) कार्यक्रम संचालित है।

2. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान –

- 2018-19 से 31 मार्च 2026 तक
- उद्देश्य – PRI को सुदृढ़ बनाना तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।
- केन्द्र : राज्य = 60 : 40
- वर्तमान में यह ''पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान'' (31 मार्च, 2026 तक) के नाम से संचालित है।

3. विलेज मास्टर प्लान–

- आगामी 30 वर्षों हेतु ग्राम पंचायत मुख्यालय के लिए तैयार किया गया है। (वर्ष 2050 तक)
- Ist Phase – 10,000 आबादी

3 विभाग
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार
- भू प्रबन्धन विभाग

- सहायता – पटवारी

4. ग्राम पंचायत भवन निर्माण –

- सभी ग्राम पंचायत स्तर के कार्यालयों को एक परिसर में लाने के लिए 5 बीघा भूमि पर तक भवन निर्माण
- अनुमानित लागत = 50 लाख रूपये

5. पंचायत समिति भवन निर्माण

6. अम्बेडकर भवन योजना –

- वर्ष 2019-20
- सभी पंचायत समिति मुख्यालयों – Except
  - नगर निगम
  - नगर परिषद्
  - नगर पालिका
- एक भवन की लागत 50 लाख ₹

7. स्वामित्व योजना –

- शुरुआत– 24 अप्रैल 2020
- क्रियान्वयन – पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राजस्व विभाग ।
- भारतीय सर्वेक्षण विभाग – राज्य के सभी गाँवों के आबादी क्षेत्रों का डिजिटल मानचित्र ड्रोन के माध्यम से तैयार करेगा एवं संबंधित ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करेगा ।
- ग्राम पंचायत – मानचित्र के आधार पर ''राजस्थान पंचायती राज अधिनियम–1996'' के तहत संबंधित व्यक्ति को पट्टा जारी करेगी।

विभिन्न अभियान :–

(i) हर घर तिरंगा –

- शुरुआत– 13-15 अगस्त, 2023
- नोडल संस्था पंचायती राज विभाग

(ii) विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध–घुमंतू भूखंड/पट्टा आवंटन अभियान –

- 2 अक्टूबर, 2024 को शुरू।
- यह अभियान कमजोर समुदायों के उत्थान और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

(iii) फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 अभियान (स्वच्छता और स्वास्थ्य) –

- युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में 2 अक्टूबर, 2024 से 31 अक्टूबर, 2024 तक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की थीम पर ''फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0'' अभियान के नाम से प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में एकता रन कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- ''फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0'' अभियान में राजस्थान को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

RUDA (ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण) –

- स्थापना Nov- 1995
- उद्देश्य – ग्रामीण गैर कृषि को बढ़ाना
- GI-Tag दिलवाने में सहायता करती है।
  (राजस्थान में 21 वस्तुओं को GI-Tag प्राप्त है)
  1st – बीकानेरी भुजिया
  16th – सोजत मेहँदी (पाली)
  17th – पिछवाई कला (नाथद्वारा)
  18th – जोधपुरी बंधेज (जोधपुर)
  19th – कोफ्तगिरी (उदयपुर)
  20th - उस्ता कला (बीकानेर)
  21th – कशीदाकारी क्राफ्ट (बीकानेर)
- RUDA, 3 उपक्षेत्रों के अन्तर्गत
  अपनी गतिविधियाँ संचालित करता है–
  1. चमड़ा
  2. ऊन व वस्त्र
  3. लघु खनिज

राज्य आपदा मोचन निधि :– इसका उद्देश्य राज्य में आने वाली किसी भी आपदा संबंधी चुनौतियों का समय पर और कुशलता से समाधान करना है। इसमें 75% योगदान भारत सरकार तथा 25% योगदान योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

UNIT - 4 सशक्त और समृद्ध कृषि

- कृषि एक प्राथमिक किया है, जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न तथा विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पन्न करती है।

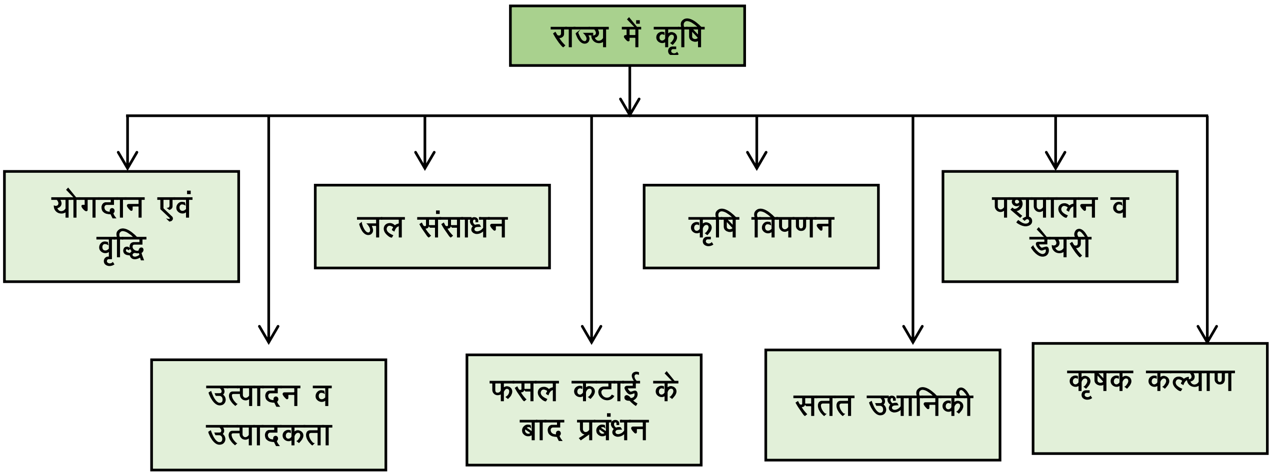

राज्य में कृषि की स्थिति – कृषि व संबद्ध क्षेत्र का योगदान व वृद्धि

(A) GSDP –

	स्थिर मूल्यों पर	वृद्धि	प्रचलित मूल्यों पर	वृद्धि
कृषि का GSDP में योगदान	26.54%	5.05%	26.92%	11.4 4%
GSDP अनुसार	2.18 लाख करोड़	3.94%	4.23 लाख करोड़	9.64%
वार्षिक वृद्धि (2020–21) से 2024–25 के बीच	3.94%		9.99%	

(B) कृषि के उपक्षेत्रों का योगदान – (प्रचलित मूल्यों पर)

क्षेत्र	योगदान	परिवर्तन
1. पशुधन	46.77%	5.43% वृद्धि
2. फसल क्षेत्र	46.17%	4.73% वृद्धि
3. वानिकी एवं लॉगिंग	6.56%	3.76% वृद्धि
4. मत्स्य क्षेत्र	0.51%	25.89% वृद्धि

समृद्ध कृषि के लिए कुशल भूमि उपयोग और फसल पैटर्न

❖ **भू–उपयोग (Land Use) :**

- राज्य का कुल क्षेत्रफल – **342.74 लाख हेक्टेयर**

भूमि प्रकार	प्रतिशत
1. शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	53.10%
2. बंजर भूमि	10.26%
3. वानिकी	8.13%
4. ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि	6.89%
5. कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि	5.93%
6. अन्य चालू पड़त भूमि	5.72%
7. स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि	4.81%
8. चालू पड़त	5.05%
9. वृक्षों के झुण्ड तथा बाग	0.11%

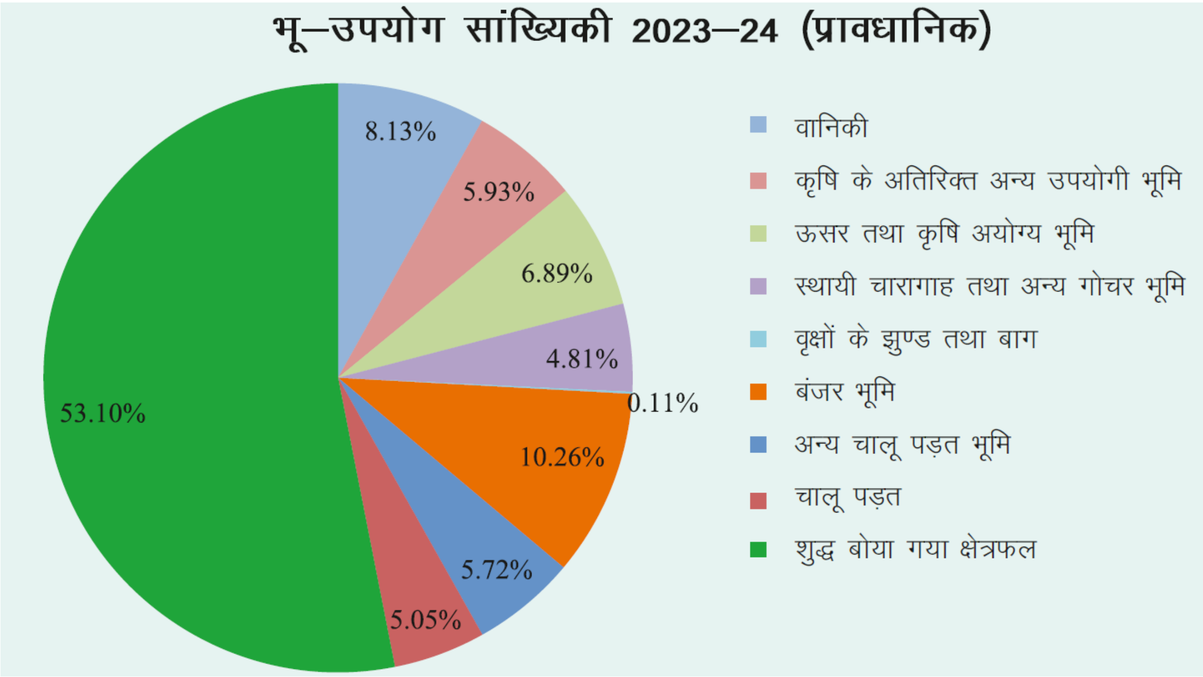

- **प्रचलित जोतधारक –**

	कृषि गणना (2015–16)	परिवर्तन (2010–11 से)
1. कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या	76.55 लाख	11.14% वृद्धि
2. कुल जोतों का क्षेत्रफल	208.73 लाख हेक्टेयर	1.24% कमी
3. भूमि जोतों का औसत आकार	2.73 हेक्टेयर	11.07% कमी

जोतधारक	आकार	परिवर्तन (क्षेत्रफल)
सीमान्त भूमि जोत (1 हैक्टेयर से कम)	40.12%	19.79% वृद्धि
लघु (Small) (1–2 हैक्टेयर)	21.90%	10.50% वृद्धि
अर्द्ध मध्यम (2–4 हैक्टेयर)	18.50%	5.67% वृद्धि
मध्यम (4–10 हैक्टेयर)	14.79%	0.27%कमी
बड़े आकार (10 हैक्टेयर से अधिक)	4.69%	13.20% कमी

- **महिला प्रचलित जोतधारक :** (2015–16)
  संख्या = 7.75 लाख (41.94% वृद्धि)
  क्षेत्रफल = 16.55 लाख हेक्टेयर (24.44% वृद्धि)

जोतधारक	आकार	परिवर्तन
सीमान्त भूमि जोत (1 हैक्टेयर से कम)	49.55	वृद्धि
लघु (Small) (1–2 हैक्टेयर)	20.77	वृद्धि
अर्द्ध मध्यम (2–4 हैक्टेयर)	14.97	वृद्धि
मध्यम (4–10 हैक्टेयर)	11.74	वृद्धि
बड़े आकार (10 हैक्टेयर से अधिक)	2.97	वृद्धि

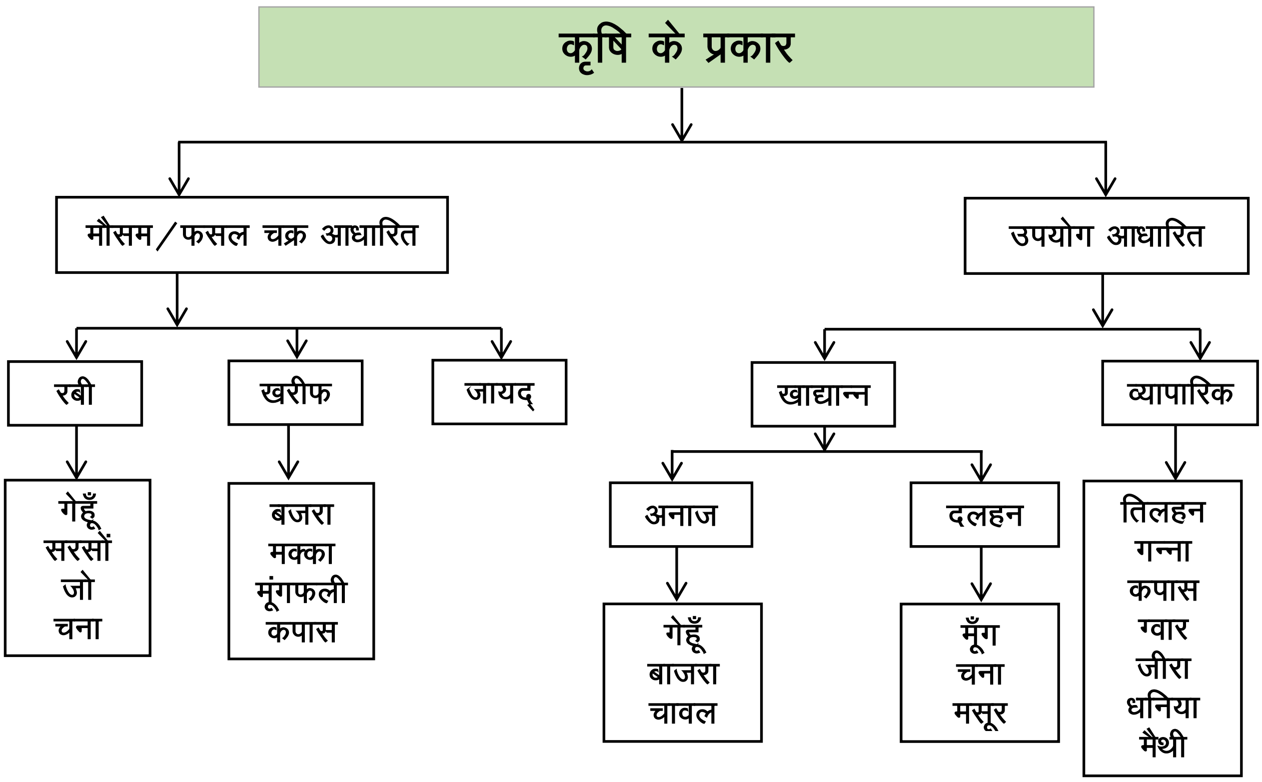

परिदृश्य – यह समझ विकसित करने हेतु दर्शाया गया है।

कृषि उत्पादन

फसल उत्पादन	उत्पादन (लाख मैट्रिक टन) [2024-25]
1. खाद्यान्न उत्पादन	कुल: 267.67; परिवर्तन: 10.67% वृद्धि
2. तिलहन	कुल: 96.17 LMT; परिवर्तन: 4.99% कमी
3. गन्ना	कुल: 4.40 LMT; परिवर्तन: 21.21% वृद्धि
4. कपास	कुल: 18.45 लाख गांठे; परिवर्तन: 29.61% कमी

	कुल	परिवर्तन
खरीफ	103.71	13.47% वृद्धि
रबी	163.96	8.97% वृद्धि

	कुल
अनाज	219.83
दलहन	47.84

★ प्रत्येक गांठ → 170 किलो

❖ विभिन्न कृषि फसलों में राजस्थान का स्थान :

राजस्थान प्रथम	– बाजरा, राई एवं सरसों, कुल तिलहन, ग्वार, पोषक अनाज,
राजस्थान द्वितीय	– मूंगफली
राजस्थान तृतीय	– कुल दलहन, चना, ज्वार, सोयाबीन

क्र.सं.	फसल	प्रथम स्थान	द्वितीय स्थान	तृतीय स्थान	राजस्थान का देश के कुंल उत्पादन में योगदान (% में)
1.	ग्वार	राजस्थान	हरियाणा	गुजरात	90.36
2.	राई/सरसों	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश	46.13
3.	बाजरा	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	गुजरात	44.66
4.	कुल तिलहन	राजस्थान	मध्य प्रदेश	गुजरात	22.78
5.	पोषक अनाज	राजस्थान	कर्नाटक	मध्य प्रदेश	15.66
6.	मूँगफली	गुजरात	राजस्थान	तमिलनाडु	18.76
7.	ज्वार	महाराष्ट्र	कर्नाटक	राजस्थान	14.87
8.	चना	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	राजस्थान	14.75
9.	कुल दलहन	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान	13.88
10.	सोयाबीन	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	राजस्थान	8.05

✸ स्त्रोत – भारत सरकार द्वारा प्रकाशित कृषि सांख्यिकी – 2023 के आधार पर

- राज्य में पहली बार पृथक रूप से कृषि बजट (2022–23) को ''समृद्ध किसान – खुशहाल राजस्थान विचार के साथ प्रस्तुत किया गया।

कृषि जलवायु क्षेत्र

- **राज्य में 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों की विशेषता :–**
  1. विभिन्न प्रकार की फसले पैदा करने की क्षमता जैसे – खाद्यान्न, नकदी, बागवानी आदि।
  2. मिश्रित खेती की सम्भावना।
  3. आय के स्त्रोतों में विविधता।
  4. जलवायु व आर्थिक चुनौतियों के प्रति सहनशीलता के प्रति बढ़ोतरी।
- **10 कृषि क्षेत्र परिभाषित करने का आधार :–**
  1. जलवायु
  2. मिट्‌टी के प्रकार
  3. भूगोल
  4. फसल पैटर्न

क्र. सं.	जलवायु क्षेत्र	सम्मिलित जिलें	मुख्य फसलें	
			खरीफ	रबी
1.	शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र (I-A)	जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर एवं बालोतरा	बाजरा, मोठ एवं तिल	गेहूं, सरसों एवं जीरा
2.	उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र (1-B)	श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़	कपास एवं ग्वार	गेहूं, सरसों एवं चना
3.	अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र (I-C)	बीकानेर, जैसलमेर एवं चुरू आंशिक (रतनगढ़, सरदारशहर, बीदासर एवं सुजानगढ़ तहसील)	बाजरा, मोठ एवं ग्वार	गेहूं, सरसों एवं चना
4.	अन्तः स्थलीय जलोत्सरण के अन्तवर्ती मैदानी क्षेत्र (II-A)	सीकर, चुरू (रतनगढ़, सरदारशहर, बीदासर एवं सुजानगढ़ तहसील छोड़कर), झुन्झुनू, नागौर एवं डीडवाना–कुचामन	बाजरा, ग्वार एवं दलहन	सरसों एवं चना
5.	लूनी नदी का अन्तवर्ती मैदानी क्षेत्र (II-B)	जालोर, सिरोही (पिण्डवाड़ा, आबूरोड़ तहसील छोड़कर) एवं ब्यावर आंशिक (जैतारण एवं रायपुर तहसील)	बाजरा, ग्वार एवं तिल	गेहूं एवं सरसों
6.	अर्द्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र (III-A)	जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, खैरथल–तिजारा, कोटपुतली–बहरोड़ एवं ब्यावर (जैतारण, रायपुर तहसील छोड़कर)	बाजरा, ग्वार एवं ज्वार	गेहूं, सरसों एवं चना
7.	बाढ़ सम्भाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र (III-B)	अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाईमाधोपुर	बाजरा, ग्वार एवं मूंगफली	गेहूं, जौ, सरसों एवं चना
8.	अर्द्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र (IV-A)	उदयपुर, चित्तौड़गढ़ (बडी सादडी तहसील छोड़कर) राजसमंद, भीलवाड़ा एवं सिरोही आंशिक (पिण्डवाडा एवं आबूरोड़ तहसील)	मक्का, दलहन एवं ज्वार	गेहूं एवं चना
9.	आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र (IV-B)	बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर (बडी सादडी तहसील) एवं चित्तौड़गढ़	मक्का, चावल, ज्वार एवं उड़द	गेहूं एवं चना
10.	आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र (V)	कोटा, बारां, बूंदी एवं झालावाड़	ज्वार एवं सोयाबीन	गेहूं एवं चना

उत्पादन एवं उत्पादकता :– कृषि वृद्धि के प्रेरक तत्व

❖ **राज्य में कृषि उत्पादकता कम होने के कारण :–**

- **कृषि क्षेत्र (उत्पादकता) के समक्ष चुनौतियाँ –**
  1. जल संकट – अनियमित मानसून
  2. जलवायु परिवर्तन–शुष्क जलवायु प्रदेश
  3. वित्तीय संसाधनों का अभाव
  4. भण्डार व विपणन समस्याएं
  5. तकनीकी नवाचार से असहजता
  6. सीमित कृषि योग्य भूमि

❖ **राज्य में उत्पादकता बढ़ाने के उपाय :–**

1. जल संरक्षण तकनीकों को अपनाना – ड्रिप सिंचाई
2. सूखा प्रतिरोधी फसलों को बढ़ावा – बाजरा, दाले
3. कृषि, वानिकी व पशुपालन का एकीकरण
4. मिट्टी का क्षरण रोकना :–
   (i) फसल चक्र
   (ii) शून्य जुताई (पड़त भूमि)
   (iii) वर्षा जल संचयन
   (iv) रासायनिक व जैविक उर्वरकों का संतुलित उपयोग

- **उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए :–**

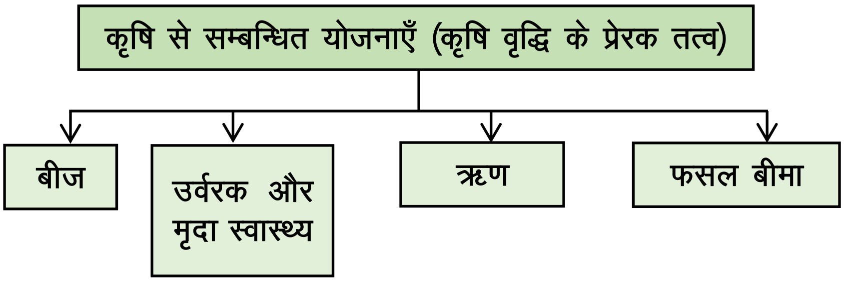

बीज

1. उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग से उत्पादकता में वृद्धि तथा सतत् कृषि को बढ़ावा मिलता है।
2. राज्य में बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण एवं आपूर्ति की नोडल एजेंसी –
   (राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड – RSSCL) –
   (i) बीज प्रसंस्करण इकाइयां = 22
   (ii) कुल प्रसंस्करण क्षमता = 12.58 लाख क्विटंल प्रतिवर्ष
   (iii) भण्डारण क्षमता = 10.21 लाख क्विटंल
3. **प्रमाणन:–** राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणन एंजेसी द्वारा।
   कार्य :– टिकाऊ कृषि को बढ़ाना, किसानों का समर्थन करना, फसल उत्पादकता सुधारना तथा बाजार तक पहुँच को सुगम बनाना।

1. **मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना :**
   - ✓ **शुरूआत** – 2017
   - ✓ **वर्ष 2018–19** = 10 कृषि जलवायुविक खण्डों में (पूरे राज्य में लागू)
   - ✓ **उद्देश्य:–** कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण करना।
   - ✓ गेहूँ, जो, चना, ज्वार, सोयाबीन, सरसों, मूंग, मोठ एवं उड़द की 10 वर्षों तक की उन्नत किस्मों का बीज उत्पादन करना।

उर्वरक और मृदा स्वास्थ्य

❖ **गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना :–**

(i) **उद्देश्य :–** फसल उत्पादन व मृदा स्वास्थ्य हेतु रासायनिक व जैविक उर्वरकों का संतुलित उपयोग हेतु जैविक उर्वरक, जैविक खाद और नैनों उर्वरक को बढावा।

(ii) पशु अपशिष्ट से जैविक खाद (वर्मी कम्पोस्ट) का उत्पादन करने वाले 50 किसानों को प्रत्येक ब्लॉक में 10,000/– तक की वित्तीय सहायता।

(iii) इसके आवेदन – राज किसान पोर्टल पर ऑनलाईन किए जा सकते है।

❖ **कृषि क्लीनिक –**

- उद्देश्य :– किसानों को मृदा परीक्षण, फसलों की जानकारी, कीट/रोग उपचार संबंधी विशेषज्ञ सेवाएँ उपलब्ध करवाने हेतु सभी जिला मुख्यालयों पर एग्री क्लीनिक स्थापित किये जायेंगे।
- प्रस्तावित –
  - 2024–25 में 20
  - 2025–26 में 13

❖ **नमों ड्रोन दीदी योजना –**

1. **उद्देश्य :–** कृषि में आधुनिकता जैसे– ड्रोन तकनीक से नैनों यूरिया व कीटनाशकों का छिड़काव से उर्वरकों एवं कीटनाशकों का सटीक व प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना।
2. इस योजना के तहत् 1000 महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन एवं सहायक उपकरणों की खरीद में वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण एवं सतत् सहयोग प्रदान।

कृषि ऋण

❖ किसानों को कृषि से संबंधित व्यवसायों गतिविधियों हेतु वित्तीय सेवा।

❖ यह किसानों को कृषि में उत्पादकता तथा स्थिरता को बढ़ाने के लिए इनपुट, उपकरण और अन्य बुनियादी ढ़ांचे खरीदने के लिए कोष प्रदान करता है।

❖ **सहकारी ऋण द्वारा समावेशी विकास –**

राज्य में दीर्घकालीन कृषि ऋण हेतु –

29 – केन्द्रीय सहकारी बैंक
36 – प्राथमिक भूमि विकास बैंक

- **42,283 – सहकारी समितियाँ : –**

  (i) 23 – संघ

  (ii) 278 – विपणन समितियाँ

  (iii) 24 – दुग्ध संघ

(iv) 38 – उपभोक्ता थोक दुकानें
(v) 8592 – प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ
(vi) अन्य – फल व सब्जी समितियाँ

❖ **महिला सहकारिता :–** 947 राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समितियों के माध्यम से राशि प्रदान की गई है।
❖ **शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण** केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि फसली ऋण वितरित किया गया है।
❖ **अल्पकालीन कृषि ऋण की** समय पर अदायगी वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान।
❖ **ब्याज मुक्त फसल ऋण योजना:–** राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण
❖ **राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना** :– ग्रामीण कारीगारों, गैर–कृषि गतिविधियों वाले लघु एवं सीमांत कृषकों के परिवारों को सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
❖ **सहकारी किसान कल्याण योजना** :– केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा कृषि एवं सम्बद्ध कृषि प्रयोजनों हेतु अधिकतम ₹10.00 लाख तक का ऋण ।
❖ **कृषि उपज गिरवी ऋण योजना** :– कृषकों को कृषि उपज गिरवी रखने पर 3 प्रतिशत की दर से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
❖ **कृषि अवसंरचना निधि (ए.आई.एफ.) के अंतर्गत 3 प्रतिशत तक ब्याज सहायता** :–15 मई, 2020
फार्म गेट अवसंरचना हेतु 1 लाख करोड़ की निधि की घोषणा।
AIF के अन्तर्गत ₹2.00 करोड़ की सीमा तक सभी ऋणों पर 3% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहायता।

फसल बीमा

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना –

- प्रारम्भ – 18 फरवरी, 2016
- इस योजना में खाद्यान्न फसलों (अनाज, मोटा अनाज और दालें) तिलहन और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को शामिल किया गया।

फसलें	प्रीमियम राशि
खरीफ	2%
रबी	1.5%
वाणिज्यिक/बागवानी	5%

- भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित निर्देशानुसार खरीफ 2020 से असिंचित क्षेत्रों के लिए 30% एवं सिंचित क्षेत्रों के लिए 25 प्रतिशत की अधिकतम प्रीमियम पर अनुदान भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

जल–सुरक्षित राजस्थान की ओर

❖ राज्य देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है।
❖ बंजर भूमि – 101 लाख हेक्टेयर
❖ राज्य में देश का जल संसाधन प्राप्त – 1.16% है।
❖ **अधिक बंजर भूमि के कारण :–**

- अनियमित वर्षा पैटर्न
- अनियमित जल व्यवस्था

- अस्थिर मौसम
- उच्च तीव्रता और कम वर्षा के दिनों के कारण पानी की बर्बादी।

❖ **राज्य में मानसून :–**

- **वर्ष 2024** – आगमन 25 जून
- 1 जून से 30 सितम्बर, 2024 तक वास्तविक वर्षा – 662.44 मी.मी, जो (सामान्य वर्षा (417.46 मी.मी.) से 58.68% अधिक)

सिंचाई

➢ मार्च 2024 तक कुल 39.36 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा सृजित की गई।
- दिसम्बर 2024 तक 14514.14 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा सृजित की गई है।

➢ मुख्य स्त्रोत – नहरें, ट्यूबवेल, खुले कुएं व तालाब व अन्य।

➢ कुल सिचित क्षेत्र – 95,47,292 हेक्टेयर

➢ सिंचाई सुविधा को सुदृढ़ एवं विस्तारित करने के लिए विभिन्न परियोजनाये :–
- 7 प्रमुख परियोजनायें
- 6 मध्यम परियोजनायें (गरदड़ा, टाकली, गागरीन, ल्हासी, हथयादेह, अंधेरी)
- 40 लघु परियोजनायें

➢ **प्रमुख वृहद् परियोजनाएँ – (7)**

1. **परवन वृहद् परियोजना :–** झालावाड़ के निकट परवन नदी पर निर्माणाधीन
   – झालावाड., बारां व कोटा को लाभ मिलेगां
2. **धौलपुर लिफ्ट :–** सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर एक पूर्ण लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना।
   – 30 मेगावाट सौर ऊर्जा जनरेशन संयंत्र की स्थापना।
3. **नर्मदा नहर परियोजना :–** भारत में पहली प्रमुख सिंचाई परियोजना है।
   – जालौर व बाड़मेर जिलों के 2.46 लाख हैक्टेयर (233 गाँव) के पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य रखी गई है।
4. **नवनैरा बैराज :–** कालीसिंध नदी पर कोटा जिले में – यह ERCP का एक हिस्सा है।
5. **कालीतीर लिफ्ट –** पार्वती एवं रामसागर बाँध से धौलपुर जिलें में पेयजल मांग के लिए।
   (483 गाँव, 3 कस्बों)
6. **उच्च स्तरीय नहर माही :–** आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए माही परियोजना के सैडल बाँध में जल उपलब्ध करवाकर माइक्रो सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा का सृजन।
7. **पीपलखूंट उच्च स्तरीय नहर परियोजना :–** स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई के लिए माही बाँध के कुल जल को जाखम बाँध में पहुँचाना।

अन्य परियोजनाएँ

8. **यमुना जल समझौता :–** राजस्थान व हरियाणा के मध्य. मई, 1994
   17 फरवरी, 2024 को राजस्थान और हरियाणा के बीच एक MoU
   ताजेवाला हेड (हथिनी कुंड बैराज) से पानी को सीकर, चुरू, झुंझुनू और अन्य क्षेत्रों में भूमिगत परिवहन प्रणाली के माध्यम से लाया जायेगा।
9. **डब्ल्यू आर डी के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं :–** नाबार्ड, गांव क्षेत्रों में भू–जल स्तर सुधारने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

10. चंबल कमांड क्षेत्र :– कोटा, बूंदी और बारां जिलों में विभिन्न नहरों, वितरण प्रणाली और माइनरों में पक्की लाइनिंग और क्षेत्रों के सुधार के लिए प्रावधान किया गया।

11. संशोधित पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक परियोजना (एकीकृत E.R.C.P.) –

or

राम जल सेतु लिंक परियोजना

- **उद्देश्य :–** कुनू, कुल, पार्बती, कालीसिंध व मेज नदी के अधिशेष मानसून जल को, बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीरी और पार्वती नदी में स्थानान्तरित करना।
  - केन्द्र : 90
  - राजस्थान : 5
  - मध्यप्रदेश : 5

  (उपरोक्त तीनों) — 28 जनवरी, 2024 को MoU
- **महत्व :–**
  1. कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी
  2. 17 जिलों को पेयजल उपलब्धता
  3. लाभान्वित – 32.5 मिलियन लोग
  4. सिंचाई – 2,51,000 हेक्टेयर नई कृषि भूमि को सिंचाई प्रदान।
  5. उद्योग विकास – स्थिर व टिकाऊ जल आपूर्ति से
- **चरण 1A –**
  - नवनेरा बैराज
  - ईसरदा बांध
  - पेयजल हेतु :– नवनेरा – गलवा – बीसलपुर – ईसरदा लिंक परियोजना
  - रामगढ़ बैराज से महलपुर बैराज, नवनेरा से गलवा बांध, बीसलपुर बांध एवं ईसरदा बांध में पानी पहुँचाने हेतु। नहर प्रणाली/पम्पिंग स्टेशन/पाईपलाइन का निर्माण

नदी	बैराज
कुल	रामगढ़
पार्वती	महलपुर

- इन परियोजना के तहत विभिन्न Package में बैराज, बांध, पाइपलाइन पम्पिंग हाऊस, फीडर आदि का निर्माण किया जाएगा।
- **Package-1: -** 20 वर्षो की अवधि के लिए Hybrid Annuity Model पर संचालन व रखरखाव :– रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा पम्प हाऊस (कोटा व बारां जिला)
- **Package-2: -** नवनेरा बैराज से मेज एनीकट, चम्बल नदी पर एक्वाडक्ट (कोटा व बूंदी)
- **Package-3:-** टोंक व बूंदी में मेज एनीकट, गलवा बांध, बीसलपुर।

- **चरण 1B :–**
  - मेज बैराज का निर्माण ।
  - ईसरदा से रामगढ़ बांध जयपुर तक फीडर का निर्माण।
  - खुरा चैनपुरा से जयसमंद अलवर तक फीडर सिस्टम का निर्माण।
  - मोर सागर कृत्रिम जलाशय और बीसलपुर से मोर सागर कृत्रिम जलाशय तक फीडर का निर्माण।
  - ईसरदा से खुरा चैनपुरा से बंध बरेठा भरतपुर तक फीडर का निर्माण।

12. IGNP- इंदिरा गाँधी नहर परियोजना :– "पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा"

- **उद्देश्य :–**
  - → पश्चिम राजस्थान की सदियों से प्यासी मरुभूमि को दूरस्थ हिमालय जल से सिंचित व पेयजल आपूर्ति।
  - → साथ ही इसमें सूखा निवारण, पर्यावरण सुधार और वनीकरण, रोजगार सृजन, पुनर्वास भी शामिल है।
- **क्षेत्रफल – 16.17 लाख हेक्टेयर = प्रथम चरण – 5.46LH**
  द्वितीय चरण – 10.71LH

13. इंदिरा गाँधी फीडर और सरहिन्द फीडर की री–लाईनिंग :–

- भारत सरकार और पंजाब सरकार के मध्य समझौता
- इंदिरा गांधी फीडर की रीलाइनिंग हेतु 60% केन्द्र, 40% राज्य
- सरहिन्द फीडर – पंजाब 54.15%, राजस्थान 45.85% (भारत सरकार इसका 60% वहन करेगी)
- राजस्थान फीडर और सरहिन्द फीडर रीलाइनिंग का निर्माण।

14. PM कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

- प्रारम्भ – 2015–16
- वित्त –केन्द्र : राज्य – 60:40

➢ **उद्देश्य :–**

- सिंचाई क्षेत्र का विस्तार कर "हर खेत को पानी"
- जल उपयोग दक्षता में सुधार कर प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करना।

➢ **महत्त्व :–**

- जल संरक्षण व सतत् सिंचाई प्रथाओं को बढ़ावा।
- कृषि उत्पादकता बढ़ाना।
- खाद्य सुरक्षा व दीर्घकालिक कृषि विकास सुनिश्चित करना।

➢ **जल ग्रहण विकास घटक PMKSY 2.0 :–**

- **क्रियान्वयन** – भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार
- **प्रारम्भ** – 2021–22 में
- **प्रमुख गतिविधियां :–**
  - ○ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे रीज क्षेत्र उपचार, जल निकासी रेखा उपचार, मृदा और आर्द्रता संरक्षण गतिविधियां।
  - ○ जल संचयन संरचनाएं जैसे चेक डेम, नाला बांध, खेत तालाब, टैंक, एनीकट, अमृत सरोवर कार्य आदि।
  - ○ प्रभावी वर्षा प्रबंधन जैसे खेत बांधना, कंटूर बांधना/खुदाई, चरणबद्ध खुदाई, भूमि समतल करना, मल्चिंग आदि।
  - ○ लाभार्थियों की भागीदारी के लिए क्षमता निर्माण और प्रवेश बिंदु गतिविधियां।
  - ○ उत्पादन गतिविधियां जैसे नर्सरी स्थापना, वनारोपण, बागवानी, चारागाह विकास कार्य आदि।
  - ○ परिसम्पतिहीन व्यक्तियों, महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियां और लघु व सीमांत किसानों के लिए सूक्ष्म उद्यम।

➢ **PMKSY – सूक्ष्म सिंचाई घटक (Micro Irrigation Compnent)**

- जल प्रबंधन के लिए ड्रिप व स्प्रिंकलर तकनीकों का प्रयोग।
- **महत्त्व** – जल की बचत, फसल पैदावार व गुणवत्ता में वृद्धि।

- इसे अपनाने वाले किसानों को सब्सिडी

किसान		केन्द्रीय हिस्सा (%)	राज्य (%)	अतिरिक्त राज्य हिस्सा (%)
सामान्य किसान	70 %	27	18	25
SC/ST/महिला लघु व सीमान्त	75 %	22–23	18–22	20–30

➢ **PMKSY की कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) परियोजना**
गंग नहर परियोजना में पक्के जलमार्ग का निर्माण ।

➢ **रिपेयर–रिनोवेशन – रिस्टोरेशन परियोजना (RRR परियोजना) :–**

- शुरु – जनवरी, 2005
- **2017–18 में इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 'हर खेत को पानी' में शामिल।**
- केन्द्र : राज्य = 60:40
- वर्तमान में राज्य की 37 परियोजनाओं को इसमें शामिल किया गया। (14 जिलें)

15. PM KUSUM योजना (कम्पोनेट–B)

- PM किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान
- प्रारम्भ – फरवरी 2019
- मंत्रालय – नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
- प्रथम सौर ऊर्जा सयंत्र – भालोजी गाँव (कोटपूतली)
- प्रावधान – 3HP से 10HP क्षमता तक के सौर अकेले ऊर्जा पम्प की स्थापना
- Important – इस योजनान्तर्गत कुल – (100%)

60% अनुदान (केन्द्राशं 30%, राज्यांश 30%)

कृषक 30%, ऋण बैंक से प्राप्त

शेष 10% कृषक द्वारा

16. मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 :–

- **प्रारम्भ** – फरवरी 2024
- इसके अन्तर्गत 20,000 गाँवों में वर्षा जल संग्रहण एवं संरक्षण इत्यादि कार्य।
- इसके अन्तर्गत नए एनीकट, खेत, तालाब, मिनि परकोलेशन टैंक, सबसरफेस बेरियर का निर्माण और पुराने जल संचयन संरचनाओं की मरम्मत का काम।

17. राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (RWSLP): –

- **Japan International Corporation Agency** (जायका) द्वारा वित्त पोषित।
- जायका परियोजना को 2 ट्रेंच में वित्त पोषित करेगा।
- **उद्देश्यः–**
  - मौजूदा सिंचाई सुविधाओं और कृषि साक्षरता सेवाओं में सुधार
  - जल उपयोग दक्षता और कृषि उत्पादकता में वृद्धि
  - किसानों की आजीविका में सुधार करना
  - सिंचाई क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ाना

- परियोजना के तहत सभी जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास व जीर्णोद्वार का कार्य किया जाना है।
- समयावधि – 11 वर्ष (1 अप्रैल 2017 – 31 मार्च 2028)

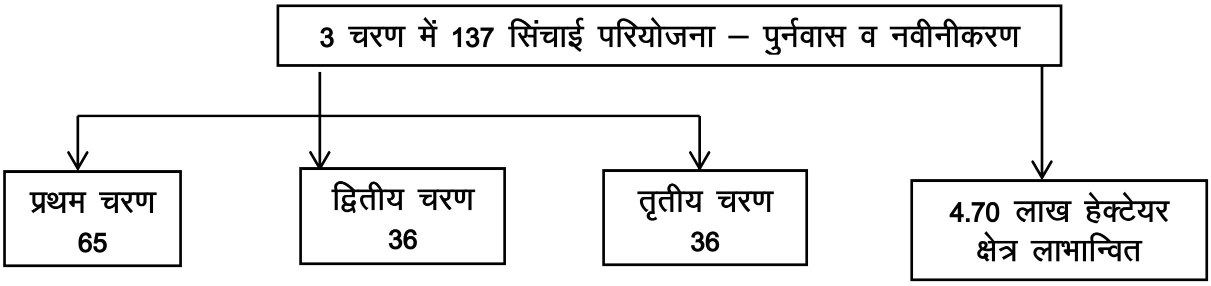

18. बाँध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP):-

- **उद्देश्य** – नियोजन, प्रबंधन और पुर्नवास से बांध सुरक्षा
- **वित्त** – WB + AIIB, केन्द्रीय जल आयोग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से DRIP का द्वितीय चरण शुरू।
- **अवधि** – 10 वर्षो में 2 चरणों में पूरा किया गया। प्रत्येक चरण 6 वर्ष का होगा जिसमें 2 वर्ष की ओवरलैपिंग अवधि है।

19. रेगिस्तानी क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना –

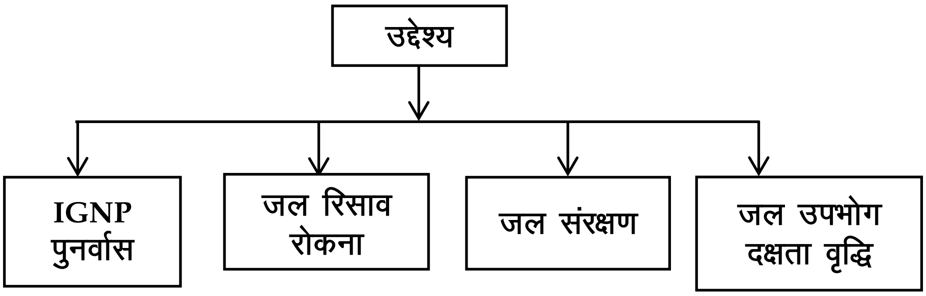

वित्त – NDB (70%) : राजस्थान सरकार (30%)

- समयावधि – 7 वर्ष में 2 चरणों में पूरा किया जाना है।
- लाभ – श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुंनू, चुरू, नागौर, डीडवाना–कुचामन, बीकानेर, सीकर, जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बालोतरा और बाड़मेर सहित कई जिलों को लाभ होगा।
- विशेषताएँ –
  - इंदिरा गाँधी मुख्य नहर 179.53 कि.मी. के जीर्णोद्वार कार्य।
  - 33,312 हेक्टेयर जल भराव वाले क्षेत्र का विकास एवं सिंचित क्षेत्र का विकास।
  - जल उपयोगकर्ता संघों की क्षमता वर्धन।

20. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना –

- वित्तपोषण – भारत सरकार ''विश्व बैंक परियोजना'' के जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवित विभाग द्वारा वित्त पोषित है।

NHP

सिंचाई

समयावधि –2016 से सितम्बर 2025

लक्ष्य –

- **सतही व भू–जल स्टेशन की स्थापना**
- **स्काडा प्रणाली –**

7 बांधो पर

– बीसलपुर – राणा प्रताप सागर
– माही –गुड़ा,
– जवाई – छापी
– जवाहर सागर

और 2 नहरों पर

गंगा – भाखड़ा नहर प्रणाली
नर्मदा नहर प्रणाली

भू–जल

समयावधि – 2016 से 2024

लक्ष्य–

- **जल प्रबंधन क्षमता–वर्द्धन एवं निगरानी प्रणाली विकसित करना।**
- **रासायनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना**
  – जयपुर
  – जोधपुर
  – उदयपुर

➢ **अटल भू–जल योजना :–**

- भारत सरकार एवं विश्व बैंक (50:50)
- शुरूआत – 1 अप्रैल, 2020
- योजना 2020–25, 5 वर्षों के लिए हैं
- 7 राज्यों में – हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश
- उद्देश्य – सामुदायिक भागीदारी से गिरते भूजल स्तर को रोकना।
- नोडल विभाग – भू–जल विभाग

सतत् उद्यानिकी

राजस्थान में उद्यानिकी प्रथाओं को बढ़ावा देना

1. राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NMAET)
- राजस्थान के 31 जिलों में
- फल–फूलों, मसालों का उत्पादन बढ़ाना।

2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (NMAET)
- शुरूआत 2007–08
- केन्द्र : राज्य = 60:40
- उद्देश्य – कृषि में निवेश को बढ़ाना।

3. राष्ट्रीय सतत् खेती मिशन (NMSA)
- केन्द्र : राज्य = 60:40

(A) राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन
(B) राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना
(C) राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य परियोजना
(D) वर्षा आधारित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

} का संयुक्त रूप ↓ राष्ट्रीय सतत्

- **अन्य प्रावधान –**

(A) Rainfed Area Development
(B) **मृदा स्वास्थ्य कार्ड :–**

- शुरूआत – 19 फरवरी 2015,
- सूरतगढ़ (गंगानगर) से
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस – 19 फरवरी
- उद्देश्य –
  - मृदा परीक्षण सेवाओं को बढ़ाना।
  - मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना।
  - विभिन्न फसलों के लिए विवेकपूर्ण पोषक तत्व प्रबन्धन।
- राज्य के सभी 352 ब्लॉक में लागू।

4. **परम्परागत कृषि विकास योजना –** जैविक खेती में पर्यावरण अनुकूल न्यूनतम लागत तकनीकों के प्रयोग से रसायनों एवं कीटनाशकों का प्रयोग कम करते हुए कृषि उत्पादन।

5. **Adaptive Trial Centre & जैविक खेती**

- जैविक खेती अपनाने वाले 3 किसानों को प्रत्येक वर्ष 1 लाख की सहायता। (राज्य निधि के तहत)

कृषि सुधार के लिए प्रमुख पहल

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) –

❖ 2007–08 में राजस्थान में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में प्रारम्भ।
❖ C : S – 60 : 40
❖ **NFSM – गेहूँ व दालों** के पूर्ण उत्पादन प्रक्रिया में सुधार।

NFSM – लागू

↓

- गेहूँ – 14 जिलों में लागू
- मोटा अनाज – (मक्का) 5 जिलों में
- मिशन कोर्स अनाज जौ – 7 जिलों में
- दलहन 2010–11 से सभी जिलों में

NFSM – पोषक अनाज

2018–19 में प्रारम्भ

↓

- ज्वार – 10 जिलों में लागू
- बाजरा – 21 जिले

- ❖ **NFSM – वाणिज्यिक फसले** (कपास) भी सम्मिलित है।
- ❖ **NFSM – तिलहन और टीबीओ** (Tree Born Oil Seeds)

  वित्त 60:40

  ब्रीडर बीज की खरीद – 100% भारत सरकार द्वारा।

  ट्री बॉर्न ऑयलसीडस् (टीबीओ) के तहत 6 टीबीओ यथा ओलिव, महुआ, नीम, जोजोबा, करंज और जट्रोफा की बुआई के लिए सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।

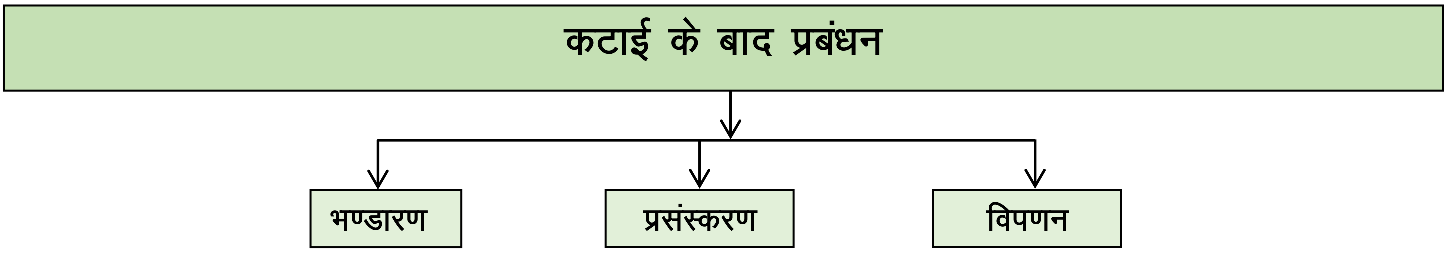

- **प्रबन्धन के उद्देश्य :–**
  (1) गुणवत्ता बढ़ाना/पोषण
  (2) अपशिष्ट कम करना।
  (3) कीट नुकसान रोकना।
  (4) खाद्य सुरक्षा में योगदान।
  (5) उत्पादों का बाजार मूल्य बढ़ाना।
  (6) आर्थिक स्थिरता प्रदान करना।
  (7) आर्थिक विकास
  (8) रोजगार सृजन

भण्डारण

- **प्रमुख एजेंसी** – Rajasthan State Ware House Corporation
- 41 जिलों में 96 गोदाम (भण्डार गृह)
- राज्य अन्य सभी राज्यों व केन्द्र की तुलना में सर्वाधिक भण्डार शुल्क छूट प्रदान करता है।
- **छूट :–**

सामान्य	60%
SC/ST &	70%
सहकारी समितियाँ	10%

प्रसंस्करण

❖ आर्थिक विकास व प्रसंस्करण हेतु विभिन्न प्रयास –

1. फूड पार्क विकास और भूमि आवंटन नीति, 2024
2. Rising Rajasthan Summit, 2024
3. राजस्थान निवेश संवर्धन नीति (RIPS), 2024 :– एग्रो और फूड प्रोसेसिंग उद्यम इकाई को प्रोत्साहन
   - सामान्य – पूँजी निवेश का 50% या 1.5 करोड़ (अधिकतम)
   - SC/ST/ महिला – अतिरिक्त 5% पूँजी सब्सिडी

4. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण (PM-FME)

- देश में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उन्नयन के लिए।
- राज्य में नोडल एजेन्सी – राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड।
- केन्द्र : राज्य = 60:40
- 5 साल की कार्यावधि के लिए (2020–21 से 2025–26)
- खाद्य–प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना या विस्तार हेतु अनुदान – 35% की दर से अधिकतम 10 लाख रुपये

विपणन

- कृषि विपणन निदेशालय – 1974

1.नए बाजार यार्डो की स्थापना :–

- मंडियों की संख्या – 173
- APMC अधिनियम के तहत निजी मंडी यार्डो व निजी e–उप मंडियों की स्थापना।
- 335 उप मंडी यार्ड

2. कृषक उपहार योजना –

- ई–नाम पोर्टल माध्यम से संचालित – जनवरी, 2022
- प्रत्येक 10,000 रू. की बिक्री पर – कूपन

3.सुधारों को अपनाना – APMC अधिनियम में संशोधन।

4.सहकारी विपणन संरचना:– 278 क्रय–विक्रय समितियाँ व फल–सब्जी विपणन समितियाँ।

5.राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2024 – 19 से 28 मई, 2024, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर

6.पशु मेलों का विस्तार: पहले 7 जिलों में आयोजित परन्तु अब 11 अतिरिक्त पशु मेलों के आयोजन की स्वीकृति

7.सहकारी उपभोक्ता संरचना :–

- उपभोक्ताओं को कालाबाजारी और बाजार में वस्तुओं की कृत्रिम कमी से बचाने हेतु।
- इस उद्देश्य के लिए, कुल 38 सहकारी थोक भंडार पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 33 जिला स्तर पर कार्यरत हैं।
- उपभोक्ता क्षेत्र में राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ (कॉनफैड) एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य कर रहा है।

कृषि सम्बन्ध क्षेत्र

- समृद्ध खेती के लिए पशुधन
- गोपालन
- मत्स्य पालन

समृद्ध खेती के लिए पशुधन

- यह कृषि की सहायक गतिविधि ही नहीं बल्कि एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है जो कि अभाव की स्थिति में कृषक को आजीविका सहायता प्रदान करता है।
- पशुगणना 2019 के अनुसार – 568.01 लाख पशुधन (देश का कुल 10.60%)
- देश का ≃ **84.43%** ऊंट
  ≃ **14%** बकरियां ≃ **10.64%** भेड़
  ≃ **12.47%** भैंस ≃ **7.24%** गौवंश
- राज्य का योगदान देश के (2022–23) – दुग्ध उत्पादन 14.44%
  – ऊन उत्पादन 47.98%

उत्पादन (2022–23)	दूध 33307 हजार टन	अण्डे 2761(दस लाख)	मांस 240 (हजार टन)	ऊन 161 (लाख किग्रा)

कुक्कुट विकास – 146.23 लाख
– प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर

❖ **पशुधन विकास :–**

- **उद्देश्य :–** विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के माध्यम से पशुओं के स्वास्थ्य, उतपादकता और कल्याण में सुधार करना।

1. पशु चिकित्सा ढांचागत सुधार – 500 नए पशु चिकित्सा उप–केन्द्रों को स्वीकृति, पशु चिकित्सा अस्पताल तथा चिकित्सा उप–केन्द्रों की स्थापना।
2. 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स (MVU) – 24 फरवरी 2024 से, 1962 टोल–फ्री नम्बर
3. खुरपका–मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम :– निःशुल्क व्यापक टीकाकरण अभियान (गाय और भैंस)
4. लिंग क्रमित वीर्य योजना :– नस्ल सुधार हेतु सब्सिडी 50% से बढ़ाकर 75%
5. पशुमित्र योजना :–
   उद्देश्य :– पशुपालन सेवाओं जैसे टैगिंग, टीकाकरण, बीमा कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार, गर्भावस्था परीक्षण आदि को किसानों के द्वार तक पहुँचाना।
6. ऊँट संरक्षण अनुदान–
   ऊँट पालकों को ₹10,000 की वित्तीय सहायता दो किस्तों में उपलब्ध कराता है
   (प्रत्येक बछड़े के लिए, जन्म के 0–2 महीने की आयु पर और फिर 1 वर्ष की आयु पर)

नवजात ऊँटों के लिए सहायता 10 हजार → 20 हजार कर दिया गया।

❖ **पशुधन किसान कल्याण पहल :–**

(1) **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) :– यह एक उद्यमिता विकास कार्यक्रम है।**
उद्देश्य – पशुपालकों को पशुपालन के क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने हेतु प्रेरित करना।

❖ **डेयरी विकास:–** सहकारी समितियों के माध्यम से क्रियान्वित

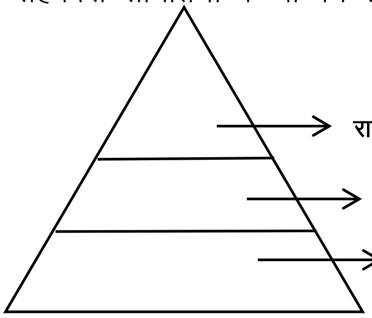

1. राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना :–

- 1 जनवरी, 2022 से लागू
- दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता पर 5 लाख एवं आंशिक स्थायी विकलांगता पर 2.5 लाख बीमा राशि का प्रावधान।
- **आठवाँ चरण** 1 फरवरी, 2024 से लागू।

2. सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना:–

- जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघो द्वारा दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया जाता है।

3. मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना :–

- 1 फरवरी, 2019 से प्रारम्भ
- 2 रु. से बढ़ाकर 5 रु. प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान राशि राजस्थान सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी। (2022–23 से)

4. **सक्रिय मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना:** राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, हैदराबाद के तहत राज्य के मत्स्य पालन गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों को दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान।

गोपालन

❖ **गौशाला विकास पहल**

(i) **गौशाला विकास योजना :–** पंजीकृत गौशालाओं के बुनियादी ढ़ांचे के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 10 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता **(राज्य:जनता = 90:10)**

(ii) **पंजीकृत गौशालाओं के लिए सहायता अनुदान :–** अनुत्पादक व बीमार गौवंश के लिए चारा, खाद्य और पानी की व्यवस्था हेतु वित्तीय सहायता।

- बड़े गौवंश = रु. 44 प्रतिदिन
- छोटे गौवंश = रु. 22 प्रतिदिन

(iii) **गौकाष्ठ मशीन योजना:–** बजट 2024–25
राज्य : जनता = 80:20

(iv) गोपालन विभाग

- **स्थापना** – 13 मार्च 2014
- **उद्देश्य :–** राज्य में मवेशियों की देशी नस्लों के प्रसार संरक्षण और विकास के लिए कार्यक्रम।
26 जनवरी, 2025 को सर्वश्रेष्ठ गौशालाओं को मान्यता पुरस्कार प्रदान किए गए।

आवारा/ निराश्रित मवेशियों की समस्या के समाधान

- पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला जन सहभागिता योजना

(i) ग्राम गौशाला/पशु आश्रय स्थल जनसहभागिता योजना–
- गौशाला की अनुमानित लागत 1 करोड़ रु
- वित्तीय अनुपात 90:10

अन्य पहल

- गौशालाओं को वध/तस्करी से बचाए गए मवेशियों के लिए अनुदान सहायता→ 1 वर्ष तक।
- गौ उत्पाद प्रसंस्करण– नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम → जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और पाली में
- ई–न्यूजलेटर 'गोपालक वाणी'– वर्ष 2024–25 से गोपालन योजनाओं, गौशाला प्रबंधन और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मवेशी आधारित अर्थव्यवस्था में हो रहे है नवाचारों की जानकारी हेतु ।

जलीय कृषि और मत्स्य पालन विकास

- **उद्देश्य** :–
  - सस्ता व प्रोटीन युक्त आहार
  - जल संसाधन उपयोग से विकास को बढ़ावा देना
  - ग्रामीण एवं वंचित वर्गों को रोजगार उपलब्ध करवाना।

राज्य में जल की उपलब्धता

- जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान देश में 10वें स्थान पर है।
- जल क्षेत्र = 4.30 LH

  बड़े और मध्यम जलाशय = 3.36 LH

  छोटे तालाब व टैंक = 0.94 LH

➢ **योजनाएँ** –

- '**प्रधानमंत्री मत्स्य सपंदा योजना (PMMSY)** :– वर्ष 2020–21

  PMMSY नीली क्रांति योजना के सभी आयामों को सामाहित करते हुए इसके उद्देश्य –
  - मत्स्य उत्पादन बढ़ाना।
  - मत्स्य पालन हेतु बुनियादी ढाँचा विकसित करना।
  - मत्स्य किसानों/मछुआरों की आजीविका बढ़ाना।
- **खारें पानी की जलीय कृषि प्रयोगशाला – चूरु**

  उद्देश्य – शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों (खारे पानी) में जलीय कृषि संभावना को बढ़ावा देना।

किसानों और कृषि श्रमिकों का कल्याण

किसान और कृषि श्रमिकों के लिए कल्याणकारी पहल मुख्यतः दो कारणों से आवश्यक है :–

A. इससे आर्थिक स्थिरता को प्राप्त, जिससे किसानों को वित्तीय सहायता व समर्थन सेवाएँ प्राप्त, जो उनकी आय को स्थिर करती है → जिससे किसान बेहतर कृषि पद्धतियों और तकनीकों में निवेश↑ → उत्पादकता बढ़ेगी → टिकाऊ कृषि को बढ़ावा।

B. यह कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में हाशिए पर मौजूद समूहों, जैसे छोटे किसान और भूमिहीन श्रमिकों को सशक्त बनाते हैं। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच प्रदान की जाती है, जो उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए आवश्यक है।

- **मुख्य पहले/ योजनाएँ** –

1. **मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना :–**
   - घोषणा– बजट 2024–25
   - राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले किसानों को प्रति वर्ष ₹2,000 (बजट 2025–26 में प्रतिवर्ष ₹3,000) की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

2. **PM किसान पोर्टल :–**
   - राजस्थान सरकार के "सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग" द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत पंजीकरण एवं सत्यापन हेतु '**किसान सेवा पोर्टल**' की शुरुआत की गई। (2019–2021 तक)
   - 'किसान सेवा पोर्टल' के बाद भारत सरकार द्वारा 'PM किसान पोर्टल' शुरू किया गया ।
     - PM किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत किसानों को लाभ प्राप्त करने में राजस्थान प्रथम स्थान पर है।

3. **लघु और सीमांत वृद्ध किसानों के लिए सम्मान पेंशन योजना :–**

किसान	**आयु**	**पेंशन**
पुरुष	58 वर्ष +	₹1,150 प्रति माह
महिला	55 वर्ष +	

4. **राजस्थान कृषक समर्थन योजना :–** राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर प्रति क्विंटल ₹125 की दर से भुगतान।
5. **न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदः–** राज्य में 459 खरीद केंद्रों पर रबी विपणन मौसम 2024–25 (10 मार्च, 2024 से 30 जून, 2024) के दौरान।
6. **राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना :–** 30 नवम्बर, 2018 तक के बकाया सभी लघु अवधि के फसली ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया।
7. **समेकित बाल विकास योजना के तहत पूरक पोषण सामग्री की आपूर्ति :–**
   - महिला एवं बाल विकास विभाग
   - उद्देश्य :– व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से आंगनबाड़ी केन्द्रों को पूरक पोषण सामग्री की आपूर्ति हेतु।

8. किसान कलेवा योजना :– जनवरी 2014

- **उद्देश्य–** किसानों को 'सुपर' ए और बी श्रेणी की कृषि उपज मंडी समितियों। राज्य की सभी अन्य वित्तीय रूप से सक्षम मण्डियों (फलों व सब्जी मण्डी को छोडकर) में अनुदानित दरों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन 5 रु. उपलब्ध करवाना।

9. महिला प्रशिक्षण –

- ग्राम पंचायत स्तर पर महिला कृषकों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण।
- 30 महिला कृषकों को प्रति प्रशिक्षण हेतु सहायता राशि ₹3000 देने का प्रावधान।

10. कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि –

उच्च माध्यमिक (कृषि)	प्रतिवर्ष ₹ 15000 प्रति छात्रा
स्नातक & स्नातकोत्तर (कृषि)	प्रतिवर्ष ₹ 25000 प्रति छात्रा
P.H.D	40000 ₹ प्रति छात्रा

11. मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना 2009 से प्रारम्भ

- कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाने पर ₹ 2 लाख ।
- **लाभार्थी–** कृषकों, खेतिहर मजदूरों, हमालों

12. महात्मा ज्योतिबा फुले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना – 2015

विशेषताएँ –

(1) **प्रसूति सहायता –** दो प्रसूति अवधि हेतु 45 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि।

(2) **विवाह सहायता –** महिला श्रमिक को स्वयं के विवाह के लिए ₹ 50 हजार।
–दो पुत्रियों तक के विवाह के लिए ₹ 50 हजार।

(3) **छात्रवृत्ति –** श्रमिकों के पुत्र–पुत्रियों को 60% से अधिक अंक लाने पर।

(4) **चिकित्सा सहायता –** गम्भीर बीमारी पर → अधिकतम ₹ 20 हजार।

(5) **पितृत्व अवकाश –** 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि।

UNIT - 5 निवेश में वृद्धि : खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र का त्वरित विकास

''उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जिसमें कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है।''

e.g. लुगदी कागज → कागज → पुस्तक

- राजस्थान में उद्योग
  - अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान/स्थिति
  - औद्योगिक
    - संस्थाएँ
    - प्रमुख घटक

राजस्थान में उद्योग की स्थिति – अर्थव्यवस्था में योगदान

उद्योग क्षेत्र	**स्थिर कीमतों पर**	**प्रचलित कीमतों पर**
GSVA	2.33 लाख करोड़	4.26 लाख करोड़
GSVA में योगदान	28.39%	27.16%
वृद्धि	5.77%	7.88%
CAGR	4.22%	9.17%

उद्योग के उप–क्षेत्र	**प्रचलित कीमतों पर (अनुमानित) योगदान**	**स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर** (%)
विनिर्माण	42.62%	4.68
निर्माण	34.88%	8.60
खनन	12.15%	3.59
विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य	10.35%	5.51

उद्योग के प्रकार

- पूँजी के आधार
  - लघु
  - वृहत
  - कुटीर
  - ग्रामोद्योग
- स्वामित्व
  - सार्वजनिक
  - निजी
  - सहकारी
- कच्चे माल के आधार
  - कृषि → सूती वस्त्र
  - खनिज → सीमेंट
  - वनोत्पाद → कागज
  - पशुपालन → डेयरी

कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज – (आधारभूत उद्योग)

- भारत में 8 Core Industries – इनका कुल भारांश – 40.27%
- वर्ष 2023-24 में सामान्य सूचकांक– 153.77
- आठ प्रमुख क्षेत्र के उद्योग उनके भारांश के घटते क्रम में– रिफाइनरी उत्पाद > विद्युत > स्टील > कोयला > क्रूड ऑयल > प्राकृतिक गैस > सीमेंट > उर्वरक
- यह आठ प्रमुख क्षेत्र के उद्योग है जो सभी उद्योगों को प्रभावित करते है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)–

- एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों की गणना के लिए 'उद्योग उत्पादन सूचकांक' को देखा जाता है।
- आधार वर्ष – 2011-12
- संकलन – मासिक आधार पर
- यह सूचकांक तीन वृहद् समूहों पर आधारित है।

क्षेत्र	विनिर्माण	खनन	विद्युत
भारांश	77%	14%	8%
IIP – (नवम्बर, 2024)	180.47	97.60	176.69 (सामान्य सूचकांक = 157.31)

औद्योगिक विकास के लिए संस्थाएँ

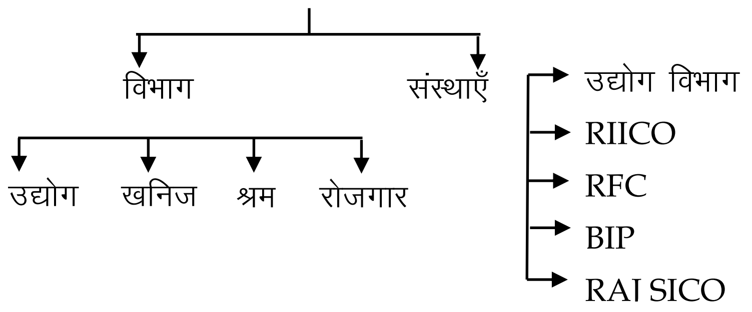

संस्थाएँ

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

- **स्थापना** – 1949
- नाम परिवर्तित– उद्योग एवं वाणिज्य विभाग (19 Aug. 2019 को)
- इस नोडल विभाग के नेतृत्व में कई संस्थाओं के माध्यम से राज्य में उद्योग, हस्तशिल्प को मार्गदर्शन सहायता व सुविधाएँ प्रदान की जाती है।

1. **निवेश संवर्धन ब्यूरो (B.I.P.)**
   - 1991 में स्थापना
   - बड़े निवेश प्रस्तावों को सुविधा हेतु

- BIP निम्न के सचिवालय के रूप में कार्य करता है–
  - बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट (अध्यक्ष– C.M.)
  - स्टेट एम्पावर्ड कमेटी (अध्यक्ष–मुख्य सचिव) (10 करोड़ से अधिक निवेश)

2. RIICO (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड) :

- 1980 में स्थापना
- राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है।

उद्देश्य

- **वित्तीय सहायता** → लघु मध्यम व वृहद उद्योगों को रियायतें व प्रोत्साहन
- **तकनीकी / प्रबंधकीय**
- **आधारभूत विकास** → औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना

3. RAJSICO (राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड)

- स्थापना – जून, 1961
- मुख्यालय– जयपुर

उद्देश्य →
- हस्तशिल्प उत्थान एवं बढ़ावा
- तकनीकी सुविधा
- लघु उद्योगों को ऋण
- विपणन सहायता

4. राजस्थान वित्त निगम (RFC)–

- स्थापना– 1955
- उद्देश्य– MSME इकाईयों को वित्तीय सहायता (20 करोड़ रु.) प्रदान।
- कार्य – निगम द्वारा उद्यम आवश्यकता अनुसार ऋण वितरण।

औद्योगिक विकास हेतु प्रमुख घटक

आधारभूत संरचना का विकास
- राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम, 2016
- जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जे.पी.एम.आई.ए.)
- खुशखेड़ा–भिवाडी–नीमराना निवेश क्षेत्र (के.बी.एन.आई.आर.)
- औद्योगिक पार्क और विशेष निवेश क्षेत्र
- मेड टेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क
- इंटिग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क
- एग्रो फूड पार्क
- स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉयज जोन
- अन्य आधारभूत संरचना विकास

कनेक्टिविटी
- दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर
- वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

एम.एस.एम.ई.
- राजस्थान एम.एस.एम.ई. नीति 2024
- राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेबलिशमेंट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम–2019
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पंजीकरण
- एकीकृत क्लस्टर विकास योजना
- लघु विकास केंद्र और सूक्ष्म लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एम.एस.ई.–सी.डी.पी.) योजना
- पी.एम. विश्वकर्मा योजना
- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (एम.एल.यू.पी.वाई)
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना
- मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना

वित्तीय सहायता
- दीर्घकालिक ऋण और प्रोत्साहन
- औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का उन्नयन
- राजस्थान वित्त निगम
- युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना

विपणन सहायता
- राजस्थली आउटलेट्स
- लघु उद्योगों को उत्पादों की आपूर्ति करके सहायता
- खादी और ग्रामोद्योग को बढावा
- राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ई.ओ.डी.बी.)
- राज निवेश पोर्टल
- रीको ई.ओ.डी.बी. पहल
- विवाद एवं निवारण तन्त्र (डी.आर.एम.)
- व्यापार सुधार कार्य योजनाएँ

निर्यात
- राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024
- एक जिला एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी.)
- राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड
- निर्यात प्रोत्साहन प्रशिक्षण

अन्य पहल
- राजस्थान फाउण्डेशन
- औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन
- साझेदारी फर्मों का पंजीयन
- कारखाना एवं बॉयलर्स

खनन
- राजस्थान में खनन क्षेत्र
- राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट
- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (आर.एस.एम.एम.एल.)
- गहन खनिज सर्वेक्षण
- जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डी.एम.एफ.टी.)

तेल और प्राकृतिक गैस
- कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, उत्पादन एवं विकास
- राजस्थान रिफाइनरी परियोजना

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 (आर.आई.पी.एस.)

यह योजना विनिर्माण, सेवाएँ, एम.एस.एम.ई., स्टार्ट–अप, अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी), ग्लोबल कैपेबिलिटी सेन्टर्स (जी.सी.सी.), औद्योगिक अवसंरचना एवं निर्यात संवर्द्धन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केन्द्रित है, जिससे राजस्थान को औद्योगीकरण में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके।

8 अक्टूबर 2024 को लॉन्च

उद्देश्य : राज्य में सतत् आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना

औद्योगिक विकास नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता और हरित विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित

वर्ष 2024-25 के दौरान दिसम्बर, 2024 तक कुल रु. 36,344.45 करोड़ के निवेश प्रस्तावों वाली 410 इकाईयों हेतु पात्रता प्रणाम पत्र जारी

विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत संपति सृजन हेतु प्रोत्साहन

विनिर्माण क्षेत्र में ₹50 करोड़ से अधिक तथा सेवा क्षेत्र में ₹25 करोड़ (पर्यटन क्षेत्र के लिए ₹10 करोड़) से अधिक निवेश पर 7 वर्षों तक राज्य करों पर 75 प्रतिशत निवेश सब्सिडी दी जाएगी।

अथवा

वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने के 10 वर्ष पश्चात पूंजीगत सब्सिडी अथवा टर्नओवर से जुड़े प्रोत्साहन दिए जाते हैं। अतिरिक्त प्रोत्साहनों में विनिर्माण के लिए नियोक्ता बूस्टर (10–15 प्रतिशत) और थ्रस्ट बूस्टर (10 प्रतिशत) तथा रीजनल/सेक्टोरल एंकर इकाइयों हेतु एंकर बूस्टर (20 प्रतिशत) शामिल हैं।

प्रमुख छूटों में 7 वर्षों हेतु विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत छूट, मंडी/बाजार शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, स्टांप शुल्क एवं रूपांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट शामिल हैं।

क्षेत्र–संचालित प्रोत्साहन :– आर.आई.पी.एस. 2024 तीन स्तरों पर प्रोत्साहन प्रदान करता है, जो कि क्षेत्र, राज्य प्राथमिकताओं और निवेशक के लचीलेपन पर आधारित है, जिसमें 7 मानक पैकेज (विनिर्माण, सेवाएं, एम.एस.एम.ई., स्टार्ट–अप, औद्योगिक अवसंरचना, अनुसंधान एवं विकास, जी.सी.सी. और परीक्षण प्रयोगशालाएं) और 3 राज्य प्राथमिकताएं (हरित विकास, निर्यात संवर्धन और क्षमता वर्द्धन) शामिल हैं।

कस्टमाइज प्रोत्साहन :– प्लेटिनम पैकेज के रूप में ₹3,000 करोड़ से अधिक के निवेश पर वार्षिक प्रोत्साहन सीमा में छूट।

मानक विनिर्माण और सेवा प्रोत्साहन :– इसमें 7 वर्षों के लिए राज्य करों का 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति या 10 वर्षों के लिए पूंजीगत सब्सिडी (विनिर्माण के लिए 13–28 प्रतिशत, सेवाओं के लिए 10–20 प्रतिशत) और टर्नओवर–लिंक्ड प्रोत्साहन (विनिर्माण के लिए 1.2–2.0 प्रतिशत, सेवाओं के लिए 1.0–1.4 प्रतिशत) शामिल हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु प्रोत्साहन :– इसमें न्यूनतम निवेश आवश्यक नहीं है, इसमें 7 वर्षों हेतु 3–6 प्रतिशत ब्याज अनुदान, 10 वर्षों के लिए 75 प्रतिशत एस.जी.एस. टी. प्रतिपूर्ति तथा रोजगार सृजन और पूंजी जुटाने के लिए विशेष सब्सिडी शामिल है।

औद्योगिक अवसंरचना प्रोत्साहन :– विस्तृत कवरेज में वेयरहाउस, मल्टी मॉडल लॉजिस्टीक पार्क्स (एम.एम.एल.पी.) और कंटेनर फ्रेट स्टेशनों को सम्मिलित किया गया है।

स्टार्ट–अप प्रोत्साहन :– व्यवसाय इनक्यूबेशन और महिला–नेतृत्व वाले स्टार्ट–अप हेतु 2 वर्षों तक 100 प्रतिशत एस.जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति।

छूट :– विद्युत शुल्क में 7 वर्ष हेतु 100 प्रतिशत छूट, मंडी शुल्क में 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति तथा स्टांप ड्यूटी/रूपांतरण शुल्क पर 75 प्रतिशत छूट के साथ ही 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति।

नवीन क्षेत्र :– एयरो एण्ड स्पेस, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, कृषि तकनीक, अपशिष्ट पुनर्चक्रण तथा उच्च शिक्षा एवं कौशल जैसे प्रमुख क्षेत्रों हेतु प्रोत्साहन ।

नई पहल :– पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं, महिला नेतृत्व वाले स्टार्ट–अप रुग्ण इकाइयों, क्लस्टरों और विद्युत गहन क्षेत्रों हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन ।

राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट –

- **आयोजन** – 9-11 दिसम्बर, 2024 को JECC, सितापुरा, जयपुर में।
- **उद्देश्य** – राजस्थान को वैश्विक निवेश, तकनीकी नवाचार और सतत् विकास का केन्द्र बनाना।
- **थीम** – Replete, Responsible, Ready (पूर्ण, जिम्मेदार, तैयार)
- इस शिखर सम्मेलन में 32 देशों ने भाग लिया जिनमें से 17 देश भागीदार देश के रूप में सम्मिलित हुए।
- **परिणाम** –देशों के प्रतिनिधियों और 20,000 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया।
  –13 विशेष सत्र आयोजित जिसमें ऊर्जा, टेक्सटाइल व अन्य क्षेत्रों पर चर्चा।
  –प्रवासी राजस्थानियों का योगदान।
  –कुल रूपये 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। (सर्वाधिक ऊर्जा क्षेत्र में)

समिट में विभिन्न कॉन्क्लेव व एक्सपो का आयोजन।

- **प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव :–** प्रवासी नागरिकों को अपने गृह राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु।
- **एम.एस.एम.ई. कॉन्क्लेव :–** राज्य की अर्थव्यवस्था में लघु एवं मध्यम उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने हेतु।
- **राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपों :–** राजस्थानी थीम पवेलियन राष्ट्रीय पवेलियन प्रमुख कम्पनियों आदि द्वारा राज्य की औद्योगिक क्षमताओं और सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत किया।
- समिट की तैयारी के दौरान निवेश को आकर्षित करने एवं राज्य की नवाचार नीतियों को बढ़ावा देने के लिए 8 अन्तरराष्ट्रीय, 2 राष्ट्रीय और 8 विभागीय प्री समिट और जिला निवेशक बैठकों का आयोजन किया गया।

आधारभूत संरचना का विकास

- वर्तमान में 36 जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों के साथ–साथ 8 उप–केन्द्र उद्यमियों को सहायता प्रदान कर रहें हैं
- वर्ष 2024-25 (दिसम्बर, 2024 तक) में रीको द्वारा 5 नए औद्योगिक क्षेत्र यथाः (i) चडुआल, (आबूरोड) सिरोही (ii) बोरानाड़ा विस्तार (बोरानाडा) जोधपुर (iii) माथासुला द्वितीय चरण (जयपुर) (iv) गणेश्वर (सीकर) (v) मूरडा (राजसमंद) विकसित किए हैं।
- रीको द्वारा 424 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किय जा चुके।

प्रमुख पहले/योजनाएँ :–

1. **राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र (एस.आई.आर.) अधिनियम, 2016**

- सम्पूर्ण राज्य एवं डी.एम.आई.सी. क्षेत्र में विशेष निवेश क्षेत्रों के नियोजित एवं व्यवस्थित विकास हेतु "राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम–2016" के नाम से एक विशेष कानून 26 अप्रैल, 2016 को अधिसूचित किया गया।
- राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र के विकास की निगरानी हेतु राज्य स्तरीय "राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड" का गठन किया गया हैं।
- इस कानून के तहत विभिन्न बोर्ड एवं SIR (विशेष निवेश क्षेत्र) घोषित किये गए है जिससे औद्योगीकरण को बढ़ावा मिल सके, जो निम्नलिखित है –

(i) **"भिवाड़ी एकीकृत टाउनशिप (बी.आई.टी.)"**

- इसको एस.आई.आर. घोषित किया गया।
- "भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण" (बी.आई.डी.ए.) – 22 फरवरी, 2018 को की गई।
- इसमें अलवर जिले के 363 गांवों को शामिल किया गया था वर्तमान में 321 गाँव शामिल।
- शेष 43 गांवों को अलग कर के के.बी.एन.आई.आर.एस.आई.आर.के. रूप में नामित किया गया।

(ii) **जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (JPMIA)**

- पाली जिले के 9 गाँव सम्मिलित करते हुए लगभग 154 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है।
- इसे विशेष निवेश क्षेत्र (SIR) घोषित किया गया।
- रीको को JPMIA की जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसे JPMIA विकास प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया।

(iii) **खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र (KBNIR)**

- 165 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जिसमें पूर्ववर्ती अलवर जिले के 43 गांव शामिल हैं।
- 28 दिसंबर, 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र (SIR) घोषित किया गया।
- इसी अधिसूचना में रीको को KBNIR विकास प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया।

2. **औद्योगिक पार्क्स एवं विशेष निवेश क्षेत्र**

(i) **रीको के विशेष पार्क/जोन**

- **इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क** – जयपुर के जमवारामगढ़ के थौलाई औद्योगिक क्षेत्र में।
  - प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु।
- **स्पोर्टस गुड्स और टॉयज जोन** :– खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी II में
- **"जेम्स बोर्स"** :– जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में – रत्न एवं आभूषण के क्षेत्र को बढ़ावा देना।
- **सोलर पैनल निर्माण पार्क** :– जोधपुर के काकाणी औद्योगिक क्षेत्र में
- **हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क** :– जोधपुर के बोरानाडा
- **यूनिटी मॉल परियोजना** :– जयपुर में फिनटेक पार्क
- **मेड टेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क–(बोरानाड़ा) जोधपुर।**

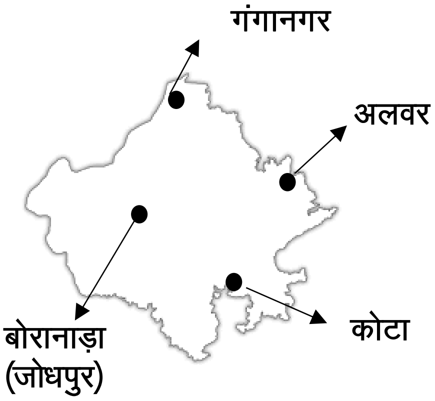

एग्रो फूड पार्क (4)

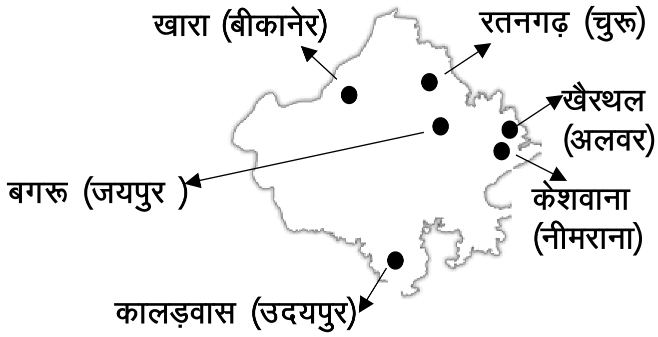

अग्निशमन केन्द्र – 6

- **एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग जोन**–तिंवरी औद्योगिक क्षेत्र (जोधपुर)
- **विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) -**
  - ✓ जेम्स एण्ड ज्वैलरी सीतापुरा, जयपुर।
  - ✓ महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) – संयुक्त उद्यम – रीको + महिन्द्रा ग्रुप

- **इंडिया स्टोन मार्ट – 2024**
  - ✓ अन्तर्राष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी।
  - ✓ **1-4** फरवरी **2024** तक (**12**वां संस्करण)
  - ✓ जयपुर एक्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर, सीतापुरा।
  - ✓ आयोजन – **CDOS** (सेंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ स्टॉन्स्) और **FICCI** के द्वारा

► **राजस्थान लघु उद्योग निगम (RAJSICO) :- द्वारा अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास**

- कार्य –

(A) शुष्क बन्दरगाह (इनलैण्ड कंटेनर डिपो **I.C.D.**) →
- जयपुर } आयात–निर्यात सुविधा
- जोधपुर } आयात–निर्यात सुविधा
- भीलवाड़ा

(B) एयर कार्गो कॉपलेक्स – सांगानेर (जयपुर)।

(C) PM गति शक्ति के तहत ICD बासनी (जोधपुर) का सालावास (जोधपुर) तक विस्तारीकरण।
- ✓ ICDमानसरोवर (जयपुर) में – एयर कार्गो कॉम्पलेक्स का निर्माण

कनेक्टिविटी

1. **वैस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर**

   उद्देश्य– देश के पश्चिमी हिस्से में माल परिवहन को बेहतर बनाना है।

   विशेषताएँ –

   (i) भारत की अपने रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाना।

   (ii) दादरी (उत्तर प्रदेश) एवं जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह (मुंबई) के मध्य माल परिवहन गलियारा का निर्माण

   (iii) कुल लंबाई 1,504 किलोमीटर। राजस्थान से 38 प्रतिशत हिस्सा गुजरता है।

   (iv) सहायता – जापान

2. **दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर**

   - उद्देश्य– भारत के दो प्रमुख शहरों दिल्ली (राजधानी) और मुंबई (वित्तीय राजधानी) के मध्य एक आधुनिक औद्योगिक केंद्र बनाना है।
   - इससे आर्थिक विकास तीव्र होने, लाखों रोजगार सृजित होने और भारत की विनिर्माण एवं निर्यात क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है।
   - इसके दोनों तरफ 150 कि.मी. की पट्टी को DMIC के रूप मे विकसित किया जायेगा, जिसमें राजस्थान में –

निवेश क्षेत्र (2)

(i) अजमेर – किशनगढ़

(ii) खुशखेड़ा – भिवाड़ी – नीमराना निवेश क्षेत्र (के.बी.एन.आई.आर)

↓

28 Dec. 2020 को 'विशेष निवेश क्षेत्र' के रूप में अधिसूचित

औद्योगिक क्षेत्र (3)

(i) जयपुर – दौसा औद्योगिक क्षेत्र

(ii) राजसमंद – भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र

(iii) जोधपुर – पाली – मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र

↓

12 Oct. 2020 को 'विशेष निवेश क्षेत्र' के रूप में अधिसूचित

- **राजस्थान में** DMIC **का प्रथम चरण :–**

  (A) **खुशखेड़ा – भिवाड़ी – नीमराना निवेश क्षेत्र** (165 कि.मी²)

  (B) **जोधपुर–पाली – मारवाड औद्योगिक क्षेत्र** (154 कि.मी²)

  इनके विकास हेतु एक ''संयुक्त स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी'' – राजस्थान इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट कॉपरपोरेशन (RIDCO) **की स्थापना** – 15 **मार्च,** 2022

MSME

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम (MSME)

नई परिभाषा (1 जुलाई, 2020 से)

	सूक्ष्म	**लघु**	**मध्यम**
निवेश	1 करोड़	10 करोड़	50 करोड
टर्नऑवर	5 करोड़	50 करोड़	250 करोड़

❖ **उद्यमियों की सुविधा हेतु स्थापित किए गए है–**

- MSME Act 2006 के तहत विलम्बित भुगतान निस्तारण हेतु 14 की जगह 17 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सुविधा परिषदों का गठन ।
- MSME निवेशक सुविधा केन्द्र – सभी जिला केन्द्रों में

MSME के प्रोत्साहन के लिए योजनाएँ :– MSME मंत्रालय द्वारा

A. MSME उद्यमी रजिस्ट्रेशन हेतु–

- 1 जुलाई 2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल
- https://udyamregistration.gov.in

B. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना–

- 13 दिसम्बर, 2019
- **उद्देश्य :–** विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्रों में नए उद्यम स्थापित करने तथा मौजूदा उद्यमों का विस्तार करने हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध करवाना।

ऋण राशि	**ब्याज सब्सिडी**
रु. 25 लाख तक	8%
रु. 5 करोड़ तक	6%
रु. 10 करोड़ तक	5%

C. राजस्थान MSME (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेबलिश एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम 2019–

- 17 जुलाई 2019 से लागू
- MSME इकाई को नोड़ल एजेंसी (BIP) को डिक्लेरेशन ऑफ इन्टेंट प्रस्तुत करने पर 'पावती प्रमाण पत्र' (5 साल तक राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से छूट) जारी किया जा सकता है।
- वेब पोर्टल– राज उद्योग मित्र (https://rajudyogmitra.rajasthan.gov.in)

D. डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना – 2022

- प्रारम्भ – 8 सितम्बर, 2022 को
- उद्देश्य – SC/ST वर्गों को गैर कृषि क्षेत्रों में उद्यम ऋण पर ब्याज अनुदान

ऋण राशि	ब्याज अनुदान	उद्यम लागत का 25% या रु. 25 लाख अनुदान राशि देय होगी। (जो भी कम हो)
रु. 25 लाख तक	9%	
रु. 25 लाख – 5 करोड़	7%	
रु. 5 करोड़ – 10 करोड़	6%	

E. मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना –

- अधिसूचित – 19 मई 2023
- लागू – 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024
- विस्तारित – 31 जुलाई 2024
- उद्देश्य – नए उद्यम हेतु ऋण पर ब्याज अनुदान
- योग्यता – 18-35 वर्ष , न्यूनतम स्नातक शिक्षित

राशि	ब्याज अनुदान
रु. 25 लाख तक	8%
रु. 25 लाख – 1 करोड़	6%

- पुरूष उद्यमियों को 10% तथा महिला उद्यमियों को 15% (अधिकतम रु. 5 लाख) एक मुश्त मार्जिन मनी अनुदान।

F. राजस्थान एम.एस.एम.ई. नीति 2024

(MSME नीति – 2022 को प्रतिस्थापित कर)

- **उद्देश्य –**
  - →MSME क्षेत्र के संतुलित और समावेशी विकास के माध्यम से राजस्थान में आर्थिक और सामाजिक सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देना
  - →ऐसा वातावरण बनाना है जो राजस्थान में MSME को उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने में सक्षम बनाए।
- **लक्ष्य** – वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और स्थानीय रूप से प्रासंगिक MSME पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सहयोग करना।
- नीति 31 मार्च, 2029 तक प्रभावी रहेगी ।
- इसे राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त प्रोत्साहनों हेतु एक 'वन स्टॉप शॉप' समाधान के रूप में तैयार किया गया है, जो लाभ और सहायता प्राप्त करने में सुलभ पहुँच को सुनिश्चित करता है।
- **नीति में मुख्य प्रावधान**
  - नई MSME की स्थापना और मौजूदा MSME इकाइयों के विस्तार के लिए, RIPS–2024 के तहत ₹50 करोड़ तक की ऋण राशि पर ब्याज सब्सिडी (चयनित इकाइयों के लिए 2 प्रतिशत तक की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी)।
- लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों द्वारा NSE/BSE एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से इक्विटी पूंजी जुटाने हेतु ₹15 लाख तक की एकमुश्त सहायता।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए, सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों से उन्नत प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय का 50 प्रतिशत (₹5 लाख तक) राशि सहायता।

- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रमाणन और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय का 50 प्रतिशत (अधिकतम ₹3 लाख) की सहायता प्रतिपूर्ति ।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेकर MSME उत्पादों के विपणन के लिए, स्टॉल किराए और दो व्यक्तियों के यात्रा व्यय के लिए 75 प्रतिशत सहायता (अधिकतम ₹1.5 लाख)।
- उद्यमों के डिजिटलीकरण के लिए किए गए व्यय का 75 प्रतिशत (अधिकतम ₹50,000) प्रतिपूर्ति प्रदान।
- ई–कॉमर्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म शुल्क का 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹50,000)।

G. एकीकृत क्लस्टर विकास योजना

- **प्रारम्भ** – 8 दिसंबर, 2024 (योजना 31 मार्च, 2029 तक प्रभावी)
- **उद्देश्य** – राजस्थान में हस्तशिल्प, हथकरघा और MSME क्लस्टरों की उत्पादकता, गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाना।
- **प्रारंभिक लक्ष्य** – 15 क्लस्टरों को विकसित करना ।
- **एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के प्रमुख घटक :**

1. राज्य सरकार द्वारा कारीगर/शिल्पकार/बुनकर क्लस्टरों को सहायता :–

- **सॉफ्ट इंटरवेंशन** : कौशल विकास, डिजायन, पैकेजिंग, विपणन आदि हेतु प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट्स, गुणवत्ता प्रमाणन आदि जैसे क्षमता निर्माण पहलों हेतु ₹50 लाख तक की सहायता।
- **कच्चे माल के डिपो का संचालन** : किफायती दरों पर कच्चा माल उपलब्ध कराने हेतु कच्चे माल के डिपो की स्थापना एवं संचालन के लिए टर्म/कॉम्पोजिट लोन पर 8 प्रतिशत तक की ब्याज उपार्जन सहायता।
- **ई–कॉमर्स के माध्यम से विपणन प्रोत्साहन** : कारीगरों/शिल्पकारों/बुनकरों को ई–कॉमर्स के माध्यम से उत्पन्न कुल वार्षिक बिक्री पर ₹50,000 तक का एकमुश्त प्रोत्साहन ।

2. कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स (सी.एफ.सी.) की स्थापना हेतु सहायता (सामान्य परीक्षण/पैकेजिंग/प्रसंस्करण/रिसाइक्लिंग आदि सुविधाओं हेतु) :

- केंद्र सरकार के क्लस्टर विकास कार्यक्रमों में उनके दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- **सी.एफ.सी. की स्थापना हेतु राज्य सहायता :** सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की सामान्य चुनौतियों के समाधान के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स की स्थापना हेतु ₹10 करोड़ तक की परियोजना लागत का अधिकतम 90 प्रतिशत तक की सहायता।

3. आधारभूत संरचना के विकास हेतु एम.एस.एम.ई. समूहों को राज्य सहायता

- गैर–रीको औद्योगिक क्षेत्रों में मौजूदा MSME क्लस्टरों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु ₹10 करोड़ तक की परियोजना लागत पर अधिकतम 80 प्रतिशत तक की सहायता।
- गैर–रीको औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड MSME क्लस्टरों के विकास हेतु परियोजना लागत का 60 प्रतिशत (अधिकतम ₹5 करोड़ तक) तक की सहायता।

H. लघु विकास केन्द्र और सूक्ष्म लघु उद्यम–कलस्टर विकास कार्यक्रम (एम.एस.ई.–सी.डी.पी.) योजना

उद्देश्य – ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में लघु उद्योगों, लघु विकास केन्द्र और सूक्ष्म लघु उद्यमों के विकास के लिए एकीकृत बुनियादी ढाँचा प्रदान करना।

I. पीएम विश्वकर्मा योजना

उद्देश्य :– कारीगरों के कौशल, आय, वित्तीय सुरक्षा में सुधार करना और डिजिटल व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित करना है।

- इस योजना में बढ़ईगीरी, लोहार, मिट्टी के बर्तन, सिलाई और अन्य सहित 18 ट्रेड शामिल हैं।

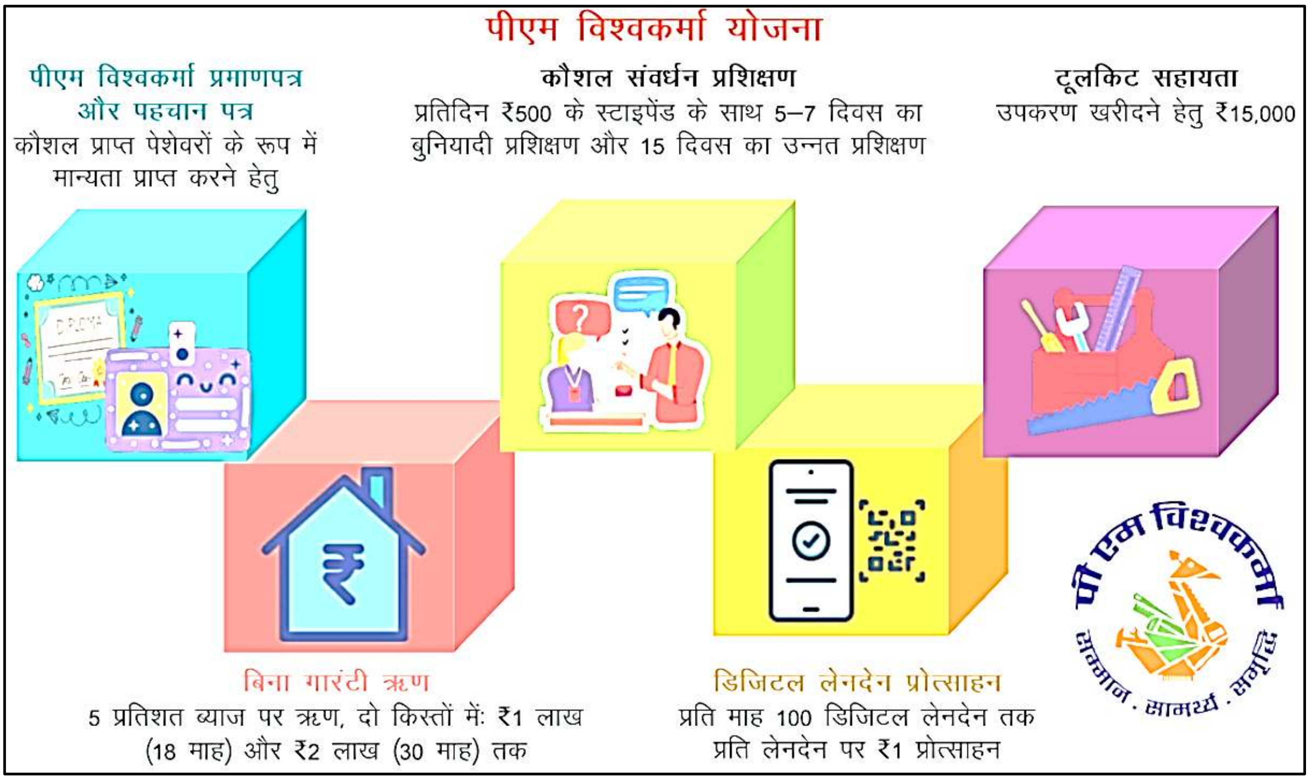

वित्तीय सहायता

1. भारत सरकार ने "रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी के औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के उन्नयन" परियोजना के कार्यान्वयन हेतु ₹146 करोड़ की विशेष सहायता प्रदान की है।
2. राजस्थान वित्त निगम (आर.एफ.सी.) द्वारा ऋण प्रदान।
3. युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना :–
   - 2023-24 में प्रारम्भ
   - उद्देश्य – औद्योगिकीकरण में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना।
     1,000 इकाइयों को वित्तपोषित करना।
   - 45 वर्ष तक के युवा को लाभ
   - रु.2 करोड़ रुपयें तक की ऋण सीमा पर 6% ब्याज अनुदान

विपणन सहायता

1. राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (आर.एस.आई.सी.) – राजस्थली विक्रय केन्द्र– जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, कोलकाता में हस्तशिल्प वस्तुओं का विपणन करता है।
2. खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने 2 अक्टूबर, 2024 से 30 जनवरी, 2025 तक खादी वस्त्रों पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई
3. जयपुर के शिल्पग्राम में एक संभाग स्तरीय कार्यक्रम एवं नवंबर, 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आई. आई.टी.एफ.) दिल्ली में भागीदारी सहित प्रदर्शनियों के माध्यम से खादी को बढ़ावा दिया गया।

4. **अन्तरराष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर सहायता योजना :–**
    - शुरूआत – 2012-13
    - विस्तारित – मार्च – 2025 तक
    - क्रियान्वन – राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद् REPC
    - विदेशों में मेले आयोजन पर भाग लेने हेतु

भूमि किराये पर 50% तक पुनर्भरण (अधिकतम 1 लाख रूपये)	राज्य प्रतिनिधिमण्डल को 10 लाख रूपये का आवंटन

ईज़ ऑफ डुईंग बिजनेस

सरकार व्यवसायों की प्रक्रिया को सरल एवं त्वरित बनाने हेतु विनियामक और परिचालन में सुधार करके प्रक्रियाओं को सरल बनाना, लागत कम करना और आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना शामिल है।

उद्देश्य :– विकास दर को बढ़ावा देना।
- निवेश आकर्षित करना
- अधिक प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी व्यवसाय वातावरण तैयार करना ।

❖ **राज निवेश पोर्टल**

1. राजस्थान में ₹10 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाना ।
2. इसे राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सक्षमीकरण एवं निकासी अधिनियम–2011 के द्वारा स्थापित किया गया ।
3. इसे 2 मई, 2024 को सिंगल विण्डो क्लियरेंस के साथ मिलाकर अनुमोदन हेतु एकीकृत प्लेटफॉर्म बनाया गया।

❖ **रीको** द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्च, जिसमें जी.एस.टी. एवं टी.डी.एस. जैसी कर संबंधी प्रक्रियाओं के लिए मॉड्यूल शामिल हैं। रीको की ई.आर.पी. प्रणाली को राज निवेश पोर्टल, ई–रजिस्ट्रेशन पोर्टल और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, रीको भूखंडों के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी. आई.एस.) लागू की गई।

❖ **विवाद और निवारण तंत्र (डी.आर.एम.)** – नए उद्यमों के सम्मुख आने वाली समस्याओं के समाधान और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए।

- राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में स्थापित किया गया।

❖ **व्यापार सुधार कार्य योजना (बी.आर.ए.पी.) 2024** – राज्य सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए भारत सरकार के उद्योग संवर्द्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग (DPIIT) की व्यापार सुधार कार्य योजनाओं का अनुसरण एवं कार्यान्वयन कर रहा है।

निर्यात

- **महत्व–**
  1. रोजगार सृजन
  2. विदेशी मुद्रा अर्जित
  3. बाजार अवसरों का विस्तार
  4. उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार
  5. तकनीकी उन्नयन– मशीनरी, विनिर्माण
- **शीर्ष 5 निर्यात वस्तुएँ–**
  1. Engineering Goods
  2. Gems & Jewellery
  3. धातुएँ
  4. वस्त्र
  5. हस्तशिल्प वस्तएँ

  } इन 5 वस्तुओं का योगदान 65% से अधिक है।

राजस्थान से कुल निर्यात–

- वर्ष 2023-24 – रु. 83,704.24 Cr.
- सर्वाधिक- Engineering Goods (अभियांत्रिकी वस्तुएँ)– 16,592.51 Cr.

\# **निर्यात बढ़ाने के प्रयास**

A. **राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति** 2024

- उद्देश्य : – सतत् एवं समावेशी निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देना।
  – लघु, मध्यम उद्यमों, स्थानीय हस्तशिल्प और निर्यात उत्पादों में विविधीकरण लाना।

विशेषताएँ :–

1. निर्यातकों को दस्तावेजीकरण व प्रमाणन में सहायता प्रदान करना।
2. ई–कॉमर्स निर्यात सुविधा निर्यात क्रेडिट बीमा प्रदान करना।
3. कनेक्विटी में सुधार निर्यात उन्मुख क्लस्टर विकसित रकना।
4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और डिजिटल प्लेफॉर्म के माध्यम से कौशल विकास को बढ़ावा देना।
5. तकनीकी सिंगल विण्डों क्लियरेंस सिस्टम, नावाचार प्रोत्साहन इत्यादि को बढ़ावा देना।

B. **निर्यात संवर्धन, प्रक्रिया और प्रलेखन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम**

उद्यमियों को

↓ निर्यात प्रक्रिया | ↓ दस्तावेजीकरण | ↓ बाजार जानकारी

REPC की स्थापना 8 Nov-2019 को
- निर्यात समस्या निवारण हेतु

- वर्ष 2012 से
- वर्तमान में REPC द्वारा संचालित
- उद्देश्य – बिचौलिये की भूमिका समाप्त करना ।

C. **राजस्थान फाउंडेशन :–**

- **उद्देश्य** – भारत और विदेशों में प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ना,
  - राज्य विकास में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना
  - मातृभूमि के साथ संबंध बनाए रखना।

- इसके लिए देश–विदेश के 12 शहरों में शाखाएँ स्थापित की ।
- 14 नवीन शाखाएँ स्थापित करने की स्वीकृति दी गई।
- इसके द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 हेतु जापान, दुबई, कतर, सिंगापुर, जर्मनी, U.K. सऊदी अरब तथा मुम्बई, नई दिल्ली व रांची में रोड–शो दौरान राजस्थानी प्रवासियों के साथ समन्वय किया।

D. **राजस्थान एक जिला एक उत्पाद (O.D.O.P.) नीति** 2024

- **घोषणा** – 8 दिसंबर, 2024
- **उद्देश्य** –
  - प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों एवं सेवाओं की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करना।
  - प्रत्येक जिले को संभावित निर्यात केन्द के रूप में परिवर्तित करना।
- **विशेषताएँ** –
  - स्थानीय उद्योगों हेतु सहयोग व क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करना।
  - उत्पाद मूल्य श्रृंखलाओं को बेहतर बनाना।
  - जिले के अद्वितीय उत्पादों एवं सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित कर प्रोत्साहन देना।
  - वित्तीय, तकनीकी व विपणन सहायता प्रदान करना।

एक जिला – एक उत्पाद

- सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समितियों (DEPC) का गठन किया है।

क्र.सं.	जिला	उत्पाद का नाम	क्र. सं.	जिला	उत्पाद का नाम
1.	अजमेर	ग्रेनाइट एवं मार्बल–सलेबस और टाइल्स और सामग्री	22.	जोधपुर	फर्नीचर – हस्तशिल्प उत्पाद
2.	अलवर	ऑटोमोबाइल पार्टस, मिल्क केक	23.	खैरथल–तिजारा	अभियांत्रिकी उत्पाद (ऑटोमाबाईल पार्टस) इत्यादि
3.	बांसवाड़ा	सिन्थेटिक यार्न, ग्रेनाइट एवं मार्बल सलेब्स और टाइल्स	24.	कोटपुतली–बहरोड	अभियांत्रिकी उत्पाद (ऑटोमाबाईल पार्टस) इत्यादि
4.	बारां	सोयाबीन	25.	करौली	सेंडस्टोन आर्टिकल एण्ड सलेब्स टाइल्स और सामग्री
5.	बाडमेर	कशीदाकारी, ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएँ	26.	कोटा	कोटा डोरिया
6.	भरतपुर	शहद, खाद्य तेल	27.	नागौर	हाथ के उपकरण
7.	भीलवाड़ा	वस्त्र	28.	पाली	मेहन्दी
8.	बीकानेर	सिरेमिक. बीकानेरी नमकीन, उनी कारपेट यार्न	29.	राजसमन्द	टेराकोटा, ग्रेनाइट एवं मार्बल–सलेब्स और टाइल्स
9.	बूंदी	चावल	30.	सवाई –माधोपुर	टूरिज्म
10.	चित्तौड़गढ़	ग्रेनाइट/मार्बल	31.	सीकर	फर्नीचर एंटिक

11.	चुरू	वूड प्रोडक्ट्स	32.	सिरोही	मार्बल वस्तुएँ
12.	दौसा	पत्थर उत्पाद / दरी–गलीचा	33.	टोंक	स्लेट स्टोन टाइल्स
13.	धौलपुर	मिल्क पाउडर – स्कीम्ह स्टोन टाइल्स स्लेब	34.	उदयपुर	मेनाइट / मार्बल सलेब्स और टाइल्स
14.	डूंगरपुर	ग्रेनाइट / मार्बल – स्लेब	35.	प्रतापगढ़	लहसुन तथा थेवा कला
15.	श्रीगंगानगर	किन्नू	36.	बालोतरा	वस्त्र
16.	हनुमानगढ़	चावल, कपास आदि	37.	ब्यावर	क्वार्टज एवं फेल्सपार पाउडर
17.	जयपुर	जैम्स एण्ड ज्वैलरी, गारमेन्ट्स खिलौने एवं अभियांत्रिकी वस्तुएँ	38.	डीडवाना–कुचामन	मकराना मार्बल एवं ग्रेनाइट
18.	जैलसमेर	यैलो मार्बल स्लेब	39.	डीग	पत्थर संबंधी उत्पाद
19.	जालोर	मौजड़ी उद्योग, ग्रेनाइट सलेब्स और टाइल्स	40.	फलौदी	नमक, सेन्ना / सोनामुखी उत्पाद
20.	झालावाड़	संतरा	41.	सलुम्बर	मार्बल– सलेब्स और टाइल्स
21.	झुन्झुनूं	काष्ठ हस्तकला			

साझा (कॉमन) उत्पाद –

ग्रेनाइट एवं मार्बल–सलेब्स और टाइल्स ↓ अजमेर बांसवाड़ा चित्तौडगढ़. डूंगरपुर केकड़ी राजसमंद उदयपुर	अभियांत्रिकी (ऑटोमाबाईल पार्टस) ↓ अलवर खैरथल तिजारा कोटपुतली बहरोड	पत्थर उत्पाद ↓ दौसा डीग	वस्त्र ↓ बालोतरा भीलवाड़ा
	भारतीय मिष्ठान अलवर (मिल्क केक)		

खादी एवं ग्रामोद्योग

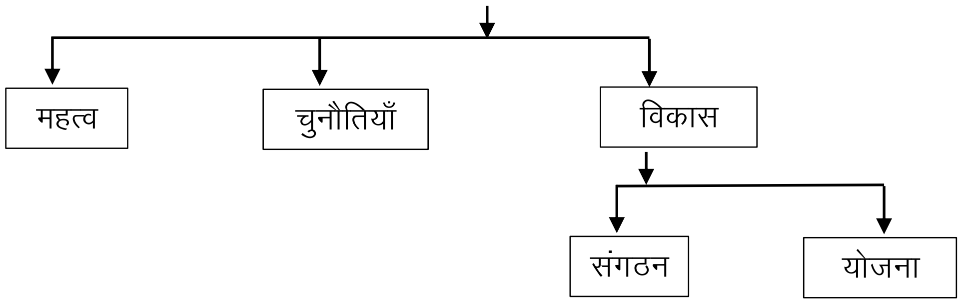

महत्व –

- कम लागत ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार।
- असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को रोजगार ।
- आत्म निर्भरता की भावना जागृत करना ।
- कृषि पर रोजगार निर्भरता को कम करना ।
- स्थानीय स्तर पर साधनों का प्रयोग ।
- निर्यात को प्रोत्साहन व आयात पर निर्भरता को कम करना ।

चुनौतियाँ–

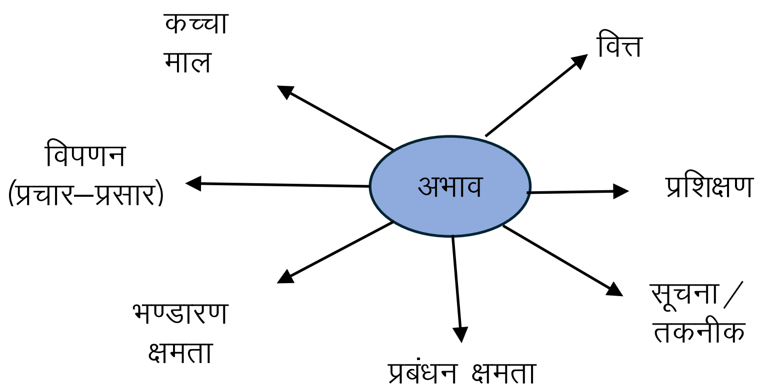

खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास हेतु संगठन एवं योजनाएँ–

1. **खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड–**
   - स्थापना – 1955 (खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम– 1955 के तहत)
   - संरचना – अध्यक्ष + 12 सदस्य
   - उददेश्य
     - ✓ रोजगार सृजन (असंगठित क्षेत्र में)
     - ✓ उच्च गुणवत्तायुक्त उत्पादन
     - ✓ प्रशिक्षण
     - ✓ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना।

A. 3 **प्रशिक्षण केन्द्र –**

i. पुष्कर, अजमेर
ii. मानसरोवर संकुल, जयपुर
iii. माउंट आबू (सिरोही)

B. व्यावसायिक केन्द्र –

i. ग्राम्य खादी हैण्डीक्राफ्ट एम्पोरियम, जयपुर
ii. ऊन अनुभाग, बाडमेर
iii. ऊन उत्पति केन्द्र, बीकानेर

C. खादी लोउज–खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित केन्द्र (शोरुम), जयपुर

D. प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम –

- भारत सरकार के अन्तर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित

E. बजट 2022-23 की घोषणा अनुसार बुनकरो हेतु कोटा, जोधपुर, भरतपुर एवं बीकानेर संभाग में प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ किए गए।

 # राजस्थान एकीकृत कलस्टर विकास योजना

- दौसा एवं टोंक → चमड़े के उत्पाद
- बीकानेर/चूरू → बंधेज
- बाड़मेर → कशीदाकारी
- ब्लू पॉटरी हेतु जयपुर में Centre of excellence
- अलवर एवं पुष्कर (अजमेर) में ग्रामीण हाट की स्थापना

खादी विकास बोर्ड + BSf → जैसलमेर → मरुस्थलीकरण एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था हेतु कार्यक्रम

राजस्थान में खनन क्षेत्र

राज्य में खनिज

- भण्डारण– 81 प्रकार
- खनन–58 प्रकार

राजस्थान

एकमात्र उत्पादक	देश में अग्रणी	शीर्ष उत्पादक	प्रमुख उत्पादक
• सीसा एवं जस्ता अयस्क • सेलेनाइट • वॉलेस्टोनाइट	• चांदी • केल्साइट • जिप्सम	• बॉल क्ले • फॉस्फोराइट • ओकर (गेरू) • स्टेटाइट • फेल्सपार • फायर क्ले	सीमेन्ट ग्रेड एवं स्टील ग्रेड लाइमस्टोन, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट

राजस्थान खनिज नीति 2024

उद्देश्य :– पर्यावरण संरक्षण एवं सामुदायिक कल्याण सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास के लिए राज्य के प्रचुर खनिज संसाधनों का लाभ उठाते हुए टिकाऊ, पारदर्शी और जिम्मेदार खनिज विकास को बढ़ावा देना है।

मुख्य विशेषताएं

1. **आर्थिक विकास और निवेश :–** खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में इस क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना।
2. **रोजगार सृजन :–** वर्ष 2047 तक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
3. **स्थिरता और ई.एस.जी. अनुपालन :–** शून्य अपशिष्ट खनन, पर्यावरण–अनुकूल तकनीकों और अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना।
4. **प्रौद्योगिकी एकीकरण :–** उन्नत अन्वेषण तकनीकों, ए.आई. आधारित निगरानी और डिजिटल प्रशासन अपनाकर पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
5. **अवैध खनन शमन :–** जी.पी.एस. आधारित ट्रैकिंग, जियो–फेंसिंग और रीयल–टाइम निगरानी का उपयोग कर अवैध गतिविधियों को रोकना।
6. **प्रमुख पहल :–**
   (i) 2047 तक खनिज निष्कर्षण को 58 से बढ़ाकर 70 तक करना।
   (ii) पूर्व–निर्धारित स्वीकृति के साथ 50 प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी।
   (iii) खनन रियायत क्षेत्र को 2047 तक राज्य की कुल भूमि के 2 प्रतिशत तक बढ़ाना।
   (iv) स्वच्छ ऊर्जा के समर्थन में रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिजों (जैसे लिथियम, दुर्लभ पृथ्वी तत्व) को बढ़ावा देना।
   (v) खनिज संसाधनों में मूल्य संवर्धन और अनुसंधान हेतु एक राज्य खनन कंपनी की स्थापना करना।

राजस्थान एम–सैंड नीति 2024

प्रथम – एम सैण्ड नीति – 2020
25 जनवरी, 2021
एम सैंड इकाई को उद्योग का दर्जा

- राजस्थान एम–सैंड नीति 2024 एक रणनीतिक पहल है।
- **उद्देश्य :–** निर्माण कार्यों में नदी रेत (बजरी) के स्थान पर एक स्थायी विकल्प के रूप में निर्मित रेत (एम–सैंड) के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहन देना है।
  - निर्माण सामग्री की बढ़ती मांग और नदी रेत खनन से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखना।
  - संसाधनों के उत्तरदायी प्रबंधन को सुनिश्चित करना।
  - आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
- **मुख्य विशेषताएं –**
  1. एम–सैंड के उपयोग को बढ़ावा देना, प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, नियमों को आसान बनाकर और वित्तीय प्रोत्साहन देकर एम–सैंड इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
  2. **एम–सैंड इकाइयों के लिए प्रोत्साहन :**
     - **वित्तीय लाभ** :– रॉयल्टी में छूट (50 प्रतिशत) और ओवरबर्डन डंप उपयोग शुल्क में राहत।
     - **निवेश सब्सिडी** :– 10 वर्षों के लिए 75 प्रतिशत राज्य कर प्रतिपूर्ति।
     - **बिजली शुल्क छूट** :– 7 वर्षों के लिए 100 % ।
     - **स्टाम्प शुल्क** :– में कमी स्टाम्प शुल्क पर 75 प्रतिशत छूट।

- **रोजगार लाभ :–** स्थानीय कर्मचारियों के लिए ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के लिए नियोक्ता के अंशदान का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

3. **गुणवत्ता मानक एवं नियंत्रण :**
   - गुणवत्ता अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बी.आई.एस. प्रमाणन और समय–समय पर अनिवार्य परीक्षण।
   - एम–सैंड इकाइयों में ऑन–साइट गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रोत्साहन ।
4. **अपशिष्ट प्रबंधन और स्थिरता :**
   - जल पुनः उपयोग के लिए शून्य निर्वहन (जीरो–डिसचार्ज) प्रणालियों को बढ़ावा देना।
   - एम–सैंड उत्पादन हेतु निर्माण एवं ध्वस्तीकरण (सी. एण्ड डी.) अपशिष्ट पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना।
   - पर्यावरण संरक्षण हेतु अपशिष्ट निपटान तंत्र विकसित करना।
5. **कार्यान्वयन रणनीति :**
   - नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु खान और भूविज्ञान विभाग के अन्तर्गत एक समर्पित एम–सैंड सेल की स्थापना करना।
   - सरकारी परियोजनाओं में एम–सैंड के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना (2028–29 तक 50 प्रतिशत का लक्ष्य)।

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (RSMML) –

- स्थापना – 30 अक्टूबर 1974 को
- राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
- **उद्देश्य –**
  - खनिज सम्पदा का आधुनिक तकनीको से दोहन करना।
  - खनन में लागत प्रभावी तकनीकी नवाचारों को अपनाना।
  - खनिज आधारित डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं में विविधता लाना।
- कार्य – औद्योगिक खनिजों का खनन व विपणन ।
- कंपनी की मुख्य गतिविधियों को चार भागो में बांटा गया है जिसे स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर (SBU & PC) कहा जाता है।

  1. SBU & PC – रॉक फॉस्फेट झामरकोटड़ा, उदयपुर।
  2. SBU & PC – जिप्सम – बीकानेर।
  3. SBU & PC – लिग्नाइट – जयपुर।
  4. SBU & PC – लाइमस्टोन – जोधपुर।

 # राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, जयपुर

- सितम्बर - 2020
- कार्य– खान एवं भू–विज्ञान विभाग में सुधार लाने, तकनीकी परामर्श देना, खनिज पूर्वेक्षण एवं अन्वेषण को बढ़ाने, विभागीय सुदृढीकरण, तकनीकी नवाचार, लॉजिस्टिक सहायता और खनिज व्यवसाय के विकास को बढ़ावा देना।

 # डिस्ट्रिकट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT)

- गैर लाभकारी निकाय के रुप में स्थापित ट्रस्ट।
- कार्य – खनन प्रभावित क्षेत्रों व लोगों के हितों की रक्षा ।
- अधिसूचना – 2016
- स्थापना– प्रत्येक जिले में DMFT

सघन खनिज सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण योजना (IPS)

तेल एवं प्राकृतिक गैस

- अमेरिका एवं चीन के बाद भारत विश्व में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
- देश में विश्व का लगभग 5.3% कच्चा तेल खपत होता है।
- भारत–कच्चा तेल
  - ✓ स्वयं उत्पादित = 12.6%
  - ✓ आयात = 87.4%
- राजस्थान भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन (29.36 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष/MMTPA का लगभग 14.95% (4.39 MMTPA) उत्पादित करता है।
- राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र
  - ✓ 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन
  - ✓ विस्तृत = 15 जिले लगभग (1.50 लाख वर्ग किमी.)
  1. बाडमेर – सांचौर बेसिन → बाड़मेर एवं सांचौर, जालौर जिला
  2. जैसलमेर बेसिन → जैसलमेर जिला
  3. बीकानेर – नागौर बेसिन → बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चुरू जिले ।
  4. विन्ध्यन बेसिन → कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ जिले एवं भीलवाड़ा और चितौड़गढ़ जिले–का कुछ भाग
- वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिसम्बर 2024 तक) के दौरान राज्य को रु. 2078 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई।

➢ राजस्थान में कुल प्राकृतिक गैस उत्पादन 3.50 से 3.70 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (M.M.S.C.M.) प्रतिदिन के मध्य है।

➢ बाड़मेर–सर्वाधिक कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन।

राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, बाडमेर

- परियोजना = सह–पेट्रोकेमिकल कॉम्पलैक्स रिफाइनरी
- शुभारम्भ = 16 जनवरी 2018 (पचपदरा, जिला बालोतरा)
- क्षमता = 9 M.M.T.P.A.
- संयुक्त उद्यम = हिन्दूस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन : राजस्थान सरकार
  74% (17,991 करोड़ ₹) : 26% (6321 करोड़ रु)
- यह 2 : 1 के ऋण इक्विटी अनुपात पर वित्त पोषित है।
- परियोजना की संशोधित लागत 72, 937 करोड़ रु. है।
- देश की प्रथम रिफाइनरी जो BS-6 मानक के उत्पादों का उत्पादन करेगी।
- इसमें जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स का सम्मिश्रण है। (भारत की प्रथम)

कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस

दोहन क्षेत्र	कम्पनी
1. बाड़मेर–सांचोर बेसिन 16 क्षेत्र मंगला (29 Aug. 2009) भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी	कैयर्न इण्डिया
2. जैसलमेर बेसिन बाघेवाला क्षेत्र घोटारू क्षेत्र (केवल प्राकृतिक गैस) (पुनः प्रारम्भ)	वेदांता, ONGC ONGC

Note: जैसलमेर और बाड़मेर–सांचोर बेसिन से केसर्न वेदांता लिमिटेड, फोकस एनर्जी, ओ.एन.जी.सी. और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस का उत्पादन किया गया।

UNIT - 6 पर्यटन, कला, संस्कृति एवं सेवा क्षेत्र के विकास में गति

सेवा क्षेत्र

- पर्यटन
- संस्कृति
- कला
- देवस्थान
- स्थिति

★ विजन :

- राज्य के पर्यटन, कला और संस्कृति के एक प्रमुख वैश्विक स्थल के रूप में विकसित करना।
- भावी पीढ़ियों के लिए समृद्ध विरासत का संरक्षण करना।
- पर्यटन के बुनियादी ढ़ांचे को मजबूत बनाना।
- स्मार्ट तकनीकों को एकीकृत करना।

★ लक्ष्य :

- राज्य को घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए शीर्ष तीन पर्यटन गंतव्यों में शामिल करना।
- घरेलू पर्यटक यात्राओं की हिस्सेदारी को 8% और विदेशी पर्यटकों की कुल हिस्सेदारी को भारत की कुल यात्रा का 7.5% तक बढ़ाना।

★ पर्यटन, कला, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये प्रयास :

- नीतियों में सुधार कर–जैसे–राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 ।
- बुनियदी ढ़ाँचे का निर्माण कर।
- सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों को प्रोत्साहन।
- कलाकारो, कारीगरों और पर्यटन सहायकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन ।
- नये पर्यटन सर्किट्स और क्षेत्र की स्थापना ।
- राज्य की विविध सांस्कृतिक धरोहर को प्रमुखता से उजागर कर।

★ पर्यटन, कला, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये सुधार :

- सेवाओं का व्यापक डिजिटलीकरण के माध्यम से राज्य को स्मार्ट पर्यटन का केन्द्र बनाना।
- वैश्विक बाजार रूझानों और नए पर्यटन उत्पादों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
- पर्यटन अनुभवों में नवाचार को बढ़ावा देना।
- अत्यधिक कुशल और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाला कार्यबल तैयार करना।
- पर्यटन की एक विविध श्रृंखला का विकास करना जैसे एडवेंचर, पर्यावरण पर्यटन और वेलनेस पर्यटन।
- वैश्विक मंच पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग रणनीति को प्रोत्साहित करना।

✓ सतत् और जिम्मेदार पर्यटन पहले सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत और प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण/सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और पर्यटन आधारित आजीविका को बढ़ावा देने में सहायता करेगी।

पर्यटन

- महत्वपूर्ण तथ्य
- नीतियाँ
- पहलें
- थीमैटिक ट्यूरिज्म
- संरक्षण
- पुरस्कार
- कौशल एवं प्रशिक्षण
- इलेक्ट्रोनिक मीडिया
- पर्यटन सहायता बल

राजस्थान का समृद्ध इतिहास, जीवंत परंपराए और विचित्र परिदृश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है।

♦ महत्वपूर्ण तथ्य –

- **वर्ष** 2024 के दौरान = पर्यटक
  - स्वदेशी 2300.84 लाख
  - विदेशी 20.72 लाख

आगमन स्थल

स्वदेशी पर्यटक	विदेशी पर्यटक
1. सीकर	1. जयपुर
2. चित्तौड़गढ़	2. उदयपुर
3. अजमेर	3. जोधपुर

विदेशी पर्यटक आगन्तुक (देश के अनुसार) :–
1. U.S.A.
2. U.K
3. फ्रांस
4. इटली

♦ नीतियाँ –

★ राजस्थान पर्यटन इकाई नीति– 2024 -

- लागू– 4 दिसम्बर, 2024
- **उद्देश्य :** पर्यटन से जुड़े निवेशकों एवं उद्यमियों को प्राप्त लाभों में वृद्धि करना।
  - पर्यटन आधारित रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर बढ़ाना।
  - निजी क्षेत्र में नई पर्यटन इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
  - पाँच वर्षों में पर्यटन अर्थव्यवस्था को दोगुना करना।
  - पर्यटन उद्योग में विकास को बढ़ावा देना।
  - अधिक निवेशक–अनुकूल वातावरण बनाना।
  - राजस्थान को अग्रणी पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित करना।
  - सांस्कृतिक संरक्षण के साथ आर्थिक विकास का सांमजस्य स्थापित करना।

पर्यटन इकाईयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) के तहत इस नीति अनुसार निम्न लाभ प्रदान – राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (आरआईपीएस) में दिए गए सभी वित्तीय लाभ इस नीति में परिभाषित अनुसार पर्यटन इकाईयों को उपलब्ध होंगे।

- संभाषण शुल्क से संबंधित लाभ
- स्टाप ड्यूटी से संबंधित लाभ
- व्यावसायिक उपयोग के लिए 10 प्रतिशत प्लिथ/ 1,000 वर्गमीटर क्षेत्र (जो भी कम हो) की अनुमति है।
- औद्योगिक दरों पर भवन योजना अनुमोदन शुल्क
- औद्यौगिक दर पर शहरी विकास (यूडी) कर
- विकास शुल्क और भूमि शुल्क से छूट
- बेटरमेंस लेवी के बिना चार (4) का डबल बिल्ट–अप एरिया (बीएआर)
- औद्योगिक दरों पर बिजली शुल्क
- प्रचलित उत्पाद शुल्क नीति के अनुसार रियायती दरों/शुल्क पर समग्र बार लाइसेंस
- परिचालन लाइसेंस (व्यापार, होटल और रेस्तरां लाइसेंस) एक बार में 10 वर्ष लाभ
- फायर एनओसी–एक बार में 3 वर्ष

❖ **महत्व –**

- हेरिटेज होटलों और सम्पत्तियों के लिए छूट प्रदान की गई।
- निजी क्षेत्रों में उपलब्ध विरासत संपत्तियों के लाभ उठाने पर बल देती है।
- नई पर्यटन इकाईयों और प्रतिष्ठानों को संचालित करने के लिये लाइसेन्स प्रक्रिया को व्यवस्थित किया गया।

पर्यटन एप –

- उद्देश्य : तकनीकी प्रयोग द्वारा व्यक्तिगत अनुभव, संवर्धित वास्तविक समय और सुविधाओं की जानकारी प्रदान करना।
- 27 सितम्बर, 2021 (पर्यटन दिवस पर) को लॉन्च
- केरल के बाद दूसरा राज्य

♦ पर्यटन को बढ़ावा देने सम्बन्धित पहले –

- राइजिंग राजस्थान समिट के तहत पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश के लिए 1320 ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
- 25 वाँ आईफा समारोह– 7-9 मार्च 2025 (जयपुर)
- राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन– 13-15 सितम्बर, 2024 (जयपुर)

- वेड इन इंडिया एक्सपो–पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से– प्रथम बार आयोजन (5 मई 2024)
- **स्पेशल असिस्टेन्स टू स्टेट्स फॉर केपिटल इन्वेस्टमेन्ट योजना III :** वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित

✓ आमेर–नाहरगढ़ क्षेत्र व जलमहल का आइकोनिक डेस्टीनेशन के रूप में विश्व स्तरीय विकास।

♦ थीमैटिक टूरिज्म –

राज्य अपनी जीवंत संस्कृति, समृद्ध विरासत और विविध प्राकृतिक परिदृश्यों को प्रदर्शित करते हुए पर्यटकों को अद्वितीय अनुभव प्रदान करने के लिये प्रसिद्ध है। राज्य सरकार इसके अन्तर्गत एडवेंचर ट्यूरिज्म, इको–पर्यटन, फिल्म–पर्यटन और धार्मिक पर्यटन पर ध्यान केन्द्रित कर रही है।

★ विरासत पर्यटन –

- ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्व के स्थानों की यात्रा पर केन्द्रित।
- राजस्थान में इनका विकास ''प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों'' के रूप में किया गया।
- इसमें दुर्ग, महल, स्थापत्य, विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं।
- अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिये मुख्य केन्द्र (वैश्विक महत्व)

★ सांस्कृतिक पर्यटन –

- राजस्थान रंगीन मेलों और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है।
- इनके आयोजन द्वारा जीवंत संस्कृति, पारम्परिक व्यंजनों, रीति–रिवाजों, वेशभूषा और लोक विरासत को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे– लोक नृत्य, पारम्परिक संगीत आदि।
- प्रमुख आयोजन– तीज मेला, पुष्कर ऊँट मेला, जयपुर साहित्य महोत्सव आदि।

★ एडवेंचर ट्यूरिज्म –

- राजस्थान में एडवेंचर पर गतिविधियों का व्यापक क्षितिज है जैसे हॉट एयर बैलूनिंग, ऊँट सफारी, साइकिलिंग।

  प्रमुख केन्द्र : जयपुर, पुष्कर सुन्दर महलों और विहंगम प्राकृतिक परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध।
- उदयपुर, घाणेराव और कुम्भलगढ़ जैसे क्षेत्र विविध परिदृश्य के साथ ट्रेकिंग के लिये प्रसिद्ध।
- रेगिस्तानी पर्यटन

★ **आध्यात्मिक पर्यटन –**

- राज्य के प्रसिद्ध मन्दिर और आध्यात्मिक स्थल घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
- प्रमुख तीर्थ स्थलः नाथद्वारा, खाटूश्याम, सालासर, मेंहन्दीपुर, चित्तौड़गढ़, पुष्कर आदि।

★ **वन्यजीव और पर्यावरण पर्यटन –**

- राज्य में विविध और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र है जो रेगिस्तान से लेकर जंगलों तक फैला है।
- 3 राष्ट्रीय उद्यान
- 26 वन्यजीव अभयारण्य

★ **मरूस्थल पर्यटन –**

- देशी–विदेशी पर्यटकों के लिये मुख्य आकर्षण का केन्द्र।
- प्रमुख स्थल– जैसलमेर, पुष्कर, फलौदी, साम्भर, चुरू, बीकानेर आदि।
- संचालित गतिविधियाँः रेगिस्तानी पर्यटन गतिविधियाँ, रेगिस्तानी शिविर, जीप सफारी, क्वाड बाइकिंग, स्काइडाइविंग, पैरा मोटरिंग।

➢ **राजस्थान में मीटिंग, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ (MICE) –**

- पर्यटक के उद्योग को बढ़ावा देने में सहायक।
- राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय रूप से लोकप्रिय MICE का आयोजन जैसे – स्टोन मार्ट, वस्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय रत्न और आभूषण शो, जयपुर ज्वैलरी शो, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो–जोधपुर।
- जयपुर, उदयपुर, नीमराना, जोधपुर आदि विवाह, मीटिंग, सम्मेलन के लिये प्रसिद्ध।
- **राजस्थान मण्डपम, जयपुर :** भारत मण्डपम, (दिल्ली) के तर्ज पर विकसित किया जाना प्रस्तावित।

♦ **समृद्ध विरासत का संरक्षण –**

- राज्य सरकार द्वारा 345 संरक्षित स्मारकों का प्रबन्धन
- राज्य के नियन्त्रण वाले 43 पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण
- 9 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल

♦ **पर्यटन पुरस्कार –**

राजस्थान में पर्यटन पुरस्कारों के साथ उत्कृष्टता–

1. बेस्ट डेकोरशन एवं डिजाइन पुरस्कार :– इंडिया ओटीएम, मुंबई में।
2. क्रिएटिविटी पुरस्कार :– प्राइम टाइम अवॉर्ड, 2023 में फिल्म ''रोमांस ऑफ राजस्थान'' के लिए।
3. सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टीनेशन पुरस्कार :– अहमदाबाद में गुजरात ट्रेवल फेयर एक्सपो में।
4. सर्वश्रेष्ठ वाइल्ड लाइफ होटल पुरस्कार :– आरटीडीसी होटल कैसल झूमरबावड़ी, सवाईमाधोपुर को अहमदाबाद में गुजरात ट्रेवल फेयर एक्सपो में

5. पिल्ग्रमेज डेस्टीनेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार :– बेंगलुरू में इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट में।
6. बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग बाइ स्टेट पुरस्कार :– भोपाल में इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आईआईटीएम)
7. द मोस्ट प्रॉमिसिंग वेडिंग डेस्टिनेशन पुरस्कार :– पटना में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में।
8. ब्राण्ड कैम्पेन ऑफ द ईयर पुरस्कार :– पुणे में इण्डिया इन्टरनेशनल ट्रेवल मार्ट में।
9. वेडिंग डेस्टीनेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार :– हैदराबाद में इण्डिया इन्टरनेशनल ट्रेवल मार्ट में।

♦ **कौशल और प्रशिक्षण –**

- **राज्य होटल प्रबंधन संस्थान –** जोधपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़ एवं उदयपुर।
- **फूड क्राफ्ट संस्थान –** अजमेर, सुमेरपुर (पाली), बारां
- **राजस्थान पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान** – जयपुर

♦ **पर्यटन विकास के लिए प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया –**

- इलेक्ट्रिॉनिक मीडिया अभियान– पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु जैसे राजस्थान पर्यटन की आधिकारिक वेबसाइट
- सोशल मीडिया प्लेट फॉर्मो (इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि) पर उपस्थिति
- पर्यटक स्थलों के लघु प्रचार वीडियों द्वारा विज्ञापन

♦ **पर्यटक सहायता बल अभियान –** शुरूआत– 15 फरवरी, 2024

उद्देश्य: पर्यटकों (विशेष रूप से महिला प्रयटकों) के प्रति संवेदनशील व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाना

- दलालों और असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही करना

संस्कृति

राजस्थान की संस्कृति विशिष्ट और विविधता पूर्ण है जो शाही विरासत, कलात्मक परम्परा, कालातीत रीति रिवाजों, जीवंत त्योहारों, लोक संगीतों और मनोरम नृत्यों का मिश्रण है।

★ **लक्ष्य :** राजस्थान के सांस्कृतिक संसाधनों की क्षमता का उपयोग कर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।

- स्थानीय समुदायों को रोजगार प्रदान करना।
- पारम्परिक प्रथाओं को संरक्षित करना।
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को उभारना।

★ **बढ़ावा देने सम्बन्धित पहलें :**

- काष्ट कला, मृण्मय कला, वस्त्र जैसे– पारम्परिक शिल्पों का संरक्षण।
- पर्यटन पहलों के माध्यम से समृद्ध हस्तशिल्प विरासत को बढ़ावा दिया जाता है।

★ **सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन :**

- वर्ष 2024 में 72 मेले–उत्सव एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन
- अल्बर्ट हॉल, जयपुर में– द्विपाक्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन।
- ✓ सांस्कृतिक डायरीज में दर्ज लोक कला और संस्कृति का प्रदर्शन
- विश्व पर्यटन दिवस पर जिला मुख्यालायों पर कथक और लोक नृत्यों से मिश्रित कार्यक्रम का आयोजन
- हर घर तिरंगा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

- उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली पर सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन।
- सांस्कृतिक विविधता का उत्सव ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार (GITB- 2024) में विवाह थीम पर आयोजित।

कला

राजस्थान समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाने वाली कला का जीवंत चित्रफलक (कैनवास) है।

★ राजस्थान की प्रसिद्ध कला एवं शिल्प–चित्र –

- विशेषता :– जीवंत रंग, विस्तृत पैटर्न और सशक्त कथा शैली क्षेत्र की कलात्मक परम्पराएँ विभिन्न राजवंशों और सांस्कृतिक प्रादुर्भाव से विकसित हुए।
- कला कारीगरों की रचनात्मकता को प्रदर्शित करती है।
- भविष्य के लिये राज्य के समृद्ध इतिहास को संरक्षित रखने का साधन।
- सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने में मदद करती है।

➢ **संरक्षण :–**

- **जवाहर कला केन्द्र :** (J K K) जयपुर
  - **उद्देश्य:** कला, संस्कृति और विरासत की विभिन्न शैलियों के संरक्षण और प्रचार करना।
- **रवीन्द्र मंच :** जयपुर
  - लक्ष्य/उद्देश्य– नृत्य, नाटक और संगीत कला को बढ़ावा देना।
  - वर्ष 2024 में टैगोर थिएटर योजना के तहत मंच द्वारा 22 नाटकों का मंचन/प्रदर्शन किया गया।

देवस्थान विभाग

★ मन्दिर संस्कृति के संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु –

- 390 राज्य प्रत्यक्ष प्रभार एवं 203 राज्य आत्म निर्भर मंदिरों और संसाधनों का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा।

★ वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना –

- अनेक धार्मिक स्थानों के लिए मुक्त रेल यात्रा (33,000) तथा पशुपतिनाथ, काठमांडू (नेपाल) – (6000 लोग) की हवाई मार्ग के माध्यम से मुफ्त यात्रा।

★ सिन्धु दर्शन योजना –

- लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की यात्रा
- आर्थिक सहायता – कुल यात्रा व्यय का 50%, प्रति तीर्थयात्री अधिकतम 15000 रु.

सेवाएं

सेवा क्षेत्र :– यह तृतीयक क्षेत्रक आर्थिक गतिविधियाँ है जो उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं।

❖ **राष्ट्रीय लेखा वर्गीकरण के अनुसार सेवा क्षेत्र सम्मिलित सेवाएं –**
व्यापार, होटल और जलपान गृह, परिवहन, भण्डारण एवं संचार क्षेत्र, वित्तीय सेवाएं, बीमा, स्थावर सम्पदा, व्यावसायिक सेवाएँ, सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं एवं लोकसेवाएं।

★ सेवा क्षेत्र की स्थिति –

(अनुमानित)	स्थिर कीमतों पर	प्रचलित कीमतों पर
GSVA में सेवा क्षेत्र	45.07%	45.92%
सेवा क्षेत्र की GSDP	3.70 लाख करोड़ रु.	7.21लाख करोड़ रु.
वृद्धि दर	7.38%	12.29%

★ सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर उपक्षेत्रवार वितरण –

	उपक्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर योगदान	स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर
(1)	व्यापार, होटल और जलपान गृह	27.83%	6.83%
(2)	स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं	23.11%	5.13%
(3)	परिवहन, भण्डारण एवं संचार क्षेत्र	10.39%	5.87%
(4)	अन्य सेवाएँ	20.61%	10.84%
(5)	लोक प्रशासन सेवाएं	7.10%	10.55%
(6)	वित्तीय सेवाएं	10.96%.	7.30%

UNIT - 7 सतत् एवं हरित विकास

महात्मा गाँधी ''दुनिया में हर किसी को जरूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन हैं लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं''

क्यों :–

- राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य (10.41%) ।
- शुष्क, अर्द्धशुष्क जलवायु परिस्थितियाँ ।
- विस्तृत मरूस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र (थार का मरूस्थल >60%) ।
- कृषि पर निर्भरता ।
- अपर्याप्त जल संसाधन (देश के कुल जल संसाधन का मात्र 1.16%) ।
- देश का 10.61% पशुधन स्थित।

परिणाम स्वरूप राजस्थान को विशेष पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

✓ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने के साथ–साथ दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सतत् एवं हरित विकास महत्वपूर्ण है।

सतत् विकास लक्ष्य

- क्या
- भारत की प्रतिबद्धता
- राजस्थान की प्रतिबद्धता

★ सतत् विकास लक्ष्य (SDG) क्या है?

- ब्रन्टलैण्ड आयोग की रिपोर्ट 1987 में आधिकारिक रूप से सतत् विकास को परिभाषित किया गया था।
- यह विकास की अवधारणा है जिसमें वर्तमान मानव समुदाय, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें।
- 25-27 सितम्बर, 2015- संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें सत्र में ''ट्रांसफार्मिंग अवर वर्ल्डः द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डवलपमेन्ट'' शीर्षक वाले दस्तावेजों को अपनाया।
  - बैठक में 193 देशों ने भाग लिया।
  - इससे पूर्व 8 MDG (Millenium Development Goals) थे।

Ques. **सतत् विकास को परिभाषित कीजिए। (RAS Mains 2021)**

सतत् विकास लक्ष्य (S.D.G.)
▪ 17
▪ 169 संबद्ध टार्गेट्स
▪ 1 जनवरी 2016 से प्रभावी
▪ 2016-2030
▪ 248 वैश्विक संकेतक
▪ ''किसी को भी पीछे न छोड़ना'' (Leave no one Behind)

➢ **उद्देश्य –** गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण, शांति एवं न्याय जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटना।

➢ **लक्ष्य :–** सभी को बेहतर तथा अधिक संधारणीय भविष्य प्रदान करना।

➢ सितम्बर, 2019 में आयोजित S.D.G. शिखर सम्मेलन में शेष रहे 10 वर्षों को Decade of action के रूप में घोषित किया गया।

➢ **एजेण्डा 2030 के केन्द्र में महत्वपूर्ण आयाम – 5'P –**

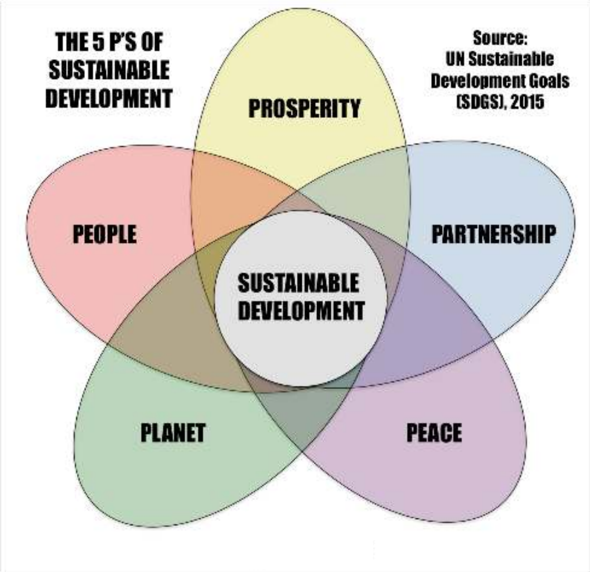

➢ **तीन प्रमुख तत्व**

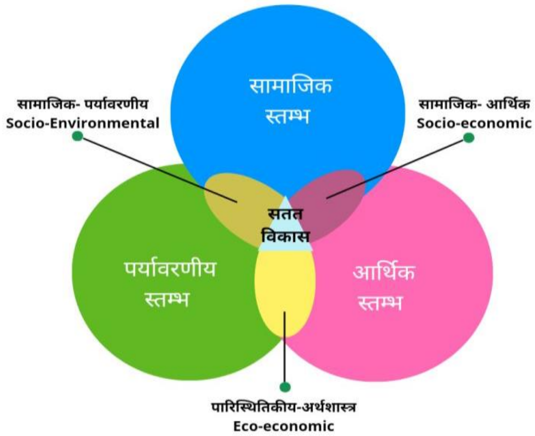

❖ SDG के मूल सिद्धान्त –

1. सार्वभौमिकता (Universality) – (सभी राष्ट्रों के लिये – विकसित, कम विकसित, विकासशील)
2. Leave No one Behind
3. अंतर्संबंधता एवं अविभाज्यता (Inter connectedenss and indivisibility)
4. समावेशी (Inclusiviness)
5. बहुहितधारकों की भागीदारी (Multi stakeholders partnership)

❖ सतत विकास लक्ष्यों की सूची –

- **गोल–** 1 :- गरीबी का अंत
- **गोल–2** :- भुखमरी समाप्त करना
- गोल– 3 :- आरोग्य एवं कल्याण
- गोल–4 :- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
- गोल–5 :- लैंगिक समानता
- गोल–6 :- शुद्ध जल एवं स्वच्छता
- गोल–7 :- किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा
- गोल–8 :- सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास
- गोल–9 :- उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना
- गोल–10 :- असमानताओं में कमी लाना
- गोल–11 :- संधारणीय शहर एवं समुदाय
- गोल– 12 :- उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन
- गोल– 13 :- जलवायु कार्यवाही
- गोल–14 :- जलीय जीवन
- गोल–15 :- स्थलीय जीवन
- गोल–16 :- शान्ति न्याय एवं सुदृढ़ संस्थाएँ
- गोल–17 :- लक्ष्यों के लिए साझेदारियाँ

★ सतत विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता –

- नोडल एजेन्सी–नीति आयोग
- नीति आयोग राज्यों में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना विकसित कर,
- SDG के स्थानीयकरण को बढ़ावा देकर,
- राज्यों के सहयोग से संस्थागत, मॉनिटरिंग, रिर्पोटिंग एवं समीक्षा प्रणाली विकसित कर तथा
- सिविल सोसायटीज एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देकर SDG's को प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है।

❖ SDG इंडिया इंडेक्स – जारी : नीति आयोग द्वारा

राज्यों को 0-100 तक स्कोर दिया जाता है तथा 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।

अचीवर	100
फ्रंटरनर	65-99
परफॉर्मर	50-64
एस्पिरेन्ट	50 से कम

❖ नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स –

SDG	Year	Goals	संकेतक	India's Score	राजस्थान का स्कोर	श्रेष्ठ राज्य	निचला पायदान
1.0	2018	13	62				
2.0	2019	16	100	60	57		
3.0	2021	16	115	66	60 (परफॉर्मर)	1. केरल 2. तमिलनाडू 3. हिमाचल प्रदेश	बिहार
4.0	2024	16	113	71	67 (फ्रंटरनर)	1.उत्तराखण्ड 2.केरल 3.तमिलनाडू } **79**	अन्तिम **1.** बिहार – **57** **2.** झारखण्ड – **62**

लक्ष्यानुसार– श्रेष्ठ

भारत	राजस्थान
(7) किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा Score – 96	(7) किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा Score- 100

– खराब

भारत	राजस्थान
(5) लैंगिक समानता Score- 49	(10)असमानताओं में कमी लाना Score- 49

इसके अतिरिक्त :–

1. भारत द्वारा UN में स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (Volunentery National Review) प्रस्तुत की जाती है जो SDG को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति का विवरण है।
2. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा SDG की मॉनिटरिंग हेतु राष्ट्रीय संकेतक फेमवर्क (NIF) तैयार किए गए हैं। वर्तमान में एन.आई.एफ. में 290 संकेतक शामिल है। ये संकेतक राष्ट्रीय व राज्य स्तर की मॉनिटरिंग के मुख्य आधार हैं।

★ राजस्थान की प्रतिबद्धता –

➢ **लक्ष्य–**

- अपने सभी निवासियों के लिए एक समावेशी, समानतापूर्ण एवं संधारणीय भविष्य का निर्माण करना।
- वैश्विक सतत् विकास एजेंडे के राष्ट्रीय विजन में योगदान देना।

✓ इसके लिए राज्य ने अपने विकास कार्यक्रमों, नीतियों, योजनाओं एवं नवाचार को SDG के साथ संबद्ध किया।

❖ राज्य की प्रगति : राजस्थान के SDG समग्र स्कोर में सुधार (60 →67) –

- SDG लक्ष्यों में उल्लेखनीय वृद्धि–किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा (100), उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन (89), गरीबी का अन्त (82), मातृ स्वास्थ्य में सुधार (73), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच में वृद्धि (63)
- SDG में सुधार की आवश्यकता– असमानता को कम करना, लैंगिक समानता को प्राप्त करना, उद्योग नवाचार एवं अवसंरचना, स्थलीय जीवन।

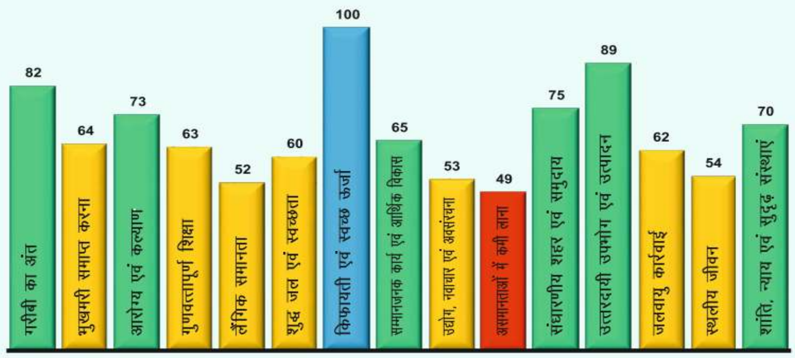

	लक्ष्य1	लक्ष्य2	लक्ष्य3	लक्ष्य4	लक्ष्य5	लक्ष्य6	लक्ष्य7	लक्ष्य8	लक्ष्य9	लक्ष्य10	लक्ष्य11	लक्ष्य12	लक्ष्य13	लक्ष्य15	लक्ष्य16
2023-24	82	64	73	63	52	60	100	65	53	49	75	89	62	54	70
2020-21	63	53	70	60	39	54	100	57	45	45	81	74	49	43	73
2019-20	56	35	58	51	39	76	61	65	38	70	61	30	60	75	76
2018	59	45	49	73	37	43	63	57	62	79	45			68	81

● एस्पिरेंट (0–49) ● परफॉर्मर (50–64) ● फ्रंटरनर (65–99) ● एचीवर (100)

➢ **प्रयास –**

अन्य प्रयास -

- राज्य संकेतक फ्रेमवर्क (S.I.F.) – 330 संकेतक
- जिला संकेतक फ्रेमवर्क (D.I.F.) – 226 संकेतक
- विभागों एवं योजनाओं की मैपिंग
- आमुखीकरण कार्य शालाएँ, प्रशिक्षण

सतत् विकास लक्ष्य क्रियान्वयन केन्द्र :–

उद्देश्य – SDG-2030 को प्रभावी रूप से लागू करने व अर्जित करने के लिए स्थापित किया गया।
कार्य :– S.I.F व DIF के विकास एवं नियमित अद्यतन
S.D.G स्ट्टेस रिपोर्ट का प्रकाशन।
S.D.G प्रगति की मॉनिटरिंग–करना।
S.D.G बुलेटिन का प्रकाशन

➢ **संस्थागत ढाँचा –**

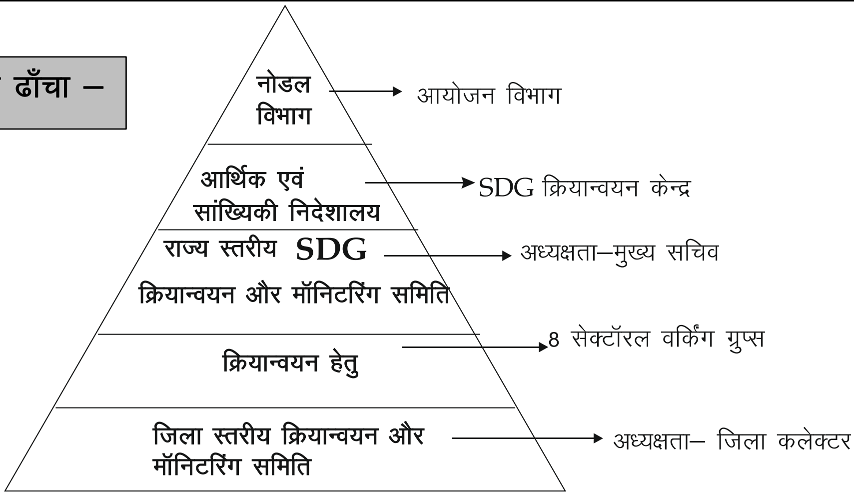

➢ **प्रकाशन :–** SDG लक्ष्यों पर राज्य की प्रगति को साझा करने के लिए ''राजस्थान S.D.G. स्ट्टेस रिपोर्ट'' के 6 संस्करण जारी किए हैं।
उक्त सूचकांकों का पंचम संस्करण मार्च 2024 में जारी किया गया है।

❖ **जिलेवार राजस्थान S.D.G इंडेक्स –**

उद्देश्य – राज्य में जिलों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाना,
सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु SDG सूचकांक तैयार किये गए हैं।
नोट : इसमें नीति आयोग के S.D.G इंडिया इण्डेक्स में प्रयुक्त पद्धति को अपनाया गया।

SDG Index	वर्ष (जारी)	गोल्स	संकेतक	विशेष
1.	2020	12	31	
2.	मार्च, 2021	13	55	
3.	मार्च, 2022	14	75	
4.	अप्रैल, 2023	14	83	
5.	मार्च, 2024	14	95	श्रेष्ठ– 1. झुंझुनू (66.44) 2. नागौर 3. सीकर निम्न – जैसलमेर (50.63) Overall Score – 59.11 सिर्फ झुंझुनू जिला फ्रंटरनर श्रेणी में, बाकी सब परफॉर्मर श्रेणी में

★ ''एक्सलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल्स'' पर राष्ट्रीय सम्मेलन–

- दिनांक – 4-5 मार्च 2024
- स्थान – राजस्थान इन्टरनेशनल सेंटर (R.I.C.) जयपुर
- सहयोग – नीति आयोग
- विशेष – यहाँ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण (FNSA) डेशबोर्ड लॉन्च किया गया।

★ राजस्थान खाद्य और पोषण सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट (F.N.S.A.) – 2023

- **जारी** – सितम्बर 2023
- **जारीकर्त्ता** – आयोजना विभाग द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से।
- **मापन** – 4 स्तम्भ
  (i) खाद्यान्न उपलब्धता, (ii) खाद्य उपयोगिता, (iii) भोजन तक पहुँच, (iv) खाद्य स्थिरता
- **रैंक** – **1st** - हनुमानगढ़ (58.55), **अन्तिम** – जैसलमेर (22.50)

हरित विकास

★ हरित विकास (ग्रीन ग्रोथ) –

विकास का एक दृष्टिकोण है जो आर्थिक वृद्धि और पर्यावरणीय संधारणियता पर एक साथ बल देता है। यह स्वच्छ प्रौद्योगिकियों एवं नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को प्रोत्साहन, सतत् संसाधन प्रबंधन ओर पर्यावरणीय क्षरण को न्यूनतम करने के माध्यम से एक अधिक कुशल एवं निम्न–कार्बन अर्थव्यवस्था के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करता है।

हरित विकास – पर्यावरणीय लक्ष्यों को आर्थिक और सामाजिक नीतियों के साथ एकीकृत करता है।

➢ **उद्देश्य** – नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना।
- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ।
- भविष्य की पीढ़ियों के लिए दीर्घकालिक संमृद्धि को बढ़ावा देना ।
- जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना ।

★ राजस्थान का विजन –

- समृद्ध वन, खुशहाल वन्य जीवन और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देना।
- स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, पुनर्स्थापन एवं संवहनीय उपयोग को बढ़ावा देना।
- भूमि–क्षरण व मरूस्थलीकरण को रोककर जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहतर अनुकूलता अर्जित करना।

❖ **हरित विकास की प्रमुख विशेषताएं –**
- यह अर्थव्यवस्थाओं को उनके आर्थिक एवं पर्यावरणीय आधारों पर ठोस एवं मापने योग्य प्रगति को अर्जित करने के लिए एक व्यावहारिक और लचीला दृष्टिकोण प्रदान करता है।
- हरित विकास रणनीतियां यह सुनिश्चित करती हैं कि प्राकृतिक संपत्तियाँ संधारणीय रूप से अपनी पूर्ण आर्थिक सामर्थ्यता प्रदान कर सकें।
- महत्वपूर्ण जीवन समर्थ सेवाओं में स्वच्छ हवा एवं पानी का प्रावधान सम्मिलित है।
- खाद्य उत्पादन व मानव स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए अनुकूल जैव विविधता आवश्यक है।
- प्राकृतिक संसाधन असीमित एवं प्रतिस्थापनीय नहीं हैं आदि का ध्यान हरित विकास नीतियों में रखा जाता है।

❖ प्रमुख पहले –

हरित विकास के लिए नीतियाँ :– राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024
ई वेस्ट प्रबंधन नीति – 2023
जलवायु परिवर्तन नीति – 2023
राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी – 2022

★ वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्र संबंधी –

- राज्य में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र – 33014 वर्ग कि.मी. (9.64%)
- फॉरेस्ट रिपोर्ट – 2023 के अनुसार कुल वनावरण और वृक्षावरण– 27389.33 वर्ग कि.मी. (8%)

❖ पहले व योजनाएँ –

1. **"एक पेड़ माँ के नाम" अभियान** – 'मेरी लाइफ पोर्टल' (Merilife.nic.in) अनुसार लक्ष्य (3Cr.) से अधिक वृक्षारोपण (5.62 Cr).
2. **"ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान" योजना** :– राजस्थान ग्रीनिग एवं रीवाइल्डिंग मिशन के अन्तर्गत संचालित योजना।
   उद्देश्य – वन क्षेत्र के बाहर 5 करोड़ पौधारोपण करना।

   क्षेत्र
   - गोचर ओरण तथा घास के मैदान → 1 Cr
   - शहरी क्षेत्रों → 1Cr
   - खेतों व घरों में → 3 Cr
3. ईको–टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में 2 लव कुश वाटिकाओं का विकास।
4. बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण।
5. वर्ल्ड फोरेस्ट्री अर्बोरेटम, जयपुर के तर्ज पर वनस्पति उद्यानों का विकास – जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर एवं अजमेर।
6. संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत 6508 ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियों/पारिस्थितिकी की विकास समितियों द्वारा वन भूमि की सुरक्षा एवं प्रबंधन।
7. 91 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित।
8. पूर्व चेतावनी प्रणाली जयपुर : वायु गुणवत्ता सूचकांक हेतु।
9. ऑनलाइन सतत् उत्सर्जन/अपशिष्ट निगरानी स्टेशन

★ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख पहले और योजनाएँ –

1. राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति– 2024

- **दृष्टिकोण** – अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना।
  अभिनव संग्रहण संसाधनों को एकीकृत करना।
  स्वच्छ ऊर्जा निवेश के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना।
- **रणनीतिक अवधि** – मार्च 2030 तक या अन्य नीति द्वारा इसको प्रतिस्थापन किये जाने तक।

- **नोडल एजेन्सी** – राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (RREC)
- **उद्देश्य** – उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने वाले अक्षय ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन देना।
  विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति और हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित करना।
- **अक्षय ऊर्जा क्षेत्र विकास के लिए निम्न पर बल** –
  मानव संसाधन विकास : क्षेत्र के अन्तर्गत शिक्षा और रोजगार सृजन पर।
  अनुसंधान और विकास (R & D) : नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादों, प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए।
- **लक्ष्य** :–

अक्षय ऊर्जा का प्रकार	**लक्ष्य क्षमता (2029-30)**
1. सौर	90 GW
2. पवन और हाइब्रिड	25 GW
3. हाइड्रो, पंप स्टोरेज प्लांट बैटरी ऊर्जा भण्डारण प्रणाली	10 GW
कुल	125 GW

- **नीति तहत प्रमुख पहल** –
  (i) **सौर एवं प्रौद्योगिकियों का हाईब्रिडाइजेशन** :– ऊर्जा में परिवर्तनशीलता को कम करना और बेहतर ग्रिड स्थापित करना।
  (ii) **ऊर्जा भंडारण प्रणाली व ग्रीन हाइड्रोजन** :– अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों की रुकावट को दूर करने के लिए।
  (iii) **विकन्द्रीकृत उत्पादन** :– सौलर रूफटॉप सिस्टम और विकेन्द्रीकृत ग्रिड–कनेक्टेड परियोजनाओं के माध्यम से।
- **नीति के कार्यान्वयन में प्रोत्साहन और समर्थन** :–
  (i) **सोलर रूफटॉप सिस्टम** :– नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग योजनाओं के साथ रूफटॉप फोटो वोल्टिक (P.V.) सिस्टम की स्थापना के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन।
  (ii) **ऑफ–ग्रिड एप्लीकेशन प्रोत्साहन** :– दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा की पहुँच बढ़ाने के लिए।
  (iii) **आर.ई. पार्क्स का निर्माण** :– अक्षय ऊर्जा केन्द्रित परियोजनाओं के लिए आधारभूत ढाँचे के विकास हेतु सहयोग प्रदान करना।

2. P.M. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
3. कुसुम योजना

❖ अन्य प्रमुख नवाचार और योजनाएँ –

1. राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति–2022

- उद्देश्य – वाहनो से होनेवाले उत्सर्जन को कम करना।
  ई.वी.ईको सिस्टम के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना।
- उच्च वाहन घनत्व एवं प्रदूषण स्तर वाले शहरों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना। जैसे– जयपुर, जोधपुर।
- चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को लाइसेंस मुक्त किया गया।

- **इलेक्ट्रीक व्हीकल परिदृश्य का निर्माण :** E.V. के लिये चार्जिंग नेटवर्क, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।
- **उत्तरदायी विभाग** : नीति का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी विभागों के मध्य सहयोग सुनिश्चित करना। जैसे – परिवहन, ऊर्जा, उद्योग विभाग।
- **प्रोत्साहन :** E.V.के लिए वित्तीय प्रोत्साहन निर्धारित किए।
- **आई टी प्लेटफार्म** : सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की रियल टाइम स्थिति की जानकारी के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का निर्माण करना।

ई–व्हीकल प्रोत्साहन कोष – 200 Cr

- E.V. को अपनाने के लिए बढ़ावा देना हेतु।
- राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत स्थापित।

अन्य प्रयास

- SGST की प्रतिपूर्ति हेतु 50 करोड़ का बजटीय प्रावधान (बजट 2024-25)
- रीको द्वारा डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक वाहन तथा कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्कों का विकास।

2. जल संरक्षण और प्रबंधन –

- C.M. जल स्वावलम्बन अभियान 2.0 :- हरित विकास का समर्थन करना, जल संरक्षण और जलीय निकायों की संरचनाओं का कायाकल्प करना।

3. हरित विनिर्माण उद्योग – खनन एवं विनिर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल कार्य एवं निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियों तथा हरित औद्योगिक प्रथाओं को प्रोत्साहन।

4. केन्द्रीय बजट 2023-24 व राज्य बजट 2025-26 को **ग्रीन बजट** के रूप पेश किया गया।

उद्देश्य –

- राज्य में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को रोकना।
- ग्रीनहाउस गैसों के प्रभाव को कम करना।
- मरूस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण को रोकना।
- बढ़ते तापमान को नियन्त्रित करना।

5. ग्रीन रेटिंग स्कीम – उद्योगों का पर्यावरणीय प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करना।

- रेटिंग के आधार पर – प्रयोज्य शुल्क कम कर दिया जाता है।
- सहमति की वैद्यता को एक वर्ष तक विस्तारित किया।

6. ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास –

प्रयास – इलेक्ट्रिक बस संचालन

आधुनिक शेल्टर एवं चार्जिग स्टेशनों का विकास।

7. प्रशासनिक सुधार और सुशासन – राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का डिजिटल वितरण प्लेटफॉर्म। संधारणीय शासन के लिए प्रौद्योगिकी उपयोग।

8. पेपर लेस सुशासन। जैसे – राज काज पोर्टल

UNIT - 8 मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य

प्रमुख घटक

- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- रोजगार

उद्देश्य :–

1. क्षेत्रीय असमानता कम करना।
2. न्यायसंगत सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य का निर्माण।
3. ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा व कौशल विकास को बढ़ावा देना।
4. समवर्ती आर्थिक मानव विकास।
5. सतत् विकास व कौशल वृद्धि।
6. मानव पूंजी में निवेश।

शिक्षा

आवश्यकता/उद्देश्य :–

1. राष्ट्रीय एवं व्यक्तिगत कल्याण में सुधार।
2. आर्थिक व सामाजिक विकास।
3. स्वयं एवं दुनिया के प्रति समझ को समृद्ध।
4. जीवन की गुणवत्ता में सुधार।
5. व्यक्ति की उत्पादकता एवं रचनात्मकता में वृद्धि।
6. उद्यमिता एवं तकनीकी विकास को बढ़ावा देना।

राजस्थान में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र एवं सरकार के प्रयास –

- स्कूल शिक्षा
  - राजकीय/ उच्च प्राथमिक विद्यालय : 45,531
  - राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय : 19,739
- समग्र शिक्षा
- उच्च शिक्षा
  - महाविद्यालय 3,210
- तकनीकी शिक्षा
  - अभियांत्रिकी महाविद्यालय : 74
  - प्रबंधन संस्थान : 48
  - पॉलिटेक्निक महाविद्यालय : 116
- चिकित्सा शिक्षा
  - मेडिकल कॉलेज : 43
- संस्कृत शिक्षा
  - विश्वविद्यालय : 1
- भाषा एवं पुस्तकालय
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

★ स्कूली शिक्षा –

➢ **उद्देश्य–** व्यक्ति में सीखने एवं विकसित होने की क्षमता को बढ़ाना।
- साक्षरता और संख्यात्मक क्षमता को बढ़ाना।
- उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करना।

नाम	शुरूआत	कक्षा	विशेष
1. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय	2004–05	6–12	342 स्कूलों की संख्या
2. मेवात बालिका आवासीय विद्यालय	2015	6–8	मेवात क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्रावास का निर्माण (अलवर में)
3. महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल	2019–20	1–12	• अंग्रेजी माध्यम (RBSE पैटर्न) • 3737 स्कूल संचालित।
4. सैनिक स्कूल		6–12	CBSE पैटर्न राजस्थान का प्रथम–चित्तैड़गढ़ 2nd दोरासर (झुंझुंनू) 3rd हल्दीना (अलवर)
5. आदर्श विद्यालय योजना	2015	माध्यमिक, उच्च माध्यमिक	प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर शहरों में भी लागू
6. PM श्री योजना प्रथम चरण – 402 द्वितीय चरण – 237 स्कूल,	07 सितम्बर 2022		राज्य के प्रत्येक ब्लॉक/ ULB से दो विद्यालयों का ऑनलाइन पोर्टल से चयन। 1 – माध्यमिक 1 – प्रारंभिक
7. लैब विद्यालय (प्रत्येक लैब विद्यालय को डाइट के किसी फैकल्टी द्वारा गोद)			प्रत्येक जिले के 3–आदर्श एवं 3 उत्कृष्ट विद्यालयों का चयन।
8. महिला शिक्षण विहार (झालावाड़ में संचालित 100 महिलाएं नामांकित)		दसवीं तक	आवासीय विद्यालय 15–30 आयु वर्ग की तलाकशुदा, विधवा, आदिवासी महिलाओं हेतु।
9. आदर्श वेद विद्यालय (संभाग स्तर पर)			रैवासा (सीकर) में संचालित आदर्श वेद विद्यालय की तर्ज पर।
10. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय		1–12 तक	• 186 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में से 134 ब्लॉक में संचालित (27 जिलों) • 55% सीटे बालिकाओं के लिये आरक्षित

❖ स्कूली शिक्षा के तहत उन्नत पहल –

- राजकीय प्राथमिक विद्यालय 45531
- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय– 19739
- एक भारत श्रेष्ठ भारत।
- परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण–2024।
- अंग्रेजी माध्यम शिक्षा – महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालयों का संचालन।
- बाल वाटिका
- प्री मेट्रिक छात्रवृति।
- निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना।
- गार्गी पुरस्कार योजना।
- बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना।
- टैबलेट्स वितरण।
- निःशुल्क साइकिल वितरण योजना।

- बेहतर छात्र शिक्षक अनुपात :– NEP - 2020 के अनुसार – 30 : 1

राजस्थान → प्राथमिक शिक्षा – 14 : 1
राजस्थान → माध्यमिक शिक्षा – 22 : 1

1. प्री मेट्रिक छात्रवृति –

- लाभार्थी – SC/ST/ अल्पसंख्यक छात्रों के लिए। (माध्यमिक शिक्षा)
  - कक्षा 6 से 12वीं तक।
  - प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 50% अंक प्राप्त किये।
- प्रतिवर्ष अधिकतम 50,000 रूपये तक वित्तीय सहायता।

नोट :– प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत SC/ST/OBC/एस.बी.सी. / DTNT सीमान्त क्षेत्र (OBC) को।

2. निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना –

- राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्ड, जयपुर के माध्यम से संचालित
- कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों। } को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण
- कक्षा 9 से 12वीं तक सभी छात्राओं। } को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण
- SC/ST के छात्र, वे छात्र जिनके माता–पिता आयकर दाता नहीं है।)

3. गार्गी पुरस्कार योजना :– 1998

- 10th Class – 75% + all Girls
- 6000 Rs. (11th 3000 Rs., 12th 3000 Rs.)
- बसंत पंचमी को पुरस्कार वितरण।
- विवेकानंद स्कूलों में 10वीं में 8 से 10 CGPA पर भी।

4. बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना –

- 12th class – 75%+
- पुरस्कार राशि – 5000 रू. + प्रमाण पत्र।

5. टैबलेट्स वितरण –

- **उद्देश्य** : डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रतिभाशाली छात्रों की शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना।
- कक्षा – 8वी,10वी,12वीं कक्षा में 75% अंक प्राप्त।
- इन्टरनेट कनेक्शन के साथ।

6. बाल वाटिका –

- 4 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु 1 वर्षीय अध्ययन के लिए।
- प्रथम चरण में जहाँ आंगनबाड़ियों का समन्वय नहीं है, उन्हें चयनित किया गया। (1090 विद्यालय)
- NEP-2020 के प्रावधान अनुसार।
- 1010 अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में भी संचालित।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 :–
- राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लागू
- निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग हेतु 25% सीटे आरक्षित।
- आय सीमा 2.5 लाख रूपये (RTE 2009 की धारा 12 (C) के अनुसार)

➢ **महत्व :**
- बच्चे के बौद्धिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास करती।
- भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार।
- आवश्यक जीवन कौशल विकसित करती।
- समाज में योगदान देने के लिए तैयार करती।

❖ समग्र शिक्षा : समग्र विकास की दिशा में :–

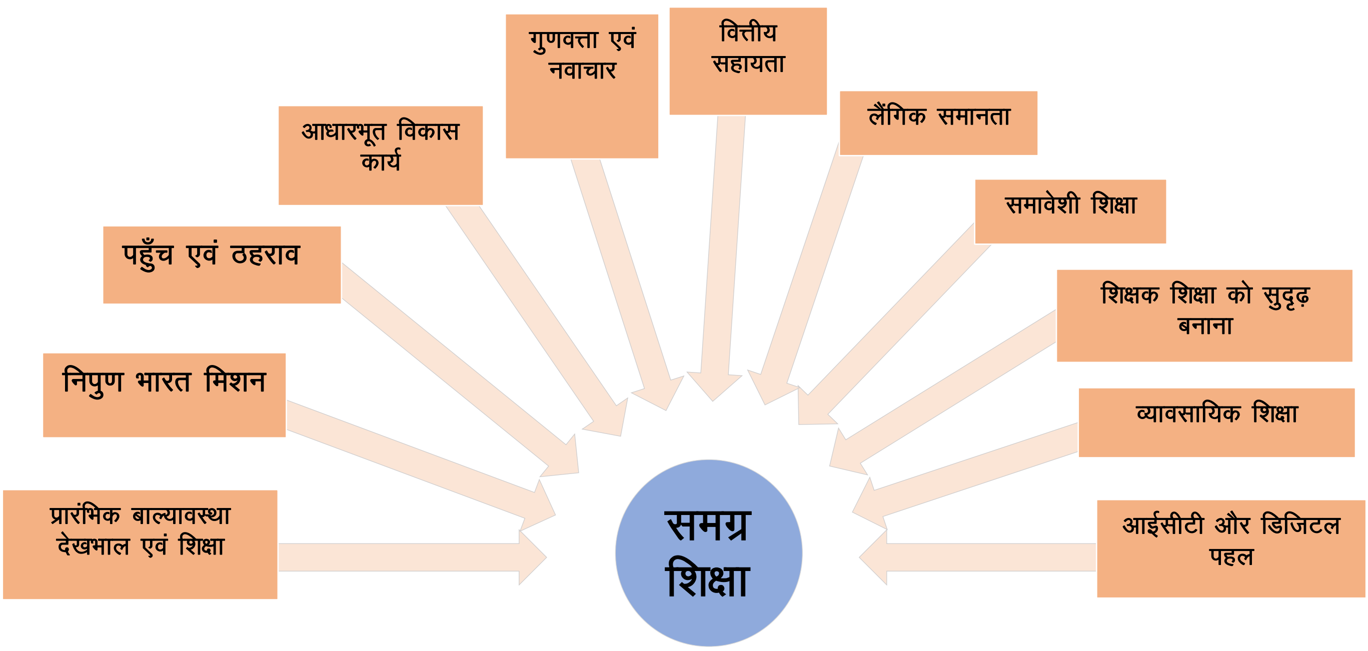

(A) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा –

(1) आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन – (62020) 3–6 वर्ष आयु वर्ग बच्चों के लिये।
- पूर्व विद्यालय शिक्षा का लाभ प्रदान करना।

(2) समेकित बाल विकास योजना – शिक्षा विभाग द्वारा संचालित।
- उद्देश्य – पोषण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता।
- आँगनबाड़ी केन्द्रों को भौतिक, प्रशासनिक रूप से राजकीय विद्यालयों के साथ समन्वित करना।

(B) बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लिए निपुण भारत मिशन –

- **उद्देश्य** – बच्चों की दक्षता एवं सीखने के कौशल में सुधार करना।
- **लक्ष्य** – कक्षा–2 तक के प्रत्येक बच्चे को आवश्यक पठन, लेखन एवं गणितीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना। (2026–27 तक)
- प्रति छात्र 300 रूपये गतिविधि – आधारित शिक्षण एवं कला कौशल में सुधार के लिये वित्तीय सहायता।
- **बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम :**
  - कक्षा 1–5 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर समझ विकसित।
  - निपुण भारत मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन के लिये।
  - ब्लॉक स्तर पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण।
- **एसआरजी प्रशिक्षण :–** समग्र शिक्षा अभियान के तहत
  - जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण।
  - लाइब्रेरियन एवं लैब सहायकों के लिए प्रशिक्षण।

(C) पहुँच एवं ठहराव –

- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय
- मेवात बालिका आवासीय विद्यालय
- आवासीय/गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर
- सीजनल छात्रावास
- आवासीय विद्यालय/छात्रावास
- परिवहन वाउचर योजना

1. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल –
- उद्देश्य :– समाज के वंचित वर्गों विशेषकर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना।
  शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना।
- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्ध।

2. आवासीय/गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर :–
- 7–14 आयु वर्ग के बच्चें–
  - जिन्होंने कभी नामांकन नहीं करवाया।
  - विद्यालय बीच में छोड़ चुके
  - जिन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
- जिला/ब्लॉक एवं क्लस्टर संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित।

3. सीजनल छात्रावास :–

- आजीविका व पलायन से प्रभावित छात्रों की समस्या समाधान हेतु।
- प्रवासी अवधि के दौरान विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) द्वारा स्थापित।

4. आवासीय विद्यालय/छात्रावास :– (कुल–11)

- अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जालौर, बीकानेर, कोटा, जैसलमेर। (बीखरी आबादी वाले क्षेत्रों)
- बेघर, गरीब, अनाथ छात्रों के लिए।
- कक्षा छठवी से आठवी के लिए आवासीय छात्रावास सुविधा।

5. परिवहन वाउचर योजना :–

- **उद्देश्य** – सभी छात्रों के लिए विद्यालय तक सुरक्षित और विश्वसनीय पहुँच सुनिश्चित करना।

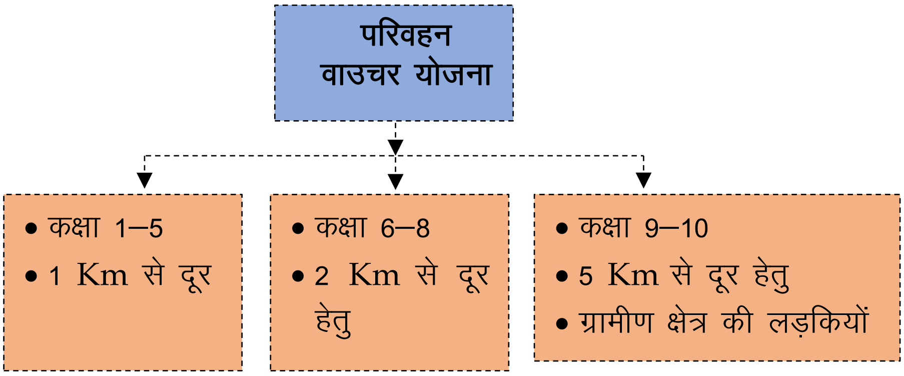

- वाउचर स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा दिया जाता है ।

(D) आधारभूत विकास कार्य :–

- उद्देश्य – सुरक्षित, सुलभ एवं सुसज्जित शिक्षण वातावरण बनाना।
  - शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।

(1) **समग्र शिक्षा अभियान** : इसके तहत विभिन्न विकासात्मक कार्य किये जाते जैसे भवन, कक्षा–कक्षों, शौचालयों आदि का निर्माण।

- भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम।
- राजस्थान में राज. स्कूली शिक्षा परिषद् के माध्यम से संचालित।
- केन्द्र : राज्य – 60 : 40
- समग्र शिक्षा अभियान 2.0 → 4 Aug. 2021 से

(2) ज्ञान संकल्प पोर्टल :– शिक्षा विभाग।

- **उद्देश्य** – सरकारी स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
  बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना।
- भामाशाहों एवं क्राउड फंडिंग के माध्यम से आवश्यक धनराशि एकत्रित करना।
- इस पोर्टल के माध्यम से भामाशाह द्वारा दी गई राशि CSR (कोर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) में सम्मिलित होगी।

(E) गुणवत्ता एवं नवाचार हस्तक्षेप – जादुई पिटारा , कला उत्सव

(1) **जादुई पिटारा :–** शिक्षा मंत्रालय द्वारा NEP-2020 के तहत विकसित अभिनव खेल आधारित शिक्षण सामग्री।

- **उद्देश्य –** नई पद्धतियों एवं प्रौद्योगिकी का समावेश करना।
  छात्रों के लिए सीखने के अनुभव एवं परिणामों को बढ़ाना।
- तीन से आठ वर्ष की आयु वर्ग बच्चों के लिये।
- 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध।
- दीक्षा प्लेट फॉर्म के माध्यम से डिजिटल रूप में उपलब्ध।

दीक्षा पोर्टल :–
- शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में स्थापित।
- ई–सामग्री वेब पोर्टल।

(2) **कला उत्सव (कला महोत्सव) :–**

- **उद्देश्य–**भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 9वीं से 12वीं तक) में आयोजन।
- 6 विषयों के अन्तर्गत (गायन, वाद्य संगीत, नृत्य, रंगमंच, दृश्य कला ओर पारम्परिक कहानी सुनाना)।

(3) **प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इण्डिया (पी.एम. श्री) योजना :**

- **लक्ष्य :–** सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण समान समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना।
  - विद्यालयों का समग्र रूपान्तरण करना।
- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित विद्यालयों को सुदृढ़ किया जायेगा।
- **हरित विद्यालय की स्थापना के लिए विभिन्न गतिविधियाँ संचालित :–**
  - पर्यावरण अनुकूल गतिविधियाँ।
  - सौलर पैनल, LED लाइटिंग।
  - प्राकृतिक खेती के साथ पोषण उद्यान।
  - अपशिष्ट प्रबन्धन
  - प्लास्टिक मुक्त वातावरण।
  - जल संरक्षण व संचयन आदि।

(F) लैंगिक समानता –

- 11 अक्टूबर – अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस
- 24 जनवरी – राष्ट्रीय बालिका दिवस

- बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल :

1. **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय**
2. **बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम :–** किशोरी बालिकाओं के लिए

(i) **शैक्षणिक किशोरी मेला** :–

- **उद्देश्य –** बच्चों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करना।
  - रचनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण विकसित करना।
  - विज्ञान और गणित विषय पर विशेष ध्यान देना।
- PEEO स्तर पर किशोरी शैक्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है।

(ii) **मीना–राजू एवं गार्गी मंच –**

उद्देश्य – बालिकाओं की शिक्षा, नामांकन एवं ठहराव को बढ़ावा देना।

- परिवारों और समुदायों को प्रेरित करना।
- सामाजिक मुद्दों जैसे बाल विवाह पर जागरूकता बढ़ाना।

- कक्षा 6 से 8वीं की बालिकाओं – मीना राजू मंच।
- कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं – गार्गी मंच।

3. **बालिका शिक्षा फाउण्डेशन –**

- स्थापना – 30 मार्च 1995
- अध्यक्ष – मुख्यमंत्री
- मुख्यालय – जयपुर
- उपाध्यक्ष – उपमुख्यमंत्री
- उच्च तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता

(G) समावेशी शिक्षा –

- **उद्देश्य** – विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) को मुख्य धारा में लाना, एवं सामाजिक बनाना।
  - सामान्य शिक्षा प्रणाली में उनके नामांकन एवं ठहराव सुधार करना।

➢ **समावेशी शिक्षा कार्यक्रम :** CWSN को कार्यात्मक, शैक्षिक एवं चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है।

➢ **राज्य मॉडल संसाधन कक्ष :** समग्र शिक्षा के अन्तर्गत जयपुर एवं उदयपुर में स्थापित।

- विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क शैक्षिक एवं चिकित्सकीय सेवाएँ।

(H) शिक्षकों का क्षमता निर्माण –

➢ **स्ट्रेंथीनिग ऑफ टीचिंग–लर्निंग एण्ड रिजल्ट फॉर स्टेट स्टार्स (STARS) योजना :–**

- **शुरूआत** – "समग्र शिक्षा" के माध्यम से वर्ष 2020–21 में।
- **उद्देश्य** – भारत के 6 राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता एवं शासन में सुधार करना।
- वित्तीय सहभागिता – केन्द्र : राज्य = 60 : 40
- विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- 6 राज्य :– राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्यप्रदेश।

(I) व्यवसायिक शिक्षा –

- **उद्देश्य** – विद्यार्थियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना।
  - रोजगार योग्यता में वृद्धि करना।
  - ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों के युवाओं में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कुल 4155 व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय संचालित। (16 क्षेत्रों में)

(J) आईसीटी और डिजिटल पहल –

- **एकीकृत शाला दर्पण (स्कूल प्रबंधन सूचना प्रणाली)** – स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान का एक लाइव डेटाबेस प्रबंधन पोर्टल।
  - सभी राजकीय विद्यालयों एवं शिक्षा कार्यालयों की जानकारी ऑनलाइन रखी जाती।
  - सरकारी लाभकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग जैसे ट्रांसपोर्ट वाउचर, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, राजश्री योजना, C.M. हमारी बेटी योजना आदि।

❖ सामुदायिक गतिशीलता –

➢ **स्कूल प्रबन्धन समिति (SMC)/ स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) :–**

- SMC के सदस्यों (प्रत्येक विद्यालय में 5 अभिभावक सदस्य व 1 जन प्रतिनिधि) को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता।
- **उद्देश्य** – सदस्यों में जागरूकता उत्पन्न करना, क्षमता विकास करना।
  विद्यालय प्रबंधन को बेहतर बनाना

आजीवन शिक्षा को सशक्त बनाना : साक्षरता एवं सतत् शिक्षा आगे बढ़ाना

★ साक्षरता एवं सतत् शिक्षा निदेशालय –

केन्द्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मौलिक साक्षरता और कौशल विकास प्रदान करता है।

★ नवभारत साक्षरता कार्यक्रम –

- **उद्देश्य** – राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को साक्षर बनाना।
- भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2022 से लागू।
- केन्द्र प्रायोजित योजना। केन्द्र : राज्य = 60 : 40
- स्वयंसेवक आधारित अभियान।
- उल्लास ऐप द्वारा ऑनलाइन मोड में संचालित।
- दो यूट्यूब चैनल, **ई साक्षरता,** एवं **साक्षर राजस्थान** लॉन्च –
  - उद्देश्य – शिक्षा को सुलभ, लचीला बनाने और कहीं से भी, कभी भी सीखने के लिए।
    राज्य के छात्रों को ई–क्लासेज की सुविधा प्रदान करना।
  - अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस (8 Sept. 2023) को लाँच
  - साक्षरता विभाग + मिशन ज्ञान के सहयोग से

★ महात्मा गाँधी पुस्तकालय एवं वाचनालय (14970) –

- साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत नव साक्षरों की सुविधा हेतु।
- महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से संबंधित साहित्य एवं अन्य पुस्तके उपलब्ध।
- नियमित पत्र–पत्रिकाऐं एवं सामाचार पत्र उपलब्ध।
- आवर्तक व्यय हेतु रू. 500 प्रति पुस्तकालय प्रति माह व्यय किये जाते।

★ महिला व्यस्क साक्षरता कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना –महिला शिक्षण विहार

- **उद्देश्य** – महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके –
  - सशक्त बनाना
  - आत्मनिर्भर बनाना
  - आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना।
  - लैंगिक असमानताओं को कम करना।
  - महिलाओं की साक्षरता में सुधार करना।

उच्च शिक्षा को सशक्त बनाकर ज्ञान आधारित भविष्य

- **उद्देश्य** : व्यक्तियों को पेशेवर और आर्थिक विकास एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक कौशल एवं ज्ञान प्रदान करना।
  - अनुसंधान, नवाचार और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देना।
  - स्थानीय और राष्ट्रीय प्रगति सुनिश्चित करना।
  - समावेशिता को बढ़ावा देना।
  - रोजगार क्षमता का विस्तार करना।
- **पहल :–**
  - जनजाति प्रतिभावान छात्राओं को आर्थिक सहायता।
  - सहरिया छात्र–छात्राओं को बी.एड.प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता।
  - **उच्च शिक्षा में समावेश को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं –**
    - C.M. बी.एड. संबल योजना
    - दूरस्थ शिक्षा योजना
    - C.M. हमारी बेटियां योजना
    - कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना
    - देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना।
    - मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना

1. मुख्यमंत्री बी.एड. (B.ed) सम्बल योजना –

- विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के लिए
- सरकारी/निजी प्रशिक्षण संस्थानों में बी.एड. पाठ्यक्रम की फीस की प्रतिपूर्ति।

2. बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना –

- **उद्देश्य** – कॉलेज कक्षाओं में भाग लेने में असमर्थ लड़कियों को दूरस्थ शिक्षा के अवसर प्रदान करना।
- **शुरूआत** – 24 अगस्त 2022 से।
- VMOU/IGNU दूरस्थ UG/PG डिप्लोमा – छात्राओं को ट्यूशन फीस का पुनर्भरण करना। ,

3. मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना :– 2015–16

- मेधावी लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- राजकीय विद्यालय।
- BPL श्रेणी } जिले में 1st व 2nd
- अनाथ } जिले में 1st व 2nd
- न्यूनतम – 75% अंक
- कक्षा 11,12 हेतु
- व्यावसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण हेतु 1,15000 रू. तथा स्नात्तकोतर में 2,25000 रू. तक वित्तीय सहायता।

4. कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना –

- उच्च शिक्षा विभाग द्वारा

- GEN/OBC/EWS/SC/ST अल्पसंख्यक छात्रा
- कक्षा 12th :- RBSE 65% minimum; CBSE 75% min.
- कक्षा 10th ST वर्ग की छात्रा– RBSE 65% minimum; CBSE – 75%
- वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए।

5. देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना–

- उच्च शिक्षा विभाग द्वारा
- अति पिछड़े वर्ग (जैसे–बंजारा, गाड़िया लुहार, राईका, रेबारी, देवासी आदि।)
- RBSE/CBSE - 12वीं परीक्षा – Min 50% व प्रथम वर्ष में नियमित होना आवश्यक।
- स्नातक के तीनों वर्षों में 10,000 रू. वार्षिक
- स्नातकोत्तर के दो वर्षों में 20 हजार रू. वार्षिक
- 1500 स्कूटी वितरण
- शेष को प्रोत्साहन राशि
- वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए।

6. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना –

- **उद्देश्य** – निम्न आय वाले परिवारों के बच्चों को सहायता प्रदान करना।
- कक्षा 12th प्रथम 1 लाख छात्रों को।
- सामान्य छात्र – 500 Rs./month (वर्ष 5000Rs.)
- विकलांग छात्र – 1000 Rs./month (वर्ष 10,000Rs.)
- अल्पसंख्यक छात्र – 1000 Rs./month (वर्ष 10,000Rs.)

शर्त–पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम+अन्य कोई छात्रवृत्तियाँ का लाभार्थी नहीं हो।

कुशल एवं नवोन्मेषी कार्यबल तैयार करने के लिए राजस्थान में तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाना

➢ **उद्देश्य :–**

- छात्रों को विशिष्ट व्यापार, हस्तशिल्प एवं व्यवसायों में विशेष कौशल और ज्ञान प्रदान करना।
- कुशल कार्यबल की बढ़ती मांग को पूरा करना।
- राज्य की तकनीकी जनशक्ति की प्रतिस्पर्धात्मकता को वैश्विक मानकों तक बढ़ाना।
- ऐसे पाठ्यक्रमों द्वारा राज्य की मौलिक सोच एवं ज्ञान में वृद्धि को बढ़ावा देना।
- छात्रों की कार्यात्मक, आलोचनात्मक एवं वैचारिक कौशल क्षमताओं को विकसित करना।
- उद्योगों एवं मांग आधारित पाठ्यक्रमों का निर्माण करना।
- उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ पूर्ण विकसित, उत्पादक एवं रचनात्मक मानव संसाधनों का निर्माण करना।

➢ **संचालित संस्थान :–**

- 74 अभियांत्रिकी महाविद्यालय
- 48 प्रबन्धन संस्थान
- 116 पॉलिटेक्निक कॉलेज
- IIT - जोधपुर
- IIIT- कोटा
- MNIT–जयपुर

- **भारतीय प्रबंधन संस्थान** (IIM) –उदयपुर में संचालित
- **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (307)** – कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के अन्तर्गत। (11 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।)
- **दस्तकार प्रशिक्षण योजना** –एक से दो वर्ष की अवधि के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

★ चिकित्सा शिक्षा –

➢ **उद्देश्य :–** स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार करना।

- सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना।
- पिछड़े एवं दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना।
- राज्य को शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में एक अग्रणी केन्द्र के रूप में स्थापित करना।
- चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पेशेवरों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।

➢ **चिकित्सा क्षेत्र में संचालित संस्थान –**

- 43 मेडिकल कॉलेज।
- 15 दन्त चिकित्सा कॉलेज।
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर।

★ संस्कृत शिक्षा :–

- 1958 में पृथक निदेशालय व 1998 में पहला संस्कृत विश्वविद्यालय की शुरूआत।
- राजस्थान में कुल 2368 संस्कृत संस्थान है।
- महापुरा, जयपुर में 'राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (SSIERT) संचालित है।'

★ भाषा एवं पुस्तकालय :–

➢ **भाषा एवं पुस्तकालय विभाग :–**

- **उद्देश्य:–** हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना, सार्वजनिक पुस्तकालयों का प्रबंधन करना।
- राज्य में – 323 पुस्तकालय संचालित।
- सुधार – पुस्तकालय सेवाऐं सभी आयु वर्ग के पुरूष एवं महिला पाठकों को प्रदान की जाती है।
  - चयनित पुस्तकालयों में वरिष्ठ नागरिक कॉर्नर, महिला कॉर्नर, महात्मा गाँधी कॉर्नर एवं नेत्रहीनों के लिए दृष्टि बाधित कॉर्नर सुविधा भी उपलब्ध है।

★ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने संबंधित प्रयास –

❖ **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग** (DST) – स्थापना–1983 में, मुख्यालय–जयपुर।

- विभाग वैज्ञानिक जागरुकता को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं एवं सेमिनारों का आयोजन करता है।
- STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित) क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहन।
- साइंस क्लबो को सहायता प्रदान की जाती है।
- सार्वजनिक पहुँच के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों का संचालन।
- विज्ञान केन्द्र और संग्रहालय स्थापित किये गये।
  - उद्देश्य :– व्यावहारिक शिक्षा, नवाचार एवं जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना।
  - (कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर एवं बीकानेर) नये विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई।
- **28 फरवरी** – राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

- **न्यूक्लियर पावर गैलरी** – जयपुर के साइंस पार्क में।
- **जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग** – APJ अब्दुल कलाम संस्थान, छितरोली (जयपुर)।
- **पेटेन्ट सूचना केन्द्र** – IPR के प्रति जागरूकता के लिए 1998 में परियोजना शुरू की गई।

❖ **राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केन्द्र, जोधपुर :–** विभिन्न विभागों की विकास योजनाएं बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों एवं अन्य आधारभूत ढाँचे से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाता है।

- उद्देश्य – जिज्ञासा जागृत करना।
  - वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना।
  - सामाजिक विकास के लिए वैज्ञानिक ज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोग को बढ़ावा देना।

❖ **राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (R-CAT)**

- जयपुर, जोधपुर में (2022)
- उद्देश्य – राज्य में परास्नातक/स्नातक/स्नातकोतर के लिए रोजगार के अवसरों को समृद्ध करना।
- R-CAT इंटर्नशिप ट्रेक (RIT) शुरू किया गया।

2024 में विभाग द्वारा किये गये समझौते –

- **राज्य इनोवेशन काउंसिल, और नेशनल इनोवेशन फाउण्डेशन भारत सरकार के मध्य –**
  उद्देश्य – नवाचारों की पहचान, प्रचार, नवाचारों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं को हल करना।
- **राज्य नवाचार परिषद्, जयपुर इनोवेशन सेंटर एवं और AICTE के मध्य।**
  उद्देश्य –उच्च शिक्षा संस्थानों के सहयोग से पेटेंट फाइलिंग और प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण में नवाचार को बढ़ावा देना।
- **आई आईटी जोधपुर – परिपत्रम सॉल्यूशन प्राइवेट लि. के मध्य –** प्रौद्योगिक एवं नवाचार में निवेश के लिए।
  - यह समझौता राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आयोजित स्टार्टअप प्री–समिट में हुआ।

❖ **शिक्षा में प्रौद्योगिकी प्रयोग :–**

- AI एवं एडॉप्टिव लर्निंग–टूल्स को सम्बद्ध कर छात्रों की प्रगति पर नजर रखना।
- इमर्सिव ऑगमेंटेड रियलिटी (A.R.) एवं वर्चुअल रियलिटी (VR) प्रौद्योगिकी द्वारा छात्रों को इंटरएक्टिव एवं व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना।
- नये उभरते क्षेत्रों जैसे– AI, जैव प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिये नवाचार और अनुसंधान केन्द्र स्थापित करना।
- मोबाइल और वर्चुअल लैब्स के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षणों को दूरदराज क्षेत्रों तक पहुँचाना।
- संस्कृति और पारम्परिक ज्ञान को डिजिटल रूप में आधुनिक एप्लीकेशन्स के साथ जोड़कर सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना।
- राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय साझेदारी द्वारा पाठ्यक्रमों का उन्नयन एवं उन्नत प्रौद्योगिकी का समावेश।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

❖ **राजस्थान के स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण :–**

➢ **उद्देश्य –**
- गरीब और कमजोर वर्गों तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना।
- प्रौद्योगिकी माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण की प्रक्रिया में सुधार कर दक्षता बढ़ाना।
- रोगी परिणामों में सुधार करना।
- स्वास्थ्य कर्मियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि करना।
- स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ाना।

➢ **प्रयास –**
- स्थायी स्वास्थ्य सुधार और नीतियों का क्रियान्वयन जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति–2017
- संचारी रोगों के नियन्त्रण के लिये उपचारात्मक और निवारक देखभाल सेवाएं प्रदान करना।
- चिकित्सा अवसंरचना को मजबूती प्रदान की गई।
- उन्नत तकनीकों का प्रयोग कर स्वास्थ्य प्रणाली को आधुनिक बनाया गया। जैसे–राज्य टेलीमेडिसिन, AI आधारित निदान, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्डस।
- **डिजिटल स्वास्थ्य मिशन** – राजस्थान सरकार द्वारा शुरूआत की गई।
  - उद्देश्य – स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना।
- **आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) –**
  - **उद्देश्य –** व्यक्तियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड के लिए एक केन्द्रीकृत रिपोजिटरी बनाना।
  - आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत लॉन्च डिजिटल हेल्थ आईडी।
  - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी
- **स्वास्थ्य सेवा का अधिकार अधिनियम 2023 –** राजस्थान सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिये क्रियान्वित किया गया।

✓ उपर्युक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक अधिक सशक्त और उत्तरदायी स्वास्थ्य पारिस्थितिक तंत्र का मार्ग प्रशस्त हुआ।

★ **सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँच –**

राजस्थान स्वास्थ्य संकेतक प्रवृतियाँ

संकेतक	राजस्थान		भारत	
	NFHS-4 (2015-16)	NFHS-5 (2020-21)	NFHS-4 (2015-16)	NFHS-5 (2020-21)
1. नवजात मृत्यु दर (NNMR) (प्रति 1000 जीवित जन्म)	29.8	20.2	29.5	24.9
2. शिशु मृत्यु दर (IMR) (प्रति 1000 जीवित जन्म)	41.3	30.3	40.7	35.2
3. 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु (प्रति 1000 जीवित जन्म)	50.7	37.6	49.7	41.9
4. कुल प्रजनन दर (TFR) (प्रति महिला बच्चे)	2.4	2.0	2.2	2.0
5. संस्थागत जन्म (प्रतिशत)	84.0	94.9	78.9	88.6
6. पूर्ण टीकाकरण (प्रतिशत)	54.8	80.4	62.0	76.4

★ राज्य स्वास्थ्य अवसंरचना –

➢ **भौतिक अवसंरचना :–** राजस्थान में एक सुसज्जित और विविधतापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढाँचा है।

संस्थागत ढ़ाँचा

- **एलोपैथिक चिकित्सालय (238)**
  - जिला – 61
  - उपजिला – 108
  - सैटेलाइट – 22
  - अन्य – 47
- आयुष्मान आरोग्य मन्दिर – 9259
- औषधालय – 183

- **आयुर्वेदिक चिकित्सालय**
  - आयुर्वेदिक – 127
  - ब्लॉक आयुष – 84
  - योग एव प्राकृतिक चिकित्सा – 03
  - औषधालय – 3577
- अजमेर में राजस्थान आयुष अनुसंधान केन्द्र की स्थापना।
- राजस्थान राज्य आयुष सोसाइटी का गठन – मार्च, 2015

- **होम्योपैथिक चिकित्सालय**
  - **अस्पताल – 07**
  - **औषधालय – 188**

❖ सभी के लिए स्वास्थ्य –

1. मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना – **1 मई 2021**

- पूर्व नाम – ''मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना''
- उद्देश्य – चिकित्सा सेवाओं के लिए सरकारी + निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार करना।
  - स्वास्थ्य देखभाल हेतु परिवारों को उच्च आउट–ऑफ–पॉकेट – खर्च से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
- **लाभार्थी :–** NFSA/SECC/छोटे और सीमांत किसान/संविदा कर्मी/COVID अनुग्रह योजना/EWS/वरिष्ठ नागरिक (70 वर्ष से अधिक आयु वाले) को निःशुल्क।
  - शेष आबादी को 850 रु. प्रति परिवार वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके।
  - प्रीमियम की शेष राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। **(रु. 1115)**
  - लाभार्थी लक्ष्य :– 2.86 करोड़।
- प्रति परिवार कुल प्रीमियम – 1965 रु.।
- प्रतिवर्ष परिवार बीमा राशि 25 लाख रू.।
  - बीमा मोड – 5 लाख रू.।
  - ट्रस्ट मोड – 20 लाख रू.।
  - अंग प्रत्यारोपण और कोक्लियर इम्प्लांट्स विशेष पैकेज।
  - अन्य राज्यों में प्रतिपूर्ति का विकल्प उपलब्ध।
- इस योजना में कुल 1819 उपचार पैकेज शामिल है।
  - बीमा मोड – 1761 पैकेज।
  - ट्रस्ट मोड – 58 पैकेज।
- चिकित्सालयों में भर्ती होने के 5 दिन पूर्व तथा 15 दिन पश्चात का खर्च शामिल।
- बजट घोषणा 2024 के अनुसार कैंसर के 73 Day कैंसर पैकेज योजना में शामिल है।
- इसी के साथ प्रदेश निःशुल्क यूनिवर्सल हेल्थ केयर उपलब्ध करवाने वाला एकमात्र राज्य बन गया है।

- बजट – 2025–26
  - MAA कोष – निःशुल्क जाँच एवं दवा हेतु 3500 करोड़ रूपये का
  - Interstate Portability लागू कर राज्य के बाहर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

2. मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना – 1 अप्रैल, 2022 से

- निःशुल्क दवा एवं निःशुल्क जाँच योजना का विस्तार है।
- मेडिकल कॉलेज से जुडे विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों पर इनडोर और आउटडोर मरीजो को निःशुल्क आवश्यक दवाएँ एवं जांच सुविधाएँ प्रदान की जाती है।
- 1240 औषधियाँ + 428 सर्जिकल आइटम + 156 सूचर्स आइटम सूचीबद्ध है।

3. राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) – (CGHS की तर्ज पर)

- उद्देश्य :– राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करना।
- 1 जुलाई 2021 से शुरू
- राज्य के मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, अखिल भारतीय सेवाओं में सेवारत व सेवानिवृत अधिकारी, राज्य सरकार के सेवारत कर्मचारी व पेंशनभोगी के सेवारत राज्य स्वायत निकाय सेवारत कर्मचारी और पेंशनभोगी शामिल है।
- सरकारी/सूचीबद्ध निजी अस्पताल में सुविधा उपलब्ध।
- पंजीकरण जन आधार के माध्यम से।
- ऐलोपेथी के अलावा आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा के तहत भी उपचार सम्मिलित।
- यह पूर्ण रूप से ऑनलाइन स्वचालित, पेपरलेस योजना।
- मोबाइल App-RGHS कनेक्ट के माध्यम से सहज और त्वरित सुविधा प्रदान।

4. आयुष्मान वय वंदन योजना –

- बिना किसी वित्तीय बोझ बुजुर्गों को आवश्यक चिकित्सा उपचार प्रदान करना।
- ≥ 70 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को।
- रु. 5 लाख तक का कवरेज प्रदान कर कैशलेस उपचार प्रदान करना।

5. आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र योजना –

- **उद्देश्य** – ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना।
- ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आदर्श–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में नामित किया गया है।

6. "शुद्ध आहार मिलावट पर वार" अभियान –

- **उद्देश्य** :– राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना।
- 15 फरवरी, 2024 से निरंतर जारी।

7. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम – राजस्थान राज्य एड्स नियन्त्रण सोसायटी द्वारा लागू।

- राज्य में 256 Blood Bank
  - → 58 राज्य सरकार
  - → 7 केन्द्र सरकार
  - → 191 निजी क्षेत्र

8. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम –

- **उद्देश्य :–** स्वास्थ्य देखभाल की पहुँच को बढ़ाना।
  - मरीजों के लिए समर्थन प्रदान करना।
- इसके अन्तर्गत शिविर आयोजित कर रोगियों का उपचार किया जाता है।

9. राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम (NPPCF) –

- विशेषरूप से पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा वाले क्षेत्रों में क्रियान्वित है।
- वर्तमान में 30 जिलों में कार्यक्रम संचालित।
- राज्य के कुल 2288 गाँव फ्लोराइड से प्रभावित है। (जल शक्ति मंत्रालय रिपोर्ट अनुसार)

10. राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम –

- केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 में शुरू।
- **उद्देश्य –** मुख स्वास्थ्य में सुधार करना।
  - ग्रामीण एवं शहरी आबादी में मुख स्वास्थ्य की सेवाओं में उपलब्ध असमानता को कम करना।

11. परिवार कल्याण कार्यक्रम –

➢ **उद्देश्य :–** राज्य में मातृ व शिशु मृत्युदर घटाना।
- सघन टीकाकरण कार्यक्रम :– शिशु मृत्युदर को कम करने।
  शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं को गम्भीर बीमारियों से बचाने के लिए।

नोट :– NFHS-5 के अनुसार कुल प्रजनन दर 2.0 के राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच गई।

12. कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESIS) –

- **उद्देश्य :–** निजी क्षेत्र के कर्मचारियों व उनके आश्रितों को व्यापक चिकित्सा सुविधा प्रदान करना।
  - सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना।
- न्यूनतम 10 कर्मचारियों वाली संस्थान पर जिनका वेतन 21 हजार रूपये प्रतिमाह तक हो।
- कर्मचारी के साथ–साथ उनके पति/पत्नी, आश्रित पुत्र (21 वर्ष तक), आश्रित अविवाहित पुत्रियाँ, शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग बच्चे व आश्रित माता–पिता को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।
- वर्ष 2023–24 के दौरान 50 बैड वाले 3 चिकित्सालय (जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा) और 74 औषधालयों द्वारा चिकित्सा सेवा प्रदान।
- ई.एस.आई. कॉर्पोरेशन और राज्य सरकार के बीच वित्तीय भागीदारी 7:1 के अनुपात में।
- नियोक्ता का 3.25% और कर्मचारी 0.75% योगदान रहता।

★ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन –

- **उद्देश्य :–** ग्रामीण और शहरी दोनों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना।
  - व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक और स्वास्थ्य प्रणाली स्तर पर विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रभावी देखभाल प्रदान करना।
- **उपमिशन :**
  - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन व राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन।

NHM के तहत विभिन्न गतिविधियाँ क्रियान्वित है–

❖ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005) –

- **आशा कार्यक्रम** :–मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता
- **कार्य:**
  - स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता फैलाना है।
  - सामुदायिक प्रक्रिया हस्तक्षेप का घटक।
- **चयन** :– ग्रामसभा द्वारा
- राजस्थान में आशा सहयोगिनी के रूप में जाना जाता।
- ये चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच संयुक्त कार्यकर्ता।
- **ऊषा :–** शहरों में आशा सहयोगिनी का नाम।

➢ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) –

- उद्देश्यः– बच्चों में जन्म दोष और विकास में देरी जैसे 40 पूर्व निर्धारित स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान और उपचार सुनिश्चित करना।
- इसके तहत आंगनबाडी केन्द्रों, राजकीय विद्यालयों तथा मदरसों पर 18 वर्ष तक के सभी बच्चों की Four D's Defects at birth Disease, Deficiencies Developmental delays, Disabilities की जाँच तक समर्पित मोबाइल स्वास्थ्य दल के माध्यम से की जा रही हे।

➢ राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम –

- शुरूआत – 7 जनवरी, 2014
- 10–19 वर्ष की आयु के किशोरों के समग्र विकास को बढ़ावा देना।
- **उजाला क्लीनिक्स :–** राज्य के 15 जिलों में 332 स्थानों पर किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापित किए गए है।
  - इनमें 319 वर्तमान में कार्यरत।

➢ मोबाइल मेडिकल सेवा योजना (2008–09) –

- **उद्देश्य** :– स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना।
- प्रत्येक महीने 20 निःशुल्क मेडिकल कैम्पों का आयोजन किया जाता है।
- केम्पों का आयोजन रेगिस्तानी, आदिवासी, अविकसित गाँवों, क्षेत्रों, ब्लॉकों में होता है।

➢ ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियाँ –

- संयोजक – आशा सहयोगिनी।
- अध्यक्षता :– सरपंच/वार्डपंच
- 43,440 ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों का गठन।

➢ राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना –

- **उद्देश्य** :– राज्य के लोगों को निःशुल्क और प्रभावी आपातकालीन सेवाएं प्रदान करना।
- 104 या 108 सुविधा का उपयोग :–
  - 108 टोल फ्री निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा योजना सितम्बर, 2008 में शुरू।
  - 104 जननी एक्सप्रेस सेवाएँ।
- गर्भवती महिलाओं व शिशुओं को निःशुल्क चिकित्सा व अन्य सुविधा प्रदान करना।

❖ प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल –

- उद्देश्य :– सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाना।

➢ **प्रयास :–**

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति – 2017 के तहत ''स्वास्थ्य और कल्याण केन्दों'' की स्थापना की गई।
- देखभाल के पहलू–निवारक, प्रोत्साहन, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास।
- स्वास्थ्य बजट का दो तिहाई हिस्सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को समर्पित किया जायेगा।

➢ **आयुष्मान आरोग्य मन्दिर –** आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों का नाम बदलकर 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' (AAM) किया गया है। (नवम्बर– 2023 में)।

- राज्य में 9259 आयुष्मान आरोग्य मन्दिर कार्यरत है।
- AAM के तहत समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (सीपीएच) हेतु प्रदान की जाने वाली 12 सेवाएँ :–
  1. गर्भावस्था एवं बच्चों के जन्म के समय देखभाल ।
  2. नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ।
  3. बाल्यकाल एवं किशोरावस्था स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं ।
  4. परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक सेवाएं एवं अन्य प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं।
  5. संचारी रोगों का प्रबंधनः राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम ।
  6. एक्यूट सिम्पल इल्नेस एवं मामूली बीमारियों के लिए सामान्य ओपीडी सेवाएं।
  7. गैर–संचारी बीमारियों की जाँच, रोकथाम, नियंत्रण एवं प्रबंधन ।
  8. सामान्य नेत्र एवं नाक, कान, गला रोग सेवाएं।
  9. बुनियादी मुख स्वास्थ्य सेवाएं।
  10. प्रौढ़ एवं उपशामक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं।
  11. जलने एवं आघात सहित आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं।
  12. मानसिक स्वास्थ्य बीमारियों की जाँच एवं बुनियादी प्रबंधन ।

❖ राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन –

➢ **उद्देश्य** :– शहरी क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना।
- सुनियोजित ढ़ाँचे का विकास करना।
- चिकित्सा संस्थानों को मजबूत बनाना।

➢ शहरी स्वास्थ्य और पोषण दिवस का आयोजन।

➢ गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम – 20 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को नेशनल सर्टिफाइड करवाया जाता है। (2024–25)

➢ शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – 16

➢ शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी) – 296

➢ **शहरी आयुष्मान आरोग्य मन्दिर – (पूर्व नाम – ''जनता क्लिनिक'')**
- **उद्देश्य –** राजस्थान की शहरी गरीब और कमजोर आबादी को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, जहाँ कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है।
- प्रत्येक आयुष्मान मन्दिर लगभग 20,000 जनसंख्या को कवर करेगा।
- वर्तमान में राज्य में 321 शहरी आयुष्मान आरोग्य मन्दिर संचालित है।

❖ राष्ट्रीय आयुष मिशन –

- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
- राज्य में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्या पद्धतियों के सर्वांगीण विकास बढ़ावा देना।
- राजस्थान राज्य आयुष सोसायटी और राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यालय की स्थापना।
- **आयुष्मान आरोग्य मन्दिर :–** आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष औषधालयों को विकसित किया गया।
- 50 आयुष्मान आरोग्य मन्दिर (आयुष) को NABH प्रमाणीकरण से सम्मानित किया।

❖ टेलीमेडिसिन (ई–संजीवनी) –

- **Esanjeevanihwc (ई–संजीवनी) पोर्टल लॉन्चः–** भारत सरकार द्वारा शुरूआत की गई।
  - इसमें हब एण्ड स्पोक मॉडल के तहत प्रदानुक्रमित परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती है।
  - टेलीमेडिसिन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना।

2024–25 विभिन्न स्वास्थ्य पहले :–

- कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम
- राष्ट्रीय श्रय रोग उन्मूलन कार्यक्रम
- राष्ट्रीय अंधता नियन्त्रण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियन्त्रण कार्यक्रम
- आयोडीन अल्पता रोग नियन्त्रण कार्यक्रम
- **टेली रेडियोलॉजी पहल** – सिलिकोसिस की जाँच के लिए AI का प्रयोग करना।
  राज्य को इसके लिए 2024–25 का राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस (गोल्ड) पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

रोजगार

राजस्थान को सशक्त बनाना : रोजगार को बढ़ावा देना :–

प्रयास :– सतत् रोजगार सुधार और नीतियों को लागू किया गया ।

- व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और औद्योगिक योजनाओं का क्रियान्वयन कर सेक्टर उन्मुख कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा ।
- समृद्ध और समावेशी रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण पर बल।
- नवाचार और उद्यमी पहलों का संचालन।
- पर्यावरण और प्रौद्योगिकी जैसे उभरते उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उपर्युक्त प्रयासों द्वारा बेरोजगारी नियन्त्रण, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने और सतत् आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया।

सुधार की आवश्यकता के क्षेत्र–

- **कौशल विकास बढ़ाना** – बेहतर बुनियादी ढाँचे और शैक्षिक सुविधाओं का विकास करके।
- **श्रम बल भागीदारी बढ़ाना** – प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर और उच्च शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित कर।
- **नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना** – निजी सरकारी सहयोग से।

- **क्षेत्रीय असमानता में सुधार करना –** लक्षित नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से।
- **स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार सृजन करना –** स्टार्टअप्स व छोटे व्यवसायों (MSME's) को प्रोत्साहन देकर।

❖ **रोजगार स्थिति :** N.S.O द्वारा संचालित जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (P.L.F.S) 2023-24 के अनुसार।

सूचक	राजस्थान %		भारत %	
श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
	64.8	67.6	61.6	64.3
श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR)	61.6	64.4	59.5	62.1
बेरोजगारी दर	4.9	4.7	3.4	3.5

नोट :– वर्ष 2022–23 की तुलना में राज्य में WPR और LFPR दोनों क्रमिक वृद्धि दर्शातें हैं।

क्षेत्रवार कार्यरत श्रमिक (सर्वाधिक)

क्र.सं.	भाग	राजस्थान (%)	भारत (%)
1.	कृषि एवं वानिकी और मछली पकड़ना।	51.05	46.07
2.	निर्माण	12.31	11.98
3.	विनिर्माण	10.95	11.44
4.	थोक और खुदरा व्यापार मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों की मरम्मत	8.61	10.23

न्यूनत्तम (राजस्थान)

1. रियल एस्टेट गतिविधियाँ (0.14%)
2. जलापूर्ति सीवरेज अपशिष्ट प्रबंधन और उपचार गतिविधियाँ (0.23%)

★ **राजस्थान एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR) पॉलिसी–2024**

उद्देश्य – राज्य को AVGC-XR का केन्द्र बनाना।

- क्षेत्र से जुड़े स्टर्आप्स, उद्योगों, शिक्षाविदों को सहायता उपलब्ध कराना।
- क्षेत्र से सम्बन्धित बुनियादी ढाँचे का विकास करना।
- वित्तीय प्रोत्साहन, कौशल विकास को बढ़ावा देना।

लक्ष्य – AVGC-XR में निवेश को आकर्षित कर राज्य अर्थव्यवस्था को मजबूत करना।

- रोजगार के नए अवसर सृजित करना।

क. **वित्तीय प्रोत्साहन:** उत्पादन अनुदान (30 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति), कर लाभ और स्टार्टअप के लिए वित्तपोषण करना।

ख. **बुनियादी ढांचे का विकास:** अटल इनोवेशन स्टूडियो, एक्सेलेरेटर, इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना और उच्च–स्तरीय प्रौद्योगिकी संसाधनों तक पहुँच ।

ग. **कौशल विकास:** कुशल कार्यबल बनाने के लिए विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी।

घ. **व्यापार करने में आसानी:** स्वीकृतियों और प्रोत्साहनों के लिए समर्पित एवीजीसी–अक्सआर कक्ष और एकल खिड़की पोर्टल।

ड़ **सांस्कृतिक संवर्धन:** राजस्थानी लोकगीतों पर आधारित सामग्री के लिए प्रोत्साहन और मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग ।

च. **अनुसंधान और विकास:** आईपी निर्माण, नवाचार प्रयोगशालाओं और एवीजीसी–अक्सआर सैंडबॉक्स के लिए समर्थन।

❖ **कार्यबल का सशक्तिकरण :–**

➢ **उद्देश्य :–**

- व्यक्तियों की पूर्ण कार्यक्षमता का लाभ उठाना।
- उत्पादकता और नवाचार को बढ़ावा देना।
- आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाना
- समय पर वेतन भत्तों का भुगतान सुनिश्चित करना।
- श्रमिकों को शिक्षा, कौशल और उन्नति के अवसर उपलब्ध कराना।
- श्रम व रोजगार नियमों का प्रवर्तन।

माध्यम :– श्रमिक कल्याण, रोजगार सृजन एवं आजीविका संवर्द्धन।

श्रमिक कल्याण (श्रम विभाग)

➢ लक्ष्यः– उत्पादन बढ़ाने के लिए सकारात्मक औद्योगिक परिवेश बनाना।

➢ **न्यूनतम मजदूरी (1 जुलाई 2021 से) →** (अधिसूचित – 28 जून 2022)

अकुशल – 259 रू.
अर्द्धकुशल – 271 रू.
कुशल – 283 रू.
उच्च कुशल – 333 रू.

➢ **भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड :–**

- भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा की शर्तो का विनियमन) अधिनियम 1996 के तहत स्थापित।
- **कार्य :–** स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ, और कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन।
  निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन।

निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

कौशल विकास एवं शिक्षा	स्वास्थ्य	वित्तीय सहायता
• निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना • निर्माण श्रमिक औज़ार /टूलकिट सहायता योजना • शुभ शक्ति योजना	• सामान्य मृत्यु/दुर्घटना मृत्यु/चोट लगने के तहत सहायता योजना • प्रसूति सहायता योजना • सिलिकोसिस सहायता योजना • निर्माण श्रमिक जीवन भविष्य सुरक्षा योजना	• वाणिज्यिक ऋणों पर ब्याज प्रतिपूर्ति की योजना • भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों को बढ़ावा देने की योजना • ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की योजना • वीज़ा व्यय की प्रतिपूर्ति • अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए निर्माण श्रमिकों को बढ़ावा देने की योजना

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड

स्वयं

1. **सामान्य एवं दुर्घटना में मृत्यु/घायल सहायता योजना–**
   - सामान्य मृत्यु – 2 लाख रू.
   - आकस्मिक से मृत्यु – 5 लाख रू.
   - पूर्ण स्थायी विकलांगता – 3 लाख रू.
   - आंशिक स्थायी विकलांगता – 1 लाख रू.
   - घायल होने पर–5,000–20,000रु.
2. **निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना –**
   - औजार/टूलकिट की खरीद पर 2000 रू. या वास्तविक लागत (जो भी कम)
3. **सुलभ आवास योजना**
   - स्वयं का आवास निर्माण एवं घर क्रय हेतु– 1.50 लाख रू. का अनुदान
4. **निर्माण श्रमिक जीवन भविष्य सुरक्षा योजना**
   - हितधारी द्वारा जमा करवाएं गए अंशदान पर 50-100% तक बोर्ड द्वारा सहायता।
5. **व्यावसायिक ऋण पर ब्याज पुनर्भरण योजना**
   - 5 लाख रू. तक के व्यवसायीकरण पर।
6. **विदेश में रोजगार हेतु किए गए वीजा व्यय की प्रतिपूर्ति :** 5000 रू. तक की राशि का पुनर्भरण
7. **सिलिकोसिस पीड़ितों को सहायता।**

बच्चों के लिए

1. **निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना**
   - कक्षा–6 से उच्चतर अध्ययन हेतु।
   - छात्रवृत्ति – 8000–25000 रू. तक
   - प्रोत्साहन राशि – 4000–35000 रू. (मेधावी छात्रों के लिये योग्यता के आधार पर)
2. **IIT और IIM में प्रवेश पर ट्यूशन फीस पुनर्भरण योजना :** कुल ट्यूशन फीस का पुनर्भरण।
3. **IAS/RAS प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर –**
   - IAS = 1 लाख रूपये
   - RAS = 50,000 Rs. की सहायता
4. **अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं हेतु प्रोत्साहित करने की योजना –**

प्रतियोगिता में भाग	कांस्य पदक	स्वर्ण पदक	रजत पदक
2 लाख रु.	5 लाख रु.	11 लाख रु.	8 लाख रु.

शुभ शक्ति योजना –
- पंजीकृत हितधारकों की व्यस्क अविवाहित पुत्रियों को आत्मनिर्भरता के द्वारा सशक्तिकरण हेतु 55,000 रु. की प्रोत्साहन राशि।

अन्य योजनाएं

★ प्रसूति सहायता योजना –

श्रमिक दंपति के लड़के के जन्म पर 20,000 रु. तथा लड़की के जन्म पर 21,000 रु.

प्रसव + टीकाकरण + स्कूल में प्रवेश (5 वर्ष आयु)

↓ ↓ ↓

5000 रु. + 5000 रु. + 10,000/11000 = 20,000/21000

पुत्र पुत्री

★ ई–श्रम पोर्टल –

- 26 अगस्त 2021 को लॉन्च, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा।
- असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए विकसित किया गया है।
- आयु 16–59 वर्ष के मध्य
- आयकर दाता नहीं
- EPFO/ESIC/NPS का सदस्य नहीं
- लाभ :– सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की पहुँच में सुधार करना।
  आपातकालीन स्थितियो के दौरान संसाधन उपलब्ध कराना।

रोजगार सृजन

➢ **लक्ष्य :–**

- अगले 5 वर्षों में 15 लाख नौकरियां उपलब्ध कराना।
- राज्य की विकास दर को 10 से 12 प्रतिशत तक बढ़ाना।
- रोजगार तलाश वालों को तथा रोजगार नियोक्ताओं को क्रमशः रोजगार व कार्यबल प्राप्त करने में सहायता करना।

➢ **कार्य :–**

- बेरोजगारों का पंजीकरण
- उनके आवेदनों का नियोक्ता की मांगों से मिलान।

1. **रोजगार सहायता शिविर** – जिला मुख्यालयों पर त्रैमासिक रूप से।
2. **मॉडल कॉरियर सेंटर** (MCC) :–
   - 16 जिलों में
   - पारंपरिक रोजगार एक्सचेंजों को IT – सक्षम मॉडल कैरियर सेंटर में बदलना।
3. **राजस्थान रोजगार संदेश** :–
   - रिक्तियों, छात्रवृतियों, प्रतियोगी परीक्षाओं आदि की जानकारी प्रसारित करना।
   - रोजगार निदेशालय द्वारा पाक्षिक (1 माह में दो बार) रूप से प्रकाशित पत्रिका। ।
4. **मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना** –
   - 1 फरवरी 2019 से प्रारम्भ।
   - राज्य के युवाओं की सहायता व रोजगार क्षमता वृद्धि के लिए।
   - Revised – 1 जनवरी 2022
   - 4000 रु. प्रतिमाह ⟵ बेरोजगारी भत्ता ⟶ 4500 रू. प्रतिमाह

     ↓ पुरूषों को ↓ महिला, ट्रांसजेंडर, विशेष योग्यजन को
   - अधिकतम 2 वर्ष तक या रोजगार प्राप्त करने तक।
   - **योग्यता :–**
     - स्नातक बेरोजगार
     - कम से कम तीन माह कौशल प्रशिक्षण
     - प्रतिदिन 4 घन्टे राजकीय विभागों में इन्टर्नशिप
5. **सावित्री बाई फुले अध्ययन केन्द्र** – 33 जिला पुस्तकालयों में।
   - एक सलाहकार की नियुक्ति–प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों की मदद करना।
     - कैरियर मार्गदर्शन के लिये मदद करना।
6. **संगठित क्षेत्र के कार्यबल की सामाजिक सुरक्षा :** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा तीन योजनाओं का क्रियान्वयन

   (i) **कर्मचारी भविष्य निधि योजना (1952)** :– सामाजिक सुरक्षा पहल।
   - अनिवार्य बचत योजना के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
   - कर्मचारी और नियोक्ता दोनो कर्मचारी के वेतन का निश्चित प्रतिशत फंड में योगदान करते।
   - सदस्यों को चिकित्सा, आवास, शिक्षा जैसी विशिष्ट जरूरतों के लिए धन निकालने की अनुमति।

   (ii) **कर्मचारी पेंशन योजना (1995)** : वेतन और सेवा वर्षो के आधार पर पेंशन लाभ प्रदान।

(iii) **कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (1976)** :– निजी क्षेत्र में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को जीवन बीमा कवरेज प्रदान करना।

- सेवारत कर्मचारी की असामयिक मृत्यु की स्थिति में परिवार को 2.5 लाख–7 लाख रूपये की वित्तीय सहायता (अंतिम आहरित वेतन के आधार पर)

☑ **निधि आपके निकट 2.0:–** EPFO द्वारा द्वारा देश के सभी जिलों में संचालित।

- समावेशी और एकजुट आउटरीच कार्यक्रम द्वारा EPFO बढ़ाना।

➢ **कार्मिक विभाग** :– विभिन्न राज्य सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रियाओं की निगरानी करता।

- मानव संसाधन प्रबंधन।

➢ **मनरेगा, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना :–** अकुशल श्रम रोजगार उपलब्ध करवाकर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती।

आजीविका संवर्द्धन

★ राजस्थान मिशन ऑन लाइवलिहुड (RMOL) –

- 17 अगस्त 2010 को गैर लाभकारी कंपनी के रूप में शुरूआत की गई।
- भारत का पहला राज्य → आजीविका मिशन शुरू करने वाला।
- परिवर्तित → RMOL को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) (मई 2012) के रूप में।

☑ **राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC)**

- उद्देश्य –राज्य में कौशल और उद्यमिता विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन
  - प्रशिक्षण भागीदारों के साथ सहयोग करके कौशल प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना।

★ RSLDC द्वारा संचालित कार्यक्रम –

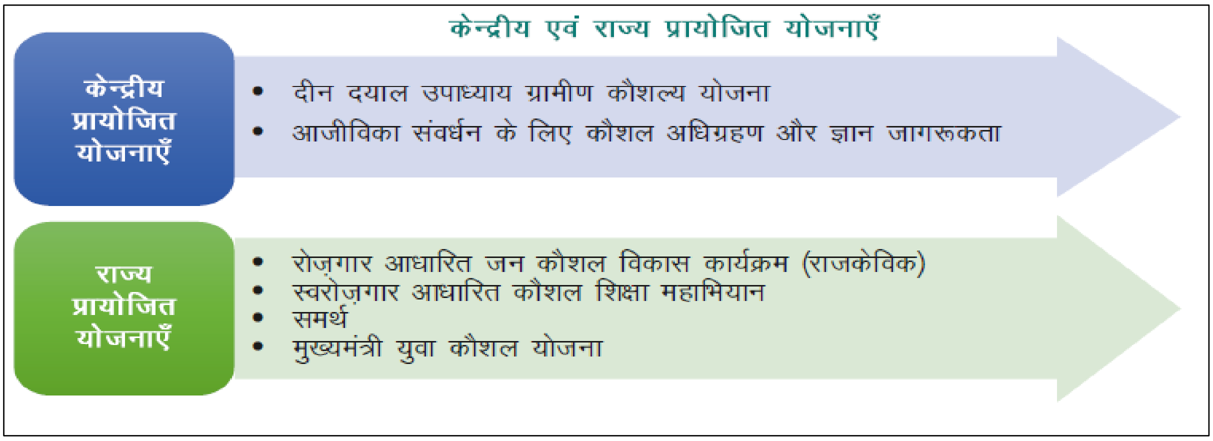

➢ केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ –

1. दीनदयाल उपाध्क्ष ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) –

- यह ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यक्रम है।

- **उद्देश्यः–**
    - न्यूनतम सीमा से ऊपर नियमित वेतन के साथ रोजगार सुरक्षित करना।
    - गरीब ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना।
- भारत के प्रथम कौशल विकास केन्द्र के रूप में 16 अगस्त 2014 को उदयपुर में लॉन्च किया गया।
- लाइफ MNREGA पहल को भी इसी योजना में सम्मिलित किया गया है।

2. संकल्प (SANKALP – Skill acquistion and knowledge Awareness for Livelihood Promotion) (आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता) –

- 19 नवंबर 2018 को शुरू
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा।
- **उद्देश्य** – राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों ही स्तरों पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करना।
    - गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षकों एवं मूल्यांकनकर्त्ताओं का पूल बनाना।
- संकल्प परियोजना के अन्तर्गत उपलब्ध करवाया गया अनुदान RSLDC को जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करने में सक्षम बनाएगा।
- यह कार्यक्रम कौशल विकास पहलों की गुणवत्ता एवं बाजार प्रासंगिकता में सुधार करेगा।
- कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं, SC/ST, दिव्यांग प्रतिभागियों व समाज के अन्य वंचित समूहों की भागीदारी में भी वृद्धि करेगा।

➢ राज्य प्रायोजित योजना –

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (अम्ब्रेला योजना)

(1) रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम (राजकेविक)

- **पूर्व नाम** – रोजगार से जुड़े कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ई.एल.एस.टी.पी.)
- **उद्देश्य** – बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण
- मॉडल → रक्रूट–ट्रेन–डिप्लॉय (भर्ती–प्रक्षिण–नियोजन)
- स्पेशल एम्पैनलमेंट प्रक्रिया द्वारा कौशल प्रशिक्षण और रोजगार।

नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (R.S.T.P)

(2) स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान (सक्षम)

- **उद्देश्य** – युवाओं एवं महिलाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण।
- स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर

(3) समर्थ :–

- **उद्देश्य** – प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना।
- हाशियें पर मौजूद समुदायों/वर्गों, भिक्षावृति में लिप्त, कच्ची बस्तियों के निवासी, दलितों, आदिवासियों, नारी निकेतन–बालगृह के निवासियों कारागार बन्दियों को।
- रोजगार एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देना।

4. मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (MMYKY) -

- 7 नवम्बर 2019 को शुरू
- **उद्देश्य** – शैक्षणिक महाविद्यालयों में कौशल विकास को एकीकृत करना।
  - कॉलेजो में छात्रों को सॉफ्ट स्किल और कौशल आधारित रोजगार प्रदान करना।
  - प्रशिक्षण के बाद मजदूरी या स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाना।
- **संचालन** – RSLDC + कॉलेज शिक्षा विभाग
- **पाठ्यक्रम** – डोमेन विशिष्ट और सॉफ्ट स्किल/लाईफ स्किल
  - 45 विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
  - अधिकतम अवधि 350 घण्टे
  - 90 घण्टे सॉफ्ट स्किल के लिए निर्धारित

5. भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास (भोर) कार्यक्रम–भिक्षुक मुक्त शहर –

- समन्वय – RSLDC + पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
- **उद्देश्य** – भिक्षुको को सम्मानजनक आजीविका प्रदान करना।
  - **भिक्षुक** – प्रशिक्षण, पुनर्वास, रोजगार/स्वरोजगार।
- पहल के तहत 105 दिनों में 840 घंटे का प्रशिक्षण ।
- 15 दिन ग्रुमिंग और काउंसलिंग
- प्रतिभागियों को प्रतिदिन 225 रूपये की मजदूरी हानि क्षतिपूर्ति दी जाती है।

6. प्रवासन सहायता केन्द्र –

- संकल्प प्रोजेक्ट द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को गृह नगर से बाहर नौकरी बनाए रखने हेतु 90 दिनों के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधा।
- 5 प्रवासन सहायता केन्द्र की स्थापना।

7. जेल कैदियों, किशोरों एवं दिव्यांगजनों हेतु प्रशिक्षण –

- जयपुर केन्द्रीय कारागृह
- भीलवाड़ा जेल
- बालिका सुधार गृह

8. आर.एस.टी.पी. योजना – पैनल में भागीदारों के माध्यम से प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जाता है।

9. विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण –

होटल और रेस्तरा में हाउसकीपिंग और ग्राहक संबंधी, आईटी/बी.पी.ओं. क्षेत्र, सिलाई, बधिरों के लिए इलेक्ट्रिकल वायरमैन और स्क्रीन प्रिंटिंग आदि हेतु प्रशिक्षण।

❖ कौशल पूर्ण राजस्थान हेतु नवाचार –

'कौशल राजस्थान' की परिकल्पना को साकार करने के लिए नवीन रणनीतियाँ

➢ **CSR प्रकोष्ठ :–**
- **CSR पार्टनरशिप के अंतर्गत** RSLDC द्वारा एक समर्पित CSR सैल का गठन।
- CSR सैल राजस्थान कौशल विकास कोष हेतु धन राशि एकत्रित करता।
    - **कोष का उपयोग:** कॉर्पोरेट स्किल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा कौशल प्रशिक्षण पहलों के लिए।

➢ **रिक्रूट–ट्रेन–डिप्लॉय (RTD) मॉडल** : बाजार अनुरूप रोजगार सृजित करना।
- इसके अतंर्गत RSLDC उद्योग संघों के साथ मिलकर कार्य करते है।

➢ **पर्यटन प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केन्द्र** – उदयपुर (ITEES सिंगापुर की सहायता से)

➢ **तृतीय पक्ष मूल्यांकन एवं प्रमाणन** – 36 सेक्टर कौशल परिषदों के सहयोग से।
- व्यापक मूल्याकंन और प्रमाणन सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षण का निष्पद मूल्यांकन अन्य संस्था द्वारा।

➢ **ऑवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो (2011) एवं राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ (2015) :–**
- विदेश में नौकरी हेतु मार्गदर्शन, सहायता तथा सुरक्षित प्रवासन जागरूकता प्रदान करना।

➢ **प्री–डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग (P.D.O.T.) :–** विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित
- RSLDC द्वारा जयपुर, सीकर, नागौर सहित पाँच जिलों – में PDOT केन्द्रों की स्थापना।
- विदेशी रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान।

➢ **जेल कैदियों, बाल अपचारियों एवं दिव्यांगजनों हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम –**

➢ **जिला स्तरीय कौशल एवं आजीविका विकास (DLSDC)**
- जिला कलेक्टर की अध्यक्षता
- **कार्य :–** जिला स्तर पर संचालित कौशल विकास गतिविधियों की नियमित रूप से निगरानी करना।

➢ विश्व युवा कौशल दिवस – 15 जुलाई (पुरस्कार वितरण)

➢ स्किल आईकन ऑफ दी मंथ – एक प्रमाण पत्र + 11,000 रु. नकद + ट्राफी

UNIT - 9 सामाजिक सुरक्षा–सभी नागरिकों का कल्याण

सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण एक प्रगतिशील समाज के आवश्यक घटक है।

उद्देश्य –

- विशेष रूप से पिछड़े समुदायों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना।
  - आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक असुरक्षा का सामना करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा चक्र प्रदान करना।
  - लोगों को व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के अवसर प्राप्त करने में सक्षम बनाना।
- समग्र सशक्तिकरण सुनिश्चित करना जैसे – शिक्षा का स्तर सुधारना, स्वास्थ्य सेवाओं के लिये वित्तीय सहायता, रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना – आर्थिक सहायता करना तथा ऐसा वातावरण बनाना जिसमें व्यक्ति उन्नति कर सकें, गरीबी की स्थिति से मुक्त हो सके।

सामाजिक सुरक्षा हेतु राज्य के लक्ष्य :–

- मीडिया, नागरिक, समाज और स्थानीय व्यापारियों के साथ मिलकर समावेशी विकास को बढ़ाना।
- महिलाओं, युवाओं और पिछड़े हुए समुदायों को सशक्त बनाना।
- नवीनतम प्रौद्योगिकी और स्थानीय प्रयासों का उपयोग कर लक्ष्य प्राप्ति के प्रयासों को मजबूती प्रदान करना।
- कमजोर वर्गो के लिए संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि करना।
- सशक्त श्रम कानूनों, बाल श्रम उन्मूलन, शिकायत निवारण प्रणाली और सामाजिक अंकेक्षण द्वारा श्रमिको के अधिकारों की रक्षा करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी नवाचारो द्वारा सभी पात्र व्यक्तियों को समय पर लाभ पहुँचाना।
- जन आधार के साथ SSO प्लेटफार्म को एकीकृत कर प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।
- पार्ट–टाईम कार्य करने वाले विद्यार्थियों की सहायता के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे ।
- राज्य बाल सुरक्षा नीति लागू करना।
- राज्य द्वारा लाभार्थियों की योजनाओं को मानक बनाया जायेगा।
- SC/ST समुदायों के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करना।

❖ **सामाजिक क्षेत्र में सतत् विकास लक्ष्यों की उपलब्धियाँ –**

- राजस्थान ने 2020–21 से वर्ष बीच 2023–24 में सामाजिक क्षेत्र सम्बन्धित लक्ष्यों में उल्लेखनीय वृद्धि–

लक्ष्य	अंकों में वृद्धि
गरीबी का अंत (लक्ष्य–1)	19
भूखमरी समाप्त करना (लक्ष्य–2)	11
अच्छे स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना (लक्ष्य–3)	3
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (लक्ष्य–4)	3
लैंगिक समानता (लक्ष्य–5)	13
शुद्ध जल एवं स्वच्छता (लक्ष्य–6)	6
असमानताओं में कमी (लक्ष्य–10)	4

मुख्य हितधारक :–

राज्य हितधारकों की विविध आवश्यकताओं को चिह्नित कर उनका समाधान करता है समुदायों को स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तीय सहायता जैसी बुनियादी सेवाओं का लाभ प्रदान करता है।

महिलाएं एवं बालिकाएं

समानता एवं सतत् विकास की प्रगति के लिए महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना आवश्यक है।
सशक्तिकरण – उनके निर्णय लेने की क्षमता, संसाधनों तक पहुँच और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनकी क्षमता को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया।
उद्देश्यः–

- लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना है।
- समाज की आधी आबादी की क्षमता को बढ़ाकर प्रगति के लिये प्रोत्साहित करना।

शैक्षिक विकास
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना

आर्थिक विकास
- स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) को समर्थन
- मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
- मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना
- मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम–जॉब वर्क योजना
- पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना

सामाजिक कल्याण
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
- विधवा विवाह उपहार योजना
- एल.पी.जी. सिलेण्डर सब्सिडी योजना
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- किशोरी बालिका योजना
- महिला विकास कार्यक्रम
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021
- लाड़ो प्रोत्साहन योजना
- कालीबाई भील उड़ान योजना
- 181 महिला हेल्पलाईन
- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं सुधार) से संरक्षण अधिनियम, 2013
- त्रि–स्तरीय महिला समाधान समिति
- कालीबाई भील महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान
- महिला सशक्तीकरण हेतु राज्य हब "मिशन शक्ति"

सामाजिक सुरक्षा
- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
- सम्भाग स्तरीय नारी निकेतन/राज्य स्तरीय महिला सदन
- शक्ति सदन योजना
- महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र (एम.एस.एस.के.)
- वन स्टॉप सेन्टर/सखी केन्द्र
- पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केन्द्र

❖ शैक्षिक विकास –

➢ बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओं योजना – शुरूआत – 22 जनवरी 2015

- **उद्देश्य** – लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना।
  - लिंगानुपात में सुधार करना।
  - लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना।
- जागरूकता के लिये विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। जैसे – सांस्कृतिक कार्यक्रम, बैठकें और प्रशिक्षण आदि।

❖ आर्थिक विकास –

➢ स्वयं सहायता समूह (SHG) को समर्थन –

- **उद्देश्य** – महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना।
- **अमृता हाट** :– महिला एवं SHG द्वारा निर्मित उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन हेतु मंच प्रदान करता है।
- इंडिया इन्टरनेशनल ट्रेड फेयर, शिल्प ग्राम उत्सव व अन्य विभागीय मेलों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन।

➢ C.M. नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना –

- **उद्देश्य** – महिलाओं को उद्यम स्थापित करने या अपने व्यवसाय का विस्तार के लिये प्रेरित करना।
- महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता, कौशल संवर्धन और संसाधन उपलब्ध कराना।

➢ C.M. नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना –

- महिलाओं को कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा सशक्त करना।
- **महत्त्व** :– महिलाओं के लिये रोजगार के अवसर बढ़ते, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती है।

➢ मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम (जॉब वर्क योजना) –

- **उद्देश्य:**– अपने घर से कार्य कर परिवार की आजीविका में योगदान देने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन व सहायता प्रदान करना।
- इच्छुक महिलाओं एवं नियोक्ताओं के लिए Mahilawfh.raj.gov.in पोर्टल पर रोजगार के अवसर पंजीकृत किये जा रहे है। इनमें वस्त्र निर्माण, ऑनलाइन परामर्श, शिक्षण, वेब डिजाइन, पैकेजिंग, चिकित्सा परामर्श आदि कार्य शामिल है।

➢ पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना –

- **उद्देश्य** – महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सक्रिय व्यक्तियों एवं संगठनों को प्रोत्साहन देना।
- **चार श्रेणियों में** पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है। (अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर)
  - अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिसके द्वारा बालिका एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अद्वितीय और प्रशंसनीय कार्य किया गया है।
  - व्यक्ति और संस्था जो महिलाओं और बालिकाओं को सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देते है।
  - श्रेष्ठ महिला और बाल विकास कार्यकर्त्ता।
  - श्रेष्ठ दानदाता/कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधि।

❖ सामाजिक कल्याण –

➢ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना –

- लक्ष्य – आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में प्रोत्साहन देना।
- SC, ST, अल्पसंख्यक + BPL परिवार → 18+ आयु की पुत्री के विवाह पर 31,000 रू.,
- **अन्य वर्ग** → BPL, विधवा (आर्थिक रूप से कमजोर)
  आस्था कार्ड धारक
  महिला खिलाड़ी (स्वयं की शादी)
  अन्त्योदय परिवार
  विशेष योग्यजन
  पालनहार लाभार्थी

  → 18+ आयु की पुत्री के विवाह पर 21,000 रु.
  अधिकतम 2 पुत्रियों तक

नोट :– यदि लड़की 10वीं पास – 10,000 रु.
स्नातक पास – 20,000 रु.
} **अतिरिक्त**

➢ विधवा विवाह उपहार – पेंशन योजना की लाभार्थी विधवा महिला द्वारा शादी करने पर ।

- **उपहार राशि** – 51,000 रु.

➢ LPG सिलेण्डर सब्सिडी योजना –

- शुरूआत – 1 जनवरी, 2024
- लाभार्थी – BPL तथा PM उज्जवला योजना लाभार्थी + NFSA के अन्तर्गत आने वाले परिवारों को।
- **लाभ – 450 रु. में कुल– 12 गैस सिलेण्डर (एक माह में एक)**
- सब्सिडी–महिला मुखिया के बैंक खाता में **(356रु.)**

➢ प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना –

- **उद्देश्य** – स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना
  - संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना।
  - मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को घटाना।
  - गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- प्रथम बच्चे के जन्म पर 5000 रु. → दो किश्तों में (3000,2000)
- दूसरे बच्चे (यदि लड़की) के जन्म पर एकमुश्त 6000 रु. की सहायता।
- **राज्य सरकार**
  - पहली संतान पर – 1500 रूपये अतिरिक्त सहायता।
  - दिव्यांग गर्भवती महिला को कुल 10000 रूपये की सहायता प्रदान की जाती है।

➢ किशोरी बालिका योजना –

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित।
- **उद्देश्य :–** 14–18 वर्ष की किशोरियों को शिक्षित और सशक्त बनाना।
  - इनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिये सहयोगी वातावरण को तैयार करना।
- **शुरूआत** – 1 अप्रैल 2022 से राज्य के पाँच आकांक्षी जिलों में (बारां, करौली, जैसलमेर, धौलपुर सिरोही)
- इसके तहत किशोरियों को चिह्नित कर उन्हें आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाता है।

➢ महिला विकास कार्यक्रम –

- **उद्देश्य** :– महिलाओं को सशक्त बनाना।
- साथिनों के माध्यम से क्रियान्वित।

❖ **'साथिन'** – मानदेय महिला कार्यकर्ता
- **चयन** – ग्राम पंचायत में प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा एक साथिन का चयन।
- **कार्य** – महिलाओं को मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना।
    - सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध करना।
    - महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उनके अधिकारों के बारे में शिक्षा प्रदान करना।

➢ C.M. सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना–2021

- **उद्देश्य** – दहेज प्रथा को समाप्त करना, शादी पर होने वाले व्यय को कम करना।
- प्रत्येक जोड़े को 25000 रू. की सहायता।
    - **21000 वधू को**
    - **4000 आयोजनकर्त्ता संस्थान/समिति**
- सामूहिक विवाह में 25 या अधिक जोडों (विभिन्न जातियों, धर्मों और समुदाय से हो)के विवाह के आयोजन पर संस्था को 10 लाख रूपये तक की सहायता।

➢ लाडो प्रोत्साहन योजना –

- **शुरूआत** – 1 अगस्त 2024
- **उद्देश्य** – बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और उनका समग्र विकास सुनिश्चित करना।
- **लक्ष्य** –
    - समाज में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना।
    - बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना।
    - मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना।
    - बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना।
- **पात्रता** – माँ राजस्थान की निवासी हो।
    - बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी या स्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में हुआ हो।
    - **सहायता** – 1 लाख रूपये की (सात किश्त में)
        - **6 किश्त (अभिभावक को)**
        - **सातवीं किश्त (बालिका)**

- **मुख्यमंत्री राजश्री योजना –**
    - 1 जून, 2016 से
    - 6 किस्तों में 50,000 रु. की सहायता
    - जून 2016 के बाद जन्मी लड़कियों को
    - वर्तमान में लाडो योजना के रूप में क्रियान्वित

➢ कालीबाई भील उड़ान योजना –

- **उद्देश्य** – प्रजनन आयु की लड़कियों/महिलाओं (10 से 45 वर्ष) को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण करना।
    - मासिक धर्म के संबंध में स्वास्थ्य/स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाना।

- राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन + राजीविका द्वारा नैपकिन खरीदकर आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा विद्यालयों सहित विभिन्न संस्थाओं में वितरित किये जा रहे है।

➢ महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं सुधार) से संरक्षण अधिनियम–2013

- राज्य और जिला स्तर पर कार्यशालाएँ आयोजित की जाती है।
- सरकारी प्रतिनिधियों को अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी प्रदान करना।

➢ त्रि–स्तरीय महिला समाधान समिति –

- **लक्ष्य** – अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की शिकायतों के निवारण, सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु।

त्रिस्तरीय समिति :–

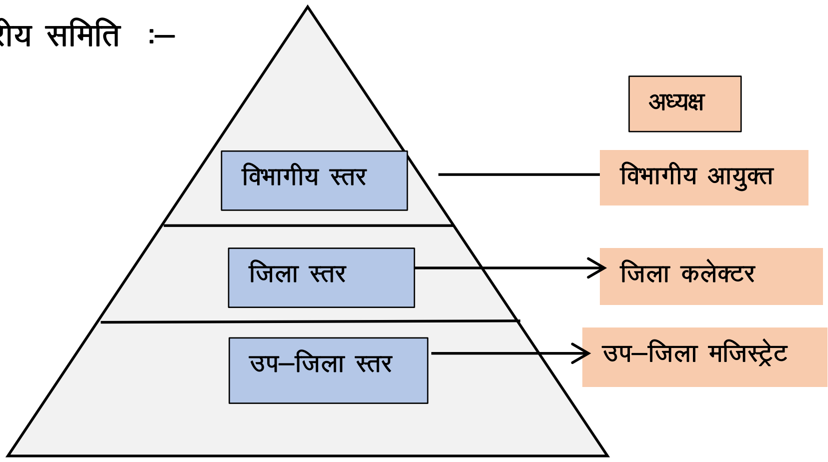

- **समिति के सदस्य** – पुलिस, श्रम, उद्योग, न्यायपालिका, चिकित्सा और सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभागों के प्रतिनिधि + N.G.O. प्रतिनिधि (जिला कलेक्टर द्वारा नामित)

➢ 181 महिला हेल्पलाईन –

शोषण से सुरक्षा प्रदान करना और सहायता देना।

➢ काली बाई भील महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान –

कार्य क्षेत्र :–

- महिला एवं बाल विकास के विभिन्न पहलुओं पर शोध, संबंधित योजनाओं का प्रभावी मूल्यांकन करना।
- महिला सुरक्षा व संरक्षण से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों, नियमों, अन्य तत्वों का अध्ययन करना।
- जेण्डर आधारित मुद्दों पर क्षमता निर्माण और विभाग द्वारा सुझाए गए अन्य कार्य।

➢ महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य हब "मिशन शक्ति" –

- मंत्रालय – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- **'एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम'** के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण हेतु एक 'अम्ब्रेला योजना'।
- राज्य व जिला स्तर पर HEW (Hub for Empowerment of Women) मिशन शक्ति के अन्तर्गत "सामर्थ्य" उप–योजना के तहत स्थापित।
- Budget-Center : State = 60 : 40

❖ सामाजिक सुरक्षा

नोट :– इसमें सम्मिलित पेंशन योजनाएं बाद में वर्णित है।

➢ सम्भाग स्तरीय नारी निकेतन/राज्य स्तरीय महिला सदन –

- पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय, देखभाल और पुनर्वास सेवाएँ प्रदान की जाती है।
- **उद्देश्य** : महिलाओं का सशक्तिकरण, सुरक्षा सुनिश्चित करना, समाज में पुनः स्थापित करना।

➢ स्वाधार गृह योजना – 2001–02 से

- MoWCD (GOI) द्वारा
- विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करना।

➢ उज्जवला योजना –

- स्वयंसेवी संस्थानों की सहायता से संचालित
- देह व्यापार में लिप्त महिलाओं को रोकने, बचाने एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने हेतु।

नोट :– वर्ष 2022–23 से उज्जवला योजना और स्वाधार गृह योजना का विलय कर शक्ति सदन योजना नाम किया गया।

➢ शक्ति सदन योजना – (2022–23)

- उद्देश्य :– संकटग्रस्त/पीड़ित महिलाओं (घरेलू हिंसा, शोषण, तस्करी) को शरण व सहायता प्रदान करना।
- लाभ :– महिलाओं को कानूनी, स्वास्थ्य संबंधी और मानसिक सहायता प्रदान करना।
  - एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह की स्थापना करना।
- लक्ष्य :– महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाना।

➢ महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र (M.S.S.K.) -

- **उद्देश्य :–** महिलाओं को शोषण और हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिये सक्षम बनाना।
- 41 पुलिस जिलों में स्थापित, सभी 246 पुलिस सर्किलों में कार्यरत।
- पीड़ित महिलाओं को काउंसलिंग, कानूनी, पुलिस और चिकित्सा सहायता।
- चयनित N.G.O द्वारा संचालित (प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये की सहायता)

➢ वन स्टॉप सेंटर/सखी केन्द्र – 37

- **उद्देश्य :–** समय पर राहत, न्याय और पुनर्वास प्रदान करना है।
- हिंसा से पीड़ित महिलाओं को हिंसा से प्रभावित होने पर 24×7 घंटे सहायता प्रदान की जाती है।

➢ पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केन्द्र –

- सभी जिला मुख्यालयों पर स्थापित।
- दूरभाष हेल्पलाइन सुविधा प्रदान की जाती है। (दो बालिक विद्यालयों सहित)

- महिलाओं को मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर निःशुल्क परामर्श प्रदान करना।
- केन्द्र से महिलाओं व लड़कियों को योजनाओं, कार्यक्रमों, रोजगार अवसरों की जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित करने में सहायता प्रदान करना।

बच्चें

बच्चों का विकास और कल्याण उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक कौशल, आत्मविश्वास और स्वायत्तता प्रदान करता है।

- सशक्तिकरण बच्चों में आत्मनिर्भरता और आत्म सम्मान की भावना को बढ़ाता है।
- शैक्षिक प्रदर्शन को बेहतर बनाता है।
- बच्चों में नागरिक और सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ाता है।

शैक्षणिक विकास
- मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना

सामाजिक कल्याण
- मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना
- समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.)
- पी.एम. पोषण योजना (मिड–डे–मील योजना)
- पन्नाधाय बाल गोपाल योजना

सामाजिक सुरक्षा
- पालनहार योजना
- मिशन वात्सल्य योजना (सी.पी.एस.)

❖ शैक्षणिक विकास –

➢ मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना –

- **उद्देश्य :** – पालनहार योजना के लाभार्थियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है।
- **लाभ :**– उन्हें व्यावसायिक, तकनीकी प्रशिक्षण या उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

❖ सामाजिक कल्याण –

➢ मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना :–

- उद्देश्य – कोविड–19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं और उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराना।

अनाथ बालक/बालिका (सहायता)

- तात्कालिक सहायता 1 लाख रु. (एकमुश्त)
- 18 वर्ष की आयु तक 2500 रु./माह + 2000 रु. वार्षिक
- 18 वर्ष पूर्ण 5 लाख रु. की
- **अन्य सुविधाएँ**
  - कक्षा 12th तक निःशुल्क शिक्षा।
  - मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता।
  - कॉलेज छात्रावासों में प्राथमिकता।

- **विधवा महिला** – 1 लाख रु. (तत्कालिक सहायता) ; 1500 रु. पेंशन/माह
- विधवा महिला के बच्चों को – 1000 रु./माह + 2000 रु. वार्षिक सहायता (18 वर्ष की आयु तक)

➢ समेकित बाल विकास सेवाएँ (I.C.D.S.)

- **शुरूआत** :– 2 अक्टूबर, 1975 को बांसवाड़ा की गढ़ी पंचायत समिति से।
- **उद्देश्य** :– 0–6 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना।
  - बच्चों के मनौवैज्ञानिक, शारीरक और सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार करना।
  - मुत्यु दर, बीमारियों, कुपोषण और स्कूल ड्रापआउट की दर को घटाना।
  - विभिन्न विभागों के बीच नीतियों और कार्यक्रमों का समुचित समन्वय सुनिश्चित करना।
  - उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से मातृत्व सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- **आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध सेवाएँ :**

क्र.सं.	सेवाएँ	लाभार्थी
1.	पूरक पोषाहार	6 माह से अधिक तथा 6 वर्ष तक की आयु के बच्चें, गर्भवती–धात्री महिलाएँ एवं 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाएँ (केवल 5 आकांक्षी जिले धौलपुर, करौली, जैसलमेर, सिरोही और बांरा)
2.	बचपन और शाला पूर्व शिक्षा	3–6 वर्ष की आयु के बच्चे
3.	पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा	15–45 वर्ष की महिलाएँ व किशोरी बालिकाएँ
4.	टीकाकरण	0–6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएँ
5.	स्वास्थ्य जाँच	0–6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती धात्री महिलाएँ, किशोरी बालिकाएँ।
6.	सन्दर्भ (रेफरल) सेवाएँ	0–6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती धात्री महिलाएँ

- 363 बाल विकास परियोजनाएं संचालित।
- इसी परियोजना के तहत आँगनबाड़ी केन्द्र संचालित।
- **नन्द घर योजना** :– ICDS में जनसहभागिता बढ़ाने के लिए।

➢ PM पोषण योजना (मिड–डे–मील योजना) –

- **उद्देश्य** – नामांकन बढ़ाना।
  - बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना।
  - विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना।
- कक्षा प्री–प्राईमरी से 8 के बच्चों को –
  - सरकारी स्कूल (संस्कृत विद्यालय सहित)
  - मदरसे
  - सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल
  - विशेष प्रशिक्षण केन्द्र

  } **पर पोषण सुविधा**

कक्षा प्री–प्राईमरी से 5 वीं = 100 ग्राम/प्रतिदिन (गेहूँ/चावल) न्यूनतम 450 कैलौरी + 12 gm प्रोटीन
कक्षा 6 वीं से 8 वीं = 150 ग्राम/प्रतिदिन (गेहूँ/चावल) न्यूनतम 700 कैलोरी + 20 gm प्रोटीन

➢ पन्नाधाय बाल गोपाल योजना –

- **उद्देश्य :–** बच्चों का पोषण स्तर सुधारना, बच्चों का शैक्षिक विकास के साथ समग्र स्वास्थ्य में सुधार करना।
- MDM केन्द्र पर
- कक्षा प्री–प्राईमरी से 5वीं – 15 gm मिल्क पाउडर से तैयार 150ml/दूध (चीनी 8.4 gm)
  कक्षा 6 से 8 वीं – 20 gm मिल्क पाउडर से तैयार 200ml/दूध (चीनी 10.2 gm)
- राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा 421 Rs./1 Kg. मिल्क पाउडर पैंकिंग की आपूर्ति करता है।
- विद्यालय को गैस सिलेण्डर के लिए 1500 रूपये प्रतिमाह।

❖ सामाजिक सुरक्षा –

➢ पालनहार योजना – एक नकद हस्तांतरण योजना है।

- शुरूआत – अनुसूचित जाति बच्चों के लिए ; वर्तमान में सभी श्रेणियों के लिए।
- ऐसे बच्चे जिनके माता–पिता की मृत्यु (दोनों या दोनों में से एक)/आजीवन कारावास/कुष्ठ रोग/ HIV से संक्रमित/दिव्यांग माता– पिता/विधवा/पुनर्विवाहित विधवा/ अन्य कमजोर समूहों के बच्चें।

योजनान्तर्गत

- **0–6 वर्ष आयु**
  - आंगनबाड़ी जाने वाले अनाथ बच्चे – 1500 रु./माह
  - अन्य श्रेणियों –750 रु./माह
- **6–18 वर्ष आयु**
  - स्कूल जाने वाले अनाथ बच्चे – 2500 रु./माह
  - अन्य श्रेणियों – 1500 रु./माह
- 2000 रु. रूपये की वार्षिक एकमुश्त सहायता (कपड़े व अन्य आवश्यकता हेतु।
- ऐसे बच्चों का उत्तरदायित्व लेने वाले व्यक्ति को 'पालनहार' माना जाऐगा।

➢ मिशन वात्सल्य योजना (CPS) –

- विशेषरूप से अनाथ बच्चों और कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बालकों/बालिकाओं हेतु सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करने पर केन्द्रित हैं।
- केन्द्र प्रवर्तित योजना (60:40)
- **उद्देश्य :–** बच्चों की देखभाल करने वाली संस्थानों को सशक्त बनाना।
  - परिवार केन्द्रित देखभाल को प्रोत्साहित करना।
  - बाल तस्करी को रोकना।
- 40 राजकीय और 85 गैर राजकीय बाल देखभाल संस्थान संचालित।
- बाल सहायता हेल्पलाइन नम्बर की सुविधा।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण

इनका सशक्तिकरण–सामाजिक समानता समावेशी विकास और राष्ट्र की समग्र प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है।

शैक्षणिक विकास
- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां
- छात्रावास सुविधा
- आवासीय विद्यालय
- मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना
- अंबेडकर डी.बी.टी. वाउचर योजना

सामाजिक कल्याण
- डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
- सहरिया, खैरवा तथा कथौड़ी जनजाति को खाद्य सुरक्षा
- विशेष केन्द्रीय सहायता अनुदान योजना
- जनजाति क्षेत्रीय लोगो का विकास

सामाजिक सुरक्षा
- अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

❖ शैक्षणिक विकास –

➢ उत्तर मैट्रिक छात्रवृतियां

- **लाभार्थी** – ST/SC/OBC/MBC
- शर्ते – अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो।
  - मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय 5 लाख रु. तक हो।

➢ छात्रावास सुविधा –

- **लाभार्थी** – ST/SC/OBC/EWS/MBC/ विमुक्त घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु, स्वच्छकार, पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी, मिरासी एवं भिश्ती समुदाय के विद्यार्थियों को ।
- **उपलब्ध निःशुल्क सुविधाएँ** :– आवास, भोजन, पोशाक, कोचिंग आदि।

➢ आवासीय विद्यालय –

- **लाभार्थी** –ST/SC/OBC/EBC/MBC के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए।
- **उपलब्ध निःशुल्क सुविधाएँ**:– आवास/भोजन/पोशाक/लेखन सामग्री/चिकित्सा।
- राजस्थान आवासीय शैक्षिक संस्थान सोसायटी (R.R.E.I.S) द्वारा संचालित।
- सोसायटी द्वारा ऐसे 40 आवासीय विद्यालयों का संचालन।

➢ मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना – 5 जून 2021 को प्रारम्भ

- **उद्देश्य** :– UPSC द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, RPSC द्वारा आयोजित राज्य की प्रशासनिक सेवा, रीट, पटवारी, कांस्टेबल व अन्य परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान करना।
- **लाभार्थी** – ST/SC/OBC/MBC/अल्पसंख्यक, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन की वार्षिक आय सीमा– 8 लाख रु. से कम या माता–पिता राजकीय सेवा में हो, जिनका पे मेट्रिक्स लेवल – 11 तक हो।

➢ अम्बडेकर DBT वाउचर योजना –

- लाभार्थी – ST/SC/OBC/EBC/MBC/अल्पसख्यंक/EWS।

- घर से दूर रहकर सरकारी कॉलेजो में स्नातक तथा स्नातकोतर कक्षाओं में (केवल कला, विज्ञान, वाणिज्य संकायों में) पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को लाभान्वित करना है।
- इसमें आवास, भोजन, बिजली–पानी हेतु 2000 रुपये प्रतिमाह (प्रतिवर्ष अधिकतम 10 माह हेतु) देय है।

❖ सामाजिक कल्याण –

➢ डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना –

- **उद्देश्यः** समाज में अस्पृश्यता का निवारण करना।
- सवर्ण हिन्दू तथा अनुसूचित जाति के बीच अन्तर्जातीय विवाह होने पर।
- दम्पति को 10 लाख रु. की सहायता।
- केन्द्र का हिस्सा – 1.25 लाख ; शेष राज्य सरकार का (8.75 लाख)।

➢ सहरिया, खैरवा तथा कथौड़ी जनजाति को खाद्य सुरक्षा –

- जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा
- बारां जिले की सहरिया
- उदयपुर – कथौड़ी, खैरवां जनजाति को

} प्रतिमाह / प्रति सदस्य →
- 250 ml घी
- 250 ml खाद्य तेल
- 500 gm दाल

➢ विशेष केन्द्रीय सहायता योजना –

- SC के सदस्यों को स्वरोजगार के लिए 50,000 रूपये तक की सब्सिडी प्रदान।
- वार्षिक आय सीमा नहीं। (2.5 लाख रूपये तक की आय वाले को प्राथमिकता दी जाती है।)

➢ प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना –

केन्द्रीय प्रायोजित विशेष केन्द्रीय सहायता का नाम बदलकर।

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा।
- समूह आधारित आजीविका परियोजनाओं के लिए 50,000 रूपये की अनुदान सहायता।
- वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

➢ आदिवासी क्षेत्र में जन कल्याण के प्रयास –

- संविधान की धारा 275(1) अन्तर्गत योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना, प्रधानमन्त्री आदि आदर्श ग्राम योजना, मॉडल पब्लिक स्कूल, माँबाड़ी केन्द्रों का संचालन, जनजाति भागीदारी योजना, फूड क्राफ्ट प्रशिक्षण आदि।

❖ सामाजिक सुरक्षा –

➢ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989

- **उद्देश्य** – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से छुआछूत करने, बेगार लेने, अपमान करने, शांती भंग करने, शारीरिक क्षति पहुँचाने, उनको अपनी कृषि भूमि से बेदखल करने वाले अपराधियों के लिए दण्ड का प्रावधान ।
- **दण्ड** – 6 माह से उम्र कैद तक।
- अत्याचार के मामलों में पीड़ित या उनके आश्रितों को अपराध के प्रकार आधार पर सहायता (85K-8.25 लाख रूपये तक)
- पीड़ित को FIR, चालान और दोषसिद्धि के दौरान रु. 10K तक की सहायता।

- मृतक पीड़ितों की विधवाओं या उनके आश्रितों को 5000 रूपये मासिक पेंशन के साथ मंहगाई भत्ता।

नोट :– सहायता केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा समान अनुपात में उपलब्ध करवायी जाती।

- राजस्थान में अनुसूचित जाति/जनजाति क लिए 36 विशेष न्यायालय संचालित।

विशेष योग्यजन व्यक्ति

★ **सशक्तिकरण के उद्देश्य :**

- समावेशी समाज के लिए विशेष योग्यजन व्यक्तियों को स्वावलंबी बनाना।
- कार्यक्षेत्र में भाग लेने और अपने समाज से जुड़ने के लिए आवश्यक साधन, संसाधन और अवसर प्रदान करना।
- इनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना।

शैक्षणिक विकास	
• विशेष योग्यजन छात्रवृति योजना	• दो दिव्यांग विश्वविद्यालय
आर्थिक विकास	
• मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना	• संयुक्त सहायता अनुदान
• पदोन्नति में आरक्षण	
सामाजिक कल्याण	
• सुखद दाम्पत्य योजना	• आस्था योजना
• यूनिक डिसएबिलिटी आई.डी. कार्ड योजना	• सिलिकॉसिस पॉलिसी–2019
• मांसपेशीय दुर्विकास सहायता योजना	• कम्पोजिट रीजनल सेन्टर
सामाजिक सुरक्षा	
• इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	• मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

→ **2011 में पृथक विभाग**

❖ शैक्षणिक विकास –

➢ विशेष योग्यजन छात्रवृति योजना –

- राजकीय और राज्य/केन्द्र से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में + नियमित अध्ययनरत छात्र
- वार्षिक आय 2 लाख रु. से कम
- **लाभ :–** कक्षा 1 से 4 तक – 500/माह
  कक्षा 5 से 8वीं तक – 600/माह

➢ दो दिव्यांग विश्वविद्यालय –

- बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जामडोली (जयपुर)
- महात्मा गाँधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर

❖ आर्थिक विकास–

➢ मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना :–

- वार्षिक आय 2 लाख रू. से कम (स्वयं एवं परिवार की सभी स्त्रोतों से)
- 5 लाख रू. का ऋण (स्वरोजगार हेतु)
- 50,000 रू. की अनुदान राशि या ऋण का 50% राशि (जो भी कम हो)

➢ संयुक्त सहायता अनुदान –

- विशेष योग्यजनों (आयकर दाता नहीं हो) को स्वरोजगार हेतु सहायता।
- शारीरिक कमी को पूरा करने के लिए कृत्रिम अंग/उपकरण प्रदान करने के लिये।
- आर्थिक सहायता :– 20000 रूपये।

➢ **पदोन्नाति में आरक्षण –** 21 अक्टूबर 2021 से

- पदोन्नति में 4% आरक्षण।
- सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट व अंकों में 5% छूट।

❖ **सामाजिक कल्याण –**

➢ **सुखद दाम्पत्य योजना –**

- विशेष योग्यजन (स्त्री/पुरूष) को विवाह पश्चात् 50,000 रू. की सहायता।
- आयोजक (पंजीकृत सोसायटी) के लिए 20,000 रुपये की सहायता।
- युवाओं द्वारा 80 प्रतिशत दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन को जीवनसाथी बनाने पर 5 लाख रू. की आर्थिक सहायता।

➢ **आस्था योजना –**

- परिवार में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति → दिव्यांगता (40% +)
- इन्हें आस्था कार्ड जारी किए जाते है।
- इन परिवारों को BPL के समकक्ष सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु।

➢ **यूनिक डिसएबिलिटी आई. डी. कार्ड योजना –**

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत।
- विशेष योग्यजनों की सभी 21 श्रेणियों के विशेष योग्यजनों सशक्तिकरण एवं कल्याण हेतु चिन्हित कर निःशक्तता प्रमाणीकरण करना।

➢ **सिलिकॉसिस पॉलिसी –** 3 अक्टूबर 2019

इस नीति में सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक मदद के साथ–साथ ऐसे कार्य स्थल एवं श्रमिकों की पहचान, उनके पुनर्वास, बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण के उपाय अपनाये जायेंगे।

1. प्रमाणीकरण पर–पुनर्वास हेतु – 3 लाख रूपये + पीड़ित को पेंशन–1500 रूपये/माह।
2. मृत्यु – आश्रित को 2 लाख रूपये।
3. अंतिम संस्कार – 10,000 रूपये।
4. मृतक की विधवा को पेंशन – 1150 से 1500 रूपये (आयु वर्ग के अनुसार)।
5. पालनहार योजना के बच्चों को लाभ।
6. परिवार को आस्था कार्ड धारक परिवार की तरह सभी B.P.L. लाभ।

➢ **मांसपेशीय दुर्विकास सहायता योजना :**

- मांसपेशीय दुर्विकास से पीड़ित विशेष योग्यजन को उनकी जरूरत के अनुसार व्हीलचेयर प्रदान करना।

➢ **समग्र क्षेत्रीय केन्द्र (कम्पोजिट रीजनल सेंटर) –**

- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
- **उद्देश्य** – दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु।
- CRC जयपुर का संचालन स्वयं सिद्धा परिसर, जामड़ोली (जयपुर) में किया जा रहा है।

❖ **सामाजिक सुरक्षा –**

- **नोट :– इसमें सम्मिलित पेंशन योजनाएं बाद में वर्णित है।**

➢ अन्य योजना एवं कार्यक्रम –

- पोलियो करेक्शन ऑपरेशन शिविर हेतु अनुदान योजना।
- राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना।
- स्वयं का व्यवसाय हेतु एकमुश्त वित्तीय सहायता योजनाएँ (विशेष योग्यजन पेंशनधारियों को)
- खेलकूद प्रतियोगिताएँ।

वृद्धजन

सामाजिक कल्याण
- वृद्धजन एवं निराश्रित कल्याण योजना

सामाजिक सुरक्षा
- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना

➢ वृद्धजन एवं निराश्रित कल्याण योजना –

- वृद्ध व निराश्रित व्यक्तियों की समग्र देखभाल के लिए वृद्धाश्रमों का संचालन।
- इनमें निवासियों को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, मनोरंजन तथा चिकित्सा सेवाएँ प्रदान की जाती है।
- 44 वृद्धाश्रम और 42 मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह राज्य सरकार के सहयोग संचालित।
- लाभार्थी – गरीब, निराश्रित एवं संतानहीन वृद्ध तथा बच्चों/रिश्तेदारों द्वारा प्रताडित वृद्ध।

सर्वजन कल्याण

- **"सभी का कल्याण"** एक बुनियादी सिद्धान्त है इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने, दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता और मजबूती के लिए आवश्यक संसाधनों और अवसरों तक पहुँच सुनिश्चित की जाती है।

आर्थिक विकास
- गाड़िया लोहार कच्च माल क्रय अनुदान सहायता योजना

सामाजिक कल्याण
- अन्त्येष्टि अनुदान योजना
- गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना
- नवजीवन योजना
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

सामाजिक सुरक्षा
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना
- वन नेशन वन राशन कार्ड योजना
- उचित मूल्य की दुकानों पर पॉस मशीनों की स्थापना
- स्मार्ट उचित मूल्य की दुकान योजना
- राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड़ (आर.एस.एफ.सी.एस.सी.एल.)

❖ आर्थिक विकास –

➢ गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना –

- गाड़िया लोहारों को स्वावलम्बी बनाने हेतु
- व्यवसाय के लिए कच्चा माल क्रय करने हेतु अनुदान सहायता – 10,000 रु.।

❖ सामाजिक कल्याण –

➢ अन्त्येष्टि अनुदान योजना –

- लावारिस शवों के अन्तिम संस्कार के लिए।
- चिह्नित गैर सरकारी संगठनो को 5000 रुपये की सहायता।

➢ नवजीवन योजना –

- अवैध शराब निर्माण, भण्डारण, बिक्री में लिप्त समुदायों के लिए
- **उद्देश्य** :– वैकल्पिक अवसर/संसाधन प्रदान करना।
  - निरक्षरता को दूर करना
  - व्यक्तियों को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना।

➢ गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना –

- **उद्देश्य :– गाड़िया लोहारों को स्थायी रूप से बसाना।**
- स्थायी निवास के लिए भूमि आवंटन
  - ग्रामीण क्षेत्र – 150 वर्ग गज
  - शहरी क्षेत्र – 50 वर्ग गज
- स्वयं का भूखण्ड होने पर महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजनान्तर्गत 1,20000 की वित्तीय सहायता (3 किस्तों – 40K तक अनुदान)

➢ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम –

- **उद्देश्य:–** कीमतों की स्थिरता सुनिश्चित करना।
  - आपूर्ति में कमी आने पर आवश्यक वस्तुओं की राशनिंग।
  - बुनियादी वस्तुओं की सस्ती दरों पर आपूर्ति सुनिश्चित करना।

- **राज्य सरकार के दायित्व :–**
  - उचित मूल्य की दुकानों का नेटवर्क स्थपित करना।
  - खाद्यान्नों का आंवटन व वितरण।
  - राशन कार्ड जारी करना।
  - वितरण प्रणाली का सुचारू संचालन।
- इस योजना की समावेशन सूची में कुल 32 श्रेणियाँ है।

❖ सामाजिक सुरक्षा –

➢ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) –

- शुरूआत – 10 सितम्बर 2013 से
- अन्त्योदय राशन कार्ड -35 Kg गेंहू/परिवार राशन कार्ड
- अन्य लाभार्थी – 5 Kg गेंहू/प्रति व्यक्ति/प्रतिमाह
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना :– जनवरी 2024 से आगामी पाँच वर्षों तक लाभ निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है।

- **उद्देश्य** – देश की 67% आबादी को भोजन उपलब्ध करवाना।

  ग्रामीण 75%   **शहरी 50%**
- योजना का लाभ आधारकार्ड एवं जनआधार कार्ड के माध्यम से भी दिया जाता।
- NFSA लाभार्थियों की सीमा – 4.46 करोड़।

➢ वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना –

- **उद्देश्य** :– पूरे भारत में प्रवासियों के लिए किसी भी उचित मूल्य की दुकान से रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना।
- 4.25 करोड़ (96.68%) लाभार्थियों के आधार को जोड़ा जा चुका है।
- राज्य में "डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी" की सुविधा प्रदान की जाती है।

➢ उचित मूल्य की दुकानों पर पॉस (PoS) मशीनों की स्थापना –

- उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरान्त राशन सामग्री का वितरण।
- **लाभ** :– प्रणाली से किसी भी समय तथा किसी भी स्तर पर राशन सामग्री के स्टॉक का भौतिक सत्यापन सम्भव।
  - कालाबाजारी पर नियन्त्रण।
  - लक्षित लाभार्थियों तक उचित आपूर्ति सुनिश्चित।

✓ लाभार्थी का अंगूठा निशान मिलान नहीं होने पर पासवर्ड (ओ.टी.पी.) की सुविधा।

➢ स्मार्ट एफ.पी.एस. योजना –

- **उद्देश्य** :– उचित मूल्य दुकानों को स्मार्ट तथा सार्वजनिक जागरूकता केन्द्रों में परिवर्तित करना।
  - आधारभूत संरचनाओं का सुधार।
  - पोषक तत्वों के सामानों का प्रचार।
  - दुकानदारों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
- पायलट परियोजना के तहत राजस्थान में जयपुर ग्रामीण क्षेत्र दुकानों का चयन किया गया।
  - प्रथम चरण – 15 F.P.S , द्वितीय चरण – 30 F.P.S

➢ रूट ऑप्टिमाइजेशन –

- राज्य की उचित मूल्य की दुकान एवं भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों के बीच ''जियो टैगिंग'' के माध्यम से रूट ऑप्टिमाइजेशन करना।

  योगदान – केन्द्र सरकार + राज्य सरकार + वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (WFP)
- खाद्यान्न परिवहनकर्त्ता वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु GPS सोफ्टवेयर प्रयोग करेंगे।

➢ राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति लिमिटेड (RSFCSCL) –

- **उद्देश्यः**– वस्तुओं और दैनिक आवश्यकताओं का उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से प्रभावी वितरण सुनिश्चित करना है।
- 27 दिसम्बर, 2010 से कार्यरत।
- कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत स्थापित।
- **कार्यः**– पी.डी.एस. के अन्तर्गत गेहूँ का परिवहन करना।
  - अन्त्योदय परिवारों को 1 Kg चीनी वितरण
  - चीनी वितरण के लिए नोड्ल एजेंसी।
  - P.o.S मशीनों में 2G से 4G तकनीकी का सुधार कार्य।

➢ उपभोक्ता मामलात विभाग –

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत राज्य/जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बनाए गए।
- कुल = 37 जिला आयोग (सभी जिलों में 1, जयपुर–4, जोधपुर–2)
- 6 क्षेत्रीय शाखाएँ (बीकानेर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर)
- हेल्पलाइन नम्बर (15 मार्च 2011 से) का संचालन।

अल्पसंख्यकों का कल्याण

➢ **उद्देश्य** :– संयुक्त और समावेशी समानतापूर्ण समाज का निर्माण करना।
- सम्पूर्ण समाज की स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना।
- अल्पसंख्यको के जीवनस्तर में सुधार करना।
- इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भागीदारी बढ़ाना।
- शिक्षा, रोजगार के अवसर और संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित करना।

आर्थिक विकास
- राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम

सामाजिक कल्याण
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पी.एम.जे.वी.के.)
- मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना
- राजस्थान राज्य हज कमेटी

अल्पसंख्यक

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम (R.M.F.D.C.C.)

- रियायती दरों पर मुख्यत: बेरोजगार अल्पसंख्यक युवाओं और महिलाओं को रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा और व्यवसाय के लिए ऋण देता।

कौशल विकास प्रशिक्षण

राजस्थान राज्य हज कमेटी

राजस्थान → 78 लाख (11.41%)

➢ **अनुप्रति कोंचिग योजना**

➢ **PM जन विकास कार्यक्रम:** – पूर्व में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
- **उद्देश्य:–** अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी विकास को सुदृढ़ करना।(स्वास्थ्य, कौशल विकास, शैक्षिक अवसंरचना)
  - 1 अप्रैल 2022 से सभी जिलों में
  - Min. 25% अल्पसंख्यक आबादी (15 Km परिधि में) होना अनिवार्य।

➢ **छात्रावास**
- **उद्देश्य** :– अल्पसंख्यक समुदाय में स्कूल ड्रॉप आउट दर को कम करना।
  - जिला मुख्यालय/अल्पसंख्यक आबादी वाले ब्लॉक में।
  - मैस खर्च के लिए 3000 रुपये तक की सहायता 9.5 माह तक दी जाती है।

➢ **मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीरण योजना :**
- **उद्देश्य:–** पंजीकृत मदरसों को डिजिटल और भौतिक संसाधन उपलब्ध करना है।
- **सुविधाएँ** :– कम्प्यूटर, स्मार्ट कक्षाएँ, फर्नीचर एवं ई – लर्निंग उपकरण।

Primary – 15 लाख
उच्च प्राथमिक – 25 लाख
} 90% राज्य द्वारा व्यय, शेष 10% मदरसा प्रंवधन समिति

➢ **उत्तर मैट्रिक छात्रवृति:–** उच्च शिक्षा के लिए
- पात्रता → Income < 2 लाख रु. (न्यूनतम 50% marks पिछली परीक्षा में)

➢ Merit cum means Seholarship-
- केन्द्र सरकार
- स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा हेतु।
- पात्रता – आय < 2.50 लाख रु.
- पिछली परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ

केन्द्र सरकार द्वारा

योजना	शुरूआत, सरकार	लाभार्थी	पेंशन
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	19 नवम्बर 2007 से केन्द्र सरकार	(BPL परिवार के 60+ आयु)	पेंशन 1150 आयु / केन्द्र / राज्य <80 / 200 रु. / शेष राशि >80 / 500 रु. / शेष राशि
• इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	7 अक्टूबर 2009 केन्द्र सरकार	(BPL परिवार की 40 + आयु)	(40 वर्ष –75 वर्ष तक – 1150 ≥ 75 वर्ष – 1500 रु. आयु / केन्द्र / राज्य <80 / 300 रु. / शेष राशि >80 / 500 रु. / शेष राशि
• इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना	24 नवम्बर 2009 केन्द्र सरकार	(BPL परिवार, 18+ आयु, बहुनि:शक्तता से ग्रस्त)	पेंशन 1150 (18–75 वर्ष) 1250 रुपये (≥ 75 वर्ष) आयु / केन्द्र / राज्य <80 / 300 रु. / शेष राशि >80 / 500 रु. / शेष राशि

राज्य सरकार द्वारा

• मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना	Old age → Female 55 + / Male 58+ • वार्षिक आय < 48000 Rs.	1150 रु. (सभी आयु वर्ग)
• मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना	विधवा, तलाकशुदा परित्यक्ता • वार्षिक आय < 48000 Rs.	75 वर्ष तक 1150 75+ 1500 } प्रतिमाह
• मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	वार्षिक आय < 60,000 Rs.	75 वर्ष – 1150 रु. 75 + – 1250 रु. सिलिकोसिस – 1500 रु. कुष्ट रोग – 2500 रु.
• छोटे/सीमांत किसान वृद्ध सम्मान पेंशन	Age = Female 55+ Male 58+	1000 रु.

➢ बीस सूत्री कार्यक्रम– 2006

- **प्रारम्भ – 1975 में**
- **पुनः** संचरित कार्यक्रम को बीस सूत्री कार्यक्रम (बी.सू. का), 2006 के नाम से जाना जाता है।
- **शुरूआत** – 1 अप्रैल 2007
- **उद्देश्य** – गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यावरण संरक्षण सहित अनेक योजनाओं तथा जिनका प्रभाव विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है, को गति प्रदान करना है।
- **कुल** – 65 मॉनिटरिंग मदे शामिल।
- इनमें से 10 श्रेणीबद्ध मदों की मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर कि जा रही है। जैसे –

1. मनरेगा
2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
3. ग्रामीण सड़कें PMGSY
4. ग्रामीण आवास – PM आवास योजना।
5. समेकित बाल विकास सेवाओं का सार्वभौमिकरण आदि।

❖❖❖

UNIT - 10 सुशासन से समृद्धि

- राजस्थान नवाचार , समावेशिता और नागरिक केन्द्रित सुधारों के माध्यम से दक्षता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व पर ध्यान केन्द्रित कर शासन को पुनः परिभाषित करने में अग्रणी है।
- राज्य सुशासन, आर्थिक विकास और मानव विकास को प्रमुखता से प्राथमिकता देता है।

सुशासन :– संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन की परिभाषा 8 प्रमुख कारकों के माध्यम से दी है।

- सुशासन, सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन का मुख्य साधन/घटक है।
- इसमें ''न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन'' पर ध्यान दिया जाता है।

उद्देश्य :–

- सरकारों की कार्य कुशलता बढ़ाना।
- उच्च नैतिक मानकों का अनुपालन।
- नागरिक आवश्यकता पूर्ति वाली सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाना।
- कुशल लोचशील, दृढ़ समावेशी और उत्तरदायी संस्थानों की स्थापना करना।
- सतत् विकास को बढ़ावा देना।

★ **सुशासन को बढ़ावा देने संबंधित मॉडल (राजस्थान सरकार)**

डेटा संचालित शासन

- डिजिटल साक्षरता के अन्तर को कम करना
- पिछडे वर्गो को सशक्त बनाना
- प्रौद्योगिकी तक सभी की समान पहुँच सुनिश्चित करना।

प्रौद्योगिकी संचालित शासन

- योजनाओं तक वास्तविक समय में पहुंच।
- पात्रता आधारित निर्बाध सेवा प्रदायगी।
- नवीन प्रौद्योगिक का उपयोग कर बेहतर सेवा प्रदायगी।

राजस्थान में सुशासन की प्रमुख पहल –

- नागरिक केन्द्रित सेवा प्रदायगी
- सुशासन के लिए प्रशासनिक तंत्र
- सुशासन के लिए वित्तीय प्रबंधन

नागरिक –केन्द्रित सेवा प्रदायगी

राज्य विभिन्न नागरिक केन्द्रित और प्रौद्योगिकी संचालित पहल के द्वारा सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

- इसमें पारदर्शिता, दक्षता, समावेशिता, निर्णय लेने और सेवा प्रदायगी समाहित है।
- उद्देश्य – विशेष रूप से पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाना और डिजिटल साक्षरता के अन्तर को कम करना।

स्मार्ट (सर्विस मैनजमेंट विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एण्ड रियल टाइम सिस्टम) प्रोजेक्ट :–

घोषणा – बजट 2024–2025

इसके तहत ''गोल्डन डेटाबेस ऑफ सिटीजन'' तैयार किया जाएगा।

उद्देश्य : डेटा का उपयोग कर लाभार्थियों की स्वतः पहचान, स्वतः आवेदन, स्वतः अनुमोदन और लाभों की स्वतः प्रदायगी सुनिश्चित करना है।

तैयार डेटा को ''सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ'' के रूप में प्रयोग किया जाएगा।

राजस्थान जन आधार योजना (एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान) –

- सामान्य जानकारी
- विशेषताएं
- संरचनात्मक ढांचा
- उपयोग
- प्रयास

सामान्य जानकारी

- ❖ **बजट–2019–20 में घोषणा**
- ❖ **18 दिसम्बर, 2019 से शुरू**
- ❖ **4 अगस्त 2021 से जन आधार प्राधिकरण नियम–2021 लागू**
- ❖ **5 अप्रैल, 2022 को राज्य के 'जन आधार कार्ड' को राशन कार्ड घोषित।**
- ❖ **31 मार्च 2024 तक राजस्थान की 97% से अधिक जनसंख्या सम्मिलित**

❖ **विशेषताएं–**

एकल पहचान | पात्र | एकल नम्बर | महिला सशक्तिकरण | वित्तीय समावेशन | प्राधिकरण | एकल बहुउद्देशीय डेटाबेस | सटीक पहचान | कम दूरी | बचत

(i) **एकल पहचान :–** भारत सरकार ने 'जन आधार कार्ड' को परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान संख्या, पहचान के प्रमाण तथा पते के प्रमाण के रूप में मान्यता दी है।

(ii) **पात्र :–** राज्य के सभी निवासी 'जन आधार' पंजीयन हेतु पात्र हैं।

(iii) **एकल नम्बर :–** नामांकित परिवार → 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या

- मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य को → 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या

(iv) **महिला सशक्तिकरण :–** परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को ही परिवार का मुखिया बनाया जाएगा।

- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं होने पर 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरूष मुखिया हो सकता है।

(v) **वित्तीय समावेशन :–** सभी महिला मुखिया का बैंक खाता होना अनिवार्य, क्योंकि परिवार के समस्त नकद लाभ केवल महिला मुखिया के बैंक खाते में स्थानांतरित होंगे।

(vi) **प्राधिकरण :–** विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से ''एक नम्बर एक कार्ड एक पहचान'' के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किया गया।

(vii) **एकल बहुउद्देशीय डेटाबेस :–** राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास निवासियों को नकद एवं गैर नकद सेवा वितरण के लिए ''एकल बहुउद्देशीय डेटाबेस'' है।

(viii) **अयोग्य, नकली एवं दोहरे लाभार्भियों की सटीक पहचान का माध्यम :** अधिनियम के अनुसार, विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं के लाभों के हस्तान्तरण हेतु लाभार्थियों की पहचान जन आधार डेटाबेस से करना अनिवार्य।

(ix) **सरकारी योजनाओं के लाभ घर के समीप**

नकद लाभ – बैंक खातों में हस्तान्तरित।
गैर नकद लाभ–आधार प्रमाणीकरण के पश्चात् घर के समीप।

(x) **वित्तीय संसाधनों की बचत :** प्रतिवर्ष सरकारी खजाने से 500 करोड़ रूपये से अधिक की बचत।

❖ **संरचनात्मक ढाँचा :–**

(i) **जन आधार योजना अधिकारी–**

- **राज्य स्तर** : आयोजना विभाग (प्रशासनिक विभाग)
- **जिला स्तर** :– जिला कलेक्टर
- **उपखण्ड/ब्लॉक स्तर** :– उपखण्ड अधिकारी

(ii) क्रियान्वयन एजेन्सी : राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (RISL)

(iii) राजस्थान जन आधार प्राधिकरण (अधिनियम, 2020) नियम 2021, 4 Aug. 2021 से, लागू

❖ **उपयोग –**

(i) प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (वित्तीय समावेशन व महिला सशक्तिकरण)

(ii) दोहरे लाभार्थी/छद्म लाभार्थी तथा अपात्र लाभार्थी की समस्या से छुटकारा।

(iii) विभिन्न विभागों की योजनाओं के लाभ।

(iv) व्यापक जनसांख्यिकी और सामाजिक–आर्थिक डेटाबेस, जो परिवार के 60 से अधिक मापदण्डों को कवर करता है।

(v) ई–मित्र प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में लाया गया है। (धारा–20)

❖ **''एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान'' सम्बन्धित प्रयास :** इसके लिए जन आधार डेटाबेस और पोर्टल के साथ निम्न को एकीकृत किया गया –

- राशन कार्ड डेटाबेस को।
- मतदाता पहचान कार्ड – छद्म मतदाताओं की पहचान।
- स्वावलम्बन पोर्टल – विशेष योग्यजन की पहचान।
- पहचान पोर्टल (राज्य का जन्म–मृत्यु और विवाह पंजीकरण के लिए पोर्टल) – राज्य की जनसंख्या की वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करता है।
- स्वास्थ्य संबंधित डेटा को (पीसीटीएस, NFHS, आभाकार्ड आदि) – स्वास्थ्य प्रणाली संबंधित विसंगतियों की निगरानी और समाधान सम्भव।
- इसी प्रकार प्राधिकरण अन्य कार्ड जैसे : बीपीएल कार्ड, श्रमिक कार्ड, यूडीआईडी कार्ड इत्यादि को भी एकीकृत करने के लिये प्रयासरत।

➢ राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 –

- अधिनियम के तहत 28 विभागों की कुल 306 सेवाएँ अधिसूचित।

➢ राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 –

- शासन में सुधार और सार्वजनिक शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए त्रिस्तरीय (ग्राम पंचायत, उपखण्ड, जिलास्तर) जनसुनवाई की व्यवस्था की।

त्रि–स्तरीय जनसुनवाई प्रणाली

ग्राम पंचायत स्तर :	नागरिक ग्राम अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, जो स्थानीय स्तर पर परिवादों के निस्तारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ग्राम के सरपंच और अन्य स्थानीय अधिकारी नियमित रूप से सत्र आयोजित करते हैं।
उपखण्ड स्तर :	परिवाद का समाधान ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं होता है तो नागरिक अपने परिवाद को उपखण्ड स्तर के अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) और प्रशासन इन समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि समस्याओं का त्वरित और प्रभावी निष्पादन हो।
जिला स्तर :	उच्चतम स्तर पर, जिला कलक्टर और वरिष्ठ अधिकारी ग्राम पंचायत/उपखण्ड स्तर पर लंबित परिवादों का समाधान करते हैं। वे जांच प्रक्रिया की निगरानी करते हैं, स्थिति का मूल्यांकन करते हैं और आवश्यकता होने पर सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं। इसके अतिरिक्त, माननीय मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री भी समय–समय पर जनसुनवाई सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेकर नागरिकों की समस्याओं का समाधान करते हैं।

➢ ई–मित्र सेवा वितरण –

- राजस्थान ने 2002 में सबसे बड़ा एकल एकीकृत सेवा वितरण प्लेटफॉर्म ई–मित्र लॉन्च किया।

➢ ई–मित्र –

- (ई–मित्र संख्या > 78 हजार) – भूमि कानून के तहत स्थापित।
- उद्देश्य – सभी सरकारी और निजी नागरिक केन्द्रित सेवाओं को आम आदमी तक पहुँचाना।
- 600 से अधिक G2C और B2C सेवाएं उपलब्ध कराना।
- राज्य में दो भौतिक काउन्टर शुरू किये गये। (मल्टी मॉडल सेवा प्रदायगी मंच)
- 19 दिसम्बर 2021 को ई–मित्र होम सर्विस शुरू।
- जयपुर, जोधपुर में 5 सेवाओं के साथ ई मित्र @ होम का शुभारंभ।

➢ ई–मित्र प्लस स्वयं सेवा कियोस्क –

- 14,891 मानव रहित सेवा कियोस्क ई–मित्र प्लस।
  - राज्य के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय व शहरी स्थानीय निकायों में स्थापित
  - लाभ :–ई–मित्र सेवाओं, वीडियों कान्फ्रेंसिंग (ग्राम पंचायत स्तर), सोशल ऑडिट आदि।

➢ U.I.D. आधार –

- भारत के सभी निवासियों को जनसांख्यिकी एवं बायोमैट्रिक पहचान प्रदान करने के लिए अनिवार्य ।
- 12 अंकों की संख्या 1 विशिष्ट पहचान संख्या।
- राज्य में 8 करोड़ आधार ID जारी।

➢ राजस्थान सम्पर्क पोर्टल –

- केन्द्रीयकृत शिकायत निवारण मंच
- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन टोल फ्री नं. 181 – नागरिक शिकायत दर्ज करा सकते है।
- सरकारी सेवाओं से संबंधित विभिन्न प्रश्नों और शिकायतों के समाधान में सहायक।

➢ जन सूचना पोर्टल –

- RTI, 2005 की धारा 4(2) के अनुसार विकसित ।
- योजनाओं की पात्रता, उपलब्धि और नोडल विभाग की जानकारी सुलभ, पारदर्शी तरीके से उपलब्ध करवाने हेतु।
- 348 योजनाओं का विवरण तथा 117 विभागों की '743 योजनाओं की जानकारी' उपलब्ध है।

➢ ई–बाजार –

- ई कॉमर्स प्लेट फॉर्म
- विभिन्न विभागों और उनके भागीदारों के उत्पादों को एक स्थान पर बिक्री की सुविधा उपलब्ध कराना।

➢ सिंगल साइन ऑन –

- सभी विभागीय एप्लिकेशन SSO से जुड़े।
- समस्त उपयोगकर्त्ताओं द्वारा केवल एक बार साईन इन करने के उपरान्त विभिन्न एप्लीकेशन पर कार्य किया जा सकता है।

➢ स्टार्ट अप के लिये कार्यक्रम –

- आईस्टार्ट (iStart) कार्यक्रम : स्टॉटअप्स, निवेशकों, इन्क्यूबेटस, एक्सेलेरेटर्स और सलाहकारों के लिए एक एकल खिड़की मंच के रूप में कार्य करता है।
  - → आईस्टार्ट पोर्टल (सिंगल विंडो)
  - → क्यू–रेट रैंकिंग सिस्टम।
  - → इनक्यूबेटर।
  - → इनोवेशन चैलेंज एण्ड अवॉर्ड।
  - → आईस्टार्ट नेस्ट।
  - → जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, चुरू, पाली, अजमेर, जोधपुर में कार्यालय स्थापित।
- इनोवेशन हब (जयपुर, जोधपुर, कोटा)।
- स्टार्टअप कार्यक्रम के विस्तार के लिए–
  - → स्कूल स्टार्ट अप
  - → ग्रामीण आई स्टार्ट (iStart)

➢ राज ई वॉल्ट –

- दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों और नागरिकों के दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखने की सुविधा प्रदान की जाती है।

➢ कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रगति –

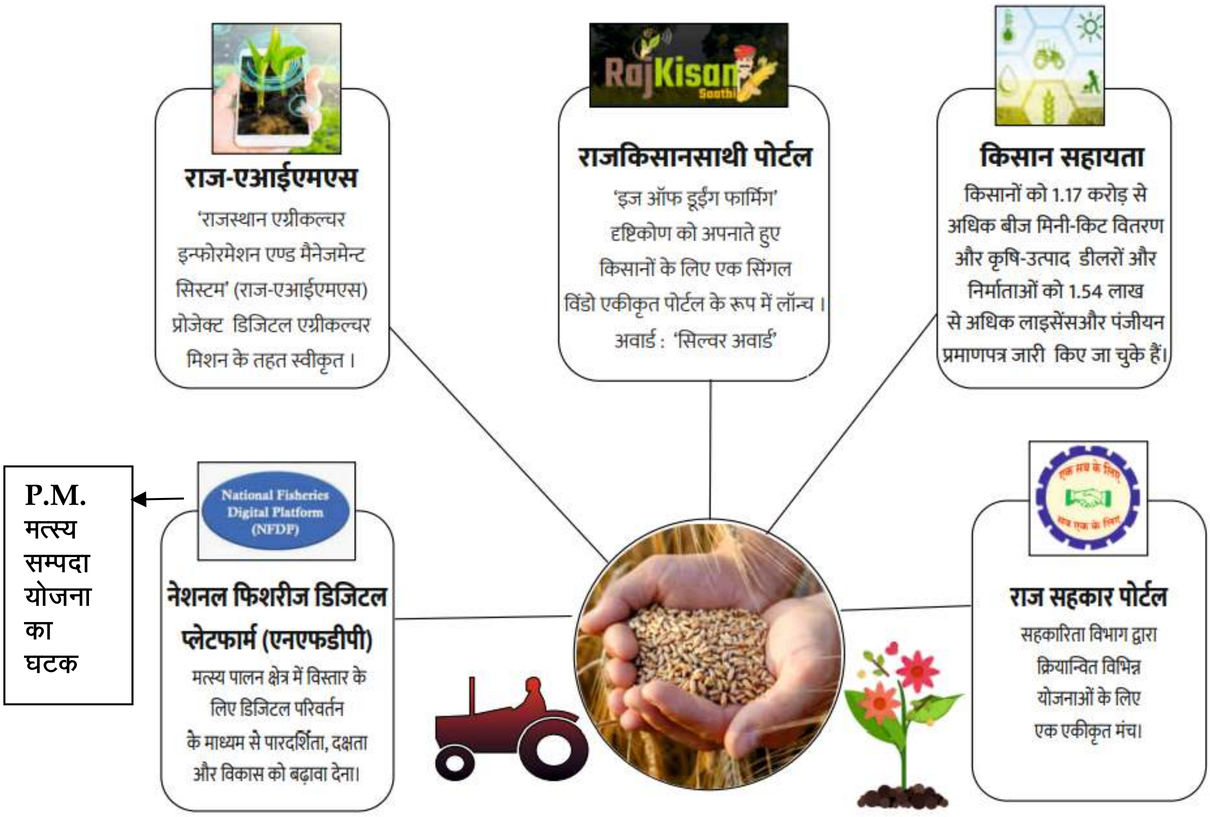

सिल्वर अवॉर्ड :– ई गवर्नेस योजना 2023–24 तहत नेशनल अवॉर्ड फॉर ई– गवर्नेस स्कीम के लिए ''गवर्नेंस प्रोसेस रि इंजीनियरिंग श्रेणी में'' सम्मानित किया।

➢ स्थानीय स्वशासन : (LSG) –

- स्थानीय स्वशासन विभाग शहरी नागरिकों को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करता हैं जैसे–बिल्डिग प्लान स्वीकृति, ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी आदि।
- **ई नीलामी पोर्टल** – नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

सुशासन के लिए प्रशासनिक तंत्र

➢ प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार करना।

➢ राज वाई फाई सेवाएं – सभी विभागीय और जिला मुख्यालयों उपलबध।

➢ डॉक्यूमेन्ट वेरिफिकेशन एण्ड ऑथेन्टिकेशन इंजन (DVAE) –

- उद्देश्य – दस्तावेज सत्यापन की एक प्रभावी और भरोसेमंद प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
- 8 विभागों के 14 दस्तावेजों का प्रमाणीकरण।

➢ राजनेट एवं राजस्वान –

- राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (RAJSWAN) के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना।
- पहल के तहत जिला और ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में **वी सी रूम** स्थापित।

➢ स्टेट पोर्टल –

- सूचना और लेनदेन आधारित सरकारी सेवाओं का एकल स्त्रोत है।
- विभिन्न विभागों, संस्थानों, संगठनों आदि के 1699 वेब पोर्टलों से जुड़ा हुआ है।

➢ स्टेट मास्टर सेन्टरलाईज्ड डेटा हब –

- विभिन्न विभागों के क्लाइंट एप्लिकेशन के लिए मास्टर डेटा का केन्द्रीयकृत स्त्रोत है।

➢ राजस्थान स्टेट डेटा सेन्टर (RSDC) – सेवाओं/एप्लिकेशन को बुनियादी ढाँचा प्रदान करता है।

- कुल क्षमता– 800 रैक।
- **RSDC** – डिजास्टर रिकवरी **(DR)** साइट/सेन्टर–जोधपुर भी शामिल।
- यह भारत का सबसे बड़ा टियर – 4 सरकारी स्वामित्व वाला डेटा सेन्टर है।

➢ राज–काज पोर्टल –

उद्देश्य :– प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल एवं सुव्यवस्थित बनाना, समय एवं संसाधनों की बचत करना।

- केन्द्रीयकृत आई.टी.प्लेटफॉर्म
- इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी सभी कार्य SSO के साथ लागू किए जा रहे हैं।
- ई–फाइल प्रणाली का उपयोग।
- माड्यूल – IPR, PAR, NOC, लीव, ई–फाईल एवं ई–डाक शामिल।

➢ राज ई–साइन –

- यह पहल आधार ई–केवाईसी प्रमाणीकरण के माध्यम से सुरक्षित, लागत प्रभावी और पारदर्शी तरीके से ऑनलॉइन दस्तावेज हस्ताक्षर को सक्षम बनाता है। इससे पेपरलेस प्रणाली को बढ़ावा मिलता है।
- यह कार्य RISL के माध्यम से शुरू किया है।

➢ राजमेल – निःशुल्क ई–मेल सेवा ।

- स्थानीय भाषा में सभी नागरिक के लिये उपलब्ध।

➢ कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर (अभय) –

- GPS तथा CCTV तकनीक आधारित सुरक्षा के एकीकृत समाधान हेतु।
- 7 संभागीय मुख्यालयों और 26 जिलों में अभय सेंटर स्थापित किए गए है। (स्थापित कुल कैमरे – 11892)
- **शामिल प्रणालियाँ :–** डायल 100 नियंत्रण प्रणाली, फॉरेंसिक जांच प्रणाली, दक्ष यातायात प्रबन्धन, वीडियों निगरानी प्रणाली आदि।

➢ कमेटी ऑफ सेक्रेट्रीज (सी.ओ.एस.) – शासन और सार्वजनिक प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने हेतु।

- **उद्देश्य** – विभागों के बीच सहयोग बढ़ाना।
  - विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना।
  - राज्य के विकास लक्ष्यों के अनुरूप भविष्य की कार्य योजनाओं की रणनीति तैयार करना।
  - सार्वजनिक सेवा प्रदायगी में सुधार सुनिश्चित करना।

➢ जिला प्रभारी सचिवों की नियुक्ति – इनके माध्यम से महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, परियोजनाओं, योजनाओं, बजटीय घोषणाओं का प्रभावी पर्यवेक्षण।

➢ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 –

- नोडल विभाग – प्रशासनिक सुधार विभाग
- आवेदन के लिये ऑनलाइन पोर्टल।

➢ राजस्थान अनुप्रयोग विकास केन्द्र (राजकैड) –

कार्य :– डेटा एनालिटिक्स के तहत वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लिकेशन, मॉड्यूल के लिए डेशबोर्ड विकसित करना।

राज कैड क्षेत्र

(i) बिजनैस एनालिसिस
(ii) डॉटनेट
(iii) PHP
(iv) JAVA
(v) मोबाइल एप्लिकेशन डेवलपमेंट
(vi) UI/UX डिजाइन
(vii) Power BI आदि के क्षेत्र में
(viii) सिक्योरिटी ऑडीट
(ix) RDBMS (Relational Data Base Management System)

➢ भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) –

- भौगोलिक स्थानों से डेटा का प्रबंधन और विश्लेषण करने के लिये निर्णय समर्थन प्रणाली।
- औद्योगिक लेआउट योजनाओं के सहायता हेतु 'राजधारा रीको जीआईएस प्लेटफार्म' के साथ एकीकृत।

> **ई–प्रोक्योरमेंट (सरकारी ई–प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन – जीईपीएनआईसी) –**

- शुरूआत –अक्टूबर, 2011
- पारदर्शिता बढ़ाने के लिये सभी सरकारी संगठनों और उपक्रमों के लिए प्रणाली लागू।

> **राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL) –**

उद्देश्य – राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा उपलब्ध करवाना।
RSCIT के लिए राजकीय कार्मिकों को शुल्क पुनर्भरण।

> **डाटा एनालिटिक्स –** करवंचन की पहचानकर तथा 'कर' आधार में वृद्धि कर, 'कर राजस्व' को बढ़ाना।

- इसे राजस्व अर्जित करने वाले विभागों (वाणिज्यिक कर, परिवहन, आबकारी, पंजीयन एवं मुद्रांक, खान एवं भूविज्ञान) और राजस्थान सम्पर्क, आरजीएचएस, ईमित्र जैसी योजनाओं में लागू।
- डेटा संचालित नीति निर्धारण और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देना।

सुशासन के लिए वित्तीय प्रबन्धन

इस प्रक्रिया में वित्तीय लेन–देन की निगरानी, प्रदर्शन का प्रभावी प्रबन्धन, अनुपालन की सुनिश्चितता, संचालन का प्रबंधन शामिल हैं।

> **एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई एफ एम एस) –** स्वचालित मंच

उद्देश्य – ''बजटिंग और लेखांकन प्रक्रिया का प्रभावी प्रबन्धन करना''
बाहरी और आंतरिक दोनों हितधारकों की सुविधा के लिए विभिन्न मॉड्यूलर प्रणालियों को जोड़ना।

महत्व :– नकदी प्रवाह प्रबन्धन और खातों के वास्तविक समय समाधान में सुधार

- सूचना प्रबंधन क्षमता को मजबूत बनाना।
- सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता सुनिश्चित करना।
- शासन की गुणवत्ता को बेहर बनाना।
- राज्य को स्वचालित और कुशल वित्तीय प्रबन्धन के लिये तैयार करना।
- भारत सरकार के नवोन्मेषी प्लेटफार्मो के साथ संरेखित करना।
- मजबूत डेटाबेस तैयार होने के कारण इसका AI के साथ एकीकरण संभव।

➢ राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान :– जोधपुर

- उद्देश्य – बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करना।

राजस्थान बजट

राजस्था

राजस्थान ग्रीन बजट 2025-2026

राजस्थान ग्रीन बजट 2025-2026

- **वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण** -
  - वर्ष 2030 तक 350 बिलियन $ राजस्थान की अर्थव्यवस्था हासिल करने का लक्ष्य।
  - राजस्व प्राप्तियाँ = रु. 294536 करोड़
  - राजस्व व्यय = रु. 325545 करोड़
  - राजस्व घाटा = रु. 31009 करोड़
  - राजकोषीय घाटा = रु. 84643 करोड़

राजस्थान बजट 2025-26 के क्षेत्र

1. कृषि क्षेत्र
2. उद्योग क्षेत्र
3. सामाजिक सुरक्षा
4. सुशासन क्षेत्र
5. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
6. युवा विकास एवं कल्याण
7. पर्यटन, कला एवं संस्कृति
8. ऊर्जा क्षेत्र
9. नियोजित विकास एवं नागरिक सुविधाएँ
10. कानून व्यवस्था
11. सड़क सुरक्षा क्षेत्र
12. पशुपालन क्षेत्र
13. ग्रीन बजट विशेष

नोट:-

- आर्थिक विकास व पर्यावरण संरक्षण दोनों को संतुलित रखने के लिए फिनलैंड, नार्वे, जर्मनी, यू.के. ग्रीन बजट पेश करते है।
- यूरोपियन यूनियन ने ''ग्रीन डील'' और 2020 से ''ग्रीन टैक्सोनोमी रेगुलेशन'' लागु किया है।
- राज्य सरकार द्वारा प्रथम ग्रीन बजट 2025-26 जारी किया गया।
- GREEN का पूरा नाम -
  - ✓ G - गति
  - ✓ R - रूरल डवलपमेंट
  - ✓ E - एन्टरप्रयोंरशिप
  - ✓ E - एनर्जी
  - ✓ N - न्यू डाइमेंसन्स

कृषि क्षेत्र

- ERCP कॉरपोरेशन की जगह ''राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन'' की स्थापना की जाएगी।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि रु. 1000 की वृद्धि करके अब प्रतिवर्ष रु. 9000 की गई।
- गेहूँ के लिए "MSP" (न्यूनतम समर्थन मूल्य) से ऊपर प्रति क्विंटल 150 रु. बोनस।
- एग्रोफूड पार्क - सांचौर, जालौर
- मिनी एग्रो पार्क - अनुपगढ़, श्री गंगानगर
  - ✓ लहसून CoE (उत्कृष्टता केन्द्र) - बारां
  - ✓ शहद/मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केन्द्र - भरतपुर
  - ✓ मक्का CoE (उत्कृष्टता केन्द्र) - बांसवाड़ा
- Nano यूरिया/Nano DAP के लिए रु. 2500 प्रति हेक्टेयर सब्सिडी।
- Global Rajasthan Agri-Tech मीट (GRAM) का आयोजन किया जाएगा।
- गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2 लाख 50 हजार पशुपालकों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- 10 लाख भूमिहीन कृषको को रु. 5000 कृषि यंत्र व उपकरण खरीद हेतु दिये जाएँगे।
- क्रय विक्रय सहकारी संघों की 8 नए जिलों में स्थापना की जाएगी।

उद्योग क्षेत्र

- Single-One Stop Window Shop (SWOSS) - 149 Online अनुमति सुविधा।
- निवेशको को लुभाने हेतु छोटी खदान लाइसेंस फीस 5000 से घटाकर 3000 रूपये कर दी गई है।
- राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति, 2025 के तहत् ''वेयरहाऊस को उद्योग का दर्जा'' दिये जाने की घोषणा की गई।
- वैश्विक क्षमता केन्द्र नीति के तहत् (GCC) सेवा क्षेत्र, निवेश, रोजगार सृजन में वृद्धि होगी।
- **सिरेमिक पार्क** - सोनियाणा (चितौड़गढ़)
- **खिलौना पार्क** - कोटा
- **स्टोनपार्क** - निंबाहेड़ा (चितौड़गढ), बूंदी
- **फार्मापार्क** - DMIC (दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) के तहत् स्थापित किये जाने की घोषणा की गई।
- सांगानेर, जयपुर - ''ब्लॉक प्रिंटिग जोन''
- फ्लैटेड फेक्टरी व्यवस्था लागू (बिचून, जयपुर, भिवाड़ी, खैरथल-तिजारा)- निवेशको को संस्थान स्थापित करने में सहयोग देने हेतु।

सामाजिक सुरक्षा

- सभी श्रेणियों में सामान्य सुरक्षा पेंशन योजना की राशि रु. 1250 की घोषणा की गई।
- उचित मूल्य की दूकानों पर 5000 अन्नपूर्णा भण्डार स्थापित किये जाने की घोषणा की गई।
- **स्वयं सिद्धा आश्रम** - 10 जिलों में 50 बेड की क्षमता
- दादू दयाल घुमंतु सशक्तीकरण योजना, घुमंतु समुदायों के सशक्तीकरण हेतु रु. 60 करोड़ व्यय किये जाएँगे।
- माटी कला के 2000 कलाकारों को इलेक्ट्रीक चाक व मशीनें प्रदान की जाएगी।
- गिग और असंगठित श्रमिक विकास निधि हेतु रु. 350 करोड़ व्यय किये जाएँगे।
- 4 देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय तथा 16 सोनिया बाई फूले छात्रावास स्थापित किए जाएँगे।
- संभाग मुख्यालयों पर 50 बेडयुक्त **''सरस्वती हाफ वे होम''** स्थापित किए जाएँगे।
- 10 जिला मुख्यालयों पर ''गर्ल्स चाइल्ड केयर संस्थानों'' की स्थापना की जाएगी।
- 20 लाख लखपति दीदी को लाभान्वित किया जाएगा।
- राजस्थान महिला निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड को ''गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान'' बनाया जाएगा।
- **मुख्यमंत्री अमृता आहार योजना** के तहत् अब बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्रों पर दूध 3 दिन की बजाय 5 दिन उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा की गई।

सुशासन

- ''अटल ज्ञान केन्द्र'' की स्थापना प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर की जाएगी जिनकी आबादी 3000 से अधिक हो।
- अंबेडकर संवैधानिक अध्ययन एवं शोध संस्थान की स्थाना जयपुर में की जाएगी।
- न्यायिक दृष्टिकोण के विस्तार हेतु लोक-विश्वास अधि नियम लाया जाएगा।
- विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं का ऑनलाइन माध्यम से निर्बाध उपलब्धीकरण हेतु **''आपदा रिकवरी डाटा सेंटर''** की स्थापना जोधपुर में की जाएगी।
- सीमांत प्रौद्योगिकियों से संबंधित शोध एवं विकास हेतु ''ब्रह्मगुप्त सीमांत प्रौद्योगिकी केन्द्र'' स्थापना की जाएगी।
- **''लघु सचिवालय''** कोटा में स्थापित किया जाएगा।
- MLA LAD योजना के तहत् विधायक जनसुनवाई केन्द्रों की स्थापना हेतु रु. 10 लाख का प्रावधान किया गया है।
- अग्निवीरों के लिए राज्य सरकार ने निम्न भर्ती सेवाओं में आरक्षण प्रदान किये जाने की घोषणा की है।
  - राजस्थान पुलिस
  - जेल विभाग
  - वनरक्षक
  - अग्निशमन भर्ती सेवाएं

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- MAA कोष (मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना)
  - 3500 करोड़
  - MAA योजना के तहत् अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी जेरिएट्रिक केयर, ओरल कैंसर, आयुष पैकेज, विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए पैकेज।
  - अंतर्राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटि लागू करके प्रदेश के बाहर भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
  - आयु - 70 वर्ष से अधिक वाले वृद्धजन को भी शामिल किया जायेगा।
- MAA नेत्र वाउचर योजना (NVY) के तहत् 75 करोड़ रुपये के व्यय से ''ट्रक ड्राइवरों एवं कामगार वर्गों की नि:शुल्क नेत्र जांच करके चश्में उपलब्ध करवाए जाएगे।
- संभागीय मुख्यालयों में जिला अस्पतालों पर ''अल्ट्रा एडवांस बर्न केयर सेंटर'' स्थापित किए जाएँगे।
- RIMS, जयपुर के अंतर्गत ''जेरिएट्रिक हेल्थकेयर रिसोर्स एण्ड ट्रेनिंग सेंटर'' की स्थापना की जाएगी।

- संभागीय मुख्यालयों पर जिला अस्पतालों में समर्पित जेरिएट्रिक सेंटर (रामाश्रय) जराचिकित्सा या बुजुर्गों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी।
- 'फिट इंडिया' की तर्ज पर 'फिट राजस्थान अभियान' की शुरूआत की जाएगी (50 करोड़ रुपये)।
- पूर्णत: निरोगी गाँवों को **आयुष्मान आदर्श ग्राम** का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई।
- **खाद्य प्रयोगशालाएँ** – हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर।

युवा विकास एवं कल्याण

- राजस्थान रोजगार नीति – 2025 के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु विवेकानंद रोजगार सहायता कोष (रु. 500 करोड़) की घोषणा की गई।
- संभाग मुख्यालय पर उन्नत कौशल एवं कैरियर परामर्श केंद्र स्थापित किए जाएँगे।
- विश्वकर्मा कौशल संस्थान की स्थापना कोटा में की जाएगी।
- बालिका सैनिक स्कूलों की स्थापना अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसेलमेर एवं कोटा में की जाएगी।
- 1500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब खोले जाएँगे।
- **डिजिटल प्लेनेटेरियम** – अलवर, अजमेर और बीकानेर।
- भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर के विज्ञान केंद्रों में इनोवेशन हब।
- 5000 से अधिक आबादी वाली 3500 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और खेल मैदानों की स्थापना की जाएगी।
- कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर संभागों में पैरा स्पोर्ट्स के लिए विशेष खेल परिसर।
- SMS स्टेडियम, **जयपुर में ''बैडमिंटन अकादमी''**, एवं **उदयपुर में ''लैक्रोस अकादमी''** की स्थापना की जाएगी।
- जयपुर में अवासीय सुविधा के साथ शूटिंग रेंज की स्थापना की जाएगी।
- चित्रकूट, विद्याद्यर नगर स्टेडियम-जयपुर, हनुमानगढ़, नागौर, नीम का थाना में सिंथेटिक ट्रैक और 5 जिलों में बॉक्सिंग रिंग।
- **युवा साथी केंद्रों** की स्थापना कोटा, जोधपुर, जयपुर और सीकर में की जाएगी। जिनका उद्देश्य युवाओं को आत्महत्या की बजाय समस्या समाधान हेतु परामर्श दिए जाएँगे।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति

- हेरिटेज पर्यटन हेतु 10 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों का विकास किया जायेगा।
- शेखावाटी क्षेत्र में शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना की घोषणा की गई।
- बीकानेर में लोक कलाकारो के उन्नयन हेतु **'गवरी देवी कला केंद्र'** स्थापित किया जायेगा।
- **'ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट'** की स्थापना की जाएगी जिसमें त्रिपुरा सुंदरी, बेणेश्वर धाम, सीतामाता अभयारण्य, ऋषभदेव, मानगढ़, गोतमेश्वर, मातृकुंडिया।
- वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत् 50,000 तीर्थयात्रियों के लिए AC ट्रेन की सुविधा की जाएगी।
- गोविंददेव जी कला महोत्सव, जयपुर स्थापना की 300वीं वर्षगाँठ के अवसर तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
- कोटा हवाई अड्डे के पास एयरो सिटी स्थापित की जाएगी।
- **उड़ान प्रशिक्षण संगठन** – प्रतापगढ़, झालावाड़, झुंझुनू में।
- जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में हॉप-ऑन हॉप-ऑफ बस सेवा।

सड़क सुरक्षा

- 25 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की घोषणा की गई।
- राज्य में **'जीरो एक्सीडेंट जोन'** का विकास निम्न हाइवे पर किया जायेगा।

  1. दिल्ली-जयपुर, 2. जयपुर-आगरा 3. जयपुर-कोटा
- जयपुर शहर में BRTS (बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) को हटाया जाएगा।
- सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबाबाड़ी ओर विद्याधर नगर (टोडी मोड़) तक 12000 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर मेट्रो का कार्य, जगतपुरा और वैशाली नगर क्षेत्र के लिए डीपीआर।
- मंडल मुख्यालयों के लिए व्यापक गतिशीलता योजना।
- जीसीसी मॉडल पर रोडवेज के लिए 500 बसें एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 500 बसों की व्यवस्था की जाएगी।

ऊर्जा

- वर्ष 2025-26 में 6400 मेगावाट का अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा।
- निजी क्षेत्र के माध्यम से 10 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा।

- सौर संयंत्र स्थापित करने हेतु 150 यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क बिजली उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान।
- निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए सामुदायिक सौर संयंत्र स्थापित किए जाएँगे।

नियोजित विकास और नागरिक सुविधाएँ

- डांग, मगरा, मेवात और बृज क्षेत्र विकास योजना रु. 100-100 करोड़ का व्यय किया जाएगा।
- **मुख्यमंत्री थार क्षेत्र सीमा विकास कार्यक्रम** के तहत् अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे परिवारों के लिए रु. 150 करोड़ की राशि से आधारभूत सुविधाएँ विकसित की जाएगी।
- गुरु गोवलवकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के तहत् 35 नए ब्लॉक स्थापित किए जाएँगे।
- 500 नये पिंक टॉयलेट स्थापित किए जाएँगे।

कानून व्यवस्था

- सरदार पटेल साइबर नियंत्रण एवं युद्ध कक्ष केंद्र की स्थापना हेतु 350 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।
- 7 केंद्रीय कारागारों में T-HCBS (टावर ऑफ हार्मोनी कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम) प्रणाली अवैध कॉल को रोकने के लिए स्थापित की जाएगी।
- शाहपुरा-जयपुर और रींगस-सीकर में अतिरिक्त एसपी कार्यालय खोले जाएगे।
- रायपुर-ब्यावर, खाटूश्यामजी-सीकर में डिप्टी एसपी कार्यालय खोले जाएगे।
- 8 नए साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएँगे।

पशुपालन

- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में बीमित पशुपालको की संख्या दोगुनी की जाएगी।
- पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजना के तहत् दवाओं और टीकाकरण की संख्या में 200 तक की वृद्धि की जाएगी।
- **नवीन दुग्ध संयंत्र** अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, सवाई माधोपुर में स्थापित किए जाएँगे।
- **'पशु कृत्रिम अंग केंद्र' की** स्थापना सांगानेर, जयपुर में की जाएगी।
- गोशालाओं व नंदीशालाओं में प्रति पशु अनुदान 50 रुपये प्रतिदिन किया गया है।
- बस्सी, जयपुर में **सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब** की स्थापना की जाएगी।

प्रथम ग्रीन बजट विशेष

- जलवायु परिवर्तन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी।
- मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत 10 करोड़ पौधे लगाए जाएँगे।
- वन के बाहर वृक्ष (ToFR) नीति और कृषि वानिकी नीति के तहत् 10 करोड़ वृक्षारोपण किया जाएगा।
- पालीघाट (सवाई माधोपुर) में घड़ियाल रियरिंग सेंटर खोला जाएगा।
- अमरख महादेव-उदयपुर, गंगा भैरव घाटी-अजमेर में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व तथा बीड़ पापड़ क्षेत्र (नाहरगढ़ जयपुर) में लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी।
- विकसित राजस्थान @2047 जीआईएस आधारित हरित भूमि उपयोग परिप्रेक्ष्य योजना की शुरूआत की जायेगी।
- राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना-2025
  - Recycling/Reuse के क्षेत्र R&D के लिए 2 करोड़ रुपये तक अनुदान दिया जायेगा।
  - सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में MSMEs तथा स्टार्टअप को विभिन्न योजनाओं में दिये जा रहे ऋण अनुदान में 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जायेगी।
- ग्राम पंचायतों में स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाने के लिए **'बर्तन बैंक'** की स्थापना की जाएगी जिसका मुख्य उद्देश्य गाँवों में प्लास्टिक के उपयोग को रोकना है।
- स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी विकास केंद्र की स्थापना हेतु रु. 250 करोड़ व्यय किए जाएँगे।
- विभिन्न शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ और हरित-इको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, रु. 900 करोड़।
- हरित लेखा परीक्षा का प्रावधान एवं सतत विकास लक्ष्य समन्वय एवं त्वरण केन्द्र स्थापित किए जाएगे।
- ग्रीन बजट 2025-26 में निम्नलिखित 10 बिन्दुओं पर विशेष फोकस किया गया है।
  1. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन
  2. वन और पर्यावरण - जैव विविधता/पारिस्थितिकी
  3. सतत् कृषि, जल संचयन/पुनर्भरण
  4. सतत् भूमि उपयोग
  5. हरित ऊर्जा
  6. पुनर्चक्रण और अपशिष्ट निपटान - सर्कुलर इकोनॉमी
  7. स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकास
  8. ग्रीन ऑडिट
  9. क्षमता निर्माण - शिक्षा, कौशल
  10. ग्रीन फंडिंग